वार्षिक रिपोर्ट 2003 – 2004

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि०

(भारत सरकार का उद्यम)

विषय सूची

एनएचपीसी

निगम का लक्ष्य तथा उद्देश्य	-	2
निदेशक मंडल	-	5
कारपोरेट रूपरेखा	-	6
महत्वपूर्ण आंकड़ों का सार (दस वर्ष)	-	8
अध्यक्षीय संबोधन	-	11
निदेशकों की रिपोर्ट	-	15
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	-	38
वार्षिक लेखे	-	44

एनएचडीसी

निदेशकों की रिपोर्ट	-	99
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	-	104
वार्षिक लेखे	-	108

540 मेगावाट चमेरा पावर स्टेशन चरण.-I
(हिमाचल प्रदेश)- बांध

निगम का दृष्टिकोण

पर्यावरण के प्रति मजबूत धारणा रखते हुए जल विद्युत तथा जल संसाधनों का निरंतर विकास करने वाला एवं विश्व स्तरीय, विविध क्षेत्रीय एवं राष्ट्र व्यापी संस्थान बनना।

निगम का लक्ष्य

- जल विद्युत एवं विविध व्यावसायिक क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की उत्कृष्टता प्राप्त करना।
- परियोजनाओं का निष्पादन एवं संचालन कम लागत, पर्यावरण हितैषी एवं सामाजिक–आर्थिक जिम्मेवारी को निभाते हुए करना।
- सक्षम, प्रशिक्षित तथा विविध क्षेत्रों में कुशल जनशक्ति को बढ़ावा देना।
- नए अनुसंधान व विकास के माध्यम से अद्यतन तकनीक का निरंतर विकास करना तथा सर्वश्रेष्ठ कार्यपद्धति को अपनाना।
- कारपोरेट विनियोजन (गवर्नेंस) की सर्वोत्तम पद्धति को अपनाना तथा मजबूत निगम की पहचान के लिए संगठन में मूल्य–आधारित सर्वोत्तम प्रबंधन करना।
- आंतरित निधि एकत्र करने तथा संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन के माध्यम से अधिकतम संपत्ति की व्यवस्था करना।

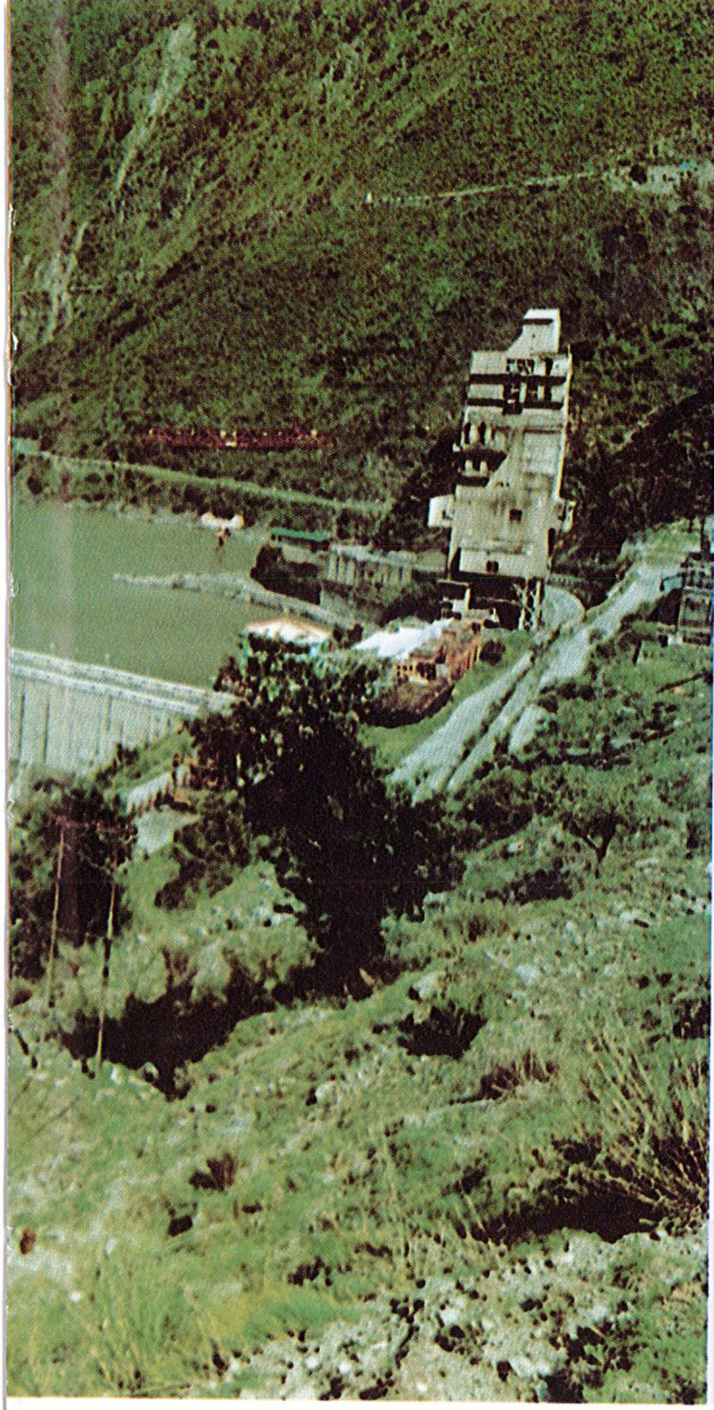

कारपोरेट

वित्तीय उद्देश्य

- क्षमता में बढ़ोतरी और नई परियोजनाओं की स्थापना के लिए लघुकालीन और दीर्घकालीन वित्त पोषण हेतु पर्याप्त आंतरिक संसाधन जुटाना।
- राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुकूल निगम की गतिविधियों की वांछित प्रगति को प्राप्त करने के उद्देश्य से दीर्घकालीन कारपोरेट योजनाएं बनाना।
- अत्यंत किफायती लागत पर अधिकतम बिजली उत्पादन के लिए निरंतर प्रयास करना।
- सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं को बिना किसी वृद्धि के निर्धारित समय और लागत में पूरा करना।

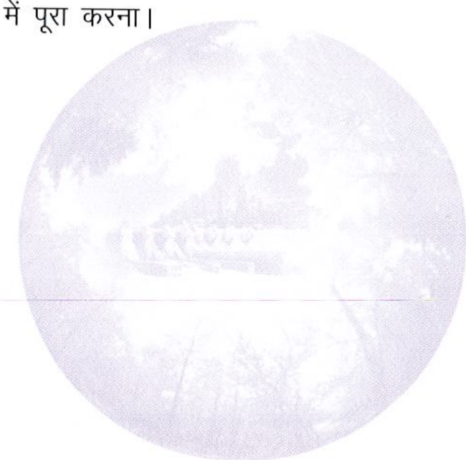

निदेशक मंडल

15.09.2004 को

श्री योगेन्द्र प्रसाद
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

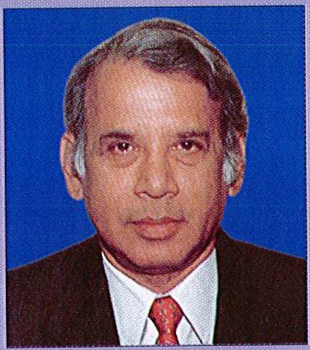

श्री ए.के. गंगोपाध्याय
निदेशक (परियोजनाएं)

श्री आर.के. शर्मा
निदेशक (तकनीकी)

निदेशक गण

श्री एस.के. गर्ग
निदेशक (वित्त)

श्री मृत्युंजय साहु
संयुक्त सचिव व वित्त सलाहकार
विद्युत मंत्रालय

श्री अनिल कुमार कुटटी
संयुक्त सचिव (हाइड्रो)
विद्युत मंत्रालय

कंपनी सचिव
श्री विजय गुप्ता

सांविधिक लेखापरीक्षक
बत्रा सप्रा एण्ड कंपनी
एफ –14, शिवम हाउस, अमर चैम्बर्स,
अपार्टमेंट नं. 17 कनॉट सर्कस,
नई दिल्ली –110001

शाखा लेखापरीक्षक
गांधी मिनोचा एण्ड कंपनी
1–ए ट्रिब्यून कॉलोनी, जगधारी रोड़,
अम्बाला–131001, हरियाणा

ए. आर. मैती एण्ड कंपनी
इण्डिया स्टीम शीप हाउस, 21 ओल्ड कोर्ट,
हाउस स्ट्रीट, कोलकाता–7000001,
पश्चिम बंगाल

भूषण बंसल जैन एसोसिएट्स
4648 / 21 सेधुमल बिल्डिंग, अंसारी रोड़,
दरियागंज, नई दिल्ली–110002

बैंकर्स
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

इंडियन ओवरसीज़ बैंक

देना बैंक

बैंक ऑफ इंडिया

जे. एण्ड के. बैंक लि.

आईसीआईसीआई बैंक लि.

डयूश बैंक लि.

यू. टी. आई बैंक लिमिटेड

बैंक ऑफ भूटान

केनरा बैंक

स्टेण्र्डड चार्टटेड बैंक

पंजीकृत कार्यालय :
एनएचपीसी : ऑफिस कॉम्पलेक्स, सेक्टर–33, फरीदाबाद–121003 (हरियाणा)

कारपोरेट रूपरेखा

वित्तीय		2003-04	2002-03	2001-02	2000-01
बिक्री	*	1276.09	1172.23	1221.00	1179.90
विविध आय	@	551.69	302.96	330.40	575.70
ब्याज, मूल्यह्रास एवं कर पूर्व लाभ	$	1477.37	1153.39	1183.50	1209.70
ब्याज एवं मूल्यह्रा के पश्चात लाभ		643.48	555.00	513.10	484.20
ब्याज, मूल्यह्रास व कर के पश्चात लाभ		621.38	510.50	470.90	443.40
लाभांश		120.00	75.00	50.00	30.00
आरक्षित एवं अधिशेष (संचयी)		3338.46	2852.46	2420.10	1999.20
कारपोरेशन के स्वामित्व में क्या है					
सकल स्थिर परिसंपत्तियां		10342.71	8280.95	8113.50	7892.70
मूल्यह्रास		1882.95	1672.19	1526.70	1280.10
शुद्ध स्थिर परिसंपत्तियां		**8459.76**	**6608.76**	**6586.80**	**6612.60**
चालू पूंजीगत कार्य		6975.83	7078.00	5218.30	3710.80
निर्माण भंडार एवं अग्रिम		805.55	621.74	525.50	613.00
निवेश		3660.87	2415.66	1965.00	679.90
शुद्ध चालू परिसंपत्तियां		107.76	1889.77	1512.20	1864.20
बट्टे खाते न डाला गया विविध व्यय		0.71	1.20	2.00	9.80
		20010.48	**18615.13**	**15809.80**	**13490.30**
कारपोरेशन द्वारा क्या देय है					
शुद्ध मूल्य					
- हिस्सा पूंजी		8629.03	7240.61	6345.70	5188.20
- आरक्षित		3338.46	2852.46	2420.10	1999.20
आकस्मिकताओं के लिए स्वबीमा		255.81	213.24	178.40	139.90
मूल्यह्रास के बदले बतौर पेशगी अग्रिम रूप से प्राप्त आय		939.40	801.06	648.40	519.90
उधार		6847.78	7507.76	6217.20	5643.10
		20010.48	**18615.13**	**15809.80**	**13490.30**
संचालित कार्य निष्पादन		**2003-04**	**2002-03**	**2001-02**	**2000-01**
उत्पादन (मि.यू.)		11046	9863	8912	8774
मशीन उपलब्धता (प्रतिशत)		96.82	96.62	96.86	92.09
बिक्री (करोड़ रूपए)		1276.09	1172.23	1221.00	1179.90
जनशक्ति (संख्या)		13648	13017	13054	11850

* बिक्रियां टैरिफ समायोजन एवं मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम के पश्चात बिक्रियां शुद्ध हैं।

@ संविदाओं के प्रति प्राप्तियां शामिल हैं।

$ पूर्वावधि समायोजन के पश्चात

(करोड़ रुपए)

1999-00	1998-99	1997-98	1996-97	1995-96	1994-95
1075.70	1194.40	993.00	534.40	509.10	480.50
202.60	39.10	4.40	21.70	2.00	1.60
1070.70	999.20	849.10	481.10	433.00	371.40
401.20	305.30	299.40	106.70	77.40	93.70
401.20	305.30	299.40	106.70	77.40	93.70
15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00
1588.90	1206.20	917.40	634.50	544.30	481.90
7752.70	7090.40	6903.60	3893.80	3727.50	3597.80
1029.00	811.10	598.60	622.80	490.10	369.80
6723.70	**6279.30**	**6305.00**	**3271.00**	**3237.40**	**3228.00**
2768.60	2576.00	2073.10	4895.70	4444.70	3380.10
511.50	322.80	332.00	116.70	169.00	226.50
2100.90	1471.80	1252.50	486.80	395.40	524.30
1.90	0.40	1.70	5.00	8.60	10.60
12106.60	**10650.30**	**9964.30**	**8775.20**	**8255.10**	**7369.50**
4446.20	3825.00	3393.00	2917.40	2890.30	2832.70
1588.90	1206.20	917.40	634.50	544.30	481.90
101.70	65.90	31.20	–	–	–
386.10	245.50	130.50	–	–	–
5583.70	5307.70	5492.20	5223.30	4820.50	4054.90
12106.60	**10650.30**	**9964.30**	**8775.20**	**8255.10**	**7369.50**
1999-00	**1998-99**	**1997-98**	**1996-97**	**1995-96**	**1994-95**
8691	9917	8816	5614	6141	6058
91.05	88.39	83.00	83.25	85.30	83.99
1075.70	1194.40	993.00	534.40	509.10	480.50
12150	11860	11799	12119	11984	12145

महत्वपूर्ण (वित्तीय)आंकड़ों का सार (दस वर्ष)

वित्तीय			2003-04	2002-03	2001-02	2000-01
क	ऊर्जा की बिक्री	$	1414.43	1324.86	1349.60	1313.70
ख	मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम		138.34	152.63	128.60	133.80
ग	अन्य आय (संविदा एवं परामर्शी प्राप्ति शामिल है)	#	551.69	302.96	330.40	575.70
घ	**कुल आय(क)-(ख)+(ग)**		**1827.78**	**1475.19**	**1551.40**	**1755.60**
ड.	उत्पादन एवं अन्य व्यय (संविदा एवं परामर्शी प्राप्ति शामिल है)		350.41	321.80	367.90	545.90
च	**सकल मार्जिन (घ)-(ड.)**		**1477.37**	**1153.39**	**1183.50**	**1209.70**
छ	मूल्यह्रास		208.14	140.36	231.60	238.70
ज	**सकल लाभ (च-छ)**		**1269.23**	**1013.03**	**951.90**	**971.00**
झ	ब्याज एवं वित्त प्रभार		625.75	458.03	438.80	486.80
ञ	**शुद्ध लाभ (ज-झ)**		**643.48**	**555.00**	**513.10**	**484.20**
ट	कर		22.10	44.50	42.20	40.80
ठ	**कर-पश्चात शुद्ध लाभ (ञ-ट)**		**621.38**	**510.50**	**470.90**	**443.40**
ड	**सृजित आंतरिक संसाधन(छ)+(ठ)+(ख)**		**967.86**	**803.49**	**831.10**	**815.90**
ढ़	प्राधिकृत पूंजी		15000.00	10000.00	7000.00	7000.00
ण	इक्विटी प्रदत्त पूंजी	*	8629.03	7240.61	6345.70	5188.20
त	आरक्षित एवं अधिशेष		3338.46	2852.46	2420.10	1999.20
थ	आकस्मिकताओं के लिए स्वबीमा		255.81	213.24	178.40	139.90
द	**ऋण निधि**		6847.78	7507.76	6217.20	5643.10
ध	मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम प्राप्त आय (ककघ)		939.40	801.06	648.40	519.90
न	सकल शुद्ध परिसंपतियां		10342.71	8280.95	8113.50	7892.70
प	मूल्यह्रास		1882.95	1672.19	1526.70	1280.10
फ	शुद्ध स्थिर परिसंपतियां(न)-(प)		**8459.76**	**6608.76**	**6586.80**	**6612.60**
ब	चालू पूंजीगत कार्य		6975.83	7078.00	5218.30	3710.80
भ	निर्माण भंडार एवं अग्रिम		805.55	621.74	525.50	613.00
म	निवेश		3660.87	2415.66	1965.00	679.90
य	कार्यकारी पूंजी		107.76	1889.77	1512.20	1864.20
क क	बट्टे खाते न डाले गए की सीमा तक विविध व्यय		0.71	1.20	2.00	9.80
क ख	**सकल नियोजित पूंजी(फ)+(ब)+(भ)+(म)+(य)**		**20009.77**	**18613.93**	**15807.80**	**13480.50**
क ग	**शुद्ध मूल्य (ण)+(त)-(कक)**		**11966.78**	**10091.87**	**8763.80**	**7177.60**
क घ	विद्युत क्रय एवं प्रशा. एवं उत्पादन के अनुसार किया गया निवेश		2.67	2.65	6.90	7.10
कड.	**मूल्यवर्धन (क)-(ख)-(कघ)**		**1273.42**	**1169.58**	**1214.10**	**1172.80**

$ टैरिफ समायोजन, व्हीलिंग प्रभार तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान सहित।

* इक्विटी में समंजनीय भारत सरकार की निधि एवं अंश जमाराशि सहित।

संविदाओं के प्रति प्राप्तियों सहित।

अनुपात

		2003-04	2002-03	2001-02	2000-01
1.	नियोजित संकल पूंजी पर आय (ज)/ (कख)	6.34 %	5.44 %	6.02 %	7.20 %
2.	शुद्ध मूल्य पर आय (ठ)/(क ग)	5.19 %	5.06 %	5.37 %	6.18 %
3.	नियोजित सकल पूंजी में शुद्ध बिक्री (क)-(ख)/(कख)	6.38 %	6.30 %	7.72 %	8.75 %
4.	शुद्ध बिक्री में मूल्यवर्धन (क ड.)/(क)-(ख)	99.79 %	99.77 %	99.43 %	99.40 %
5.	इक्विटी में ऋण का अनुपात (द)/ (ण)+ (त)+(थ)+(ध)	0.52	0.68	0.65	0.72
6.	शुद्ध बिक्री में शुद्ध लाभ (ठ)/(क)-(ख)	48.69 %	43.55 %	38.57 %	37.58 %

(करोड़ रुपए)

1999-00	1998-99	1997-98	1996-97	1995-96	1994-95
1216.30	1309.40	1123.50	534.40	509.10	480.50
140.60	115.00	130.50	–	–	–
202.60	39.10	4.40	21.70	2.00	1.60
1278.30	**1233.50**	**997.40**	**556.10**	**511.10**	**482.10**
207.60	234.30	148.30	75.00	78.10	110.70
1070.70	**999.20**	**849.10**	**481.10**	**433.00**	**371.40**
219.80	215.20	114.00	111.10	102.90	36.50
850.90	**784.00**	**735.10**	**370.00**	**330.10**	**334.90**
449.70	478.70	435.70	263.30	252.70	241.20
401.20	**305.30**	**299.40**	**106.70**	**77.40**	**93.70**
–	–	–	–	–	–
401.20	**305.30**	**299.40**	**106.70**	**77.40**	**93.70**
761.60	**635.50**	**543.90**	**217.80**	**180.30**	**130.20**
5000.00	5000.00	3500.00	3500.00	2500.00	2500.00
4446.20	3825.00	3393.00	2917.40	2890.30	2832.70
1588.90	1206.20	917.40	634.50	544.30	481.90
101.70	65.90	31.20	–	–	–
5583.70	5307.70	5492.20	5223.30	4820.50	4054.90
386.10	245.50	130.50	–	–	–
7752.70	7090.40	6903.60	3893.80	3727.50	3597.80
1029.00	811.10	598.60	622.80	490.10	369.80
6723.70	**6279.30**	**6305.00**	**3271.00**	**3237.40**	**3228.00**
2768.60	2576.00	2073.10	4895.70	4444.70	3380.10
511.50	322.80	332.00	116.70	169.00	226.50
–	–	–	–	–	–
2100.90	1471.80	1252.50	486.80	395.40	524.30
1.90	0.40	1.70	5.00	8.60	10.60
12104.70	**10649.90**	**9962.60**	**8770.20**	**8246.50**	**7358.90**
6033.20	**5030.80**	**4308.70**	**3546.90**	**3426.00**	**3304.00**
6.00	13.30	6.00	4.80	1.30	3.70
1069.70	**1181.10**	**987.00**	**529.60**	**507.80**	**476.80**

7.03 %	7.36 %	7.38 %	4.22 %	4.00 %	4.55 %
6.65 %	6.07 %	6.95 %	3.01 %	2.26 %	2.84 %
8.89 %	11.22 %	9.97 %	6.09 %	6.17 %	6.53 %
99.44 %	98.89 %	99.40 %	99.10 %	99.74 %	99.23 %
0.86	0.99	1.23	1.47	1.40	1.22
37.30 %	25.56 %	30.15 %	19.97 %	15.20 %	19.50 %

480 मे. वा. उड़ी पावर स्टेशन (जम्मू व कश्मीर) – पावर हाउस

अध्यक्षीय संबोधन

अध्यक्षीय सम्बोधन

प्रिय शेयरधारको,

निदेशक मण्डल की ओर से मैं आप सबका 28 वीं सामान्य बैठक में स्वागत करता हूं । नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित लेखा एवं लेखापरीक्षा रिपोर्ट, जो आपके पास पहले से ही विचार एवं अनुपालन के लिए है, आपकी सहमति से मैं इसे पढ़ा गया समझता हूं ।

मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि निगम की वर्ष के दौरान अनेक विशिष्ट वित्तीय एवं वास्तविक उपलब्धियां रही हैं ।

आपके निगम ने हिमाचल प्रदेश में रावी नदी पर" चमेरा पावर स्टेशन चरण-II" (300 मेगावाट) को निर्धारित कार्यक्रम से 8 महीने पहले पूरा करके जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के इतिहास में एक अभूतपूर्व उपलब्धि दर्ज की है । यह परियोजना 9 फरवरी, 2004 को राष्ट्र को समर्पित की गई है ।

वर्ष के दौरान, निगम ने 1414.38 करोड़ रूपए की बिक्री और कर पश्चात 621.38 करोड़ रूपए का लाभ अर्जित किया है । आपके

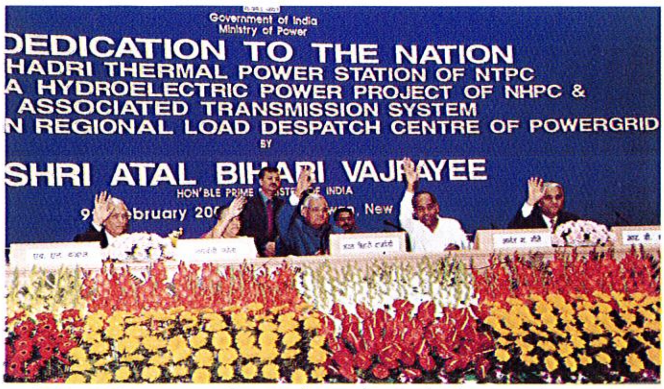

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 9 फरवरी 2004 को 300 मेगावाट के चमेरा पावर स्टेशन चरण-II को राष्ट्र को समर्पित किया जाना।

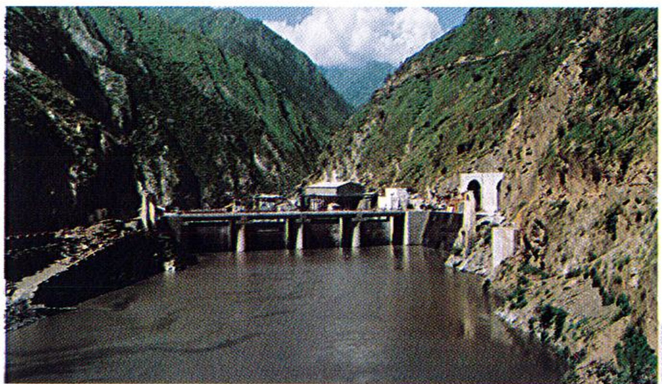

300 मेगावाट चमेरा पावर स्टेशन चरण-II (हिमाचल प्रदेश)- कंक्रीट बांध।

बोर्ड द्वारा आरंभ से अब तक के सर्वाधिक 120 करोड़ रूपए के लाभांश की सिफारिश की गई है । 9400 मेगावाट लक्ष्य की तुलना में 11045.52 मिलियन यूनिट की ऊर्जा उत्पादन से यह संभव हुआ है, जो एनएचपीसी की स्थापना के बाद से अब तक का सबसे अधिक उत्पादन है और इसमें पिछले वर्ष से 11.9% की बढ़ोत्तरी हुई है । एनएचपीसी के सभी पावर स्टेशनों में लक्ष्य से अधिक

उत्पादन हुआ । केवल बैरास्यूल को छोड़कर, जहां नदी में पानी के अपर्याप्त बहाव के कारण उत्पादन कम हुआ है । चमेरा चरण-I, सलाल, टनकपुर एवं उड़ी पावर स्टेशनों में उनके संचालन के बाद से अब तक सर्वाधिक उत्पादन हुआ है ।

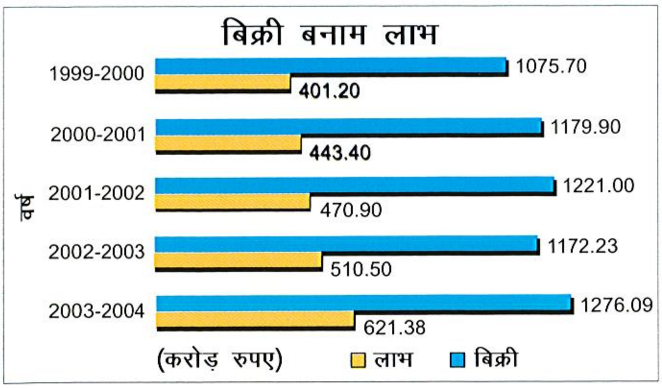

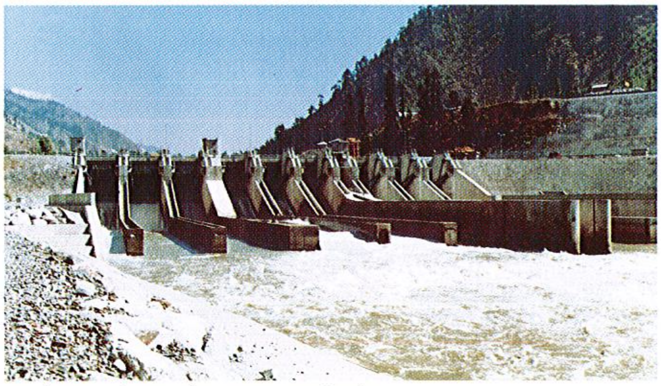
480 मेगावाट उड़ी पावर स्टेशन (जम्मू व कश्मीर)-बैराज

सभी उत्पादन कर्ता कंपनियों के लिए राज्य विद्युत बोर्डों/लाभभोक्ताओं से देयताओं की वसूली चिंता का विषय रही है । वर्ष के दौरान आपके निगम ने लाभभोक्ताओ को बेची गई ऊर्जा के लिए 1435.51 करोड़ रूपए मूल राशि की वसूली की है । " देयताओं के एक समय में निपटान" की योजना के तहत 30.9.2001 को राज्य विद्युत बोर्ड से बकाया राशि के प्रतिधारित बांडों सहित कुल 2531.04 करोड़ रूपए मूल्य के बांड प्राप्त किए गए । दिल्ली विद्युत बोर्ड की दिल्ली ट्रांस्को कंपनी से बकाया देयता को 15 वर्षों में प्रतिदेय दीर्घावधि ऋण में परिवर्तित करने के लिए 228.21 करोड़ रूपए के करार पर हस्ताक्षर किए गए । इसके साथ आपके निगम ने विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों/लाभभोक्ताओं से 2759.24 करोड़ रूपए की बकाया देयताओं को कम कर दिया है ।

इस समय धौलीगंगा (280 मेगावाट) एवं दुलहस्ती (390 मेगावाट) परियोजनाओं का कार्य पूर्णता अवधि से आगे चल रहा है । आशा है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक इन परियोजनाओं से उत्पादन शुरू हो जाएगा । तीस्ता चरण-V (3 X 170 मेगावाट) एवं पार्बती जल विद्युत परियोजना चरण-II (4X 200 मेगावाट) के कार्य की प्रगति भी संतोषजनक है । ये परियोजनाएं क्रमशः फरवरी एवं सितंबर, 2007 तक पूरी होने की संभावना है ।

280 मेगावाट धौलीगंगा परियोजना (उत्तरांचल) - कंक्रीट रॉकफिल बांध के अपस्ट्रीम का दृश्य

वर्ष के दौरान, तीस्ता लो डैम चरण-III (132 मेगावाट), सेवा -II (3X 40 मेगावाट) तथा सुबानसिरी लोअर (2000 मेगावाट) जल विद्युत परियोजनाओं को सीसीईए की मंजूरी दे दी गई है । इन स्थलों पर बुनियादी ढांचा निर्माण कार्य प्रगति पर है। ये परियोजनाएं क्रमशः मार्च, 2007, सितंबर 2007 एवं सितंबर, 2010 तक पूरी करने का कार्यक्रम है ।

लोकतक डाउनस्ट्रीम जल विद्युत परियोजना का कार्य लगातार कानून व व्यवस्था की विपरीत स्थिति बनी रहने के कारण शुरू नहीं किया जा सका । कोयलकारो एवं बाव-I व II परियोजनाओं में कुछ लाभभोक्ता राज्यों द्वारा बिक्री दर अधिक समझी जाने के कारण विद्युत क्रय करार पर हस्ताक्षर नही किए गए, जिससे कार्य की प्रगति नहीं हो सकी है । विद्युत क्रय करार पर हस्ताक्षर की अनिश्चितता तथा उच्च दर के कारण आपके निगम ने उक्त परियोजनाओं को बंद करने का निर्णय लिया है ।

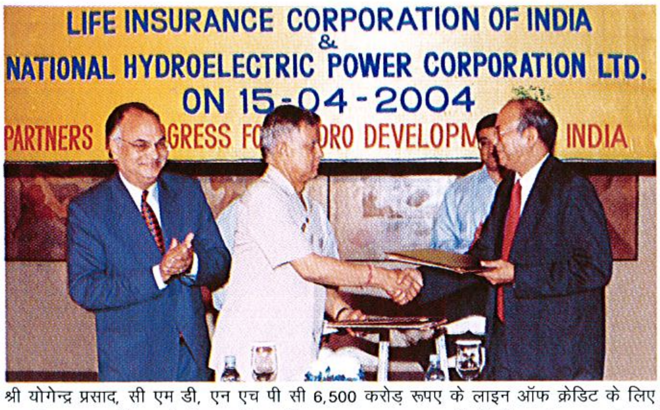

श्री योगेन्द्र प्रसाद, सी एम डी, एन एच पी सी 6,500 करोड़ रूपए के लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए समझौता ज्ञापन के दस्तावेजों का श्री एस.बी.माथुर, अध्यक्ष, एल आई सी से हस्तांतरण करते हुए।

ग्यारहवीं योजना के दौरान आपके निगम ने 15173 मेगावाट क्षमता अभिवृद्धि की योजना बनाई है, इनमें से 7 परियोजनाओं के लिए भारत सरकार की मंजूरी अपेक्षित है, 6 परियोजनाएं सर्वेक्षण एवं अन्वेषणाधीन हैं तथा इनकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है तथा 4 परियोजनाओं के लिए संभाव्यता रिपोर्ट तैयार की जा रही है ।

इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आपके निगम ने सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी दरों पर 20 वर्षों की अवधि के लिए भारतीय

जीवन बीमा निगम से 6500 करोड़ रूपए के लाइन - ऑफ क्रेडिट की व्यवस्था की है । इसी प्रकार 50 मिलियन अमरीकी डॉलर के बाह्य ऋण की अत्यधिक प्रतिस्पर्धी दरों पर व्यवस्था की गई है और यह भारत सरकार की गारंटी के बिना है। अतिरिक्त निधि की व्यवस्था के अलावा पहले अधिक ब्याज दर पर लिए ऋणों को कम ब्याज ऋणों में बदला गया है, ताकि निगम पर ब्याज का भार कम हो सके ।

वर्ष के दौरान, बड़ी संख्या में परियोजनाओं के सक्रिय निष्पादन एवं निर्माणाधीन होने के कारण भारत सरकार से अधिक बजटीय आवंटन की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए आपके निगम की प्राधिकृत हिस्सा पूंजी को बढ़ाकर 15000 करोड़ रूपए कर दिया गया है ।

आपका निगम एक कारपोरेट नागरिक के तौर पर निगम की सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) से पूरी तरह अवगत है और उसने ग्रामीण भारत के विद्युतीकरण तथा भारत के गांवों तक पहुंच सड़कों के विकास एवं रख-रखाव के कार्य में स्वयं को संलग्न किया है । इस उद्देश्य से इसने रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन ऑफ इंडिया (आर.ई.सी.) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें एक लाख गांवों एवं एक करोड़ घरों के तीव्रता से विद्युतीकरण के कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजनाएं तैयार एवं क्रियान्वित की जाएंगी। इस समय पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा एनएचपीसी को पुरलिया जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य सौंपा गया है।

रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन. लि. के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

आपके निगम ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ प्रधान मंत्री सड़क योजना, जो 100% केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है, के तहत बिहार के 6 जिलों में ग्रामीण पहुंच सड़कों के विकास एवं रख-रखाव के लिए करार पर हस्ताक्षर किए हैं ।

1000 मेगावाट की इंदिरा सागर परियोजना (मध्य प्रदेश) - 400 के. वी. स्विचयार्ड

मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारी संयुक्त उद्यम कंपनी " नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लि. " ने इंदिरा सागर परियोजना की 8 यूनिटों में से 125 मेगावाट प्रत्येक की क्षमता वाली 5 यूनिटों को संचालित कर दिया है और मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ग्रिड को इंदिरा सागर परियोजना से विद्युत की आपूर्ति की जा रही है । इस समय कार्य की गति के अनुसार मुझे विश्वास है कि इंदिरा सागर परियोजना वर्तमान वित्तीय वर्ष में पूरी तरह संचालित हो जाएगी । मध्य प्रदेश में विद्युत आपूर्ति को सुलभ बनाने में इस 1000 मेगावाट की परियोजना से राज्य को तत्काल लाभ होगा ।

इस संबंध में, मैं यह कहना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले "हरशूद" के डूबने के कारण इस शहर की मीडिया द्वारा बहुत चर्चा की गई । 700 वर्ष पुराने, इस शहर के लोगों का पुनर्वास निश्चय ही एक दुष्कर और चुनौतीपूर्ण कार्य था जिसमें 200 गांवों के लगभग 31500 परिवारों को स्थानांतरित किया जाना था । मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से परियोजना प्रभावित लोगों की संतुष्टि के अनुसार पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना का कार्य शांतिपूर्वक एवं तीव्रता से किया जा सका । यह एनएचडीसी की निश्चय ही एक उत्कृष्ट उपलब्धि है ।

एनएचपीसी की विभिन्न परियोजनाओं के निष्पादन के लिए आपका निगम भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों की विशेष रूप से विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, योजना आयोग, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, केन्द्रीय जल आयोग तथा साथ ही विद्युत बोर्डों/निगमों सहित राज्य सरकारों के विभिन्न संस्थानों के सहयोग की अपेक्षा रखता है ।

मैं इस अवसर पर भारत सरकार सहित विभिन्न मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों के विभागों के सहयोग हेतु बोर्ड की सराहना को रिकार्ड में लेता हूं । मैं एनएचपीसी के प्रति विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं तथा निवेशकों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं ।

मैं बोर्ड के सभी निदेशकों की ओर से अपने कर्मचारियों को उनके निष्ठापूर्ण सहयोग एवं चहुमुखी उत्कृष्ट निष्पादन के लिए धन्यवाद देता हूं ।

दिनांक : 15.09.2004
स्थान : फरीदाबाद

(योगेन्द्र प्रसाद)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

105 मे. वा. लोकतक पावर स्टेशन (मणिपुर) - पेन स्टॉक

निदेशकों की रिपोर्ट

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में सदस्यगण,

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि0,

आपकी कम्पनी के कार्य निष्पादन संकेतों की लगातार ऊपर की ओर बढ़ती प्रवृत्ति के साथ, आपके निदेशकों को 28वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इसके साथ 31 मार्च 2004 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखे, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की गई लेखाओं की समीक्षा भी प्रस्तुत की जाती है।

1. वित्तीय कार्य-निष्पादन

वित्तीय कार्य-निष्पादन ने लगातार सकारात्मक संकेत दर्शाया है जिसे नीचे प्रस्तुत किया गया है:-

वित्तीय विशिष्टताएं **(करोड़ रुपयों में)**

विवरण	2003-2004	2002-2003
विद्युत की बिक्री	1414.43	1324.86
मूल्यह्रास, ब्याज तथा कर पूर्व लाभ	1198.79	1073.27
मूल्यह्रास	208.14	140.36
मूल्यह्रास पश्चात और ब्याज तथा कर पूर्व लाभ	990.65	932.91
ब्याज लागत	347.17	377.91
मूल्यह्रास और ब्याज पश्चात किन्तु कर पूर्व लाभ	643.48	555.00
कर	22.10	44.50
मूल्यह्रास, ब्याज और कर पश्चात लाभ	621.38	510.50
पहले के वर्षों के लाभ-हानि लेखे का अधिशेष	1267.00	834.70
विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ	1888.38	1345.20
विनियोजन:		
अंतरिम लाभांश	60.00	50.00
प्रस्तावित अंतिम	60.00	25.00
लाभांश आय कर के लिए प्रावधान (लाभांश पर)	15.38	3.20
आरक्षित और अधिशेष में अग्रेणीत शेष लाभ	1753.00	1267.00

वर्ष 2003-2004 के दौरान कारपोरेशन का कारोबार 1414.43 करोड़ रुपए था और कर पश्चात निवल लाभ गत वर्ष 510.50 करोड़ रूपए की तुलना में 621.38 करोड़ रूपए था, जिससे पिछले वर्ष से 21.72S की वृद्धि दर्ज की गई।

वसूलियों के मोर्चे पर भी आपकी कम्पनी ने बढ़िया प्रदर्शन जारी रखा है और लाभग्राहियों को बेची गई बिजली के लिए 1435.51 करोड़ रूपए की राशि वसूल की गई। वर्ष 2003-04 के दौरान आपके कारपोरेशन को 30.09.01 को बकाया राशि पर भारत सरकार की "देय राशियों का एक बार में निपटान" स्कीम के अनुसार राज्य विद्युत बोर्डों से 2531.036 करोड़ रुपए के बांड प्राप्त हुए हैं। इसमें पहले जारी किए गए बांडों की परिवर्तन-राशि भी शामिल है। दिल्ली ट्रांस्को लि0 के साथ एक करार भी किया गया जिसमें 30.09.01 को 228.21 करोड़ रुपए के दिल्ली विद्युत बोर्ड से संबंधित बकाया राशि को 15 वर्षों में वापसी-योग्य दीर्घकालिक अग्रिम में परिवर्तित किया गया। इसके साथ कारपोरेशन ने विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों की 2759.24 करोड़ रूपए की बकाया राशि परिसमाप्त की है। इससे कारपोरेशन की चल निधि में वृद्धि हुई है।

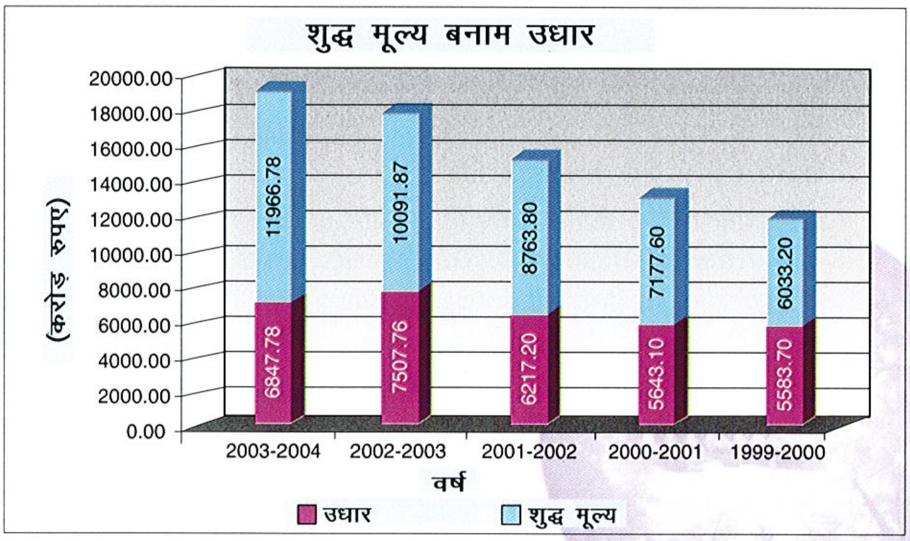

2. प्रस्तावित लाभांश

उन्नत कार्य-निष्पादन के कारण, आपके निदेशकों ने वर्ष 2003-04 के लिए 120 करोड़ रुपए के (लाभांश कर को छोड़कर) एकमुश्त लाभांश की सिफारिश की है, जिसमें आगामी आम बैठक में शेयरधारियों के अनुमोदन की शर्त पर 60 करोड़ रुपए का अंतरिम लाभांश भी शामिल है।

श्री आर. वी. शाही, सचिव (विद्युत) को श्री योगेन्द्र प्रसाद, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एन एच पी सी लाभांश चैक प्रदान करते हुए, ।

3. पूंजीगत संरचना

कारपोरेशन ने अपनी पिछली रिपोर्ट से लेकर अपनी प्राधिकृत शेयर पूंजी बढ़ा कर 15,000 करोड़ रुपए कर दी है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्रदत्त शेयर पूंजी 7775.6279 करोड़ रुपए थी जो 30 जून, 2004 को बढ़ा कर 8203.1797 करोड़ रुपए कर दी गई।

4. सूचना प्रौद्योगिकी और संचार

कारपोरेशन ने आई. टी (सूचना प्रौधोगिकी) आधारित समाधानों के व्यापक प्रयोग के लिए पहलकदमियां करना जारी रखा। मुख्य कार्यात्मक क्षेत्रों को शामिल करते हुए कई अनुप्रयोग-पैकेज क्रियान्वित किए गए हैं। कई ऐसे अतिरिक्त क्षेत्रों की पहचान करने के लिए विस्तृत अध्ययन किए गए हैं जिन्हें बेहतर निर्णय लेने के लिए कम्प्यूटरीकृत किया जा सकता है। कारपोरेशन ने मुख्य कार्यात्मक क्षेत्रों को शामिल करते हुए अपने यहाँ उपयुक्त उद्यम संसाधन योजना (ई.आर.पी) साफ्टवेयर कार्यान्वित करने के लिए वर्तमान कारोबार प्रक्रियाओं की विस्तृत समीक्षा करना भी आरंभ कर दिया है।

5. पर्यावरण प्रबंधन

भावी पीढ़ी के लिए मानव की बहुमूल्य विरासत 'प्रकृति' के संरक्षण और संवर्धन के लिए कारपोरेशन वचन-बद्ध है। निगम पर्यावरण के संरक्षण और निर्माण क्रियाकलापों के बीच अनुकूलतम संतुलन बनाए रखने के लिए प्रयास करता है। यदि निर्माणकारी क्रियाकलापों का कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो तो उसे समाप्त किया जाता है उसके लिए प्रतिपूरक वनरोपण, जल-ग्रहण क्षेत्र सुधार, वन्यजीवन संरक्षण, हरित पट्‌टी विकास, मतस्य प्रबंधन, स्वास्थ्य प्रबंधन, कूडा-कर्कट स्थलों तथा खदान स्थलों की बहाली जैसे उपाय अपना कर भरपाई की जाती है। इसके अतिरिक्त, परियोजना निर्माण के दौरान कार्यान्वित की गई प्रबंध योजना की प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन करने के लिए निगम निर्माण-पश्चात पर्यावरण प्रभाव का मूल्यांकन अध्ययन भी करता है।

6. सतर्कता गतिविधियां

एन एच पी सी के सतर्कता विभाग ने नियमों और कार्यविधियों के संबंध में जागरुकता पैदा करके निवारक पहलुओं पर जोर देना जारी रखा है। वर्ष के दौरान इसने विभिन्न परियोजनाओं में 66 सतर्कता जागरुकता कार्यक्रम/कार्यशालाएं आयोजित कीं जिनमें 1439 कर्मचारियों ने भाग लिया। सलाल पावर स्टेशन तथा तीस्ता लो डैम परियोजना में भी सतर्कता जागरुकता पर दो क्षेत्रीय स्तर के कार्यक्रम आयोजित किए गए।

7. राजभाषा कार्यान्यवन

आपका निगम भारत सरकार की राजभाषा नीति कार्यान्वित करने और दिन प्रतिदिन के सरकारी काम में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढावा देने के लिए वचनबद्ध है। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, कारपोरेट कार्यालय एवं परियोजनाओं/ कार्यालयों में भी हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया।

हिंदी पखवाड़ा 2003 में आयोजित पुस्तक प्रदर्शनी का दृश्य

इस अवधि के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम (जैसे पुस्तक प्रदर्शनी आदि) आयोजित किए गए। निगम ने हिन्दी भाषा और हिन्दी टकण तथा आशुलिपि प्रशिक्षण कक्षाएं भी आयोजित की हैं। सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

इन प्रयासों के परिणामस्वरुप, निगम ने अपने यहाँ वर्ष 2002-03 में राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए राजभाषा शील्ड (द्वितीय पुरस्कार) प्राप्त की। हमारे निगम के तीन कर्मचारियों ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, फरीदाबाद द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में तीन पुरस्कार जीते

8. कारपोरेट संचार

आपका निगम जल विद्युत विकास की आवश्यकता के संबंध में जागरुकता पैदा करने में सबसे आगे है। बांध सुरक्षा और पर्यावरण पर प्रभाव के बारे में मनगढंत बातों को नकारने और उनका जवाब देने के लिए, निगम ने प्रिंट मीडिया के माध्यम से जानकारी देने के अलावा कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेकर अपनी विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया। नई दिल्ली में आयोजित भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2003 में विद्युत मंत्रालय के पावर पवेलियन, जिसमें एन एच पी सी प्रमुख प्रतिभागी थी, ने सर्वश्रेष्ठ पवेलियन अवार्ड जीता। एन एच पी सी, एन टी पी सी और पी जी सी आई एल ने विद्युत मंत्रालय की ओर से अवार्ड प्राप्त किए । एन एच पी सी ने काठमाण्डू, नेपाल में आयोजित इलैक्टो-टेक - 04 प्रदशनी में भी भाग लिया और सर्वोत्तम पवेलियन अवार्ड जीता। विद्युत मंत्रालय की ओर से राजपथ, नई दिल्ली पर गणतंत्र दिवस समारोह में लगातार दूसरे वर्ष "जल विद्युत का विकास स्वच्छ विद्युत हरित विद्युत " नामक रंगबिरंगी झांकी प्रस्तुत की गई।

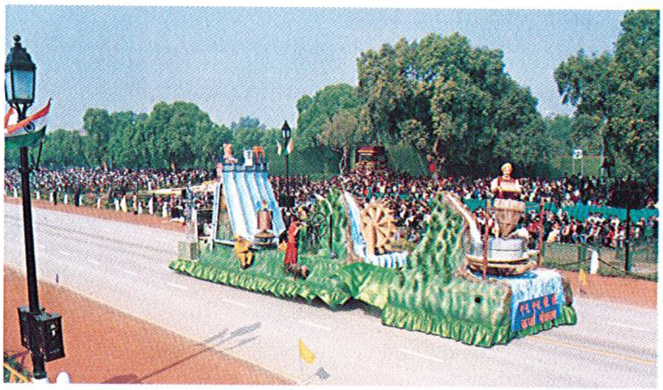

गणतंत्र दिवस परेड 2004 में एन एच पी सी की झांकी का दृश्य।

9. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षण

निगम कर्मचारियों की भर्ती और पदोन्नित के लिए शासकीय (प्रेसीडेंशियल) निर्देशों के अनुसार सेवा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति पदों के लिए आरक्षण संबंधी अनुदेशों का अनुपालन करता है।

10. अपंग व्यक्तियों का कल्याण

अपंग व्यक्तियों के कल्याण की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है । वर्ष के दौरान शारीरिक रूप से अपंग 9 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया। निगम ने अपंग कर्मचारियों को पहिएदार कुर्सियां तथा वित्तीय सहायता प्रदान की गई ।

11. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन तथा विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन तथा विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय के संबंध में कम्पनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटन) नियमावली, 1988 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम की धारा 217 (1) (ई) के उपबंधों के अनुसार सूचना इस रिपोर्ट के अनुबंध-1 में दी गई है।

12. कर्मचारियों के ब्योरे

कम्पनी (कर्मचारियों के ब्योरे) नियमावली 1975 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2 ए) के तहत अपेक्षित सूचना शून्य है।

13. कारपोरेट अभिशासन

निगम ने यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं कि स्टाक एक्सचेंजों के सूचीकरण करारों के खण्ड 49 में निर्धारित कारपोरेट अभिशासन की शर्तों तथा कम्पनी अधिनियम 1956 के उपबंधों का अनुपालन किया जाए। कम्पनी अभिशासन संबंधी एक अलग विवरण लेखापरीक्षक प्रमाणपत्र के साथ निदेशकों की रिपोर्ट के एक भाग के रूप में अनुपालनार्थ अनुबंध II के रूप में और प्रबंध विश्लेषण एवं विचार-विमर्श रिपोर्ट अनुबंध III के रूप में प्रस्तुत है।

14. लेखापरीक्षक

मैसर्स बत्रा सप्रा एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली को वर्ष 2003-04 की लेखापरीक्षा के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया। मैसर्स गांधी मिनोचा एण्ड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अम्बाला, भूषण बंसल जैन एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेट्स, नई दिल्ली तथा मैसर्स ए.आर.मैती एण्ड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेट्स, कोलकता को निगम के शाखा लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया ।

कोलकाता में आयोजित लेखापरीक्षकों की बैठक का दृश्य

15. लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में निगम द्वारा अनुसूची 21 में शामिल की गई विभिन्न टिप्पणियों का उल्लेख है, जो स्वतः स्पष्ट हैं। लेखापरीक्षकों की टिप्पणियां तथा प्रबंधन द्वारा दिए गए उनके उत्तर **अनुबंध-IV** में दिए गए हैं। उन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के उत्तर इस रिपोर्ट के **अनुबंध-V** के रूप में संलग्न हैं।

31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष के लेखों की भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा समीक्षा इस रिपोर्ट के **अनुबंध VI** में दी गई है। समेकित लेखे और उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

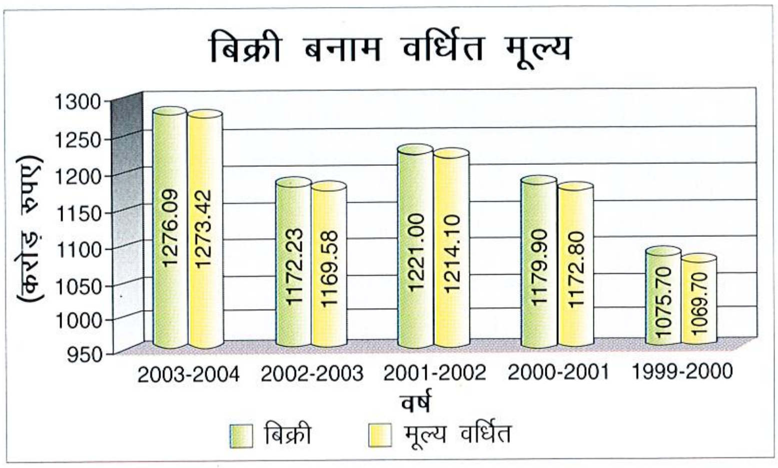

16. सहायक कंपनी के लेखे

आपके निगम की सहायक कम्पनी नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0 की लेखापरीक्षकों और निदेशकों की रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 212 के तहत इस वितरण के साथ संलग्न हैं।

17. निदेशकों का उत्तरदायित्व संबंधी विवरण

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 के अधीन यथापेक्षित निदेशक इस बात की पुष्टि करते हैं किः

i) वार्षिक लेखे तैयार करने में लेखाकरण के लिए लागू मानकों का अनुपालन किया गया है और यदि कोई वास्तविक विचलन हुआ हो, तो उनका उचित स्पष्टीकरण दिया गया है।

ii) निदेशकों ने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया है तथा ऐसे निर्णय लिए हैं और अनुमान लगाए हैं जो इतने युक्तिसंगत और विवेकपूर्ण हैं कि वे वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कम्पनी के कामकाज की तथा उस अवधि के लिए कम्पनी के लाभ की वास्तविक और उचित तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।

iii) निदेशकों ने अपनी पूर्ण जानकारी और योग्यता के अनुसार कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा करने तथा धोखधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार लेखा अभिलेख रखने की ओर पर्याप्त तथा उचित ध्यान दिया है।

iv) निदेशकों ने वार्षिक लेखे निरंतर सम्बद्ध आधार पर तैयार किए हैं।

18. निदेशक मण्डल

श्री बिनय कुमार, निदेशक (कार्मिक) अपने कार्यकाल की समाप्ति पर 07.07.03 से निगम के निदेशक नहीं रहे।

19. आभार

निदेशक मण्डल, भारत सरकार और विशेष रूप से विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) योजना आयोग, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, लोक उद्यम विभाग, कंपनी कार्य विभाग, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, केंद्रीय जल आयोग तथा राज्य सरकारों, क्षेत्रीय तथा राज्य विद्युत बोर्डो/कम्पनियों से प्राप्त सहयोग और मार्गदर्शन के लिए उनके प्रति कृतज्ञतापूर्वक आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मण्डल राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा भारतीय निवेशकों का भी निगम को निरंतर सहायता देने तथा उसमें अपना भरोसा तथा विश्वास बनाए रखने के लिए आभारी है।

निदेशक मंडल विद्युत लेने वाले उपभोक्ता राज्यों तथा परामर्शी कार्यों के लिए अन्य महत्वपूर्ण ग्राहकों की विशेष सराहना करता है। मंडल, परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में संविदाकारों, विक्रेताओं तथा परामर्शदाताओं के योगदान के लिए उनके प्रयासों की सराहना करता है।

सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक कार्यालय द्वारा दिए गए सहयोग के लिए, बोर्ड उनकी सराहना करता है। इसके साथ ही बोर्ड एन एच पी सी परिवार के सभी सदस्यों को भी धन्यवाद देता है, जिनके साहस, समर्पण व योगदान से निगम को संतोषजनक उपलब्धियां प्राप्त हो सकी हैं। बोर्ड को यह भी विश्वास है कि कर्मचारी आने वाले वर्षों में भी अधिक से अधिक योगदान देते रहेंगे।

निदेशक मण्डल के लिए तथा की ओर से

(योगेन्द्र प्रसाद)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

दिनांक : 02.09.2004
स्थान : फरीदाबाद

अनुबंध-I

कम्पनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों का खुलासा) नियमावली, 1988 के अनुसार ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन और विदेशी मुद्रा अर्जन पर निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध

क. ऊर्जा संरक्षण

(क) किए गए और किए जा रहे ऊर्जा उपाय ।

एन एच पी सी विद्युत प्रणालियां अनुकूलतम तरीके से डिजाइन की गई हैं ताकि विद्युत की हानियां (सहायक खपत) कम से कम हों ।

(ख) ऊर्जा की खपत कम करने के लिए किए जा रहे अतिरिक्त निवेश और प्रयास, यदि कोई हों।

इस समय निगम द्वारा सीधे निवेश के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) ऊर्जा खपत कम करने के लिए उपर्युक्त (क) और (ख) पर उल्लिखित उपायों का प्रभाव और इसके परिणामस्वरुप वस्तुओं की उत्पादन लागत पर प्रभाव

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान अनुकूलतम उपयोग किया गया है।

(घ) अनुबंध के फार्म-क के अनुसार कुल ऊर्जा खपत और उत्पादन की प्रति इकाई ऊर्जा खपत

एन एच पी सी अनुसूची में उल्लिखित उद्योगों की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता।

ख. प्रौद्योगिकी समावेशन

(ड.) प्रौद्योगिकी समावेशन के लिए किए गए प्रयास अनुबंध के फार्म ख में संलग्न हैं।

ग. विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय

(च) निर्यात से संबंधित क्रियाकलाप; निर्यात बढ़ाने के लिए की गई पहल, उत्पादों तथा सेवाओं के लिए नये बाजारों का विकास और निर्यात योजनाएं;

एन एच पी सी की कोई निर्यात योजनाएं नहीं हैं ।

(छ) उपयोग की गई और अर्जित की गई कुल विदेशी मुद्रा

करोड़ रूपए

	विवरण	2003-2004	2002-2003
1.	लागत बीमा भाड़ा आधार पर आयातित संयंत्र और मशीनों और कल पुर्जों का मूल्य	102.76	109.80
2.	जानकारियां	0.63	2.62
3.	विविध (व्यय)	254.39	221.98
4.	ब्याज	111.44	116.13
5.	संचालित इकाइयों में लगाए गए कल- पुर्जो तथा घटकों की कीमत		
	- आयातित	0.07	–
	- देशी	2.60	2.65
	आय (नक़द आधार पर)		
6.	ब्याज आय	–	–
7.	अन्य	0.04	–

अनुबंध-I
(जारी)

फार्म-ख

1. विशिष्ट क्षेत्र जिनमें कम्पनी द्वारा अनुसंधान और विकास (आर एण्ड डी) कार्य किया गया

- जल विद्युत स्टेशनों में गाद कटाव से प्रभावित भूमिगत जल टर्बाइन घटकों की उपयोगिता-अवधि को बढ़ाना।
- विद्युत उत्पादन के लिए जियोथर्मल ऊर्जा का उपयोग।
- पावर स्टेशनों के लिए वेल्डिंग इलेक्ट्रोडों का मानकीकरण
- मशीन उपलब्धता में सुधार के लिए नये उत्पादों का समावेश

2. उपर्युक्त आर एण्ड डी के परिणामस्वरूप प्राप्त किए गए लाभ

भारी गाद कटाव का सामना करने वाले भूमिगत टर्बाइन के भागों पर लगाई गई कठोर कोटिंग लगाने के संबंध में निगम ने अपने सलाल पावर स्टेशन तथा बैरा स्यूल पावर स्टेशन पर व्यापक प्रयोग किए हैं। कोटिंग पाउडर के कुछ संयोजनों के साथ थर्मल छिड़काव प्रक्रिया ने उत्साहवर्धक परिणाम प्रस्तुत किए हैं। परन्तु, गाद प्रभावित विभिन्न पावर स्टेशनों पर भिन्न-भिन्न प्रचालनात्मक पैरामीटरों के संदर्भ में सबसे उपयुक्त तकनीक और कोटिंग टाइप विकसित करने के लिए इसमें और आगे प्रायोगिक अध्ययन करने की आवश्यकता है। इसके लिए बी.एच.ई.एल. तथा सी.ई.ए को साथ ले कर संयुक्त रूप से एक राष्ट्रीय आर एण्ड डी परियोजना को पुख्ता रूप दिया जा रहा है।

690 मेगावाट सलाल पावर स्टेशन (जम्मू व कश्मीर) कंट्रोल रूम

जियोथर्मल ऊर्जा का उपयोग फायदेमंद तरीके से स्वच्छ और नवीकरणीय बिजली पैदा करने के लिए किया जा सकता है। जियोथर्मल विद्युत के विकास में देश में नोडल एजेंसी होने के कारण निगम ने पुगा और तत्तापानी जियोथर्मल क्षेत्रों के संबंध में रैंकिंग अध्ययन पहले ही करवा लिए हैं और उनके संबंध में सम्भाव्यता रिपोर्टे एम.एन.ई.एस को प्रस्तुत कर दी गई हैं। किसी चयनित स्थान पर जियोथर्मल परियोजना स्थापित करने की आगामी प्रक्रिया एम.एन.ई.एस से अनुमति प्राप्त होने पर शुरू की जाएगी।

हर वर्ष भूमिगत टर्बाइन के कटावग्रस्त घटकों के भारी पुनर्निर्माण कार्य और प्रयुक्त वेल्डिंग इलैक्ट्रोडों की गुणवत्ता में सुधार लाने पर विचार करते हुए, एन.एच.पी. सी ने स्टेनलैस स्टील इलेक्ट्रोडों को, स्थापित विक्रेताओं से मानकीकृत करवाया है। निरंतर सुधार करने की दृष्टि से वैल्डिंग इलेक्ट्रोडों की वार्षिक आधार पर समीक्षा की जा रही है।

कूलिंग वाटर पम्पों में पारंपरिक ग्लैंड पैकिंग के स्थान पर सिंथेटिक रिइंफोर्समेंट यार्न पैकिंग बैरास्यूल और टनकपुर पावर स्टेशनों पर शुरू कर दी गई है, जिसके परिणामस्वरूप जल में मौजूद गाद के कारण पैकिंग विफलताओं में आई कमी की वजह से कूलिंग वाटर पम्पों की उपलब्धता बढ़ी है। इन पावर स्टेशनों से मिले उत्साहवर्धक परिणामों के कारण अन्य पावर स्टेशनों में भी इसे कार्यान्वित करने की प्रक्रिया जारी है ।

3. 2004-2005 के लिए भावी कार्य-योजना

उपर्युक्त आर एण्ड डी गतिविधियों के अतिरिक्त, निगम ने 2004-2005 के दौरान निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान की है :-

i) वर्तमान पावर स्टेशनों की ऊर्जा लेखापरीक्षा

ii) जी.एस.यू ट्रांसफार्मर तथा 400 के.वी. आयल फिल्ड/एक्स.एल पी.ई केबलों की स्थिति पर नजर रखना।

iii) जी.एस.यू ट्रांसफार्मरों के लिए विफलता विश्लेषण और निवारक उपाय।

4. अनुसंधान और विकास पर व्यय

2003-2004 तक कुल 609.54 लाख रूपए व्यय किया गया जिसमें 146.39 लाख रूपए जियोथर्मल विद्युत विकास पर किया गया व्यय भी शामिल है।

प्रौद्योगिकी समावेशन, प्रयोग और नवीनीकरण

1. प्रौद्योगिकी समावेशन, प्रयोग और नवीनीकरण के लिए किए गए प्रयास संक्षेप में इस प्रकार हैंः-

भूमिगत टर्बाइन घटकों के गाद कटाव की परिस्थितियों में कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए उनकी कठोर कोटिंग के क्षेत्र में विशेषीकृत संगठनों को साथ लेकर विभिन्न प्रायोगिक अध्ययन किए गए और संभावित समाधान के रूप मे थर्मल छिड़काव तकनीकों का पता लगाया गया।

2. उपर्युक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप प्राप्त किए गए परिणाम जैसाकि उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास, आयात प्रतिस्थापन आदि, इस प्रकार हैंः-

एच वी ओ एफ गन प्रासेस का प्रयोग करके कोट किए गए बैरा स्यूल पावर स्टेशन के 24 गाइड वेनों ने एक पूरी वर्षा ऋतु तक चलने के बाद उत्साहवर्धक परिणाम दर्शाए हैं जिससे पुनर्निर्माण की लागत में कमी आई है और काम कम समय के लिए बंद रहने के कारण बचत हुई है तथा कार्यकुशलता भी बढ़ी है। 2004-2005 की वर्षा ऋतु के बाद इसके कार्यनिष्पादन और आगे देखा जाना है। इन परिणामों से प्रोत्साहित होकर सलाल पावर स्टेशन की एक इकाई के 8 गाइड वेन तथा टॉप कवर और निचली रिंग एच.वी.ओ.एफ/ डी-गन प्रासेस का प्रयोग करते हुए कोट करवाए गए हैं। इसके परिणाम 2004-05 की वर्षा ऋतु के पश्चात ज्ञात होंगे ।

3. गत पांच वर्षों के दौरान आय़ात की गई प्रौद्योगिकी-

एन.एच.पी.सी को देश में जियोथर्मल विद्युत विकास के लिए नोडल एजेंसी- के रूप में नामित किया गया है। इसने एक अंतरराष्ट्रीय परामर्शदाता की सहायता से भारत में विभिन्न जियोथर्मल क्षेत्रों के रैंकिंग अध्ययन करवा लिए हैं। जियोथर्मल परियोजना स्थापित करने के लिए एम.एन.ई.एस. से एक बार अनुमति मिल जाने पर इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी अंतरण का काम और आगे बढ़ाया जाएगा।

(टिप्पणीः उपर्युक्त सूचना केवल अनुसंधान औऱ विकास ग्रुप के संबंध में है)

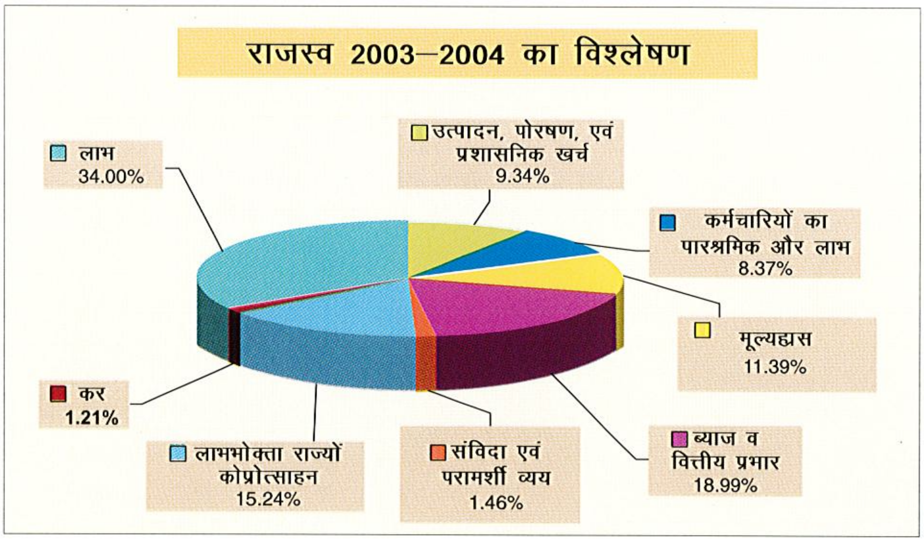

अनुबंध-II

कारपोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट

कारपोरेट अभिशासन, प्रबंधन द्वारा कारपोरेशन के असली मालिक के रूप में शेयरधारियों के अहस्तांतरणीय अधिकारों और शेयरधारकों की ओर से न्यासियों के रूप में उनकी अपनी भूमिका को स्वीकार किया जाना है। इसका संबंध कम्पनी के मूल्यों, सिद्धांतों, प्रबंधन नीतियों तथा कार्यविधियों एवं कारोबार के नैतिक संचालन से है।

एन.एच.पी.सी. प्रबंधन हर समय अपने जोखिमधारकों के सर्वोत्तम हित में कार्य करता है और इसने अधिकतम संख्या में जोखिमधारकों को लाभ पहुंचाने के लिए अच्छी कारपोरेशन अभिशासन पद्धतियां अपनाई हैं।

1. अभिशासन संहिता संबंधी अवधारण

(i) परिचालन में पर्याप्त नियंत्रण प्रणाली रखना और बोर्ड को पारदर्शी तरीके से सामयिक आधार पर जानकारी प्रदान करना ताकि बोर्ड प्रबंधन की अपने प्रति जवाबदेही पर नजर रख सके।

(ii) उद्यम तथा समूचे देश के लिए धन सम्पदा सृजित करने के लिए व्यापारिक उद्यम की कार्यकुशलता बढ़ाना।

(iii) यह सुनिश्चित करना कि कर्मचारी तथा बोर्ड कंपनी मूल्यों का समर्थन करते हैं और उन्हें अपने आचरण में लागू करते हैं।

2. निदेशक मंडल

बोर्ड में छः सदस्य होते हैं जिनमें से चार कार्यपालक निदेशक होते हैं। बोर्ड का अध्यक्ष प्रबंध निदेशक भी होता है। अकार्यपालक निदेशकों सहित सभी निदेशक व्यावसायिक दृष्टि से सक्षम होते हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान/इस समय बोर्ड का गठन इस प्रकार है:-

कार्यपालक निदेशक

श्री योगेन्द्र प्रसाद	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
श्री आर. नटराजन	निदेशक (वित्त) 06.05.03 तक
श्री एस.के.गर्ग	निदेशक (वित्त) 01.07.03 से
श्री ए.के.गंगोपाध्याय	निदेशक (परियोजना)
श्री आर.के शर्मा	निदेशक (तकनीकी)
श्री बिनय कुमार	निदेशक (कार्मिक) (7.7.03 से सेवाएं समाप्त)

अकार्यपालक निदेशक

श्री एम.साहु संयुक्त सचिव व वित्तीय सलाहकार, विद्युत मंत्रालय

श्री ए.के कुट्टी, संयुक्त सचिव (हाइड्रो), विद्युत मंत्रालय

i) बोर्ड की बैठकें

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी बोर्ड की नौ बार बैठकें हुई। दो बेठकों के बीच अधिकतम अंतराल 2 महीनों से अधिक नहीं था। अकार्यपालक निदेशकों सहित सभी निदेशकों ने बोर्ड की बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लिया और विचार-विमर्श किया।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठकों तथा वार्षिक आम सभा में निदेशकों की उपस्थिति इस प्रकार है।

निदेशकों के नाम	निदेशक की श्रेणी	निदेशक के कार्यकाल में हुई बैठक	कितनी बैठकों में भाग लिया	क्या 30.09.03 को हुई वार्षिक आम सभा में भाग लिया।
श्री योगेन्द्र प्रसाद	का.	09	09	हाँ
श्री आर. नटराजन	का.	01	01	निदेशक नहीं रहे
श्री एस. के. गर्ग	का.	07	07	हाँ
श्री ए.के गंगोपाध्याय	का.	09	08	हाँ
श्री आर. के शर्मा	का.	09	09	हाँ
श्री विनय कुमार	का.	02	02	निदेशक नहीं रहे
श्री एम. साहु	अ. का.	09	07	हाँ
श्री ए. के .कुट्टी	अ. का.	09	06	हाँ

*अ.का.- अकार्यपालक, का.- कार्यपालक

(ii) अन्य कम्पनियों में धारित निदेशकों के पद

प्राप्त जानकारी के अनुसार कोई भी निदेशक 10 कम्पनियों से अधिक कम्पनिया में निदेशक का पद धारित नहीं किए हुए है।

(iii) बोर्ड की समितियों की सदस्यता

प्राप्त सूचना के अनुसार, निदेशकों में से कोई भी निदेशक बोर्ड की 10 से अधिक समितियों का सदस्य नहीं है और न ही कोई निदेशक एक ही समय पर सभी कम्पनियों के बोर्डों की 5 से अधिक ऐसी समितियों का अध्यक्ष है, जिनमें वह निदेशक हो।

3 लेखापरीक्षा समिति

लेखापरीक्षा समिति वर्ष 2001 में गठित की गई थी। इस समय समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं:-

i) श्री एम.साहु संयुक्त सचिव व वित्तीय सलाहकार, विद्युत मंत्रालय।

ii) श्री ए.के.कुट्टी, संयुक्त सचिव (हाइड्रो) विद्युत मंत्रालय

iii) श्री आर. के. शर्मा निदेशक (तकनीकी)

श्री एम.साहु समिति के अध्यक्ष हैं। 'सेबी' द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार समिति का कोई भी सदस्य एक स्वतंत्र निदेशक नहीं है। निगम ने विद्युत मंत्रालय से अनुरोध किया है कि सूचीबद्ध करार के अनुसार इस बोर्ड का पुनर्गठन किया जाए।

वर्ष के दौरान समिति की 4 बैठकें हुईं। इन बैठकों में निदेशक (वित्त) तथा विशेष रूप से आमंत्रित आंतरिक लेखापरीक्षा अध्यक्ष तथा सांविधिक लेखापरीक्षकों ने भाग लिया। निगम के कंपनी सचिव ने समिति के सचिव के रूप में कार्य किया। लेखापरीक्षा समिति के कार्यवृत्त सूचनार्थ बोर्ड के समक्ष रखे गए। समिति के विचारार्थ विषय वही हैं जो सूचीबद्ध करार में दिए गए हैं, जिनमें शामिल हैं:-

- कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया तथा इसकी वित्तीय सूचना के प्रकटन पर निगरानी रखना।
- लेखा परीक्षा शुल्क की सिफारिश करना, इसे नियत करना और किन्हीं अन्य सेवाओं के लिए भुगतान का अनुमोदन भी करना।
- बोर्ड को प्रस्तुत करने से पूर्व, छमाही, वार्षिक वित्तीय विवरणों की प्रबंधकों के साथ समीक्षा करना।
- आंतरिक और बाह्य लेखापरीक्षकों और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।
- आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यों की समीक्षा करना।
- किन्हीं महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा और अनुवर्ती कार्रवाई।
- लेखापरीक्षा आरंभ होने से पहले लेखापरीक्षा के विस्तार क्षेत्र और इसके स्वरूप पर बाह्य लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा और किसी चिंता वाले क्षेत्र का पता लगाने के लिए लेखापरीक्षा पश्चात चर्चा।
- कंपनी की वित्तीय और जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा करना।

4 निदेशकों की पारिश्रमिक समिति

आज की तारीख तक कोई पारिश्रमिक समिति नहीं है। एन.एच.पी.सी. पूर्णतया सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी होने के कारण, पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति/उनके कार्यकाल का नवीकरण सरकार द्वारा विद्युत मंत्रालय के माध्यम से किया जाता है। इसलिए कंपनी ने पारिश्रमिक समिति गठित नहीं की है।

वर्ष 2003-2004 के दौरान निदेशकों को अदा किया गया पारिश्रमिक इस प्रकार है:-

क्रम सं.	निदेशक		पारिश्रमिक (रुपयों में)
1	श्री योगेन्द्र प्रसाद	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	8,39,916
2	श्री आर.के.शर्मा	निदेशक (तकनीकी)	8,53,751
3	श्री आर नटराजन	निदेशक (वित्त)	10,09,197
4	श्री बिनय कुमार	निदेशक (कार्मिक)	5,47,029
5	श्री ए.के.गंगोपाध्याय	निदेशक (परियोजनाएं)	10,03,354
6	श्री एस.के. गर्ग	निदेशक (वित्त)	6,23,478

*2003-2004 के दौरान किसी भी निदेशक को बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया गया।

5 शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति

निदेशक मंडल ने निवेशकों की शिकायतों पर नजर रखने के लिए "निवेशक शिकायत समिति" नामक एक समिति का गठन किया। समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं:-

1. श्री एम.साहु-संयुक्त सचिव व वित्तीय सलाहकार, विद्युत मंत्रालय
2. श्री एस.के. गर्ग- निदेशक (वित्त)
3. श्री ए.के. गंगोपाध्याय- निदेशक (परियोजनाएं)

श्री एम.साहु समिति के अध्यक्ष हैं। चूंकि कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई, इसलिए समिति की कोई बैठक नहीं हुई। श्री जयन्त कुमार, चीफ (वित्त और लेखा) निगम के अनुपालना अधिकारी हैं।

6 आम सभा की बैठकें

कंपनी की पिछली आम सभा की तीन बैठकों के व्योरे नीचे दिए गए हैं:

वित्तीय वर्ष	तारीख	समय	स्थान
2000-01	27.09.01	12.00 दोपहर	निगम का रजिस्टर्ड कार्यालय
2000-02*	31.12.02	10.30 प्रातः	निगम का रजिस्टर्ड कार्यालय
2002-03	30.09.03	12.30 अपराह्न	निगम का रजिस्टर्ड कार्यालय

* स्थगित बैठक 26.02.03 को दोपहर 12.00 बजे रजिस्टर्ड कार्यालय में हुई।

27.01.04 को हुई असाधारण आम सभा की बैठक में संस्था की अंतर्नियमावली में संशोधन करने के लिए एक विशेष संकल्प पारित किया गया। परन्तु पोस्टल बैलट द्वारा कोई संकल्प पारित नहीं किया गया।

7 प्रकटन

जिन प्रोमोटरों अथवा निदेशकों अथवा प्रबंधन, संयुक्त उद्यम कंपनी/सहायक कंपनी आदि का कंपनी के सामान्य हितों के साथ संभावित विरोध है, उनके साथ महत्वपूर्ण स्वरूप के कोई लेनदेन नहीं किए गए। संबंधित पक्ष के प्रकटन के व्योरे लेखाओं के एक भाग के रूप में टिप्पणियों में दर्शाए गए हैं। निगम ने विधियों के उपबंधों और 'सेबी' सहित विनियामक प्राधिकरणों के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने की ओर विशेष ध्यान दिया है। निगम ने स्टॉक एक्सचेंजों/सेबी के विभिन्न उपबंधों/अपेक्षाओं का अनुपालन किया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी विषय पर स्टॉक एक्सचेंज अथवा 'सेबी' अथवा किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कोई शास्ति/बाध्यता अधिरोधित नहीं की गई है।

8 संचार साधन

निगम के आवधिक वित्तीय पारिणाम संबंधित तिमाही समाप्त होने के पश्चात एक मास के भीतर घोषित कर दिए जाते हैं। ये परिणाम राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं। सभी शेयर भारत के राष्ट्रपति और उनके नामितियों के नाम होने के कारण प्रत्येक शेयरधारक को आवधिक परिणाम/अभिलेख नहीं भेजे जाते। परन्तु इन्हें कंपनी की वेबसाइट अर्थात nhpcindia.com पर दिखाया जाता है। कंपनी महत्वपूर्ण कारपोरेट निर्णयों तथा क्रियाकलापों पर समाचार भी जारी करती है और उन्हें अपने वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराती है।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट का भाग है।

9 आम शेयरधारकों के लिए सूचना

वार्षिक आम बैठक:

तारीख : 15 सितम्बर, 2004

समय : 12.30 अपराह्न

स्थान : एन.एच.पी.सी काम्पलेक्स में पंजीकृत कार्यालय, सैक्टर-33, फरीदाबाद, हरियाणा।

वित्तीय कैलेंडर

एन.एच.पी.सी. 1 अपैल से 31 मार्च तक का वित्तीय कैलेंडर अपनाता है। 31मार्च, 2004 को समाप्त वर्ष की सभी तिमाहियों के वित्तीय परिणाम बोर्ड द्वारा अभिलेखों में दर्ज किए गए और निम्नलिखित तारीखों को प्रकाशित किए गए:

समाप्त तिमाही	बोर्ड की बैठक की तारीख	प्रकाशन तिथि
अप्रैल-जून 2003	28.07.03	29.07.03
जुलाई-सितंबर 2003	29.10.03	30.10.03
अक्तूबर-दिसंबर 2003	27.01.04	28.01.04
जनवरी-मार्च, 2004	28.04.04	29.04.04

बुक क्लोज़र/अभिलेख तारीख

(i) बांडों पर ब्याज का भुगतान

बांड श्रेणी	ब्याज भुगतान की नियत तारीख	अभिलेख तिथि
एल-2	31.08.03	13.08.03
एल-2	28.02.04	10.02.04
एम	01.02.04	15.01.04
एन	15.11.03	30.10.03
ओ	30.06.03	12.06.03

(ii) बांडों का शोधन

श्रेणी	शोधन तिथि	अभिलेख तिथि
एल-2	31.03.04	11.03.04
एन	15.11.03	30.10.03

(iii) लाभांश भुगतान की तारीख

वित्तीय वर्ष	भुगतान की तारीख
2002-2003	29.10.03 (अंतिम 25 करोड़ रुपए)
2003-2004	31.03.04 (अंतरिम 60 करोड़ रु.)

(iv) निम्नलिखित में सूचीबद्ध

नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.	एक्सचेंज ऑफ इंडिया के काउंटर पर
एक्सचेंज प्लाजा, ब्लॉक सं. सी-1, भूतल आई.एस.बी. सेंटरबांद्रा-कुर्ला काम्पलेक्स बांद्रा (ई), मुम्बई-400051	ओ.टी.सी एक्सचेंज ऑफ इण्डिया, 92, मेकर टॉवर्स 'एफ' कुफे परेड मुम्बई-400005.

(V) स्टॉक कोड

अंश नाम	एन.एस.ई.अंश कोड	ओ.टी.सी.ई.आई अंश कोड
एन.एच.पी.सी16% एल टीबी 2004	—	एन.एच.पी.सी.एल.बी.टी.बी
एन.एच.पी.सी 10.5% एल टी.एफ.बी 2004	—	एन.एच.पी.सी.एल.सी.एफ.बी
एन.एच.पी.सी 9.55% एम टीबी 2007	एन.एच.पी.सी.07	एन.एच.पी.सी. एन.1
एन.एच.पी.सी 6.5% टीबी 2005	एन.एच.पी.सी.05	—
एन.एच.पी.सी 7.70% टीबी एस.टी.आर.पी.पी-ए	एन.एच.पी.सी.09	—
एन.एच.पी.सी 7.70% टीबी एस.टी.आर.पी.पी-बी	एन.एच.पी.सी 10	—
एन.एच.पी.सी 7.70% टीबी एस.टी.आर.पी.पी-सी	एन.एच.पी.सी 11	—
एन.एच.पी.सी 7.70% टीबी एस.टी.आर.पी.पी-डी	एन.एच.पी.सी 12	—
एन.एच.पी.सी 7.70% टीबी एस.टी.आर.पी.पी.-ई	एन.एच.पी.सी 13	—
एन.एच.पी.सी 7.70% टीबी एस.टी.आर.पी.पी-एफ	एन.एच.पी.सी 14	—
एन.एच.पी.सी 7.70% टीबी एस.टी.आर.पी.पी-जी	एन.एच.पी.सी 15	—
एन.एच.पी.सी 7.70% टीबी एस.टी.आर.पी.पी-एच	एन.एच.पी.सी 16	—
एन.एच.पी.सी 7.70% टीबी एस.टी.आर.पी.पी-आई	एन.एच.पी.सी 17	—
एन.एच.पी.सी 7.70% टीपी एस.टी.आर.पी.पी-जे	एन.एच.पी.सी 18	—

बाजार मूल्य आंकड़े

ओ.टी.सी.ई.आई के अनुसार पिछले वित्त वर्ष के दौरान किसी प्रतिभूति का व्यापार नहीं किया गया। एन.एस.ई. से प्राप्त डाटा नीचे दिया गया है:

एन.एस.ई बाजार मूल्य डाटा

निर्गम विवरण	ट्रेड तिथि	ट्रेड सं.	व्यापार मात्रा	अधिकतम मूल्य	न्यूनतम मूल्य
एन.एच.पी.सी 7.70% बी 2010(ओ)	27.03.04	02	1000	108.8385	108.8385
एन.एच.पी.सी 7.70% सी 2011(ओ)	11.03.04	02	2500	108.9355	108.9355
एन.एच.पी.सी 7.70% डी 2012(ओ)	11.03.04	01	500	109.599	109.599
एन.एच.पी.सी 7.70% डी 2010(ओ)	12.03.04	01	1000	109.599	109.599
एन.एच.पी.सी 7.70% डी 2010(ओ)	13.03.04	01	500	109.5921	109.5921
एन.एच.पी.सी 7.70% डी 2010(ओ)	31.03.04	01	500	110.8408	110.8408
एन.एच.पी.सी 7.70% जे 2010(ओ)	06.02.04	01	100	113.5687	113.5687
एन.एच.पी.सी 7.70% आई 2010(ओ)	01.01.04	01	500	112.9053	112.9053
एन.एच.पी.सी 7.70%आई 2010(ओ)	15.01.04	01	100	113.5557	113.5557
एन.एच.पी.सी 7.70% जे 2010(ओ)	23.01.04	01	500	111.21	111.21
एन.एच.पी.सी 7.70% सी 2011(ओ)	31.12.03	01	500	110.9288	110.9288
एन.एच.पी.सी 7.70%एफ 2014(ओ)	08.12.03	01	500	108.3458	108.3458
एन.एच.पी.सी 7.70%एफ 2014(ओ)	19.12.03	01	500	111.7133	111.7133
एन.एच.पी.सी 7.70% जी 2015(ओ)	08.12.03	01	500	108.9053	108.9053
एन.एच.पी.सी 7.70% एच 2016(ओ)	08.12.03	01	500	109.4527	109.4527
एन.एच.पी.सी 7.70%आई 2017(ओ)	29.12.03	01	1000	112.7184	112.7184
एन.एच.पी.सी 7.70% जे 2018(ओ)	31.12.03	01	1000	112.9215	112.9215

बी.एस.ई सन्सैक्स जैसे व्यापक आधार वाले सूचकांकों की तुलना में कार्य-निष्पादन।

एक्सचेंजों में सूचीबद्ध प्रतिभूतियां अपरिवर्तनीय बांडस् हैं और इनकी बी.एस.ई सन्सेक्स से तुलना नहीं की जा सकती, जोकि ईक्विटी आधारित सूचकांक है।

रजिस्ट्रार हस्तांतरण एजेंट और शेयर हस्तांतरण प्राणाली

निगम ने मेसर्स आर.सी.एम.सी. शेयर रजिस्टरी (प्रा.) लि. 1515 (प्रथम तल) भीष्म पितामह मार्ग, कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली-110003, फोन 24601017 / 24692346 को कंपनी के रजिस्ट्रार एवं हस्तांतरण एजेंट के रूप में नियुक्त किया है। नेमी कार्य इन्हीं के द्वारा किए जाते हैं। निगम की जिम्मेदारी समस्त कार्य की देख-रेख करना है।

धारिता का वितरण पैटर्न और शेयरों का विपदार्थीकरण तथा नकदी

एन.एच.पी.सी पूर्णतया भारत सरकार के स्वामित्व वाला उद्यम है और सभी शेयर भारत के राष्ट्रपति और उनके नामितियों के नाम धारित हैं। इसलिए शेयरधारिताओं का वितरण पैटर्न नहीं दिया गया है और शेयरों का विपदार्थीकरण नहीं किया गया है।

बकाया जी.डी.आर.एस / ए.डी.आर.एस वारंट अथवा कोई परिवर्तनीय दस्तावेज लिखतें, परिवर्तन तारीख और ईक्विटी पर संभावित प्रभाव

एन.एच.पी.सी ने जी.डी.आर.एस / ए.डी.आर.एस वारंट अथवा कोई परिवर्तनीय दस्तावेज़ जारी नहीं किए हैं।

प्लांटों कर अवस्थिति

परियोजना का नाम	पता
सलाल पावर स्टेशन	सलाल पावर स्टेशन, डाकखाना ज्योतिपुरम वाया रियासी, जिला उधमपुर, जम्मु-कश्मीर, पिन 18231
उड़ी पावर स्टेशन	उड़ी पावर स्टेशन, एन.एच.पी.सी कार्यालय परिसर, जिंगल, डाकखान मोहरा, ज़िला बारामूला (जम्मु व कश्मीर) पिन 193122
चमेरा पावर स्टेशन स्टेशन (चरण-1)	चमेरा पावर स्टेशन (चरण-1) डाकखाना खैरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश, पिन- 176325
बैरास्यूल पावर स्टेशन	बैरास्यूल पावर स्टेशन, डाकखाना, सुरगानी, ज़िला चम्बा, हिमाचल प्रदेश, पिन-176317
टनकपुर पावर स्टेशन	टनकपुर पावर स्टेशन, डाकखाना टी.एच.ई.पी, कैम्पस, बनबासा, ज़िला चम्पावत, उत्तरांचल, पिन-262310
लोकतक पावर स्टेशन	डाकखाना लोकतक, विद्युत विहार, काम्पलेक्स, मणिपुर, पिन-795124
रंगित पावर स्टेशन	डाकखाना रंगित नगर (हिंगडैम), दक्षिण सिक्किम, पिन- 737111
चमेरा पावर स्टेशन (चरण- II)	पोस्ट बैग सं.-02, कैरियां ज़िला चम्बा, हिमाचल प्रदेश, पिन-176310

पत्राचार के लिए पता

श्री जयंत कुमार
अनुपालना अधिकारी,
चौथा तल, एन.एच.पी.सी काम्पलेक्स,
सेक्टर-33, फरीदाबाद (हरियाणा)
फोन : 0129-2278410
फैक्स : 0129-2270902, 2255708
ई-मेल : jayantkumar@nhpc.nic.in

निदेशक मंडल के लिए तथा की ओर से

(योगेन्द्र प्रसाद)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

तारीख : 02.09.2004
स्थान : फरीदाबाद

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल के लिए निगम अभिशासन पर लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र

हमने निगम अभिशासन पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट पढ़ी है तथा 31 मार्च, 2004 को समाप्त वर्ष के लिए नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन द्वारा क्रियान्वित की गई निगम अभिशासन प्रक्रियाओं की शर्तों, जैसा कि उक्त कंपनी द्वारा भारत के स्टाक एक्सचेंजों के साथ सूची करार के क्लॉज 49 में निर्धारित हैं, के अनुपालन की जांच की है।

निगम अभिशासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधवर्ग का उत्तरदायित्व है। हमारे द्वारा की गई जांच, कंपनी द्वारा निगम अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके क्रियान्वयन की जांच तक सीमित थी। कंपनी के वित्तीय विवरणों की न तो यह लेखापरीक्षा है और न ही इन विवरणों के संबंध में हमारा कोई मत है।

हमारे विचार तथा जानकारी के अनुसार एवं कंपनी द्वारा दिए गए विवरणों के अनुसार, कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूची करार के क्लॉज 49 में यथा निर्धारित निगम अभिशासन की शर्तों का सभी महत्वपूर्ण विषयों में पालन किया है, बोर्ड तथा लेखापरीक्षा समिति में स्वतंत्र रूप से निदेशक की नियुक्ति को छोड़कर।

हम पुन: बताना चाहते हैं कि इस प्रकार का अनुपालन न तो भविष्य में कंपनी की व्यवहार्यता के प्रति कोई आश्वासन है और न प्रबंध वर्ग द्वारा किए गए कार्यो की दक्षता व प्रभाव से इसका संबंध है।

कृते बत्रा सपरा एण्ड कंपनी,
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

ह./-

(जी.डी.गुप्ता)
भागीदार
सदस्य संख्या.8876

दिनांक : 2.9.2004
स्थान : फरीदाबाद

प्रबंध चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

(सूचीकरण करार के अनुच्छेद 49 के अनुसरण में)

I उद्योग, संरचना और विकास

किसी भी अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से भारत जैसे विकासमान देश के लिए, विद्युत एक महत्वपूर्ण साधन है। जीवन के उच्चतर और उन्नत स्तर, विद्युत की किफायती कीमत और इसकी विश्वसनीय उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। अन्य वस्तुओं के विपरीत, विद्युत को भावी प्रयोग के लिए भण्डारित नहीं किया जा सकता। एक वस्तु के रूप में विद्युत की यह विशेषता, इसकी पूर्ति और मांग की गतिकी को व्यवस्थित करना मुश्किल बना देती है।

540 मेगावाट चमेरा पावर स्टेशन चरण-1 (हिमाचल प्रदेश)-पावर हाउस

भारतीय विद्युत क्षेत्र पर केंद्र और राज्यों के स्वामित्व वाले संगठनों का प्रभुत्व रहा है। अधिकांश मामलों में, राज्य विद्युत बोर्ड ही विद्युत के उत्पादक, दाता और वितरक हैं। देश के विद्युत उत्पादन में केंद्रीय उपयोगी सेवाओं तथा राज्य विद्युत बोर्डों का प्रतिशत क्रमशः 32% और 57% है। जल विद्युत पावर क्षेत्र में एन.एच.पी.सी एक प्रमुख कंपनी है।

31 मार्च, 2004 तक की 111743 मेगावाट कुल उत्पादन क्षमता में से 29500 मेगावाट हाइड्रो से, 77968 मेगावाट थर्मल और गैस से, 2720 मेगावाट नाभिकीय तथा 1870 मेगावाट वायु ऊर्जा से प्राप्त होते हैं।

जल विद्युत स्वच्छ विद्युत है और इसके उत्पादन का ईंधन आपूर्ति, विशेषकर आयातित ईंधनों की कीमत की परिवर्तनशीलता के साथ कोई संबंध नहीं है। यही बात हमारी ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाती है और हमारी अधिकतम मांग के समय हमारी विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक आदर्श है। परन्तु, पिछले तीन दशकों में कुल संस्थापित क्षमता में इसके हिस्से में गिरावट आई है और यह धीरे-धीरे कम हो कर यह 26% तक पहुँच गया है जिसके परिणामस्वरूप जल-तापीय मिश्रण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और इसकी वजह से कई तकनीकी और प्रचालनात्मक असामान्यताएं पैदा हुई हैं।

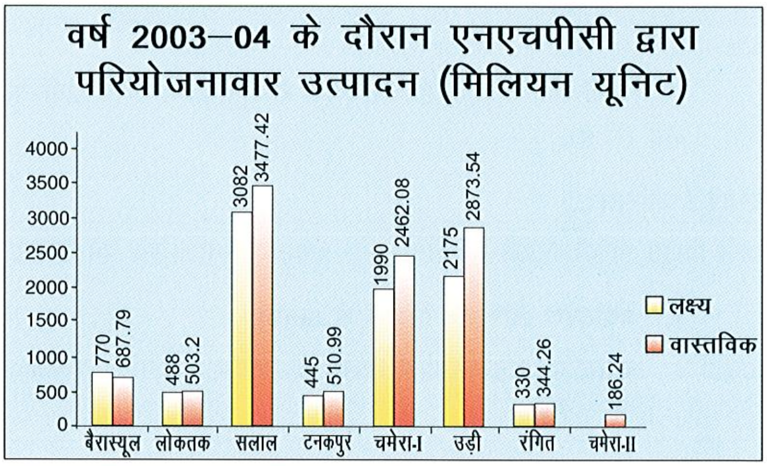

विद्युत की कमी (विशेषकर अधिकतम मांग के समय) और प्रतिकूल हाइड्रो-थर्मल मिश्रण के अतिरिक्त, भारतीय विद्युत परिदृश्य कई खामियों से ग्रस्त है, जैसाकि विकृत टैरिफ, खराब और घटिया वितरण नेटवर्क, उच्च सकल तकनीकी और वाणिज्यिक हानियां आदि। राज्य विद्युत बोर्डों की खराब वित्तीय स्थिति ने सी.पी.एस.यू द्वारा पैदा की गई बिजली से अर्जित लाभ को पुनः निवेशित करने की क्षमता को बाधित करने के अतिरिक्त, निजी निवेशकों को निवेश करने में हतोत्साहित किया है।

हाल ही के वर्षों में विद्युत क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखे गए हैं जैसाकि उपलब्धता आधारित टैरिफ प्रणाली (ए.बी.टी) का कार्यान्वयन, विद्युत अधिनियम, 2003, निरंतर त्वरित विद्युत विकास तथा सुधार कार्यक्रम (ए.पी.आर.डी.पी), विद्युत चोरी-रोधी विधान, राज्य विद्युत बोर्डों के साथ एक बार में निपटान स्कीम तथा विद्युत टैरिफ नीति आदि।

विद्युत अधिनियम, 2003 में पूरे विद्युत क्षेत्र के लिए व्यापक उलझाव हैं। इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र से निवेश के बढ़ावा देने के अतिरिक्त, उत्पादन और वितरण क्षेत्रों में अत्यावश्यक प्रतिस्पर्धा आरंभ करना है। ध्यान देने योग्य बात यह है की यह अधिनियम विद्युत उत्पादन, ट्रांसमिशन तथा व्यापार में अवसर प्रदान करता है। यह अधिनियम विद्युत उत्पादकों को अपनी विद्युत बेचने का विकल्प प्रदान करता है जिसके द्वारा उन्हें अपनी विद्युत, राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से नहीं भेजनी पड़ती।

मुख्य विनियामक होने के कारण, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने उत्पादन और ट्रांसमिशन के टैरिफ नियत करने के लिए एक नया विनियामक जारी किया है। तारीख 26.03.04 के विनियमों के जरिए जारी किए गए टैरिफ में विभिन्न वास्तविक लागतों की विस्तृत संवीक्षा वाले पैचीदा विनियम को कार्य निष्पादन के आदर्श पैरामीटरों के आधार पर सरल विनियम में बदलना शामिल है। इस विनियम की मुख्य विशेषताएं हैं: सी.पी.एस.यू के लिए ईक्विटी पर प्रतिलाभ की दर 16% की बजाय 14% पर स्थिर की गई है; नई परियोजनाओं के लिए पूंजीगत लागत वही होगी जो आयोग द्वारा स्वीकार की जाएगी; आदर्श कर्ज : ईक्विटी अनुपात 70 : 30 नई परियोजनाओं के लिए; उपलब्धता के परिवर्द्धित निष्पादन निर्देश-चिन्ह (क्षमता वृद्धि), प्रचालन और अनुरक्षण व्यय आदि में वृद्धि के लिए आदर्श निर्देश-चिन्ह आदि।

II अवसर

हाइड्रो थर्मल मिश्रण का अनुपात बिगड़ने, अधिकतम मांग के समय बिजली की कमी में वृद्धि होने, दोषपूर्ण फ्रिक्वेंसी परिवर्तनों, जल प्रबंधन में समस्याओं आदि के कारण, नीति निर्माताओं ने अपना ध्यान जल विद्युत के विकास की ओर मोड़ा है। भारत सरकार ने त्वरित जल विद्युत विकास के लिए पहल की है। इसके विकास के लिए विशेष बल उत्तर-पूर्वी भारत में दिया गया है जिसके पास ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर भारी मात्रा में उपयोग में न लाई गई 66,065 मेगावाट की हाइड्रो क्षमता है।

2000 मेगावाट सुबानसिरी लोअर परियोजना (अरूणाचल-प्रदेश)- बांध स्थल !

देश के इस अविकसित भाग के लिए जल विद्युत को सर्वोतम विकल्प माना गया है। जल विद्युत केवल शुद्ध ऊर्जा ही पैदा नहीं करती, अपितु यह क्षेत्र के लिए बाढ़ से राहत, पेय जल आपूर्ति, सिंचाई, नौचालन, रोजगार के अधिक अवसर, औद्योगिक विकास, मनोरंजन सुविधाओं जैसे लाभ भी प्रदान करती है।

एन.एच.पी.सी. ने पहले ही उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में 11वीं तथा 12वीं योजना के दौरान 22,300 मेगावाट क्षमता बढ़ाने की योजना बना ली है।

खतरे / जोखिम

जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में, प्रबंधन निम्नलिखित को खतरों/जोखिमों के रूप में मानता है:

1. पर्यावरण और वन विभाग से अनुमति

समय पर अनुमतियां न मिलने के कारण कई परियोजनाओं में निवेश संबंधी निर्णय लेने और कार्यान्वयन में विलम्ब हो जाता है।

2. पुनर्वास पुनर्स्थापना (आऱ एण्ड आर)

पर्यावरणविदों से तथा आर एण्ड आर पैकेज को अंतिम रूप दिए जाने के संबंध में परियोजना से प्रभावित लोगों (पी.ए.पी) के विरोध के कारण बहुत सी परियोजनाओं मे विलम्ब हो जाता है। हॉल ही में फरवरी 04 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आर एण्ड आर पर एक राष्ट्रीय नीति जारी की है।

3. भूमि अधिग्रहण

अधिकतर जल विद्युत परियोजनाएं पहाड़ी और कठिन भू-क्षेत्रों में स्थित होती हैं, जिनके लिए आधारभूत संरचना निर्माण-कार्यों एवं आप्लावन सहित परियोजना घटकों के लिए बड़े भू-क्षेत्रों की आवश्यकता होती है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया काफी बोझिल है और कार्यविधियों को सरल बनाने की जरूरत है।

4. कानून और व्यवस्था

एन.एच.पी.सी की अधिकतर परियोजनाएं जम्मु-कश्मीर तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों में स्थित है जो हिंसा और विद्रोहों से बुरी तरह से प्रभावित हैं। इन कार्य-स्थलों पर कार्यरत व्यक्तियों को पर्याप्त सुरक्षा न मिल पाने के कारण, जम्मु-कशमीर के डोडा जिले में स्थित दुल्हस्ती जल विद्युत परियोजना मणिपुर में लोकतक डाउन स्ट्रीम जल विद्युत परियोजना जैसी परियोजनाओं में विलम्ब हो जाता है।

5. भू-वैज्ञानिक आकस्मिकताएं

शेष जल विद्युत की अधिकतर मात्रा हिमाचल क्षेत्र में उपलब्ध होने की संभावना है। इस क्षेत्र में भू-वैज्ञानिक सर्वोक्षण, विशेषकर भूमिगत निर्माण-कार्यों में आकस्मिकताएं आम देखने को मिलते हैं, जिनके परिणामस्वरूप समय और लागत दोनो बढ़ जाते हैं।

6. अंतः राज्यीय नदी विवाद

विभिन्न राज्यों में से गुजरने वाली नदियों पर कई परियोजनाएं अंतःराज्यीय नदी विवादों के कारण रुकी पड़ी हैं।

7. प्राकृतिक विपदाएं

जल विद्युत परियोजनाएं पहाड़ी क्षू-क्षेत्रों मे स्थित होने के कारण भू-स्खलन, पहाड़ी ढ़लानों का ढ़हना और सड़क अवरोध, बाढ़ और बादल फटने जैसी विपदाएं निर्माण समय अनुसूचियों में भारी रूकावट पैदा करती हैं।

चिंताएं

सी.पी.एस.यू के लिए ईक्विटी पर प्रतिलाभ की दर को कर पश्चात 16% से घटा कर 14% करने से कंपनी की राजस्व वसूली और नकदी प्रवाह पर प्रभाव पड़ेगा और यह एक चिंता का विषय है। क्योंकि जल विद्युत स्कीमें पूंजी प्रधान होती हैं, इसलिए देश में उपलब्ध जल विद्युत की विशाल क्षमता का उपयोग करने के मार्ग में निधियों की उपलब्धता को एक प्रमुख बाधा के रूप में देखा जाता है।

III खण्डवार अथवा उत्पादवार कार्य-निष्पादन

निगम एक उत्पादक कम्पनी है, जिसकी संस्थापित क्षमता 2475 मेगावाट है। इसने देश में विभिन्न संगठनों के लिए कई परामर्शी नियत-कार्य भी ग्रहण किए हैं। वर्ष 2003-2004 के दौरान किए गए परामर्शी कार्यो से प्राप्त आय 12.43 करोड़ रूपए थी।

IV दृष्टिकोण

प्रकृति ने भारत को भरपूर जल विद्युत क्षमता प्रदान की है और उपयोग किए जाने योग्य जल क्षमता की दृष्टि से इसे विश्व परिदृश्य में 5वां स्थान प्राप्त है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकारण (सी ई ए) द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार, प्रकृति ने देश को 1,48,700 मेगावाट की संस्थापित क्षमता प्रदान की है। इसके अलावा, 56 पम्पड् स्टोरेज परियोजनाओं की भी पहचान की गई है, जिनकी संस्थापित जल-क्षमता 94,000 मेगावाट है। इसके अतिरिक्त भी छोटी, लघु तथा अति लघु योजनाओं से लगभग 6782 मेगावाट अनुमानित जलविद्युत संम्भव्यता क्षमता का अनुमान लगाया गया है। इस प्रकार समग्र रूप से भारत में 2,50,000 मेगावाट जल - विधुत संम्भावयता है, जिसमें से केवल 29,500 मेगावाट जल विधुत सम्भाव्यता का ही दोहन किया जा सका है, जो कुल क्षमता के लगभग 12% के बराबर है। शेष 88 % क्षमता का अभी उपयोग किया जाना बाकी है। यह जल विद्युत विकास के क्षेत्र में निवेशकों / कार्य-निष्पादकों के लिए भरपूर अवसर प्रदान करता है।

देश में जल विद्युत का विकास, अतीत में सुस्त रहा है जिसके परिणामस्वरूप हाइड्रो : थर्मल मिश्रण अनुपात असंतुलित रहा। पिछले कई वर्षों से जल विद्युत की आवश्यकता महसूस की गई है और इसके त्वरित विकास के लिए, पिछले पैराग्राफों में बताए अनुसार समूचे विद्युत क्षेत्र में सुधारों के साथ-साथ कई पहलकदमियां की गई हैं। 1998 में हाइड्रों नीति की शुरूआत, 2001 में सी.ई.ए. द्वारा संभावित जल स्थलों का रैंक निर्धारण अध्ययन, विद्युत अधिनियम, 2003 अधिनियमित किया जाना, और मई, 2003 में 50,000 मेगावाट की हाइड्रो पहलकदमियां इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं। इस परिदृश्य में, देश में जल विद्युत विकास के कई अवसर उभर कर सामने आने की संभावना है।

प्रमुख केंद्रीय क्षेत्रक संगठन होने के कारण, जल विद्युत के द्रुत विकास में एन.एच.पी.सी को प्रमुख भुमिका निभानी है। निगम का प्रबंधन आशावान है और इसने 11वीं योजना (2007-2012) में 15173 मेगावाट तथा 12वीं योजना (2012-2017) में 12,600 मेगावाट की भारी क्षमता वृद्धि की योजना बनाई है।

V आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां और उनकी पर्याप्तता

कार्यात्मक / प्रचालनात्मक क्षेत्र में निगम की अपनी अंतर्निर्मित नियंत्रण प्रणालियां हैं और लेनदेन / प्रक्रियाएं, शक्तियों के प्रत्यायोजन, प्रलेखित नीतियों, दिशा-निर्देशों तथा नियम-पुस्तकों द्वारा निर्देशित होते हैं। संगठनात्मक संरचना, किसी एक श्रेणीबद्ध स्तर विशेष पर शामिल संरचनागत अधिकार/उत्तरदायित्व के अनुसार सुपरिभाषित है।

निगम के कारपोरेट कार्यालय में, एक पूर्ण आतंरिक लेखापरीक्षा विभाग है और क्षेत्रीय कार्यालयों में आंतरिक लेखापरीक्षा कक्ष हैं, जिनमें अर्हताप्राप्त अनुभवी लोग हैं जो हमारी लेखापरीक्षाएं करते हैं। लेखापरीक्षा प्रेक्षणों तथा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट वाले दस्तावेज लेखापरीक्षा समिति के समक्ष रखे जाते हैं। समिति की सिफारिशों तथा निर्देशों का अनुपालन किया जाता है और तदनुसार उनकी सूचना दी जाती है।

VI प्रचालनात्मक कार्य-निष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर चर्चा

क) वित्तीय निष्पादन

निगम का कुल कारोबार पिछले वर्ष 1324.86 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2003-2004 के दौरान 1414.43 करोड़ रुपए था और आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष की तुलना में 621.38 करोड़ रुपए का कर-पश्चात 21.7% अधिक लाभ अर्जित किया है।

श्री एस. के. गर्ग, निदेशक (वित्त) बैंकर्स मीट में सम्बोधित करते हुए।

ख) संचालित परियोजनाओं से निष्पादन

आपको यह जानकर खुशी होगी कि 9 फरवरी, 2004 को तत्कालीन माननीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्र को 300 मेगावाट वाली चमेरा जल विद्युत परियोजना (चरण-II) समर्पित की। यह परियोजना निर्धारित समय से 8 मास पहले पूरी कर ली गई और इसने इस वर्ष 186.24 मि.यू. का उत्पादन किया।

वर्ष 2003-2004 के दौरान, एन.एच पी.सी पावर स्टेशनों ने 9400 मि.यू. के उत्पादन लक्ष्य की तुलना में 11045.52 मि.यू. पैदा की है। जोकि पिछले वर्ष की तुलना में 11.99% अधिक है। बैरास्यूल को छोड़कर अन्य सभी विद्युत स्टेशनों ने उत्पादन लक्ष्य से अधिक बिजली पैदा की। बैरास्यूल पावर स्टेशन के संबंध में जल के अपर्याप्त प्रवाह के कारण लक्ष्य की तुलना में उत्पादन 82.21 मि.यू. कम हुआ।

विद्युत पैदा कर रही सभी इकाइयों का क्षमता सूचकांक लक्ष्य, समझौता ज्ञापन के 94% की तुलना में वस्तुत: 96.82% था जोकि लक्ष्य से 3.0% अधिक है। हिमाचल प्रदेश में चमेरा पावर स्टेशन चरण-I (540 मेगावाट), जम्मू-कश्मीर में सलाल पावर स्टेशन (690 मेगावाट),उत्तरांचल में टनकपुर पावर स्टेशन (120 मेगावाट) तथा जम्मू-कश्मीर में उड़ी पावर स्टेशन (480 मेगावाट) ने चालू होने के बाद से अधिकतम उत्पादन किया है।

निर्माणाधीन परियोजनाएं

आपके निगम ने 10वीं योजना में 4357 मेगावाट क्षमता बढ़ाने की योजना तैयार की है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, 300 मेगावाट वाली चमेरा जल विद्युत परियोजना, चरण-II राष्ट्र को समर्मित की गई और इन्दिरा सागर परियोजना 125 मेगावाट प्रत्येक की चार इकाइयों से चालू किए जाने की नियत तारीख से बहुत पहले बिजली पैदा करना आरंभ कर दिया।

दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना (390 मेगावाट) का निर्माण-कार्य समाप्ति अवस्था तक पहुँच गया है। हैड रेस सुरंग की लाइनिंग लगाने के सिवाय, सभी निर्माण-कार्य पूरे हो चुके हैं। यह परियोजना दिसंबर, 2004 तक पूरी होने की संभावना है।

390. मेगावाट दुलहस्ती परियोजना (जम्मू कश्मीर) - संचालित कंटीन्युअस गैन्ट्री (सी. आई. एफ. ए)

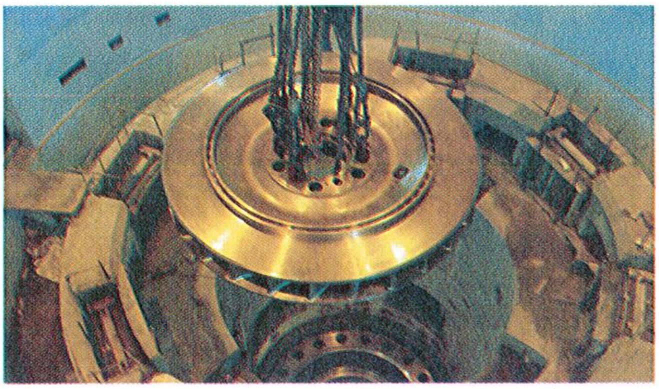
280 मेगावाट धौलीगंगा परियोजना (उत्तरांचल) -यूनिट-।।। के रनर को नीचे लाने का दृश्य

धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना (280 मेगावाट) उत्तरांचल में भी निर्माण-कार्य पूरे होने वाले हैं और आशा की जाती है कि इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक यह परियोजना बिजली पैदा करना शुरू कर देगी।

तीस्ता-V (3 x 170 मेगावाट) तथा पार्बती जल विद्युत परियोजना चरण-II (4x200 मेगावाट) पर निर्माण कार्य संतोषजनक ढंग से चल रहे हैं। नवंबर, 2003 में पार्बती नदी का मार्ग बदलने का काम पूरा कर लिया गया है। इन परियोजनाओं की क्रमशः फरवरी, 2007 तथा सितंबर, 2007 तक पूरी होने की संभावना है। परन्तु, कानून और व्यवस्था की खराब स्थिति के कारण लोकतक डाउन स्ट्रीम जल विद्युत परियोजना पर कोई सक्रिय कार्य आरंभ नहीं किया जा सका।

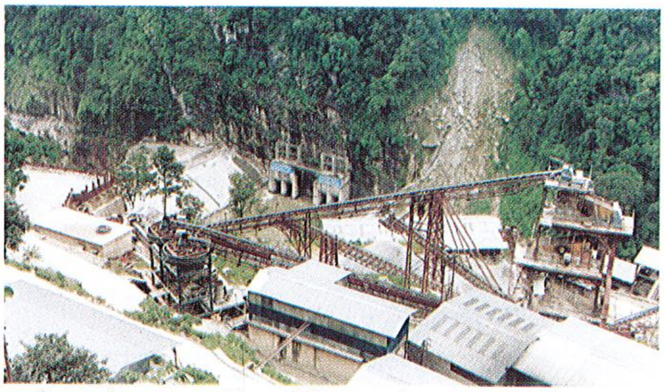

510 मेगावाट तीस्ता चरण-V परियोजना, सिक्किम बांध क्षेत्र.

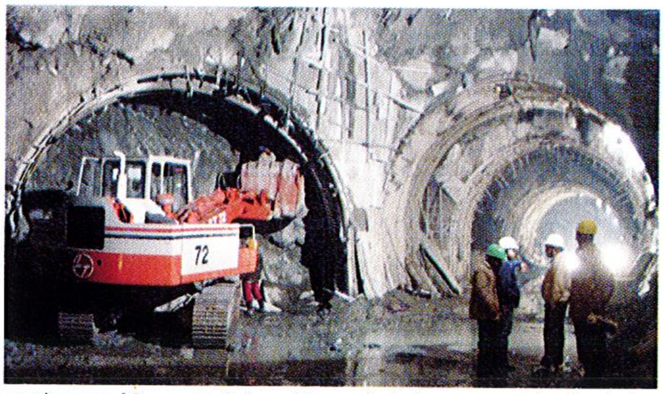

800 मेगावाट पार्वती चरण-III परियोजना (हिमाचल-प्रदेश)- प्रैशर शाफट एवं पेनस्टॉक से बॉटम एडिट का संयोजन

वर्ष के दौरान, अरूणाचल प्रदेश में सुबान सिरी जल विद्युत परियोजना लोअर (2000 मेगावाट), जम्मू-कश्मीर में सेवा जल विद्युत परियोजना, चरण-II (3 x 20 मेगावाट) तथा पश्चिम बंगाल में तीस्ता लो डैम जल विद्युत परियोजना, चरण-III (टी एल डी पी-III,132 मेगावाट) को सी.सी.ई.ए. की अनुमति प्रदान की गई। सभी तीन परियोजनाओं के लिए बड़े सिविल निर्माण-कार्यों के लिए संविदाएं प्रदान कर दी गई हैं और हाइड्रो मेकैनिकल तथा इलेक्ट्रो मेकैनिकल निर्माण कार्यों जैसे अन्य कार्यों के लिए निविदाएं आमंत्रित करने की प्रक्रिया चल रही है। संविदाकारों ने उपस्कर एवं मानव शक्ति जुटाना आरंभ कर दिया है। आधारिक निर्माण कार्य चल रहे हैं। वन विभाग द्वारा भूमि उपलब्ध न किए जाने के कारण सुबानसिरी लोअर परियोजना का कार्य आगे नहीं बढाया जा सका। टी.एल.डी.पी-III में भी इसी कारणवश काम शुरू करने में विलम्ब हो गया है। सुबानसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना सेवा जल विद्युत परियोजना चरण-II तथा तीस्ता लो डैम जल विद्युत परियोजना चरण-III समय अनुसूची के अनुसार क्रमशः सितंबर, 2010, सितंबर 2007 तथा मार्च 2007 तक पूरी की जानी है।

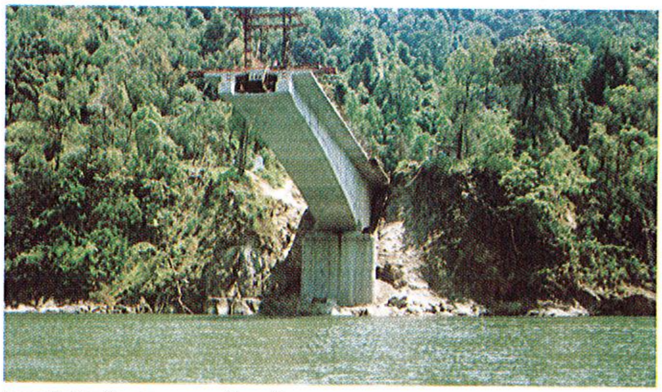

सुबान सिरी नदी पर बनाए जा रहे स्थाई पुल का दृश्य

11वीं योजना के दौरान, निगम ने 15173 मेगावाट क्षमता वृद्धि की योजना बनाई है। इसमें से सात परियोजनाए सी ई ए से तकनीकी आर्थिक अनुमति/मूल्यांकन प्राप्त होने के पश्चात भारत सरकार द्वारा मंजूरी दिए जाने की प्रक्रिया में हैं। ये इस प्रकार हैं: तीस्ता लो डैम IV (160 मेगावाट) पश्चिम बंगाल, किशन गंगा (330 मेगावाट), जम्मू-कश्मीर, चमेरा-III (231 मेगावाट), हिमाचल प्रदेश, उड़ी-II (240 मेगावाट), पार्बती-III (520 मेगावाट), हिमाचल प्रदेश, निम्मो बाजगो (45 मेगावाट), जम्मू-कश्मीर तथा चुटक (44 मेगावाट), जम्मू-कश्मीर।

231 मेगावाट चमेरा चरण-III परियोजना (हिमाचल प्रदेश)- तुनाली में बनाया गया पुल

सियांग मिडल (1000 मेगावाट) अरूणाचल प्रदेश के संबंध में, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, तकनीकी आर्थिक अनुमति के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को प्रस्तुत कर दी गई है और इसकी संवीक्षा की जा रही है।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार किए जाने तथा सर्वेक्षण और अन्वेषणाधीन नई योजनाओं की स्थिति नीचे प्रस्तुत है:

क्रम सं.	परियोजना	स्थिति
	परियोजनाएं जिनकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है	
1.	**पकल दुल(1000 मे.वा.), तथा बरसर (1020 मे.वा.) जम्मू-कश्मीर**	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने वाणिज्यिक व्यावहारिकता का पता लगा लिया है। कानून और व्यवस्था की प्रतिकूल स्थिति के कारण विलम्ब हो रहा है। डाउनस्ट्रीम परि-योजनाओं के फायदों पर विचार करने के लिए परियोजनाओं की सी.ई.ए. के परामर्श से समीक्षा की जा रही है।
2.	**सुबानसिरी मिडल (1600मे.वा.) सुबानसिरी अपर (2000मे.वा.) अरूणाचल प्रदेश**	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने एन.एन.पी.सी.को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और अनिवार्य बुनियादी निर्माण कार्य शुरू करने की सलाह दी है। स्थल क्लीयरेंस चरण-II के लिए प्रस्ताव, पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा लोअर सुबानसिरी परियोजना के मामले में भारतीय वन्य जीवन बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है। विद्युत मंत्रालय के परामर्श अनुसार, चरण-II के निर्माण कार्य सार्वजनिक निवेश बोर्ड की समिति का अनुमोदन मिलने तक आतंरिक संसाधनों से आरंभ किए गए थे। परन्तु चरण-II वन क्लीयरेंस के वापस लिए जाने के कारण सभी क्रियाकलाप बंद कर दिए गए हैं।

1600 मेगावाट सुबानसिरी मिडिल परियोजना (अरूणाचल-प्रदेश) - स्थल पर ड्रिलिंग कार्य प्रगति पर

3.	**दिबांग (3000 मे.वा.) अरुणाचल प्रदेश**	एन.एच.पी.सी से कुछ अन्वेषण परिणामों की निविष्टियों के साथ परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट ब्रह्मपुत्र बोर्ड और केंद्रीय जल आयोग द्वारा तैयार की जा रही है।
4.	**सियांग लोअर(1600मे.वा.) अरुणाचल प्रदेश**	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने वाणिज्यिक जीवनक्षमता का पता लगा लिया है और सिद्धांततः योजना आयोग की अनुमति प्राप्त हो गई है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए अन्वेषण कार्य शुरू किए जा रहे हैं।
5.	**लखवार व्यासी (420मे.वा.) उत्तरांचल**	केंद्रीय सेक्टर के अधीन एन.एच.पी.सी के माध्यम से परियोजना के निष्पादन के लिए एन.एच.पी.सी, उत्तरांचल सरकार तथा उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि. के बीच 1.11.2003 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।
6.	**बाव चरण-II (20मे.वा.) महाराष्ट्र**	20 मे.वा. के लिए संशोधित व्यावहारिकता रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने व्यापारिक व्यवहार्यता का पता लगा लिया है।
	व्यावहारिकता रिपोर्ट तैयार करने के लिए सर्वेक्षण और अन्वेषणाधीन परियोजनाएं	
1	**सियांग अपर/ मध्यवर्ती (11000मे.वा.) अरूणाचल प्रदेश**	पर्यावरण और वन मंत्रालय ने चरण-I स्थल मंजूरी जारी कर दी है। व्यावहारिकता रिपोर्ट तैयार करने के लिए अन्वेषण कार्य चल रहा है। संस्थापित क्षमता उपलब्ध डाटा के आधार पर पक्की की जानी है /संशोधित करके नीचे लाई जानी है, जिसके लिए मध्यवर्ती स्थल पर सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्य चल रहा है। सियांग मध्यवर्ती परियोजना के चरण-I के लिए विद्युत प्राधिकरण ने

		अनुमान संस्तुत कर दिया है और चरण-I की स्थल मंजूरी पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी कर दी गई है।
3	**देवादे (6मे.वा.), और बाव चरण I (18मे.वा.) महाराष्ट्र**	व्यावहारिकता रिपोर्ट तैयार करने के लिए सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्य चल रहे हैं।
4	**कोटली बहल चरण-I ए, 1बी तथा II (815मे.वा.) उत्तरांचल**	केंद्रीय सेक्टर के अधीन एन.एच.पी.सी केमाध्यम से परियोजना के निष्पादन के लिए उत्तरांचल सरकार और एन.एच.पी.सी के बीच 22.09.2003 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। व्यावहारिकता रिपोर्ट तैयार करने के लिए सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्य शुरू कर दिए गए हैं।

परामर्शी सेवाएं

निगम के परामर्शी सेवा प्रभाग ने 12.43 करोड़ रूपए की आय अर्जित की है और 97.40 करोड़ रुपए के नये परामर्शी नियत-कार्य प्राप्त किए हैं। पिछली रिपोर्ट से लेकर, एन.एच.पी.सी ने भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा शुरू किए गए **''50,000 मे.वा. जल विद्युत पहल''** कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रहण की गई सभी 43 स्कीमों की व्यावहारिकता-पूर्व रिपोर्ट नियत तारीख से चार महीने पहले प्रस्तुत कर दी है।

श्री के.पी सिंह, कार्यपालक निदेशक (परामर्शी सेवाएं), एन.एच.पी.सी. म्यांमार में 1200 मेगावाट की तामंथी जल विद्युत परियोजना की पूर्व सम्भाव्यता रिर्पोट तैयार करने के लिए सुश्री मित्रा वशिष्ठ, संयुक्त सचिव (एस ई ए - 1) विदेश मंत्रालय के साथ दस्तावेज का हस्तांतरण करते हुए।

"संकल्पना से परिचालन तक" तक जल विद्युत के क्षेत्र में **"विश्व स्तरीय"** सेवाएं प्रदान करने में निगम के अनुभव, क्षमताओं तथा विशेषज्ञता में विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा दर्शाए गए विश्वास से प्रोत्साहित होकर यह निर्णय किया गया है कि जल-विद्युत तथा इससे जुड़े अन्य क्षेत्रों में परामर्शी सेवाएं प्रदान करने तथा इससे जुड़े अन्य क्षेत्रों में परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली किसी सहायक कम्पनी को शामिल किया जाए। भारत सरकार से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात इस सहायक कम्पनी को शामिल करने का प्रस्ताव है।

ऋण

निगम ने अपनी पूंजीगत जरूरतें पूरी करने के लिए 20 वर्ष की अवधि के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ 6500 करोड़ रूपए की राशि के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कुछ मामलों में निगम ने अपनी नियत ब्याज संबंधी देयता की अदलाबदली की है और कम ब्याज दरों के साथ मौजूदा ब्याज के लिए समझौता किया है जिसके परिणास्वरूप ऋण की औसत लागत में कमी आई है।

50,000,000 अमरीकी डालर के बराबर जे पी वाई के लिए 10 वर्षीय आविधक ऋण के लिए विभिन्न - बैंको से करार पर हस्ताक्षर करते हुए।

निगम ने भारत सरकार की गारंटी की उदारीकृत विदेश व्यापारिक ऋण नीति के तहत अत्यंत प्रतिस्पर्धात्मक कीमतों पर 50 मिलियन यू.एस.डी. (अमरीकी डालर) की व्यवस्था की है। पिछली रिर्पोट से लेकर धौलीगंगा परियोजना की वित्तपोषण संबंधी शेष जरूरतों को पूरा करने के लिए 13890 जे वाई पी मिलियन राशि के क्षृखला-III ऋण के वास्ते जे.बी.आई.सी. के साथ करार पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं।

सहायक कम्पनी / संयुक्त उद्यम परियोजनाएं

1. **नर्मदा जल विद्युत विकास निगम लि.**

   इंदिरा सागर जल विद्युत परियोजना (8 x 125 मे.वा.), मध्य प्रदेश के निर्माण क्रियाकलापों में समय अनुसूची के अनुसार प्रगति हो रही है। यह परियोजना मई, 2005 तक चालू की जानी है। परियोजना की चार इकाइयां नियत

समय से काफी पहले मार्च, 2004 तक पहले ही चालू की जा चुकी हैं। समूची परियोजना मई, 2005 तक पूरी हो जाने की संभावना है।

29.05.2003 को अनुमोदन मिलने के पश्चात ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना (8 x 65 मे.वा.),मध्य प्रदेश, पर निर्माण क्रियाकलाप पूरे जोर से चल रहे हैं। यह परियोजना फरवरी, 2008 तक पूरी की जानी है।

2. **नैशनल पम्पड् स्टोरेज पावर कारपोरेशन लि0** - पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड के अनुमोदन और संयुक्त उद्यम के गठन के लिए अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

VII मानव संसाधन प्रबंधन में विकास

बदलते हुए आर्थिक परिदृश्य और सरकारी नीतियों के कारण निगम की दृष्टि को वास्तविक रूप देने के लिए मानव रूपी पूंजी विकसित करने पर महत्व दिया जाने लगा है।

इस संदर्भ में, निगम विभिन्न विषयों में कर्मचारियों के सभी स्तरों पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करके अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने, उनके तकनीकी कौशलों को विकसित तथा उन्नत करने के लिए सहयोजित प्रयास करता चला आया है। मानव संसाधन विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों में कार्यालीन कार्यक्रम, प्रायोजित कार्यक्रम और बाहरी संगठनों तथा विख्यात संस्थानों के सहयोग से चलाए जा रहे विदेशी कार्यक्रम शामिल हैं।

श्री योगेन्द्र प्रसाद, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एन.एच.पी.सी, प्रशिक्षण कलैण्डर का विमोचन करते हुए।

वर्ष 2003-2004 के दौरान, समझौता ज्ञापन के 38% लक्ष्य (उत्कृष्ट दर -निर्धारण के लिए) की तुलना में 6194 कर्मचारियों (कार्यबल का 47.03%) को प्रशिक्षण दिया गया।

प्रचालन और अनुरक्षण कार्मिकों को सांविधिक प्रशिक्षण देने के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्रदान किए जाने के बाद प्रचालन और अनुरक्षण प्रशिक्षण केंद्र ने पूरी तरह से काम करना आरंभ कर दिया।

कर्मचारी कल्याण और औद्योगिक संबंध:

सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी उपायों के अनुरूप कार्यकुशलता, प्रदर्शन और उत्पादकता हासिल करने के लिए प्रबंधन और यूनियनों ने संयुक्त रूप से कार्य किया और औद्यगिक शांति को बढ़ावा दिया। औद्योगिक संबंध मौत्रीपूर्ण रहे। कोई हड़ताल/तालाबंदी नहीं हुई। अभिज्ञात कर्मचारियों को संगठन की जरूरतों और अपेक्षाओं के अनुसार, आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया है। जहाँ कहीं संभव हो, कर्मकारों के प्रतिनिधियों को निर्णय करने की प्रक्रिया में शामिल होने की

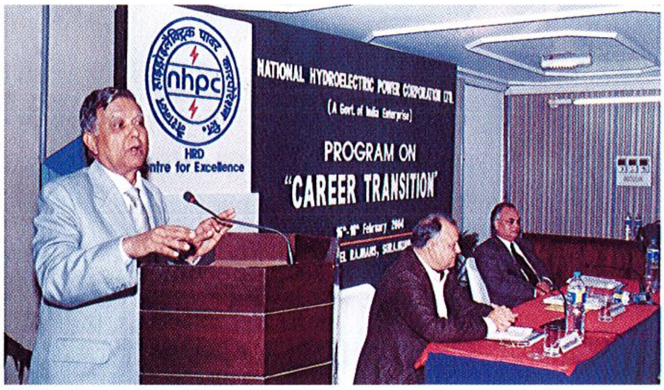

कैरियर ट्रांजिशन संबंधी प्रशिक्षण

अनुमति दी जाती है। परियोजना/स्टेशनों पर कर्मचारियों तथा उनके परिवारों को उनकी दैनिक आवश्यकताओं के लिए निकटतम नगर तक जाने की परिवहन सुविधा उपलब्ध की जाती है। इसी प्रकार, बच्चों को स्कूल के लिए परिवहन सुविधा दी जाती है। परियोजनाओं/पावर स्टेशनों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल-कूद, क्लब क्रियाकलापों की भी व्यवस्था है। चिकित्सा सुविधाओं को उन्नत बताया गया है और डाक्टरों को शामिल करने के परिणामस्वरूप उनकी सेवाएं दूरस्थ परियोजनाओं में भी उपलब्ध होने लगी हैं। अधिक चिकित्सालयों को सूचीबद्ध किए जाने से आधुनिकतम चिकित्सा सेवाएं निकट स्थलों पर सुलभ हो गई है।

खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम:

कर्मचारियों में टीम भावना विकसित करने और उनमें एकता भाव लाने की दृष्टि से, निगम ने पावर स्पोर्टस् कंट्रोल बोर्ड द्वारा आयोजित कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया। एन.एच.पी.सी ने पावर स्पोर्टस् कंट्रोल बोर्ड की ओर से एथलीटिक मीट का आयोजन

किया। एन.एच.पी.सी. की महिला टीम को रनर्स-अप घोषित किया गया। एन.एच.पी.सी की ब्रिज टीम को ब्रिज टीम में रनर्स-अप घोषित किया गया।

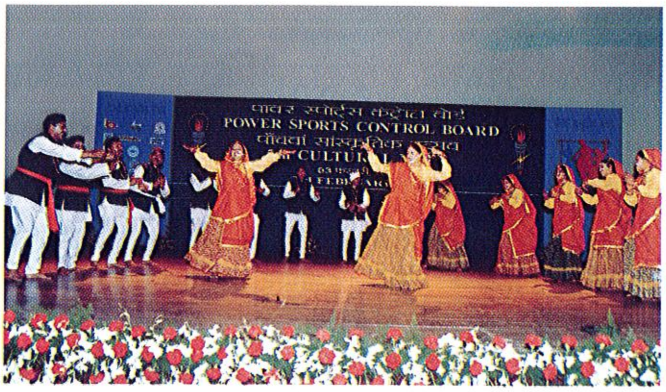

पावर स्पोर्टस कंट्रोल बोर्ड द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में एन.एच.पी.सी की टीम द्वारा नृत्य प्रस्तुति।

सचेतक विवरण

इस रिपोर्ट में निहित विचार तथा भावी विवरण प्रबंधक वर्ग की परिकल्पना है और इनमें कुछ जोखिम और अनिश्चितताएं हो सकती हैं, जिनके कारण वास्तविक परिणाम ऐसे विवरणों में दर्शाए गए परिणामों से भिन्न हो सकते हैं। अध्येता को इस रिपोर्ट की ध्यानपूर्वक समीक्षा करनी चाहिए। कंपनी इनमें से किसी भी भावी विवरण को अद्यतन बनाने अथवा संशोधित करने का कोई दायित्व अपने ऊपर नहीं लेती, चाहे वह नई सूचना, भावी घटनाओं के परिणास्वरूप हों अथवा किसी अन्य कारणवश।

निदेशक मंडल के लिए तथा की ओर से

(योगेन्द्र प्रसाद)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

तारीख : 02.09.2004
स्थान : फरीदाबाद

अनुबंध-IV

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों के लिए लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

लेखापरीक्षकों की टिप्पणी

हमने नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2004 के संलग्न समेकित 12 तुलन पत्र व उसी तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा तथा कैश फ्लो विवरण की लेखापरीक्षा कर ली है। इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।

हमने साधारणतः भारत में प्रचलित लेखापरीक्षा मानदंडों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। उन मानदंडों में यह अपेक्षित है कि हम यह उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की आयोजना तथा निष्पादन करें कि क्या वित्तीय विवरण गलत कथनों से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में जांच आधारित परीक्षण,राशि के समर्थन में साक्ष्य तथा वित्तीय विवरणों में प्रकटन शामिल हैं। लेखापरीक्षा में प्रयोग किए गए लेखा सिद्धांतों का निर्धारण तथा प्रबंधन द्वारा बनाए गए सार्थक अनुमानों के साथ-साथ समग्र वित्तीय विवरण के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे मत हेतु एक उचित आधार उपलब्ध कराती है।

1. जैसा कि कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 227 की उप-धारा (4क) के अनुसार भारत की केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षा रिपोर्ट) आदेश 2003 द्वारा यथापेक्षित है, हम उक्त आदेश के पैराग्राफ 4 तथा 5 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण अनुबंध में संलग्न कर रहे हैं।

2. ऊपर पैराग्राफ 1 में उल्लिखित अनुबंध में हमारी टिप्पणियों के क्रम में हम आगे सूचित करते हैं कि :-

   i) अनुसूची 20 की टिप्पणी संख्या 11

   कोयल कारो परियोजना के संबंध में 73.14 करोड़ रूपए,जो 1980 से चालू पूंजीगत कार्य में शामिल किए गए हैं को बट्टे खाते नहीं डाला गया है अथवा उनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है, परिणामतः उस सीमा तक लाभ का अतिकथन किया गया है।

3. ऊपर पैराग्राफ 2 में हमारी रिपोर्ट के अधीन, हमारा कहना है कि :-

   (i) हमने वह सब सूचना तथा स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए है जो हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे ;

   ii) लेखापरीक्षकों में कार्य का आवंटन पत्र संख्या सीएवी/सीओवाई/केन्द्र सरकार एनएचपीसी (4)/153 दिनांक 10.11.2003,जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली के

प्रबंधन का उत्तर

परियोजना के निषादन पर किया गया खर्च बटटे खाते नहीं डाला जा सका है क्यो कि इस परियोजना के लिए अनुमोदन अभी प्रक्रियाधीन है।

कार्यालय द्वारा एनएचपीसी को सम्बोधित है, में निहित निदेश का अनुसरण करते हुए किया गया है;

iii) हमारी राय में विधि द्वारा यथापेक्षित उपयुक्त लेखाबहियों का अनुरक्षण कंपनी द्वारा किया गया है जहां तक उन बहियों की हमारी जांच से पता चलता है। शाखा लेखापरीक्षक रिपोर्ट (टें) हमें अग्रेषित की गई हैं तथा उनपर समुचित कार्रवाई की गई है ;

iv) इस रिपोर्ट में संव्यवहृत तुलनपत्र, लाभ एवं हानि लेखा तथा नकद प्रवाह विवरण लेखाबिहयों से तथा शाखाओं से प्राप्त लेखापरीक्षित विवरणियों से मेल खाते हैं ;

v) हमारी राय में इस रिपोर्ट में संव्यवहृत तुलनपत्र, लाभ एवं हानि लेखा तथा नकद प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप-धारा (3ग) में उल्लिखित लेखाकरण मानकों के समनुरूप हैं ;

vi) कंपनी कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय ने दिनांक 21 अक्तूबर, 2003 की अपनी अधिसूचना संख्या एफ नं. 8/5/2001-सीएल-V के तहत अधिसूचित किया है कि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 274(1)(छ) के प्रावधान किसी सरकारी कंपनी पर प्रयोज्य नहीं होंगे ;

vii) हमारी राय में तथा हमारी जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त लेखे कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा यथापेक्षित सूचना अपेक्षित तरीके से प्रस्तुत करते हैं तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के समनुरूप निम्न के संबंध में एक सही एवं उचित चित्र प्रस्तुत करते है :-

  i) तुलनपत्र के मामले में 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार कंपनी की कार्यस्थिति के बारे में,

  ii) लाभ एवं हानि लेखे के संबंध में उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ के बारे में,

  तथा

  iii) नकद प्रवाह विवरण के संबंध में उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह के बारे में।

कृते बत्रा सप्रा एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट

संदीप मानकतला
भागीदार
सदस्यता संख्या 91408

स्थान : कारपोरेट कार्यालय, फरीदाबाद
दिनांक : 10 जून, 2004

लेखापरीक्षक रिपोर्ट का अनुबंध

(उसी तारीख की लेखा परीक्षक रिपोर्ट के पैराग्राफ 1 में संदर्भित)

(i) (क) कंपनी ने नियत परिसंपत्तियों के मात्रात्मक विवरण तथा स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित अभिलेखों का अनुरक्षण किया है।

(ख) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा सभी परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन किया गया है क्योंकि सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम है जो हमारी राय में कंपनी के आकार तथा इसकी परिसंपत्तियों के स्वरूप को देखते हुए युक्तिसंगत है। ऐसे सत्यापन पर कोई तथ्यात्मक विसंगतियां जानकारी में नहीं आई हैं ।

(ग) कारपोरेशन ने इसकी नियत परिसंपत्तियों के महत्वपूर्ण भाग का निपटान नहीं किया है।

(ii) (क) प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान वस्तुसूची का वास्तविक सत्यापन किया गया है। हमारी राय में सत्यापन की आवधिकता युक्तिसंगत है।

(ख) कंपनी के आकार तथा इसके व्यवसाय के स्वरूप के संदर्भ में प्रबंधन द्वारा अनुसरण की जाने वाली वस्तुसूचियों के वास्तविक सत्यापन की प्रक्रियाएं युक्तिसंगत एवं पर्याप्त हैं।

(ग) कंपनी वस्तुसूची के उचित अभिलेखों का अनुरक्षण कर रही है। वास्तविक स्टॉकों तथा बही अभिलेखों के बीच सत्यापन पर पाई जाने वाली विसंगतियां महत्वपूर्ण नहीं थी। जहां भी विसंगतियां पाई गई, लेखाबहियों में उनपर उचित कार्रवाई की गई है।

(iii) (क) कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 301 के तहत अनुरक्षित रजिस्टरों में सूचीबद्ध कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों से कोई ऋण, प्रतिभूत या अप्रतिभूत नहीं लिए /दिए हैं। तथापि, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 370 की उपधारा(6) के प्रावधान कंपनी (संशोधन) अधिनियम 1999 के आरम्भ के पश्चात किसी कंपनी पर लागू नहीं हैं।

(ख) हमारी राय में, जिस ब्याज दर तथा अन्य शर्तों एवं निबंधनों पर ऋण कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 301 के तहत अनुरक्षित रजिस्टर में सूचीबद्ध कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों से लिए गए /दिए गए हैं, वह प्रथम दृष्टया कंपनी के हित के लिए प्रतिकूल नहीं है।

(ग) कंपनी यथा निर्धारित मूल राशियों की पुनअर्दायगी नियमित रूप से कर रही है तथा ब्याज का भुगतान भी नियमित रूप से कर रही है। पार्टियों ने यथा निर्धारित मूल राशियों की पुनअर्दायगी कर दी है तथा वे ब्याज का भुगतान भी नियमित रूप से कर रही हैं।

(घ) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के तहत अनुरक्षित रजिस्टर में सूचीबद्ध कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों से लिए गए या उन्हें दिए गए ऋणों की कोई अतिदेय राशि नहीं है।

(iv) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार,वस्तुसूची क्रय, स्थिर परिसम्पित्तयां के संबंध में तथा विद्युत की बिक्री के संबंध में कंपनी के आकार तथा इसके व्यवसाय व्यवसाय के स्वरूप के समनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं हैं। तथापि, आंतरिक नियंत्रण को और सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है।

(v) (क) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारी राय में कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के तहत अनुरक्षित रजिस्टर में प्रविष्ट किए जाने वाले आवश्यक लेनदेनों की इस प्रकार प्रविष्टि की गई है।

(ख) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 301 के तहत अनुरक्षित रजिस्टर में प्रविष्ट संविदाओं या व्यवस्थाओं के अनुसरण के किए गए लेनदेन तथा वर्ष के दौरान किसी पार्टी के संबंध में किए गए लेनदेन, जिनका मूल्य पांच लाख रूपए से अधिक है, ऐसी कीमत पर किए गए है जो संगत समय पर प्रवृत्त बाजार मूल्यों के अनुसार युक्तिसंगत हैं।

(vi) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 58ए तथा 58एम के प्रावधानों तथा कंपनी (जमाराशि की स्वीकृति) नियमावली,1975 का जनता से स्वीकृत धनराशि के संबंध में अनुपालन किया है। कंपनी विधि बोर्ड द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

(vii) कंपनी का एक अंतःगृह आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग है जिसे हमारी राय में व्यवसाय गतिविधियों के स्वरूप तथा आकार के समनुरूप और सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है।

(viii) हमने कंपनी अधिनियम की धारा 209(1)(घ) के अन्तर्गत लागत अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसरण में कंपनी द्वारा अनुरक्षित सामग्री, श्रम एवं लागत की अन्य मदों के बारे में लेखाबहियों का मोटे तौर पर पुनरीक्षण किया है तथा हमारी राय है कि प्रथमदृष्टया निर्धारित लेखे तथा अभिलेखे बनाए गए हैं तथा अनुरक्षित किए गए हैं।

(ix) (क) कंपनी सामान्यतः भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि, आयकर, बिक्रीकर, धनकर, सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर तथा अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देयताओं सहित अविवादित सांविधिक देयताएं नियमित रूप से समुचित प्राधिकारियों के पास जमा करा देती है। हमें सूचित किया गया है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना कंपनी पर लागू नहीं है।

(ख) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च,2004 की स्थिति के अनुसार आयकर, बिक्री कर, धनकर,सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर के संबंध में कोई अविवादित राशि भुगतान देय होने की तिथि से छः माह से अधिक अवधि से बकाया नहीं है।

(ग) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, बिक्री कर, आयकर, सीमाशुल्क, धनकर, उत्पाद शुल्क तथा उपकर की कोई देयताएं ऐसी नहीं है जो किसी विवाद के कारण जमा न की गई हो सिवाए 118.69 करोड़ रूपए की कुल राशि के जहां कुछ परियोजनाओं में बिक्री कर के कारण विवाद विद्यमान हैं।

(x) हमारी राय में, कंपनी की संचित हानियां इसके निवल मूल्य के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं है। कंपनी को हमारी लेखापरीक्षा में शामिल वित्तीय वर्ष तथा वित्तीय वर्ष से तत्काल पूर्व वर्ष के दौरान कोई नकद हानियां नहीं हुई हैं।

(xi) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किसी वित्तीय संस्था, बैंक या ऋण पत्र धारकों को देयताओं की पुनअर्दायगी में चूक नहीं की है।

(xii) हमारी राय है कि कंपनी ने उचित रिकार्ड रखें है, जहां कंपनी ने प्रतिभूति के आधार पर शेयरों,ऋण पत्रों या अन्य प्रतिभूतियों को रेहन रखकर ऋण तथा अग्रिम प्रदान किए हैं।

(xiii) हमारी राय में हमारी एक चिट फंड या निधि म्यूचुअल लाभ निधि/सोसायटी नहीं है। अतः कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश 2003 के खंड 4(xiii) के प्रावधान कंपनी लागू नहीं हैं।

(xiv) हमारी राय में कंपनी शेयरों,प्रतिभूतियों, ऋणपत्र तथा अन्य निवेशों में कारोबार नहीं कर रही है। तदनुसार कंपनी (लेखापरीक्षक रिपार्ट) आदेश,2003 के खंड 4(xiv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

(xv) हमारी राय में, जिन शर्तों एवं निबंधनों पर कंपनी ने बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से अन्यों द्वारा लिए गए ऋणों के लिए गारंटियां दी है, वे कंपनी के हित के प्रतिकूल नहीं है।

(xvi) हमारी राय में ब्याज के आवंटन सहित जुटाए गए सावधि ऋण के अनुप्रयोग को और सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

(xvii) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के तुलनपत्र की समग्र जांच करने पर हम सूचित करते हैं कि अल्पावधि आधार पर जुटाए गए ऋणों का प्रयोग दीर्घावधिक निवेश के लिए नहीं किया गया है। सिवाए स्थायी कार्यकारी पूंजी , के दीर्घावधिक निधियों को अल्पावधिक परिसंपत्तियों का निधियन करने के लिए प्रयुक्त नहीं किया गया है।

(xviii) हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अधिनियम की धारा 301 के तहत अनुरक्षित रजिस्टर में शामिल पार्टियों तथा कंपनियों को शेयरों का तरजीही आवंटन नहीं किया है। हमारी राय में जिस कीमत पर शेयर जारी किए गए हैं, वह कंपनी के हित के प्रतिकूल नहीं हैं।

(xix) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल अवधि के दौरान कंपनी ने ऋणपत्र जारी नहीं किए हैं।

(xx) सार्वजनिक निर्गमों (इश्यू) द्वारा कोई धन नहीं जुटाया गया है।

(xxi) हमें दी गई जानकारी एवं सूचना के अनुसार लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी द्वारा या उसके साथ कोई धोखाधड़ी जानकारी में नहीं आई है या सूचित नहीं की गई है।

कृते बत्रा सप्रा एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंटस

संदीप मानकतला
भागीदार
सदस्यता संख्या 91408

दिनांक : 10 जून, 2004

31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

(करोड़ रुपए)

	अनुसूची	31 मार्च, 2004			31 मार्च, 2003		
निधियों के स्रोत							
क. अंशधारकों की निधि							
i) अंश पूंजी	1		7,775.63			6,693.39	
ii) अंश पूंजी जमाराशि			427.55			121.37	
iii) इक्विटी में समंजनीय भारत सरकार की निधि			425.85			425.85	
iv) आरक्षित एवं अधिशेष	2		3,338.46	11,967.49		2,852.46	10,093.07
ख. ऋण निधियां							
i) आरक्षित ऋण	3		4,141.35			4,677.07	
ii) अनारक्षित ऋण	4		2,706.43	6,847.78		2,830.69	7,507.76
ग. मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम के कारण अग्रिम प्राप्त आय				939.40			801.06
घ. आकस्मिकताओं के लिए स्वबीमा				255.81			213.24
ड. आस्थगित कर							
शुद्ध आस्थगित कर देयताए			1,379.16			1,293.42	
घटाएं: वसूलनीय आस्थगित कर			1,379.16	–		1,293.42	–
	जोड़			**20,010.48**			**18,615.13**
निधियों का उपयोग							
क. नियत पूंजी व्यय							
i) नियत आस्तियां	5						
क) सकल ब्लॉक		10,342.71			8,280.95		
घटाएं: मूल्यह्रास		1,882.95			1,672.19		
ख) निवल ब्लॉक			8,459.76			6,608.76	
ii) चालू पूंजीगत कार्य	6		6,975.83			7,078.00	
iii) निर्माण भंडार एवं अग्रिम	7		805.55	16,241.14		621.74	14,308.50
ख. निवेश	8			3,660.87			2,415.66
ग. चालू परिसम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम	9						
i) निवेश पर उपार्जित ब्याज		335.08			122.22		
ii) मालसूची		53.79			64.06		
iii) चालू संविदा कार्य		26.58			10.48		
iv) विविध देनदार		498.96			1,493.82		
v) नकद एवं बैंक शेष		174.37			602.36		
vi) अन्य चालू परिसम्पत्तियां		66.65			76.32		
vii) ऋण एवं अग्रिम		238.81	1,394.24		318.94	2,688.20	
घटाएं : चालू देयताएं एवं व्यवस्थाएं	10						
i) देयताएं		861.91			369.81		
ii) व्यवस्थाएं		420.32			415.59		
iii) विकास अधिभार (ट्रस्ट में लिया गया)		4.25	1,286.48		13.03	798.43	
शुद्ध चालू परिसम्पत्तियां				107.76			1,889.77
घ. विविध व्यय (बट्टे खाते न डाला गया या समायोजित न किया गया)	11			0.71			1.20
	जोड़			**20,010.48**			**18,615.13**
लेखाकरण नीतियां	19						
लेखा टिप्पणियां	20						

अनुसूची 1 से 20 तक लेखों का अभिन्न अंग हैं।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते बत्रा सप्रा एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

(संदीप मानकतला)
भागीदार
सदस्यता संख्या 91408

विजय गुप्ता
सचिव

एस.के. गर्ग
निदेशक (वित्त)

योगेन्द्र प्रसाद
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

स्थान : फरीदाबाद
दिनांक : 10 जून,2004

31 मार्च, 2004 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखा

(करोड़ रुपए)

	अनुसूची	31 मार्च, 2004			31 मार्च, 2003		
आय							
i) बिक्री			1,414.43			1,324.86	
घटाएं: मूल्यह्रास के लिए पेशगी			138.34	1,276.09		152.63	1,172.23
ii) संविदाएं व परामर्श	12			38.29			53.61
iii) बांड पर ब्याज				367.18			118.08
iv) अन्य आय	13			146.22			131.27
	कुल आय			**1,827.78**			**1,475.19**
व्यय							
i) उत्पादन, प्रशासन व अन्य व्यय	14			172.85			124.44
ii) कर्मचारियों को पारिश्रमिक व हितलाभ	15			152.99			160.08
iii) मूल्यह्रास				208.14			140.36
iv) ब्याज व वित्त प्रभार	16			347.17			377.91
v) संविदा व परामर्शी व्यय	17			26.75			30.99
vi) लाभानुभोगी राज्यों को प्रोत्साहन				278.58			80.12
vii) पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध)	18			(2.18)			6.29
	कुल व्यय			**1,184.30**			**920.19**
कर से पूर्व लाभ				**643.48**			**555.00**
कर के लिए प्रावधान							
i) चालू कर			22.10			43.74	
ii) पूर्व वर्षों से संबद्ध समायोजन			–			0.76	
iii) आस्थगित कर		85.73			160.60		
घटाएं: आस्थगित कर वसूली योग्य समायोजन		85.73	–	22.10	160.60	–	44.50
कर के पश्चात् लाभ				**621.38**			**510.50**
पिछले वर्ष के लेखों से आगे लाया गया शेष				**1,267.00**			**834.70**
	अप्रयोज्य लाभ			**1,888.38**			**1,345.20**
विनियोजन -							
i) अंतरिम लाभांश				60.00			50.00
ii) प्रस्तावित अंतिम लाभांश				60.00			25.00
iii) कारपोरेट लाभांश कर				15.38			3.20
तुलन-पत्र में आगे ले जाया गया शेष				**1,753.00**			**1,267.00**
				1,888.38			**1,345.20** लेखा
नीतियां	19						
लेखों पर टिप्पणियां	20						

अनुसूची 1 से 20 तक लेखों का अभिन्न अंग हैं।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते बत्रा सप्रा एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

(संदीप मानकतला)
भागीदार
सदस्यता संख्या 91408

विजय गुप्ता
सचिव

एस.के. गर्ग
निदेशक (वित्त)

योगेन्द्र प्रसाद
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

स्थान : फरीदाबाद
दिनांक : 10 जून, 2004

अनुसूची-1 शेयर पूंजी

(करोड़ रुपए)

	31 मार्च, 2004	31 मार्च, 2003
क. प्राधिकृत		
1000/-रूपए प्रत्येक के 150,000,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 100,000,000)	15,000.00	10,000.00
ख. निर्गमित, अभिदत्त व प्रदत्त		
1000/-रूपए प्रति शेयर की दर से पूर्ण प्रदत्त 77,756,297 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 66,933,897) (इनमें से 6,29,529 शेयर भारत सरकार के साथ करार के अनुसरण में नकद से अन्यथा कंसीडरेशन हेतु आवंटित कर दिए गए हैं और एक शेयर को नकदी के अलावा आंशिक कंसीडरेशन के लिए आवंटित किया गया है)।	7,775.63	6,693.39
जोड़	7,775.63	6,693.39

अनुसूची-2 आरक्षित व अधिशेष

(करोड़ रुपए)

	1 अप्रैल, 2003	वर्धन	कटौती	31 मार्च, 2004
क. पूंजी आरक्षित (स्थिर परिसंपत्तियों की बिक्री)	0.06	-	-	0.06
ख. बांड रिडेम्शन रिज़र्व	265.40	-	-	265.40
ग. सामान्य रिज़र्व	1,320.00	-	-	1,320.00
	1,585.46			1,585.46
घ. लाभ व हानि लेखा के अनुसार अधिशेष	1,267.00	621.38	135.38	1,753.00
जोड़	2,852.46	621.38	135.38	3,338.46

अनुसूची-3 ऋण निधियां-आरक्षित

(करोड़ रुपए)

	31 मार्च, 2004		31 मार्च, 2003	
दीर्घकालीन ऋण				
(क) बांड (अपरिवर्तनीय एवं असंचयी)				
i) बांड-'एल' सीरिज * 2 (टिप्पणी ग) (प्राइवेट प्लेसमेंट) 31.03.2004 को सममूल्य पर प्रतिदेय 1000/-रूपए प्रत्येक के 16% 7 वर्षीय बांड	–		63.30	
ii) 31.03.2004 को सममूल्य पर प्रतिदेय 1000/-रूपए प्रत्येक के 10.5% (कर-मुक्त) 7 वर्षीय बांड	–	–	51.00	114.30
iii) बांड- "एम" सीरिज * 5 (प्राइवेट प्लेसमेंट) 07.01.2007 को सममूल्य पर प्रतिदेय 100000/- रूपए प्रत्येक के 9.55% 5 वर्षीय बांड (एक वर्ष में प्रतिदेय के लिए देय शून्य करोड़ रूपए)	430.00		430.00	
iv) बांड- "एन" सीरिज *8 **1,00,00,000/-रूपए** प्रत्येक के 6.50% 32 माह के बांड, जो 15.11.2003 से 5 समान छमाही किस्तों में सममूल्य पर प्रतिदेय हैं। (एक वर्ष के भीतर प्रतिदेय के लिए देय 28 करोड़ रूपए)	56.00		70.00	
v) बांड-"ओ" सीरिज *2 **10** अलग-अलग हस्तांतरणीय प्रतिदेय मूल हिस्सों वाले प्रतिदेय 10,00,00,000/-रूपए प्रत्येक के 7.7% , पर 15 वर्षीय बांड तथा प्रत्येक अलग-अलग हस्तांतरणीय प्रतिदेय मूल हिस्सा जिसमें बांड के अंकित मूल्य का 1/10वां मूल्य शामिल है।शीघ्रतम प्रतिदेय 31.3.2009 को। (एक वर्ष में मोचन के लिए देय शून्य रूपए)	570.00		570.00	
vi) उपचित ब्याज एवं देय	–	1,056.00	0.07	1,070.07
(ख) सावधिक ऋण				
i) केनरा बैंक *1 (एक वर्ष में पुनअर्दायगी के लिए देय शून्य करोड़ रूपए) (28.03.2007 से आगे 8 समान तिमाही किस्तों में प्रतिदेय)	50.00		50.00	
ii) बैंक ऑफ महाराष्ट्र *1 ((एक वर्ष में पुनअर्दायगी के लिए देय शून्य करोड़ रूपए) (02.11.2007 से आगे 5 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	50.00		50.00	
iii) केनरा बैंक *1 (एक वर्ष में पुनअर्दायगी के लिए देय 200 करोड़ रूपए) (27.03.2004 से आगे 5 समान वार्षिक किस्तों में अदायगी की जा रही है)	80.00		100.00	
iv) केनरा बैंक *1 (एक वर्ष में पुनअर्दायगी के लिए देय शून्य करोड़ रूपए) (26.09.2006 से आगे 3 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	100.00		100.00	
v) इंडियन बैंक *1 (एक वर्ष में पुनअर्दायगी के लिए देय शून्य करोड़ रूपए) (06.12.2008 से आगे 4 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	50.00		50.00	
vi) इंडियन बैंक *1 (एक वर्ष में पुनअर्दायगी के लिए देय शून्य करोड़ रूपए) (19.12.2005 को प्रतिदेय)	100.00		100.00	
vii) भारतीय जीवन बीमा निगम *1 (एक वर्ष में पुनअर्दायगी के लिए देय 100 करोड़ रूपए) (15.2.2005 को प्रतिदेय)	100.00		100.00	
viii) भारतीय जीवन बीमा निगम *1 (एक वर्ष में पुनअर्दायगी के लिए देय 150 करोड़ रूपए) (15.3.2005 को प्रतिदेय)	150.00		150.00	
ix) भारतीय जीवन बीमा निगम *1 (एक वर्ष में पुनअर्दायगी के लिए देय शून्य करोड़ रूपए) (15.09.2005 को प्रतिदेय)	150.00		150.00	
x) पंजाब नेशनल बैंक *1 (एक वर्ष में पुनअर्दायगी के लिए देय शून्य करोड़ रूपए) (01.10.2008 को प्रतिदेय)	50.00		50.00	

अनुसूची-3 ऋण निधियां-आरक्षित

(करोड़ रुपए)

		31 मार्च, 2004	31 मार्च, 2003
xi)	**पंजाब नेशनल बैंक *1** (एक वर्ष में पुनअर्दायगी के लिए देय शून्य करोड़ रूपए) (3.12.2008 को प्रतिदेय)	50.00	50.00
xii)	**स्टेट बैंक ऑफ पटियाला *1** (एक वर्ष में पुनअर्दायगी के लिए देय शून्य करोड़ रूपए) (09.01.2007 को प्रतिदेय)	40.00	40.00
xiii)	**स्टेट बैंक ऑफ इंदौर *1** (एक वर्ष में पुनअर्दायगी के लिए प्रतिदेय 13.33 करोड़ रूपए) (22.12.2003 से आगे 3 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	26.67	40.00
xiv)	**स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र *1** (एक वर्ष में पुनअर्दायगी के लिए प्रतिदेय शून्य करोड़ रूपए) (11.09.2006 से आगे 3 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	50.00	50.00
xv)	**स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद *1** (एक वर्ष में पुनअर्दायगी के लिए प्रतिदेय 12 करोड़ रूपए) (20.07.2004 से आगे 5 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	60.00	60.00
xvi)	**बैंक ऑफ महाराष्ट्र *2** (एक वर्ष में पुनअर्दायगी के लिए देय 100 करोड़ रूपए) (02.02.2005 को प्रतिदेय)	100.00	100.00
xvii)	**कारपोरेशन बैंक *2**	–	100.00
xviii)	**केनरा बैंक *2** (एक वर्ष में पुनअर्दायगी के लिए देय 21.43 करोड़ रूपए) (26.03.2000 से आगे 7 समान वार्षिक किस्तों में अदायगी की जा रही है)	42.86	64.29
xix)	**केनरा बैंक *1 (नोट ख)** (एक वर्ष में पुनअर्दायगी के लिए प्रतिदेय शून्य करोड़ रूपए) (31.01.2009 से आगे 5 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	85.00	–
xx)	**सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया *2** (एक वर्ष में पुनअर्दायगी के लिए देय 10 करोड़ रूपए) (30.07.2000 से आगे 5 समान वार्षिक किस्तों में अदायगी की जा रही है)	10.00	20.00
xxi)	**हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लि0 *2**	–	1.72
xxii)	**आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड *2**	–	100.00
xxiii)	**आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड *2** (एक वर्ष में पुनअर्दायगी के लिए देय 50 करोड़ रूपए) (11.05.2002 से आगे 3 समान वार्षिक किस्तों में अदायगी की जा रही है)	50.00	100.00
xxiv)	**आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड *2** (एक वर्ष में पुनअर्दायगी के लिए देय 50 करोड़ रूपए) (28.07.2002 से आगे 3 समान वार्षिक किस्तों में अदायगी की जा रही है)	50.00	100.00
xxv)	**इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया *2**	–	200.00
xxvi)	**इंडियन ओवरसीज़ बैंक *2**	–	50.00
xxvii)	**आरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स *2** (एक वर्ष में पुनअर्दायगी के लिए देय 100 करोड़ रूपए) (27.09.2004 को प्रतिदेय)	100.00	100.00
xxviii)	**स्टेट बैंक ऑफ इंडिया *2** (एक वर्ष में पुनअर्दायगी के लिए देय शून्य करोड़ रूपए) (28.06.2009 को प्रतिदेय)	400.00	400.00
xxix)	**स्टेट बैंक ऑफ पटियाला *2** ((एक वर्ष में पुनअर्दायगी के लिए प्रतिदेय 16.67 करोड़ रूपए) (03.02.2003 से आगे 3 समान वार्षिक किस्तों में अदायगी की जा रही है)	16.66	33.33
xxx)	**बैंक ऑफ इंडिया *4** (एक वर्ष में पुनअर्दायगी के लिए देय शून्य करोड़ रूपए) (24.12.2006 से 10 वर्षों में 40 समान तिमाही किस्तों में प्रतिदेय)	100.00	81.00
xxxi)	**सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया *4** (एक वर्ष में पुनअर्दायगी के लिए देय 10 करोड़ रूपए) (20 अर्धवार्षिक किस्तों में 5 करोड़ रूपए प्रतिदेय)	100.00	81.00
xxxii)	**हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड *4** (एक वर्ष में पुनअर्दायगी के लिए देय शून्य करोड़ रूपए) (13.02.2007 से 14 समान अर्ध-वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	100.00	91.00

अनुसूची-3 ऋण निधियां-आरक्षित

(करोड़ रुपए)

		31 मार्च, 2004		31 मार्च, 2003	
xxxiii)	पंजाब एण्ड सिंध बैंक *4 (एक वर्ष में पुनअर्दायगी के लिए देय शून्य करोड़ रूपए) (24.10.2006 से 10 वर्षों में 40 तिमाही किस्तों में प्रतिदेय)	100.00		70.00	
xxxiv)	पंजाब नेशनल बैंक *4 (एक वर्ष में पुनअर्दायगी के लिए देय 7.5 करोड़ रूपए) (24.10.2004 से 10 वर्षों में 20 अर्ध-वार्षिक किस्तों के रूप में पुनअर्दायगी की जानी है)	150.00		120.00	
xxxv)	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला *4 (एक वर्ष में पुनअर्दायगी के लिए देय शून्य करोड़ रूपए) (30.01.2007 से 14 अर्ध-वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	50.00		40.00	
xxxvi)	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद *4 (एक वर्ष में पुनअर्दायगी के लिए देय शून्य करोड़ रूपए) (07.01.2007 से 7 वर्षों में 14 अर्ध-वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	50.00		40.00	
xxxvii)	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया *4 (एक वर्ष में पुनअर्दायगी के लिए देय शून्य करोड़ रूपए) (18.09.2006 से 14 अर्ध-वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	150.00		120.00	
xxxviii)	केनरा बैंक *6 (एक वर्ष में पुनअर्दायगी के लिए देय शून्य करोड़ रूपए) (28.06.2009 से आगे 4 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	50.00		50.00	
xxxix)	भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड *7 (एक वर्ष में पुनअर्दायगी के लिए देय शून्य करोड़ रूपए) (15.04.2009 से 12 वर्षों में 24 अर्ध-वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	232.00		100.00	
xxxx)	उपचित ब्याज और देय (सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया-चमेरा-II)	–		0.09	
xxxxi)	बैंकों से कार्यकारी पूंजी मांग ऋण (अल्प अवधि) *3	–		71.15	
xxxxii)	बैंकों से नकद उधार (अल्प अवधि) *3	42.16	3,085.35	119.12	3,492.70
	कुल आरक्षित ऋण		4,141.35		4,677.07

टिप्पणी (क) :-

*1) कारपोरेशन की हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित चमेरा पावर स्टेशन चरण-I के बही ऋण और भंडारों को छोड़कर अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर समरूप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत।

*2) कारपोरेशन के जम्मू व कश्मीर राज्य में अवस्थित उड़ी पावर स्टेशन के बही ऋणों और भंडारों को छोड़कर अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर समरूप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत।

*3) कंपनी के देनदारों तथा ओएण्डएम भंडारों के प्रति बंधक रखकर प्रतिभूत।

*4) कारपोरेशन की हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित चमेरा जल विद्युत परियोजना चरण-II की अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर समरूप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत।

*5) कंपनी की सिक्किम राज्य में अवस्थित रंगित पावर स्टेशन की परिसंपत्तियों के बदले बैंककारों के पूर्व प्रभारों के अधीन बही ऋणों और भंडारों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर समरूप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत।

*6) कंपनी के मणिपुर राज्य में अवस्थित लोकतक पावर स्टेशन की अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले साम्यापूर्ण रेहन/बंधक रखकर खास प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत।

*7) कंपनी के हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित पार्बती जल विद्युत परियोजना चरण-II की अचल तथा चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंध रखकर प्रथम प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत।

*8) कंपनी की हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित बैरा स्यूल पावर स्टेशन की सभी अचल तथा चल परिसंपत्तियों पर प्रथम समरूप रेहन एवं प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत।

टिप्पणी (ख) :-

85 करोड़ रूपए का ऋण केनरा बैंक से 26.03.2004 को लिया गया था। बंधक रखने के लिए प्रभार 21.04.2004 को सृजित किया गया। उसके लिए रेहन का सृजन प्रक्रियाधीन है।

टिप्पणी (ग) :-

114.30 करोड़ रूपए की राशि के एल सिरीज (16% 7 वर्षीय) बांड 31.03.2004 को प्रतिदेय किए गए थे। एल- सिरीज़ के प्रभार की पूर्ति प्रक्रियाधीन है।

अनुसूची-4 ऋण निधियां-अनारक्षित

(करोड़ रुपए)

	31 मार्च, 2004		31 मार्च, 2003	
क. दीर्घावधिक ऋण				
i) इंडियन बैंक (एक वर्ष में पुनअर्दायगी के लिए देय शून्य रूपए) (28.2.2012 से 3 समान किस्तों में प्रतिदेय)	100.00	100.00	–	–
अन्यों से ऋण (भारत सरकार की गारंटी प्राप्त)				
i) वेस्ट एलबी (भूतपूर्व वेस्ट मर्चेंट बैंक लिमिटेड) (एक वर्ष में पुनअर्दायगी के लिए देय शून्य करोड़ रूपए)	–		–	
ii) एवसेक (एक वर्ष में पुनअर्दायगी के लिए देय 104.49 करोड़ रूपए)	208.97		326.69	
iii) नार्डिक निवेश बैंक (एक वर्ष में पुनअर्दायगी के लिए देय 22.28 करोड़ रूपए)	155.95		192.17	
iv) क्रेडिट कमर्शियल डी फ्रांस (एक वर्ष में पुनअर्दायगी के लिए देय 91.58 करोड़ रूपए)	595.26		655.14	
v) एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन (चमेरा-II) (एक वर्ष में पुनअर्दायगी के लिए देय 20.09 करोड़ रूपए)	471.48		380.88	
vi) जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोआपरेशन (भूतपूर्व ओईसीएफ) ट्रांश-I (धौलीगंगा) (एक वर्ष में पुनअर्दायगी के लिए देय शून्य करोड़ रूपए)	210.32		198.38	
vii) जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोआपरेशन (भूतपूर्व ओईसीएफ) ट्रांश-II (धौलीगंगा) (एक वर्ष में पुनअर्दायगी के लिए देय शून्य करोड़ रूपए)	671.54		499.86	
viii) ईसीबी-बारक्लेज़ एवं एससीबी (एक वर्ष में पुनअर्दायगी के लिए देय शून्य करोड़ रूपए)	226.18		–	
ix) ड्यूश बैंक एवं अन्य -तीस्ता-V	66.73	2606.43	62.57	2315.69
ख. अल्पावधि ऋण				
i) बैंक ऑफ महाराष्ट्र (एक वर्ष में पुनअर्दायगी के लिए देय शून्य करोड़ रूपए)	–		50.00	
ii) एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (एक वर्ष में पुनअर्दायगी के लिए देय शून्य करोड़ रूपए)	–		75.00	
iii) इंडियन बैंक (एक वर्ष में पुनअर्दायगी के लिए देय शून्य करोड़ रूपए)	–		50.00	
iv) आरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स (एक वर्ष में पुनअर्दायगी के लिए देय शून्य करोड़ रूपए)	–		50.00	
v) स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (एक वर्ष में पुनअर्दायगी के लिए देय शून्य करोड़ रूपए)	–		40.00	
vi) स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र (एक वर्ष में पुनअर्दायगी के लिए देय शून्य करोड़ रूपए)	–		50.00	
vii) यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (एक वर्ष में पुनअर्दायगी के लिए देय शून्य करोड़ रूपए)	–		100.00	
viii) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (एक वर्ष में पुनअर्दायगी के लिए देय शून्य करोड़ रूपए)	–	–	100.00	515.00
कुल अनारक्षित ऋण		**2,706.43**		**2,830.69**

अनुसूची-5 स्थिर परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपए)

	सकल ब्लॉक 1.4.2003	समायोजन-वर्धन	कटौती-समायोजन	31.3.2004	मूल्यह्रास 1.4.2003 तक	वर्ष के लिए*	समायोजन**	31.3.2004 तक	निवल ब्लॉक 31.3.2004	31.3.2003
i) फ्रीहोल्ड भूमि	165.83	27.59	21.47	171.95	–	–	–	–	171.95	165.83
ii) लीजहोल्ड भूमि	24.08	5.38	3.63	25.83	2.24	0.32	(0.63)	1.93	23.90	21.84
iii) अवर्गीकृत भूमि	33.77	42.08	–	75.85	–	6.12	0.63	6.75	69.10	33.77
iv) भवन	806.25	167.84	11.84	962.25	184.05	23.83	0.19	208.07	754.18	622.20
v) सड़कें व पुल	115.59	49.46	0.48	164.57	22.88	3.53	0.79	27.20	137.37	92.70
vi) अमूर्त परिसम्पत्तियां (कम्प्यूटर साफ्टवेयर)	–	2.98	–	2.98	–	0.60	–	0.60	2.38	–
vii) निर्माण संयंत्र व मशीनरी	68.24	4.24	4.40	68.08	32.76	4.69	(3.27)	34.18	33.90	35.48
viii) उत्पादन संयंत्र व मशीनरी	1,999.29	560.15	–	2,559.44	482.32	61.60	(2.69)	541.23	2,018.21	1,516.98
ix) सब-स्टेशन उपस्कर	49.83	255.72	0.09	305.46	12.96	4.34	0.49	17.79	287.67	36.86
x) हाइड्रॉलिक कार्य (बांध, टनल आदि)	4,811.70	986.55	0.80	5,797.45	833.69	112.54	–	946.23	4,851.22	3,978.02
xi) वाहन	32.73	4.68	2.75	34.66	19.17	4.21	(2.26)	21.12	13.54	13.56
xii) फर्नीचर, फिक्सचर व उपस्कर	62.40	25.43	5.45	82.38	25.52	8.80	(1.52)	32.80	49.58	36.89
xiii) ट्रांसमिशन लाइनें	24.07	1.07	–	25.14	11.52	0.85	0.13	12.50	12.64	12.54
xiv) विविध परिसंपत्तियां/उपस्कर	35.99	9.23	1.71	43.51	9.62	3.28	0.21	13.11	30.40	26.37
xv) फालूत घोषित निर्माण संयंत्र व मशीनरी	40.80	1.22	31.17	10.85	25.08	0.10	(18.05)	7.13	3.72	15.73
xvi) 5000/-रुपए तक की लघु कीमत वाली नियत परिसंपत्तियां	10.38	3.11	1.18	12.31	10.38	2.44	(0.51)	12.31	–	–
जोड़	**8,280.95**	**2,146.73**	**84.97**	**10,342.71**	**1,672.19**	**237.25**	**(26.49)**	**1,882.95**	**8,459.76**	**6,608.77**
पिछले वर्ष	8,113.50	192.82	25.37	8,280.95	1,526.61	160.92	(15.34)	1,672.19	6,608.76	6,586.89

* वर्ष के लिए मूल्य ह्रास नीचे दिए अनुसार आवंटित किया गया है :-

(क) लाभ व हानि लेखा	208.14
(ख) निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय	28.86
(ग) संविदात्मक एवं परामर्शी व्यय	0.25
	237.25

**2.05 करोड़ रुपए के पूर्व अवधि समायोजन शामिल हैं।

कारपोरेशन के स्वामित्वाधीन से भिन्न भूमि पर भूमिगत निर्माण कार्यों सहित परिसम्पत्तियां 3350.97 करोड़ रुपए हैं (पिछले वर्ष 2549.02 करोड़ रुपए)

अनुसूची-6 चालू पूंजीगत कार्य

(करोड़ रुपए)

	1.4.2003	वर्धन	समायोजन	पूंजीकृत	31.03.2004
i) सर्वेक्षण, अन्वेषण तथा अन्य व्यय	61.81	103.56	6.68	1.20	157.49
ii) भवन, सिविल इंजीनियरिंग कार्य तथा संचार	262.00	105.58	3.29	56.37	307.92
iii) सड़कें और पुल	88.40	48.59	4.62	45.36	87.01
iv) हाइड्रोलिक कार्य, बैराज,बांध, टनल व पावर चैनल	2,909.56	682.97	420.63	909.50	2,262.40
v) रेलवे साइडिंग	0.15	2.41	–	–	2.56
vi) पेनस्टॉक	20.42	0.01	(8.93)	8.93	20.43
vii) जनरेटिंग स्टेशन में संयंत्र व मशीनरी	964.00	367.68	(370.27)	582.19	1,119.76
viii) विद्युत संस्थापनाएं व सब-स्टेशन उपस्कर	9.75	1.53	0.03	10.17	1.08
ix) विविध परिसंपत्तियां	0.71	1.37	0.01	1.37	0.70
x) ट्रंक ट्रांसमिशन लाइनें	15.66	1.81	0.10	0.62	16.75
xi) निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय (अनुसूची-6 का अनुबंध)	2,745.54	657.86	1.76	401.91	2,999.73
जोड़	**7,078.00**	**1,973.37**	**57.92**	**2,017.62**	**6,975.83**
पिछले वर्ष	5,218.27	1,956.77	34.99	62.05	7,078.00

अनुसूची-6 का अनुबंध - निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय

(करोड़ रुपए)

	31 मार्च, 2004		31 मार्च, 2003	
क. कर्मचारियों को पारिश्रमिक तथा लाभ				
i) वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ	195.13		183.21	
ii) उपदान तथा भविष्य निधि में अंशदान (प्रशासन शुल्क सहित)	34.01		38.49	
iii) कर्मचारी कल्याण व्यय	25.95		24.11	
iv) अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान	2.51	257.60	1.27	247.08
ख. मरम्मत तथा अनुरक्षण				
i) भवन	3.40		3.43	
ii) मशीनरी तथा निर्माण उपस्कर	2.29		1.83	
iii) अन्य	14.08	19.77	9.64	14.90
ग. प्रशासन एवं अन्य व्यय				
i) किराया	12.08		9.38	
ii) दरें एवं कर	0.43		0.72	
iii) विद्युत प्रभार	6.63		5.93	
iv) बीमा	1.83		1.88	
v) यात्रा एवं वाहन	9.85		8.36	
vi) स्टाफ कारें तथा निरीक्षण वाहनों पर व्यय	10.60		8.53	
vii) टेलीफोन, टेलेक्स एवं डाक टिकटें	4.23		2.53	
viii) विज्ञापन एवं प्रचार	6.02		3.30	
ix) विदेशी परामर्शी प्रभार	3.22		0.62	
x) डिजाइन एवं परामर्शी प्रभार	1.46		0.62	
xi) प्रतिपूरक वानिकीकरण/जल-ग्राह्य क्षेत्र सुधार पर व्यय	8.41		4.25	
xii) मनोरंजन	0.78		0.21	
xiii) मुद्रण एवं लेखन सामग्री	3.06		2.97	
xiv) कारपोरेशन के स्वामित्वाधीन से भिन्न भूमि पर व्यय	15.22		11.86	
xv) भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास	0.69		0.69	
xvi) लेखापरीक्षकों को भुगतान	0.40		0.21	
xvii) सुरक्षा व्यय	17.27		12.51	
xviii) अन्य व्यय	10.40		10.03	
xix) बट्टे खाते डाली गई सामग्री/परिसंपत्तियों पर हानि	12.74	125.32	0.83	85.43
घ. ब्याज एवं वित्त प्रभार				
i) भारत सरकार ऋण पर ब्याज	–		1.04	
ii) बांडों पर ब्याज	36.37		10.89	
iii) विदेशी ऋण पर ब्याज	102.24		93.84	
iv) नकद ऋण सुविधाओं/सावधि ऋण पर ब्याज	106.28		120.56	
v) बांड निर्गम व्यय	0.46		1.79	
vi) वचनबद्धता शुल्क	1.89		2.35	
vii) विदेशी ऋण पर गारंटी शुल्क	21.58		15.62	
viii) अन्य वित्त प्रभार	16.13	284.95	76.23	322.32
ङ. विनिमय दर अंतर (शद्ध)		6.11		32.27
च. मूल्यह्रास		28.86		20.35
छ. पूर्वावधि शुल्क (शुद्ध)				
i) आय	–		–	
घटाएं :-				
ii) व्यय				
क) वेतन मजदूरी भत्ते तथा लाभ	0.44		0.53	
ख) मरम्मत तथा अनुरक्षण	–		–	
ग) अन्य	(0.48)		(1.39)	
घ) मूल्यह्रास	3.71		(0.15)	
ङ.) ब्याज	–	3.67	–	(1.01)
कुल व्यय		**726.28**		**721.34**
घटाइएं :- प्राप्तियां तथा वसूलियां				
i) संयंत्र एवं मशीनरी के किराया प्रभार/उत्पादन	1.25		0.80	
ii) ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज	36.38		23.70	
iii) विविध प्राप्तियां तथा वसूलिया	7.38		7.74	
iv) परिसम्पत्तियां की बिक्री पर लाभ	0.23		1.92	
v) परीक्षण संचालन के दौरान विद्युत बिक्री	0.14		–	
vi) पश्च लेखन आवश्यक न होने वाले प्रावधान/देयताएं	0.05		0.24	
कुल प्राप्तियां तथा वसूलियां		**45.43**		**34.40**
शुद्ध व्यय		**680.85**		**686.94**
घटाएं : निर्माण कार्य को सीधे आवंटित वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ		8.02		–
घटाएं : प्रचालनात्मक एवं अनुरक्षण परियोजनाओं को आवंटित कारपोरेट कार्यालय का अंश तथा डिपाज़िट/टर्नकी संविदाएं		14.97		14.15
पूंजीगत चालू कार्य को अंतरित राशि		**657.86**		**672.79**

अनुसूची-7 निर्माण भंडार एवं अग्रिम

(करोड़ रुपए)

	31 मार्च, 2004		31 मार्च, 2003	
क. निर्माण भंडार				
(प्रबंधन द्वारा यथा मूल्यांकित तथा प्रमाणित लागत पर)				
i) संवहन में निर्माण सामग्री	15.16		20.30	
ii) भंडार	162.25		78.28	
घटाएं : प्रावधान	0.30	177.11	–	98.58
ख. पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम				
i) आरक्षित (शोध्य माना जाने वाला)	75.05		231.73	
ii) अनारक्षित(शोध्य माना जाने वाला)				
- बैंक गारंटियों के अन्तर्गत शामिल	439.30		203.44	
- अन्य	114.09	628.44	87.99	523.16
जोड़		805.55		621.74

अनुसूची-8 निवेश

(करोड़ रुपए)

	31 मार्च, 2004	31 मार्च, 2003
दीर्घावधिक		
निवेश-सहायक कंपनी		
अनुद्धृत		
नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	889.26	690.00
1000/-रूपए प्रत्येक के पूर्णतया प्रदत्त 8,340,000 इक्विटी शेयर तथा 552,600,000/-रूपए की हिस्सा पूंजी जमाराशि(विगत वर्ष 1000/-रूपए (प्रत्येक के पूर्णतया प्रदत्त 6,595,512 इक्विटी शेयर तथा 304,488,000/-रूपए की अंश पूंजी जमाराशि)		
उद्धृत		
इंडियन ओवरसीज बैंक *$		
(10/-रूपए प्रत्येक के पूर्णतः प्रदत्त 360,800 इक्विटी शेयर) (विगत वर्ष 10/-रूपए प्रत्येक के पूर्णतः प्रदत्त 360,388 इक्विटी शेयर)	0.36	0.36
निवेश - अन्य (व्यापार भिन्न)		
पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	12.00	8.00
(10/-रूपए प्रत्येक के पूर्णतः प्रदत्त 12,000,000 इक्विटी शेयर) (विगत वर्ष 10/-रूपए प्रत्येक के पूर्णतः प्रदत्त 8,000,000 इक्विटी शेयर)		
एसईबी बांडों में निवेश$	2,531.04	1,717.30
अन्य		
दीर्घावधिक पेशगियां (दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड)	228.21	–
जोड़	3,660.87	2,415.66

टिप्पणी :-

* उद्धृत निवेश		
बही मूल्य	0.36	0.36
बाजार मूल्य	2.03	0.60

$ डिमैट रूप में

अनुसूची-9 वर्तमान परिसम्पत्तियां, ऋण एवं पेशगी

(करोड़ रुपए)

			31 मार्च, 2004				31 मार्च, 2003	
वर्तमान परिसम्पत्तियां								
क. निवेश पर उपचित ब्याज				335.08				122.22
ख. वस्तुसूचियां								
(प्रबंधन द्वारा यथा ली गई, मूल्यांकित तथा प्रमाणित)								
i) भंडार तथा अतिरिक्त पुर्जे			53.42				64.24	
ii) खुले पुर्जे			0.41				0.13	
			53.83				64.37	
घटाए : प्रावधान			0.04	53.79			0.31	64.06
ग. चालू संविदागत कार्य				26.58				10.48
घ. विविध देनदार (अनारक्षित)								
i) छः माह से अधिक से देय ऋण			338.68				1,165.55	
ii) अन्य ऋण			245.03				404.25	
			583.71				1,569.80	
घटाए : प्रावधान			84.75	498.96			75.98	1,493.82
विविध देनदारों (अनारक्षित) के ब्यौरे								
	2003-2004	2002-2003						
i) (कंसीडर्ड गुड) माने गए (एनएचडीसी लिमिटेड से देय 0.08 करोड़ रूपए शामिल हैं) (विगत वर्ष 3.8 करोड़ रूपए)	498.96	1,493.82						
ii) संदिग्ध माने गए तथा प्रावधान किए गए	84.75	75.98						
ङ. नकद एवं बैंक अधिशेष								
i) विद्यमान नकद, अग्रदाय, चैक एवं ड्राफ्ट			110.41				22.87	
ii) अनुसूचित बैंकों में अधिशेष								
क. चालू खाता			6.10				257.04	
ख. नकद ऋण सुविधा			5.61				–	
ग. जमा खाता(अल्पावधि) *			52.17				322.14	
iii) अन्यों के पास अधिशेष (भूटान बैंक के पास) चालू खाता			0.08	174.37			0.31	602.36
च. अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियां								
i) जमाराशियों पर उपचित ब्याज			–				0.08	
ii) अन्य			67.86				77.34	
घटाएं: प्रावधान			1.21	66.65			1.10	76.32
छ. ऋण एवं पेशगियां								
i) सहायक कंपनियों को ऋण एवं पेशगी			2.07				4.06	
ii) कर्मचारियों को ऋण (कंसीडर्ड गुड)			38.80				38.59	
iii) कर्मचारियों को ऋण (अनारक्षित कंसीडर्ड गुड)			73.30				33.19	
iv) नकद या जिंस के रूप में या प्राप्य मूल्य के लिए वसूलनीय पेशगी								
क. अनारक्षित (कंसीडर्ड गुड)								
- बैंक गारंटियों द्वारा आव्याप्त	14.71				1.79			
- अन्य	7.32				27.38			
ख. अनारक्षित (संदिग्ध समझा गया)	0.54	22.57			0.54	29.71		
घटाए : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान		0.54	22.03			0.54	29.17	
v) इंटर कारपोरेट ऋण अनारक्षित (कंशीडर्ड गुड)			–				100.00	
vi) अग्रिम कर जमाराशि तथा स्रोत पर कर कटौती			70.79				82.07	
vii) अन्य वसूलनीय- पावरग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लि0 से देय			31.82	238.81			31.86	318.94
जोड़				**1,394.24**				**2,688.20**

* *जमाराशि खाते (अल्पावधि) जिसमें 2.07 करोड़ रूपए शामिल हैं 'ग' श्रृंखला बांडों की अदावित प्रतिदेय राशि के कारण पीएनबी कैपिटल सर्विसेज लि0 के नाम सी सीरीज बांड की प्रतिदेय राशि

क. गैर-अनुसूचित बैंकों में वर्ष के दौरान अधिकतम अधिशेष के ब्यौरे

	2003-2004	2002-2003
बैंक आफ भूटान		
i) चालू खाता	0.79	0.48

ख. निदेशकों से देय ऋण एवं पेशगियां के ब्यौरे

	2003-2004	2002-2003
i) वर्षांत में देय राशि	0.05	0.06
ii) वर्ष के दौरान किसी भी समय अधिकतम शेष	0.20	0.08

उन कंपनियों द्वारा देय पेशगी जिनमें कारपोरेशन का कोई निदेशक उस कंपनी का निदेशक या सदस्य है, शून्य रूपए है (विगत वर्ष शून्य रूपए)

ग. सहायक कंपनी के पास वर्ष के दौरान अधिकतम शेष के ब्यौरे

	2003-2004	2002-2003
नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	200	100

अनुसूची-10 वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान

(करोड़ रुपए)

		31 मार्च, 2004			31 मार्च, 2003	
क. देयताएं						
i) विविध लेनदार						
क. लघु उद्यम उपक्रों की कुल बकाया देयताए (30 दिन से अधिक शून्य)	–			–		
ख. अन्य	294.19	294.19		189.73	189.73	
ii) डिपॉजिट/एजेन्सी की व्यय न की गई राशि		3.46			1.62	
iii) जमाराशि/प्रतिधारण धनराशि		100.57			64.82	
iv) ऋणों पर उपचित किन्तु अदेय ब्याज		77.55			38.71	
v) परियोजना की लागत के प्रति पेशगी		5.36			5.36	
vi) संविदा देने वालों से पेशगी		16.83			10.10	
vii) अन्य देयताएं		363.95	861.91		59.47	369.81
ख. प्रावधान						
i) कराधान		65.84			86.31	
ii) प्रस्तावित लाभांश		60.00			25.00	
iii) प्रस्तावित लाभांश पर कर		15.38			3.20	
iv) प्रोत्सहन के लिए प्रावधान (बांड)		–			80.12	
v) परियोजना व्ययों के लिए प्रावधान		1.68			–	
vi) वेतन संशोधन के लिए प्रावधान		–			0.04	
vii) अनुग्रह राशि के लिए प्रावधान		7.17			6.83	
viii) अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान		70.68			48.21	
ix) उपदान के लिए प्रावधान		155.94			124.27	
x) सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना के लिए प्रावधान		41.83			30.60	
xi) आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान		1.80	420.32		11.01	415.59
ग. विकास अधिभार (न्यास में धारित)						
i) विकास अधिभार:- बिल में शामिल		175.51			110.47	
ii) विकास अधिभार:- ब्याज खाता		5.56			0.01	
घटाएं:- प्राप्य		42.22			58.13	
घटाएं:- कारपोरेट नकदी सावधि खाते में निवेशित		127.93			39.31	
घटाए:- उपचित किन्तु अदेय ब्याज		5.56			0.01	
घटाएं:- विकास अधिभार पर वसूल किया गया कर		1.11			–	
विकास अधिभार:- निवेश्य			4.25			13.03
जोड़			**1286.48**			**798.43**

अनुसूची-11 विविध व्यय
(बट्टे खाते न डाला गया या समायोजित न किया गया)

(करोड़ रुपए)

	31 मार्च, 2004		31 मार्च, 2003	
i) आस्थगित राजस्व व्यय		0.71		1.20
ii) बट्टे खाते डाले जाने की स्वीकृति की प्रतीक्षा वाली हानियां	3.75		4.57	
घटाएं : उपबंधित	3.75	–	4.57	–
जोड़		**0.71**		**1.20**

अनुसूची-12 संविदा एवं परामर्शी आय

(करोड़ रुपए)

	31 मार्च, 2004		31 मार्च, 2003	
i) संविदा आय	0.59		20.24	
जोड़ें : चालू संविदा कार्य - बंद	26.58		10.48	
घटाएं : चालू संविदा कार्य -आरंभिक	10.48	16.69	1.11	29.61
ii) परामर्शी आय		12.43		7.01
iii) आकस्मिकताओं का पुनः लेखन		9.17		16.99
जोड़		**38.29**		**53.61**

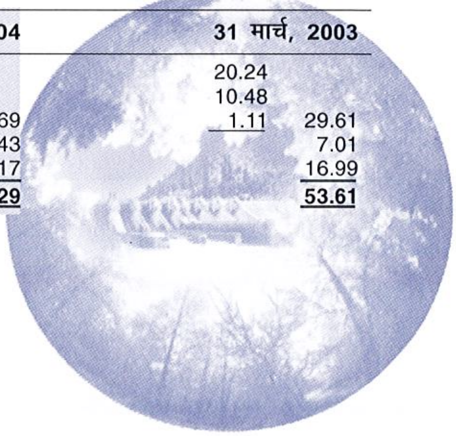

अनुसूची-13 अन्य आय

(करोड़ रुपए)

		31 मार्च, 2004	31 मार्च, 2003
i)	अल्पावधि जमा से आय	0.10	–
ii)	ऋणों एवं पेशगी पर ब्याज	1.53	1.15
iii)	लाभांश आय (सकल)	0.10	0.14
iv)	गारंटी शुल्क	5.19	–
v)	अधिभार	104.60	122.09
vi)	परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ	1.53	1.67
vii)	की गई अनावश्यक पुनः लेखन प्रावधान/देयताएं	12.69	1.56
viii)	स्क्रैप से आय	0.44	0.16
ix)	कारपोरेट ऋण पर ब्याज	10.97	0.40
x)	सावधि ऋण तथा बचत बैंक पर ब्याज	4.91	0.09
xi)	अन्य विविध आय	4.16	4.01
	जोड़	146.22	131.27

अनुसूची-14 उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय

(करोड़ रुपए)

		31 मार्च, 2004		31 मार्च, 2003	
i)	पुर्जों एवं भंडारों की खपत		2.67		2.65
ii)	मरम्मत तथा अनुरक्षण				
	क) भवन	4.90		3.91	
	ख) मशीनरी	18.47		15.70	
	ग) अन्य	11.69	35.06	10.90	30.51
iii)	विविध संचालनात्मक व्यय		3.40		3.12
iv)	किराया		0.49		0.48
v)	दरें और कर		0.66		0.32
vi)	बीमा		0.27		0.28
vii)	आकस्मिकताओं के लिए स्वःबीमा		42.79		38.71
viii)	सुरक्षा व्यय		16.17		14.13
ix)	विद्युत प्रभार		5.00		0.50
x)	यात्रा एवं वाहन		2.49		2.56
xi)	स्टाफ कार पर व्यय		2.25		1.98
xii)	टेलीफोन,टैलेक्स एवं डाक टिकटें		1.23		1.19
xiii)	विज्ञापन एवं प्रचार		0.43		0.39
xiv)	दान		0.02		0.01
xv)	मुद्रण एवं लेखन सामग्री		0.52		0.55
xvi)	कारपोरेट कार्यालय प्रबंधन व्यय		13.93		12.82
xvii)	भंडारों एवं अतिरिक्त पुर्जों के मूल्य में कमी		0.04		6.46
xviii)	बट्टे खाते डाले गए परियोजना व्यय		2.75		–
xix)	परिसम्पत्तियों की बिक्री पर हानि		8.21		0.51
xx)	बट्टे खाते डाले गए आस्थगित राजस्व व्यय		0.76		0.81
xxi)	मनोरंजन		0.02		0.02
xxii)	मध्यस्थता प्रभारों पर ब्याज		0.30		3.79
xxiii)	प्रावधान किए गए संदिग्ध ऋण		28.28		–
xxiv)	प्रावधान किए गए परियोजना व्यय		1.68		–
xxv)	अन्य सामान्य व्यय		2.78		2.96
xxvi)	विनिमय दर अंतर		0.65		(0.31)
	जोड़		172.85		124.44

अनुसूची-15 कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ

(करोड़ रुपए)

	31 मार्च, 2004	31 मार्च, 2003
i) वेतन, मजदूरी और भत्ते	111.73	114.88
ii) उपदान तथा भविष्य निधि में अंशदान (प्रशासन शुल्क सहित)	22.56	24.46
iii) कर्मचारी कल्याण व्यय	18.70	20.74
जोड़	152.99	160.08

अनुसूची-16 ब्याज एवं वित्त प्रभार

(करोड़ रुपए)

	31 मार्च, 2004		31 मार्च, 2003	
i) ऋणों पर ब्याज				
क) भारत सरकार के ऋण	–		0.28	
ख) बांड	68.15		47.40	
ग) विदेशी ऋण	9.20		22.40	
घ) सावधि ऋण	232.27	309.62	256.90	326.98
ii) नकद ऋण सुविधाओं पर ब्याज		2.61		11.80
iii) बांड व्यय		0.92		1.31
iv) ग्राहकों को छूट		26.60		26.69
v) विदेशी ऋणों पर गारंटी शुल्क		6.23		8.73
vi) वचनबद्धता शुल्क		0.39		–
vii) अन्य वित्त प्रभार		0.80		2.40
जोड़		347.17		377.91

अनुसूची-17 संविदा एवं परामर्शी व्यय

(करोड़ रुपए)

	31 मार्च, 2004		31 मार्च, 2003	
क. प्रत्यक्ष व्यय (श्रम, सामग्री, परिसम्पत्तियां तथा संविदाकारों/ आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान शामिल है)		18.68		19.80
ख. कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ				
i) वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ	5.22		3.73	
ii) उपदान तथा भविष्य निधि में अंशदान	0.32		0.58	
iii) कर्मचारी कल्याण व्यय	0.19	5.73	0.21	4.52
ग. मरम्मत तथा अनुरक्षण				
i) भवन	0.08		0.25	
ii) मशीनरी तथा निर्माण उपस्कर	0.01		0.04	
iii) अन्य	0.33	0.42	0.48	0.77
ध. प्रशासन एवं अन्य व्यय				
i) किराया	0.14		0.14	
ii) यात्रा एवं वाहन	0.72		0.58	
iii) स्टाफ कारों एवं निरीक्षण वाहनों पर व्यय	0.27		0.36	
iv) बीमा	0.01		0.10	
v) टेलीफोन, टेलेक्स एवं डाक टिकटें	0.10		0.24	
vi) विज्ञापन एवं प्रचार	–		0.05	
vii) मुद्रण एवं लेखन सामग्री	0.23		0.05	
viii) निगम कार्यालय प्रबंधन व्यय	1.04		1.33	
ix) अन्य व्यय	0.12	2.63	4.12	6.97
ड. मूल्यह्रास		0.25		0.22
कुल व्यय		27.71		32.28
घटाएं - प्राप्तियां तथा वसूलियां				
i) विविध	0.60		0.96	
ii) अनावश्यक प्रावधानों/देयताओं का पुनःलेखन	0.36	0.96	0.25	1.21
वर्ष के दौरान निवल व्यय		26.75		31.07
च. पूर्वावधि समायोजन		–		(0.08)
जोड़		26.75		30.99

अनुसूची-18 पूर्वावधि समायोजन (शुद्ध)

(करोड़ रुपए)

	31 मार्च, 2004		31 मार्च, 2003	
क. आय				
i) विद्युत की बिक्री		0.03		(0.29)
ii) अन्य		1.44		0.25
		1.47		(0.04)
ख. व्यय				
i) वेतन तथा मजदूरी	0.02		1.29	
ii) मरम्मत तथा अनुरक्षण	0.26		0.19	
iii) ब्याज	–		(0.01)	
iv) अन्य	0.67		3.17	
v) मूल्यह्रास	(1.66)	(0.71)	1.61	6.25
जोड़		**(2.18)**		**6.29**

अनुसूची - 19 महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1. लेखाकरण परम्पराएं

1.1 निगम के लेखे लेखाकरण के संभूति विधि का प्रयोग करते हुए पारम्परिक लागत परम्परा के अनुसार तैयार किए जाते हैं।

1.2 ग्राहकों से प्रभारित ब्याज/अधिभार को प्राप्ति पर अथवा जब संग्रहण की युक्तिसंगत निश्चितता हो, आय माना जाता है।

2. नियत परिसम्पत्तियां

2.1 नियत परिसम्पत्तियों का कथन अर्जन/निर्माण आधार पर किया जाता है। जिन मामलों में संविदाकारों के साथ बिलों का अंतिम निपटान लंबित है, किन्तु परिसंपत्ति पूर्ण तथा प्रयोग के लिए तैयार है, पूंजीकरण अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अधीन अनुमानित आधार पर किया जाता है जिसमें अंतिम समायोजन वर्षों में मध्यस्थता/न्यायालय मामलों के निपटान से प्रत्युत्पन्न समायोजन शामिल है।

2.2 निगम के स्वामित्वरहित भूमि पर सृजित नियत परिसम्पत्तियों को नियत परिसंपत्तियों के अन्तर्गत शामिल किया जाता है।

2.3 भूमि से संबंधित क्षतिपूर्ति तथा अन्य व्ययों के लिए अनंतिम रूप से किए गए भुगतानों को भूमि की लागत माना जाता है।

2.4 राज्य सरकार से प्रयोग के लिए ली गई भूमि (हकदारिता के अंतरण के बिना) तथा राहत एवं पुनर्वास के साथ-साथ खाली कराई गई भूमि के लिए अथवा आप्लावन के अधीन आने वाली विद्यमान सुविधाओं के एवज़ में वैकल्पिक सुविधाओं के सृजन पर हुआ व्यय तथा जहां ऐसी वैकल्पिक सुविधाओं का सृजन परियोजना के प्रयोजनार्थ भूमि के अधिग्रहण के लिए एक विशिष्ट पूर्व शर्त है, उपगत व्यय भूमि-अवर्गीकृत के रूप में लेखे में लिया जाता है जिसे परियोजना की उपयोगी अवधि, जो परियोजना के वाणिज्यिक संचालन की तिथि से 35 वर्ष मानी गई है, में परिशोधित किया जाएगा।

2.5 सहायतानुदान/अभिकरण या डिपॉज़िट आधार पर परियोजनाओं में अधिप्राप्त/सृजित परिसम्पत्तियों को परिसम्पत्तियों में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि स्वामित्व कारपोरेशन में विहित नहीं है।

2.6 अतिशेष घोषित निर्माण उपकरणों का मूल्य, बही मूल्य तथा शुद्ध वसूली योग्य मूल्य से कम दर्शाया जाता है।

3. मशीनरी के कल पुर्जे

3.1 उत्पादन इकाईयों, पावर स्टेशन एवं स्विचयार्ड आदि के लिए मशीनरी के कल पुर्जे, जो उपस्करों के साथ या उसके बाद खरीदे गए तथा जिनका उपयोग अनियमित माना जाता है, को पूंजीकृत किया जाता है और सम्बद्ध प्लांट एवं मशीनरी की शेष उपयोगिता अवधि के दौरान उसका मूल्यह्रास किया जात है। अन्य अतिरिक्त पुर्जो को रूस्टोर्स तथा स्पेयर्स- माना जाता है जो समान सूची में शामिल थे तथा जारी करते समय उन्हें खर्च में दर्ज किया गया है।

4. चालू पूंजीगत कार्य

4.1 संचालनाधीन परियोजनाओं तथा अन्य चालू पूंजीगत कार्य को लागत आधार पर लिया जाता है। निर्माणाधीन परियोजनाओं के संबंध में, निर्माण के दौरान प्रयुक्त नियत परिसंपित्तयों पर ब्याज तथा मूल्यह्रास सहित प्रासंगिक तथा आरोप्य व्ययों के निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय के भाग के रूप में लिया जाता है जिसका आबंटन परियोजना के संचालन पर भूमि तथा आधारभूत सुविधाओं को छोड़कर बृहत् अचल परियोजना परिसम्पत्तियों को किया जाना है।

4.2 निर्माणाधीन परियोजनाओं में सामान्य जन-सुविधाओं के अनुरक्षण, उन्नयन इत्यादि पर हुए व्यय को निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय में प्रभारित किया जाता है।

5. मूल्यह्रास एवं परिशोधन

5.1 केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा प्रशुल्क निर्धारण के प्रयोजनार्थ अधिसूचित दरों पर सीधी पद्धति आधार पर मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है। परिसम्पत्तियों के मामले में, जहां सीईआरसी के विनियमों द्वारा दरें अधिसूचित नहीं की गई हैं, आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निर्धारित दरों पर सीधी पद्धति आधार पर मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है, सिवाए कम्प्यूटरों और सम्बद्ध सामग्री के, जहां कंपनी द्वारा यथा-अनुमाणित दरों को अपनाया गया है।

5.2 मूल्यह्रास का प्रावधान उस वर्ष में यथानुपात में किया जाता है, जिस वर्ष में परिसंपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है।

5.3 वर्ष के प्रारंभ में 5,000 रूपए या उससे कम कीमत की परिसंपत्ति तथा ऐसी मदों (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर), जिनका लिखित मूल्य 5,000/-रूपए या उससे कम है, का पूरी तरह मूल्यह्रास किया जाता है।

5.4 साफ्टवेयर पर व्यय को "अमूर्त परिसंपत्तियां" माना जाता है जिनका परिशोधन तीन वर्षों में किया जाता है।

5.5 वर्ष के दौरान विनिमय उतार-चढ़ाव के कारण दीर्घकालिक देयताओं में वृद्धि/कमी होने से जहां मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्तियों की लागत में परिवर्तन होता है, वहां ऐसी अपरिशोधित शेष परिसंपत्तियों के लिए मूल्यह्रास की व्यवस्था परिसंपत्तियों के अवशिष्ट उपयोगी काल के लिए प्रत्याशित रूप से की जाती है।

6. निवेश

निवेश का अभिप्राय दीर्घ अवधि से है और ये लागत पर आधारित होते हैं।

7. वस्तु सूचियां

7.1 (क) अतिशेष निर्माण उपस्करों के स्क्रैप एवं अतिरिक्त पुर्जों के अलावा भंडारों तथा अतिरिक्त पुर्जों का मूल्यांकन भारित औसत लागत आधार पर किया जाता है।

(ख) स्क्रैप का मूल्य निर्धारण शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है।

(ग) अतिशेष निर्माण उपस्करों के लिए अतिरिक्त पुर्जों का मूल्यनिर्धारण लागत से कम तथा शुद्ध वूसली योग्य मूल्य पर किया जाता है।

7.2 वर्ष के दौरान निर्गत खुले औजारों को खपत लेखे में प्रभारित किया जाता है जहां पृथक मदों की लागत 5,000/- रूपए या इससे कम है तथा अन्य मामलों में 5 वर्षीय समान किस्तों में बट्टे खाते डाल दिया जाता है।

7.3 पावर स्टेशनों में संचालन तथा अनुरक्षण के लिए निर्गत वर्ष के अंत में स्थल पर प्रयोग न किए गए भंडारों का मूल्यांकन इंजीनियरिंग अनुमानों के आधार पर किया जाता है तथ उन्हें भंडारों के रूप में माना जाता है।

8. विविध व्यय

वाणिज्यिक संचालन शुरू होने के पश्चात पांच वर्षों की अवधि के बाद परियोजना के विविध व्यय को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

9. विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव

विदेशी मुद्रा में लेन-देन को उसी तिथि को प्रवृत्त विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है। विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित मौद्रिक मदों को लेखाकरण वर्ष के अंतिम दिन प्रवृत्त विनिमय दर पर रूपांतरित किया जाता है। नियत परिसंपत्तियों से संबंधित देयताओं के पुनःभुगतान अथवा पुनः कथन के कारण उत्पन्न हुए विनिमय अंतरों को संबंधित नियत परिसंपत्तियों, यदि वे पूंजीकृत हों, की वर्तमान मूल्यराशि में समायोजित कर दिया जाता है अथवा चालू पूंजीगत कार्य के भाग के रूप में ले लिया जाता है, यदि परिसंपत्ति निर्माणाधीन हो। अन्य मामलों में रूपांतरण/परिवर्तन के कारण हुए लाभ या हानि को पावर स्टेशन के मामले में लाभ तथा हानि लेखे में तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं के मामले में निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय में अंतरित कर दिया जाता है।

10. सेवानिवृत्ति लाभ

उपदान, अवकाश नकदीकरण तथा पश्च-सेवानिवृत्ति चिकित्सा स्वास्थ्य योजना के लिए प्रावधान प्रत्येक वर्ष बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

11. राजस्व

11.1 (क) ऊर्जा की बिक्री का लेखा-जोखा केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार किया जाता है। पावर स्टेशनों के मामले में, जहां टैरिफ अधिसूचित नहीं होता, बिक्रियों का बिल निर्धारण समुचित प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए मानदंडों तथा विधि के आधार पर परिकलित अनंतिम दरों पर किया जाता है। विदेशी मुद्रा ऋणों के संबंध में विदेशी मुद्रा अंतर के लिए वसूली/प्रतिदाय तथा आयकर के लिए वसूली का लेखा-जोखा वर्ष-दर-वर्ष आधार पर किया जाता है।

(ख) प्रोत्साहनों/हतोत्साहनों को टैरिफ अधिसूचनाओं के अनुसार मान्य किया जाता है। पावर स्टेशन के मामले में जहां टैरिफ अधिसूचित नहीं किए गए हैं, प्रोत्साहन को उनकी स्वीकृति की संभावना के निर्धारण के आधार पर अनंतिम रूप से मान्य किया जाता है।

(ग) विश्वव्यापी लेखों को अंतिम रूप दिए जाने के प्रत्युत्पन्न समायोजन, चाहे वे महत्वपूर्ण न हो, अंतिम रूप दिए जाने के संबंधित वर्ष से प्रभावी किए जाते हैं।

(घ) ऋणों की चुकौती को सरल बनाने के लिए आरंभिक वर्षों में टैरिफ के घटक के रूप में, मूल्यह्रास के प्रति

दिए गए अग्रिम को बिक्री में से घटा दिया जाता है तथा इसे अनुवर्ती वर्षों में शामिल की जाने वाली आस्थगित आय माना जाता है।

11.2 लागत जमा/डिपॉजिट/टर्नकी आधार पर संविदा कार्यों से राजस्व को समापन विधि की प्रतिशतता पर निम्न प्रकार से मान्य किया जाता है :

कार्य की प्रगति	राजस्व मान्यता
(क) 66.67 प्रतिशत तक	शून्य
(ख) 66.67 से ऊपर 90 प्रतिशत तक	80 प्रतिशत
(ग) 90 प्रतिशत से अधिक	100 प्रतिशत

संविदाओं में प्रत्याशित हानियों सहित हानियों को तत्काल मान्य किया जाता है। ऐसे मामलों तथा यथावश्यक समझी जाने वाली सीमा तक त्रुटि देयता अवधि के दौरान उत्पन्न होने वाले किन्ही दावों के लिए आकस्मिकता हेतु व्यवस्था की जाती है।

11.3 परियोजना प्रबंधन/परामर्शी संविदाओं के संबंध में राजस्व को करार की शर्तों तथा संविदा के अन्तर्गत किए गए कार्य की प्रमात्रा के आधार पर मान्य किया जाता है।

11.4 निवेशों पर ब्याज की गणना संभूति आधार पर की जाती है।

12. कारपोरेट कार्यालय के व्ययों का आबंटन

कारपोरेट कार्यालय के व्ययों का आबंटन इस प्रकार किया जाता है -

(क) पावर स्टेशन पर कर तथा शुल्कों को निकाल कर वर्ष में ऊर्जा की बिक्री के 1 प्रतिशत की दर से।

(ख) निगम को प्रदान किए गए तथा उसके द्वारा निष्पादित निर्माण संविदा कार्यों के मामले में वर्ष के दौरान उपगत परियोजना व्यय के 5 प्रतिशत की दर से।

(ग) शेष व्यय का आबंटन निर्माण परियोजनाओं को वर्ष के दौरान उपगत शुद्ध पूंजीगत व्यय के अनुपात में किया जाता है।

13. स्व-बीमा

तुलन-पत्र की तिथि की स्थिति के अनुसार पावर स्टेशन के सकल ब्लॉक का 0.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष लाभ तथा हानि लेखे में प्रभार द्वारा वर्ष-दर-वर्ष आधार पर ''आकस्मिकताओं के लिए स्व-बीमा'' के तौर पर माना जाता है जिसका उपयोग विनिर्दिष्ट आकस्मिकताओं के लिए परिसंपत्तियों की हानियों के लिए किया जाता है।

14. विविध

14.1 पारगमन में वस्तुओं/निष्पादित पूंजीगत कार्यों,किन्तु जो प्रमाणित नहीं हैं, के लिए देयताओं की व्यवस्था निगम द्वारा निरीक्षण तथा स्वीकृति के लंबित होने तक नहीं की जाती है।

14.2 निर्माणाधीन परियोजनाओं को पावर स्टेशनों से आपूरित विद्युत पर सामान्य टैरिफ के अनुसार प्रभार लगाया जाता है।

14.3 50,000/-रूपए तथा उससे कम राशि को मदों के पूर्व प्रदत्त व्ययों तथा पूर्वावधि व्यय/आय को सामान्य लेखाशीर्षों में प्रभारित किया जाता है।

15. उधार लागत

निर्माण/नवीकरण तथा आधुनिकीकरण के दौरान नियत परिसम्पत्तियों को आरोप्य उधार लेने की लागतों को पूंजीकृत किया जाता है। उधार लेने की अन्य लागतों को उनके उपगत किए जाने की अवधि में व्यय के रूप में माना जाता है।

16. आय पर कर

चालू अवधि के लिए आय पर करों का निर्धारण आयकर अधिनियम,1961 के अन्तर्गत कर योग्य आय के आधार पर किया जाता है।

आस्थगित कर को वर्ष के लिए लेखाकरण आय तथा कर योग्य आय के बीच समयांतरों के आधार पर मान्य किया जाता है तथा तुलन-पत्र की तिथि की स्थिति के अनुसार अधिनियमित या स्वायत्त अधिनियमित कानूनों तथा कर दरों का प्रयोग करते हुए उसका प्रमात्रात्मक निर्धारण किया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को उस सीमा तक मान्य तथा अग्रेनीत किया जाता है जहां तक युक्तिसंगत निश्चितता है कि ऐसी पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होंगी जिसके प्रति ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्तियों को वसूल किया जा सकता है। आस्थगित कर वसूली समायोजन लेखे को भावी वर्षों में वास्तविक भुगतान आधार पर लाभानुभोगियों से प्रभार्य वर्तमान कर व्यय की सीमा तक क्रेडिट/डेबिट किया जाता है।

अनुसूची-20 लेखों पर टिप्पणियां

1. आकस्मिक देयताएं

(क) निगम के विरूद्ध दावे की राशि 933.10 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 1024.70 करोड़ रुपए) बनती है, जिसे ऋण के तौर पर स्वीकार नहीं किया गया है। इसमें विदेशी वाणिज्यिक ऋणों के संबंध में 75.74 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 75.74 करोड़ रुपए) अतिरिक्त गारंटी फीस के शामिल हैं जिसे समाप्त करने के लिए किया गया आवेदन अभी भी भारत सरकार के पास लम्बित है।

(ख) निगम द्वारा कस्टम प्राधिकारियों के पक्ष में 15.74 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 17.44 करोड़ रुपए) की कीमत के बांड निष्पादित किए गए।

(ग) निगम की एक सहायक कंपनी, नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की ओर से बैंक वित्तीय संस्थान को 600 करोड़ रुपए (मूलधन) (पूर्व वर्ष 300 करोड़ रुपए) तथा 1900 करोड़ रुपए (पूर्व वर्ष शून्य) के लिए निगम गारंटी दी गई।

(घ) लोकतक डाऊनस्ट्रीम परियोजना के मामले में मणिपुर सरकार के विद्युत विभाग निगम की एक सहायक कम्पनी द्वारा नियोजित 161 कर्मचारियों को पहले ही कारपोरेशन की नामावली में शामिल किया जाना है। इस संबंध में वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, इस अवस्था पर सुनिश्चित नहीं किए जा सके।

2. पूंजी लेखे पर निष्पादित होने वाली संविदा संबंधी शेष अनुमानित राशि तथा जिसकी व्यवस्था नहीं की गई है, 5022.39 करोड़ रूपए बनती है (पिछले वर्ष 3128.86 करोड़ रूपए)।

3. (क) विद्युत मंत्रालय तथा एनसीईएस के दिनांक 9.2.1989 तथा 12.7.1991 के पत्र संख्या 4/1/78-डीओ(एनएचपीसी) के अनुसार सलाल पावर स्टेशन (चरण-1) नवम्बर, 1987 से निगम को हस्तांतरित कर दिया था। हस्तांतरण के लिए कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने और कानूनी मत के आधार पर इस परियोजना की परिसंपत्तियां व देयताएं निगम के लेखों में उन्हीं नियमों व शर्तों पर निगमित की गई हैं जिनका भारत सरकार द्वारा अन्य परियोजनाओं के संबंध में पालन किया गया था। तद्नुसार 331.60 करोड़ रुपए (जिसमें 297.60 करोड़ रुपए अनुमानित संशोधित लागत के प्रथम 50 प्रतिशत के तथा 34.00 करोड़ रूपए आईडीसी के 50 प्रतिशत के हैं) की राशि को भारत सरकार से निवेश के तौर पर माना गया है और इसकी गणना इक्विटी में समंजन योग्य भारत सरकार की निधि के तौर पर की गई है।

(ख) भारत सरकार से स्वीकृति लम्बित होने के कारण निर्माण के दौरान भारत सरकार ऋण पर उपार्जित 94.25 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 94.25 करोड़ रूपए) की राशि के उपचित ब्याज के प्रथम 50 प्रतिशत हिस्से को चमेरा-1, टनकपुर, उड़ी तथा रंगित पावर स्टेशनों के लिए भारत सरकार की निधि के तौर पर पूंजीकृत किया गया, जिसे भारत सरकार की इक्विटी के तौर पर समंजनीय दर्शाया गया है। आगामी समायोजन, यदि कोई होंगे, भारत सरकार से अनुमोदन की प्राप्ति पर किए जाएंगे।

4. (क) 4280 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 4,162 हेक्टेयर) क्षेत्र में, 29.74 करोड़ रुपए की राशि की (विगत वर्ष 46.09 करोड़ रुपए) कुछ परियोजनाओं/यूनिटों के भूमि तथा भवनों के संबंध में टाइटल डीड/टाइटल को अभी निष्पादित/पारित किया जाना है। उनके पंजीकरण से संबंधित स्टाम्प ड्यूटी आदि पर व्यय को, जब व जैसे खर्च होगा, लेखे में दर्ज किया जाएगा।

(ख) जम्मू व कश्मीर की कुछ यूनिटों में लीज़ डीड का निष्पादन लंबित होने के कारण लीज़ की अवधि 99 वर्ष रखी गई है, सिवाए जम्मू की भूमि के जहां यह 40 वर्ष रखी गई है और तदनुसार परिशोधित की गई है।

5. (क) राज्य विद्युत बोर्ड की देयराशि के परिशोधन संबंधी स्कीम नामक- भारत सरकार की स्कीम के अनुसरण में भारत सरकार, संबंधित राज्य सरकारों और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार 30 सितम्बर,2001 की स्थिति के अनुसार कारपोरेशन को बकाया देयताओं के निपटान के लिए 1717.30 करोड़

रुपए के विद्यमान बांडों के रूपांतरण द्वारा समाहित 2531.04 करोड़ रुपए के 8.5 प्रतिशत कर मुक्त बांड प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार, भारत के राष्ट्रपति तथा राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली की सरकार के लेफ्टीनेंट गवर्नर के बीच हुए द्विपक्षीय करार के अनुसार, 56.75 करोड़ रुपए के विलम्बित भुगतान संबंधी अधिभार सहित 228.21 करोड़ रूपए की बकाया देयताओं को लेखाबहियों में 8.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की कर-मुक्त ब्याज दर वाले दीर्घावधिक अग्रिमों के रूप में शामिल किया गया है।

(ख) दीर्घावधिक अग्रिमों को निवेश माना गया है तथा तदनुसार प्रकट किया गया है।

(ग) उपर्युक्त नोट 5(क) में उल्लिखित त्रिपक्षीय/द्विपक्षीय समझौतों के अनुसार राज्य विद्युत बोर्डों को देय कई छूटों/प्रोत्साहनों के कारण निगम ने 31 मार्च,2004 की स्थिति के अनुसार अपनी देयता 358.70 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया है तथा पिछले वर्ष के दौरान सृजित 80.12 करोड़ रूपए के प्रावधान को लेखे में लेने के बाद उसके लिए प्रावधान कर दिया गया है।

(घ) ''अन्य आय'' (अनुसूची-13) में विलम्बित भुगतान के लिए अधिभार के कारण 104.60 करोड़ रूपए की राशि शामिल है।

6. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के आदेशानुसार, उत्पादक कंपनी होने के नाते एनएचपीसी क्षमता वृद्धि एवं परियोजना विकास संबंधी कार्यों के प्रयोजनार्थ क्षमता एवं प्राथमिक ऊर्जा दोनों पर 5 प्रतिशत विकास अधिशुल्क लेने की हकदार है। उत्पादन कंपनी को अपनी बही में पृथक लेखा रखने हैं और विकासगत अधिभार प्रारक्षित निधि लेखा तथा उनके सामने दर्शाए गए निवेश के शेष को तुलन-पत्र में दर्शाना है। निवेश कारपोरेट नकदी सावधि खाते में जारी है। निधि का उपयोग एक विनिर्दिष्ट तरीके से किया जाना है। वर्ष के दौरान उक्त प्रारक्षित निधि में से कोई राशि प्रयुक्त नहीं की गई है। तदनुसार निवल विकास अधिभार प्रारक्षित राशि खाते को वर्तमान देयताओं के तहत दर्शाया गया है। विकास अधिभार पर अर्जित आय के संबंध में निर्धारिती की प्रास्थिति के अभाव में आयकर देयता के संबंध में अतिरिक्त भुगतान नहीं किया गया है क्योंकि इसे इसी निधि में से वहन किया जाना है।

7. (क) बिक्री में 21.51 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 42.17 करोड़ रूपए) का ऐसा प्रभार शामिल है जिसको चालू वर्ष में आयकर हेतु लाभर्थियों के बिल में डाला जाना है।

(ख) 100 मेगावाट प्रत्येक के 3 यूनिटों वाले चमेरा-II पावर स्टेशन के संबंध में,जिन्हें क्रमशः 2.11.2003, 1.1.2004 तथा 31.3.2004 को वाणिज्यिक रूप से प्रचालनात्मक घोषित कर दिया गया है, बिक्री को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित अनंतिम टैरिफ के आधार पर हिसाब में लिया गया है। इसके अतिरिक्त मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम तथा विदेशी मुद्रा विनिमय दर परिवर्तन सहित समायोजन केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अंतिम टैरिफ का निर्धारण किए जाने पर किए जाएंगे।

(ग) 60 मेगावाट रंगित पावर स्टेशन के संबंध में,केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने वर्ष समाप्त होने के पश्चात 19.5.2004 के टैरिफ आदेश के अनुसार टैरिफ अनुमोदित कर दिया है। वर्ष 2001-2002, 2002-2003 तथा 2003-2004 के लिए इन विद्युत केन्द्रों के संबंध में बिक्रियां संशोधित टैरिफ दरों के अनुसार बाद में उठाए गए बिलों के आधार पर लेखे में ली गई हैं। तथापि, मशीन उपलब्धता प्राप्त न होने के कारण, 1999-2000 तथा 2000-2001 के संबंध में बिक्रियों को उक्त टैरिफ आदेश की शर्तों के अनुसार लेखे में नहीं लिया गया है।

8. न्यूनतम वैकल्पिक कर की देयता 43.74 करोड़ रूपए से घटकर 22.10 करोड़ रूपए हो जाने का मुख्य कारण ऊपर पैरा 5 में यथा-उल्लिखित बांडों का कर मुक्त बांडों में रूपांतरण है।

9. (क) संविदाकर्ताओं को जारी सामग्री के अन्तर्गत दर्शायी गई शेष राशि, वसूली योग्य दावे (पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं बीमा कंपनी सहित), पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम फुटकर कर्जदार, संविदाकर्ताओ को अग्रिमं फुटकर ऋणदाताओं और संविदाकर्ताओं की जमा/पेशगी राशि समाधान/पुष्टिकरण तथा संबंधित परिणामी समायोजनों के अधीन हैं।

(ख) संविदाकर्ताओं को निर्गत सामग्री, संविदाकर्ताओं को अग्रिम, वसूली योग्य किराया प्रभार, अग्रिमों पर उचित ब्याज तथा संविदाकारों/अन्यों से वसूलनीय दावों में शामिल 2.76 करोड़ रुपए, 2.71 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए, 0.44 करोड़ रुपए और 2.06 करोड़ रूपए की राशि, जो क्रमशः चमेरा-। एवं सलाल पावर स्टेशनों से संबंधित है, दावों के परिशोधन के बाद समायोजन के अधीन हैं। प्रबंधन की राय में इस समय उपर्युक्त के लिए किसी भी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

(ग) प्रबंधन की राय में व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में वसूली के बाद चालू परिसंपत्तियों, ऋणों एवं अग्रिमों का मूल्य तुलनपत्र में दर्शाए गए मूल्य से कम नहीं होगा। तथापि, अभ्यर्पण मूल्य की अनुपस्थिति में उपदान निधि को एलआईसी द्वारा प्रमाणित मूल्य पर जारी रखा जा रहा है।

(घ) वसूली योग्य दावों में जेएंडके पीडीसी से भारत सरकार के आदेशानुसार उनको सौंपी गई बगलिहार परियोजना के लिए देय 16.65 करोड़ रूपए शामिल हैं। सावलकोट परियोजना के संबंध में परियोजना को अंतिम रूप से सौंपे जाने का काम लंबित रहने के कारण कुल 4.89 करोड़ रूपए का पूंजीगत व्यय निगम की परिसंपत्तियों के भाग के रूप में बना हुआ है जबकि इस परियोजना के लिए जेएंडकेपीडीसी से प्राप्त 5.36 करोड़ रूपए का तदर्थ अग्रिम ''वर्तमान देयता राशि'' के अन्तर्गत दर्शाया गया है और लेखा के अंतिम परिशोधन के उपरांत इसको समायोजित किया जाएगा।

10. (क) भारत सरकार के निर्णय के अनुसार सियांग (13400 मेगावाट) और सुबांसिरी (7500 मेगावाट) परियोजनाएं ब्रह्मपुत्र बोर्ड से निगम को हस्तांतरित कर दी गई हैं। हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने और ब्रह्मपुत्र बोर्ड के लेखे का परिशोधन कार्य लंबित होने के कारण इन परियोजनाओं की परिसपंत्तियों और देयता राशि को निगम द्वारा उपगत राशि की सीमा तक दर्ज किया गया।

(ख) भारत सरकार के निर्णय के अनुसरण में निगम में जेकेपीडीसी से उड़ी-II किशनगंगा, पकलदुल, सेवा-II बरसर, निम्मो-बाजगो, चुटक परियोजनाएं अधिग्रहीत कर ली हैं जिनके लिए जेएंडकेपीडीसी ने 8489 करोड़ रुपए की मांग रखी है। परियोजनाओं को अधिगृहीत कर लेने के बाद हुए व्यय के अतिरिक्त निगम ने सेवा-II परियोजना के लिए 33.66 करोड़ रूपए का कुल व्यय दर्ज किया है जबकि हस्तांतरित की गई परिसंपत्तियों की जांच और जेएंडकेपीडीसी लेखा के समाधान के आधार पर उक्त परियोजना के लिए 41.45 करोड़ रुपए का दावा किया गया था। जेएंडकेपीडीसी द्वारा मांगे गए शेष व्यय को उनके द्वारा प्रस्तुत मदों और लेखा के अंतिम समाधान के उपरांत दर्ज किया जाएगा।

(ग) सेवा-II परियोजना में, जेएंडकेपीडीसी द्वारा हस्तांतरित नियत परिसंपत्तियों से जेएंडकेपीडीसी द्वारा अधिग्रहण/निर्माण की कीमत का पूंजीकरण किया गया है तथा उस पर 31 मार्च, 2004 तक संचित मूल्यह्लास के लिए प्रावधान किया गया है।

11. चालू पूंजीगत कार्य में कोयलकारो परियोजना पर वर्ष 1980 से उपगत 73.14 करोड़ रुपए शामिल हैं जिसके लिए भारत सरकार की मंजूरी लंबित है।

12. कंपनी ने 534.70 करोड़ जेपीवाई के विदेशी मुद्रा ऋण के संबंध में देय तिथियों को अर्थात 9 जनवरी तथा 9 जुलाई को ब्याज भुगतान तथा साथ ही 5 वर्षों के अंत में मूलधन की संभावित अदायगी के लिए भी सुरक्षात्मक करार किए हैं। भारत में किसी विशिष्ट लेखाकरण मानक के अभाव में तथा ''तुलनपत्र से परे मद'' होने के कारण तुलनपत्र की तिथि के अनुसार किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं समझी गई है। करार से प्रत्युत्पन्न लाभ या हानि का लेखाकरण देय तिथियों को निपटान पर किया जाएगा।

13. कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 की वैधता को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कायम रखे जाने के कारण, बकाया राशियों का विस्तृत आकलन किया जा रहा है। तथापि, इस संबंध में कोई देयता एनएचपीसी की नहीं होगी क्योंकि सम्पूर्ण अंशदान पहले ही कर्मचारी भविष्य निधि खातों में सम्प्रेषित कर दिया गया है।

14 भारत सरकार का अनुमोदन लंबित होने के कारण कार्यपालक अधिकारियों के लिए आईडीए पैटर्न पर संशोधित वेतन ढांचा हेतु कोई प्रावधान लेखाबही में नहीं किया गया है।

15 संबंधित प्राधिकरणों से कार्य पूरा होने संबंधी प्रमाणपत्र और मांग नोटिस प्राप्त नहीं होने के कारण फरीदाबाद कार्यालय परिसर के लिए संपत्तिकर हेतु प्रावधान नहीं किया गया है।

16. (क) वर्ष के दौरान विदेशी विनिमय में हुए उतार-चढ़ाव का प्रभाव इस प्रकार है :-

(करोड़ रुपए)

		2003-04	2002-03
(i)	मूल्यह्रास को छोड़कर लाभ एवं हानि लेखा पर प्रभारित राशि	0.65	(0.31)
(ii)	निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय पर प्रभारित राशि	6.11	32.27
(iii)	चल रहे पूंजीगत कार्य पर प्रभारित राशि	80.72	149.21
(iv)	नियत परिसंपत्तियों की वहन राशि में बढ़ोतरी करके समायोजित की गई राशि	(-) 22.98	30.69
(v)	मौद्रिक परिसंपत्तियों में बढ़ोतरी करके समायोजित की गई राशि	—	0.50

(ख) इस वर्ष के दौरान ''निर्माण के समय प्रसांगिक व्यय'' में हस्तांतरित की गई ऋण लागत की राशि 284.43 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 321.70 करोड़ रुपए) है।

17. (क) विद्युत उत्पादन करना निगम का मुख्य कार्य है। अन्य कार्य अर्थात संविदा कार्य, ब्याज आय एवं परामर्शी सेवाएं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी खंड रिपोर्टिंग संबंधी लेखाकरण मानक-17 के अनुसार सूचित किए जाने योग्य खंड के तहत नहीं आती है।

(ख) निगम के पावर स्टेशन देश के भीतर स्थित हैं और इसलिए भौगोलिक खंड लागू नहीं होते हैं।

(ग) निगम द्वारा अर्जित ब्याज- आय आपूर्ति की गई ऊर्जा के लिए उनके द्वारा देय ऋणों के परिसमापन में विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा निगम को जारी किए गए बांड/ दीर्घावधिक अग्रिमों के संबंध में है और यह उत्पादन संबंधी कार्यकलाप के लिए है। इसी प्रकार लाभानुभोगी राज्यों से प्राप्त विलम्बित भुगतान अधिभार उत्पादन गतिविधि को आरोप्य है।

18. प्रशुल्क की वसूली के प्रयोजनार्थ प्रयोज्य सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों पर नियत परिसंपत्तियों संबंधी मूल्यह्रास को लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित किया गया है क्योंकि मूल्यह्रास दरें विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा विनिर्दिष्ट नहीं की गई है। जहां तक लाभ एवं हानि लेखा का संबंध है, वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार कंपनी अधिनियम,1956 की अनुसूची-XIV में निर्धारित दरों की तुलना में 184.75 करोड़ रूपए कम है।

19. (क) कारपोरेशन ने वर्ष के दौरान परियोजना की कुल अवधि में अवर्गीकृत भूमि के परिशोधन के लिए एक नई लेखाकरण नीति संख्या 2.4 शुरू की है जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान लाभ में 6.12 करोड़ रुपए की कमी हुई है।

(ख) अमूर्त परिसंपत्तियों संबंधी नई लेखाकरण नीति संख्या 5.4 के शुरू किए जाने के कारण लाभ एवं हानि लेखा पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है। इसी प्रकार लेखाकरण नीति संख्या 2.1 में मामूली आशोधन का लाभ एवं हानि लेखा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

20. चूंकि भारत सरकार ने अवधि और उस प्रयोज्य दर, जिसपर कंपनी अधिनियम की धारा 441ए के अन्तर्गत बिक्री पर उपकर देय है, को निर्दिष्ट करते हुए समुचित अधिसूचना जारी नहीं की है इसलिए निगम ने इसके लिए प्रावधान नहीं किया है।

21. (क) इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी-आय पर कर का लेखाकरण ''संबंधी लेखा मानक'' 22 के अनुपालन में 85.73 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 160.60 करोड़ रूपए) की आस्थगित कर देयता का प्रावधान चालू वर्ष के दौरान किया गया है। संचयी आस्थगित कर देयता का मदवार ब्यौरा इस प्रकार है :-

(करोड़ रूपए)

	31.03.2004	31.03.2003
आस्थगित कर देयता		
i) मूल्यह्रास	1853.57	1786.38
घटाएं : आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
ii) संचित असमाहित मूल्यह्रास	170.81	178.43
iii) कर की गणना में आय समझे जाने वाले मूल्यह्रास के लिए अग्रिम	138.50	141.88
iv) संदिग्ध ऋणों, बीमा, आकस्मिक खर्च और प्रोत्साहन (बांड) हेतु प्रावधान	123.50	139.78
v) कर्मचारी लाभ योजना हेतु प्रावधान	41.60	32.87
आस्थगित कर देयता (शुद्ध)	**1379.16**	**1293.42**

(ख) निगम के पास कोई कर योग्य संपत्ति नहीं है, इसलिए सम्पत्ति कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

22. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी संबंधित पार्टी प्रकटीकरण संबंधी लेखा मानक-18 के अनुपालन में अपेक्षित सूचना निम्नलिखित है :-

(क) पूर्णकालिक निदेशक :

श्री योगेन्द्र प्रसाद	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री आर.नटराजन	निदेशक (वित्त) (6.5.2003 तक)
श्री एस. के. गर्ग	निदेशक (वित्त) (1.7.2003 से)
श्री ए. के. गंगोपाध्याय	निदेशक (परियोजना)
श्री आर. के. शर्मा	निदेशक (तकनीकी)
श्री बिनय कुमार	निदेशक (कार्मिक) (07.07.2003 से सेवाएं समाप्त)

(ख) संबंध

संयक्त उद्यम कंपनियां	शून्य

(ग) व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में संबंधित पार्टियों के साथ किए गए कारोबार का ब्यौरा

(i)	उपर्युक्त मद (क) में उल्लिखित पार्टियों से संबंधित ब्यौरे	शून्य
(ii)	उपर्युक्त मद (ख) में उल्लिखित पार्टियों से संबंधित ब्यौरे	लागू नहीं

23. (क) निदेशकों को भुगतान किए गए/देय पारिश्रमिक

(करोड़ रूपए)

	2003-04	2002-03
(i) वेतन एवं भत्ते	0.33	0.26
(ii) भविष्य निधि में अंशदान	0.03	0.03
(iii) रिहायशी आवास के लिए किराया	0.10	0.11
(iv) चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0.03	0.01
(v) सिटिंग शुल्क	—	—

(ख) पूर्णकालिक निदेशकों को कार्यालय संबंधी यात्रा के लिए और भुगतान पर 1000 कि.मी. तक निजी यात्रा के लिए कंपनी की कार का उपयोग करने की अनुमति भी थी जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :-

	गैर-वातानुकूलित कार	वातानुकूलित कार
16 एचपी तक	325 रूपए प्रति माह	520 रूपए प्रति माह
16 एचपी से अधिक	490 रूपए प्रति माह	780 रूपए प्रति माह

24. सांविधिक लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक

(करोड़ रूपए)

	2003-04	2002-03
सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क	0.13	0.09
कर लेखापरीक्षा शुल्क	0.04	0.02
लेखापरीक्षा व्यय	0.24	0.10
अन्य मामले	0.03	0.01

25. उत्पादन की गई और बेची गई ऊर्जा से संबंधित परिमाणात्मक ब्यौरे :

		2003-04	2002-03
(i)	लाइसेंस प्राप्त क्षमता (मेगावाट)	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii)	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	2449.20	2149.20
(iii)	वास्तविक उत्पादन (मिलियन यूनिटों में)।	11045.52	9862.74
(iv)	वास्तविक बिक्री (मिलियन यूनिटों में)।।	9488.74	8598.24

* अस्थिर विद्युत सहित

** गृह राज्यों को निःशुल्क विद्युत छोड़कर

26.

(करोड़ रूपए)

		2003-04	2002-03
क)*	सीआईएफ आधार पर आयातित संयंत्र,मशीनरी और कल-पुर्जों का मूल्य	102.76	109.80
ख)*	विदेशी मुद्रा में व्यय		
	i) जानकारी	0.63	2.62
	ii) ब्याज	111.44	116.13
	iii) अन्य विविध मदें	254.39	221.98
ग)*	प्रचालनात्मक यूनिटों में उपयोग में आए कल-पुर्जो एवं घटकों का मूल्य		
	i) आयातित	0.07(3%)	—
	ii) स्वदेशी	2.60 (97%)	2.65 (100%)
घ)**	विदेशी मुद्रा में आय		
	i) ब्याज	—	—
	ii) अन्य	0.04	—

* उचित आधार

** नकद आधार

27. नकद एवं बैंक अधिशेषों में दिनांक 31.03.2004 के स्वीकृति आदेश सं0 16/22/2003-डीओ एनएचपीसी के तहत इक्विटी के संबंध में विद्युत मंत्रालय से हाथ में प्राप्त 84.55 करोड़ रुपए की चैक राशि शामिल है।

28. पत्र सं0 1/5/2002-सीएल-V दिनांक 25.4.2003 के साथ पठित कंपनी कार्य विभाग की अधिसूचना दिनांक 1.08.2002 के अनुसरण में कारपोरेशन ने वित्तीय वर्ष 2003-2004 से लाभ एवं हानि लेखा तथा तुलनपत्र में आंकड़ों को दो दशमलव सहित करोड़ में पूर्णांकित करना आरंभ कर दिया है। पहले पूर्णांकन दशमलव के बिना मिलियन में किया जाता था।

29. पिछले वर्ष के आंकड़ों को यथावश्यक पुनःसमूहबद्ध/पुनःव्यवस्थित/पुनः तैयार किया गया है।

विजय गुप्ता	**एस. के. गर्ग**	**योगेन्द्र प्रसाद**
सचिव	निदेशक(वित्त)	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

स्थान : फरीदाबाद
दिनांक : 10 जून, 2004

तुलनप-पत्र सार एवं कंपनी के सामान्य व्यवसाय की रूपरेखा

I **पंजीकरण विवरण**

पंजीकरण संख्या	राज्य कोड	तुलन-पत्र		दिनांक
3 2 5 6 4	0 5	3 1	0 3	2 0 0 4

II वर्ष के दौरान जुटाई गई पूंजी (करोड़ रुपए)

सार्वजनिक निर्गम	राईट निर्गम
शून्य	शून्य
बांड निर्गम	**निजी नियोजन ***
शून्य	1 3 8 8 . 4 2

* भारत सरकार से प्राप्त हिस्सापूंजी जमाराशि

III निधियों के संग्रहण तथा नियोजन की स्थिति (करोड़ रुपए)

कुल देयताएं	कुल परिसंपत्तियां
2 1 2 9 6 . 9 6	2 1 2 9 6 . 9 6

निधियों के स्त्रोत

प्रदत्त पूंजी #	आरक्षित एवं अधिशेष $
8 6 2 9 . 0 3	4 5 3 3 . 6 7
आरक्षित ऋण	**अनारक्षित ऋण**
4 1 4 1 . 3 5	2 7 0 6 . 4 3

इसमें 427.55 करोड़ रुपए की अंशपूंजी जमाराशि तथा इक्विटी में समायोजनीय भारत सरकार की निधि के 425.85 करोड़ रुपए शामिल हैं।

$ इसमें मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम के लिए प्राप्त 939.40 करोड़ रुपए की अग्रिम आय और स्व-बीमा के लिए 255.81 करोड़ रुपए की आकस्मिक देयताएं शामिल हैं।

निधियों का प्रयोग

निवल नियत आस्तियां	निवेश
1 6 2 4 1 . 1 4 @	3 6 6 0 . 8 7
शुद्ध नियत परिसंपत्तियां	**विविध व्यय**
1 0 7 . 7 6	0 . 7 1
संचित हानियां	
शून्य	

@ इसमें 6975.81 करोड़ रुपए के चालू पूंजीगत कार्य और 805.55 करोड़ रुपए के निर्माण भंडार व अग्रिम शामिल हैं।

IV **कंपनी का कार्य निष्पादन (करोड़ रुपए)**

कारोबार

1	3	1	4	.	3	8

**

कुल व्यय

1	1	8	4	.	3	0

कर-पूर्व लाभ

6	4	3	.	4	8

कर के पश्चात लाभ

6	2	1	.	3	8

प्रति शेयर मूल अर्जन रुपए में

8	4	.	7	6

लाभांश की राशि

1	2	0	.	0	0

** अन्य आय के 513.4 करोड़ रूपये शामिल नहीं हैं।

V **कंपनी के तीन प्रधान उत्पादों/सेवाओं के जातिगत नाम**

i) उत्पाद विवरण

विद्युत का	**उत्पादन**

मद कोड संख्या

	-	

ii) उत्पाद विवरण

निर्माण	**संविदाएं**

मद कोड संख्या

	-	

iii) उत्पाद विवरण

परामर्शी	**सेवाएं**

मद कोड संख्या

	-	

विजय गुप्ता
सचिव

एस. के. गर्ग
निदेशक(वित्त)

योगेन्द्र प्रसाद
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

कैश फ्लो स्टेटमेंट 31 मार्च ,2004 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र का अनुबंध

(करोड़ रुपए)

	31 मार्च, 2004 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2003 को समाप्त वर्ष के लिए	
क. संचालित गतिविधियों से कैश-फ्लो				
कर-पूर्व शुद्ध लाभ एवं असाधारण मदें		643.48		555.00
जोड़ें :				
मूल्यह्रास	206.74		142.19	
आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	-9.21		-16.94	
प्रदत्त ब्याज	347.17		377.91	
आकस्मिकताओं के लिए स्वबीमा	42.57		34.87	
प्रोत्साहन के लिए प्रावधान	–		80.12	
परिशोधित आस्थगित राजस्व व्यय	0.76		0.81	
माल सूचियों के मूल्य में कमी	0.04		6.46	
बट्टे खाते डाले गए/प्रावधानित परियोजना व्यय	4.44		–	
परिसम्पत्तियों की बिक्री पर हानि	8.21		0.51	
विनिमय दर अंतर	0.65		-0.31	
मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	138.34		152.63	
घटाएं :	739.71		778.25	
परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ	1.53		1.67	
आस्थगित राजस्व व्यय	0.27		–	
ग्राहकों को दी गई छूट	26.60		26.69	
प्रदत्त विनिमय दर अंतर	–		-0.30	
अति प्रावधानों व देनदारियों का पश्च लेखन	12.69		1.56	
लाभांश आय	0.10	698.52	0.14	748.49
कार्यशील पूंजी समायोजनों से पूर्व प्रचालनात्मक गतिविधियों से नकद प्रवाह		1342.00		1303.49
कार्यशील पूंजी परिवर्तन				
मालसूचियों में (वृद्धि)/कमी	10.23		13.24	
संविदात्मक चालू कार्य में (वृद्धि)/कमी	-16.11		-9.37	
प्राप्यों में (वृद्धि)/कमी	-249.93		-350.47	
कारोबार एवं अन्य संदेयों में (वृद्धि)/कमी	16.55	-239.26	-74.53	-421.13
प्रचालन गतिविधियों से कर पूर्व नकद प्रवाह		1102.74		882.36
घटाएं : कर		22.10		44.50
संचालित गतिविधियों से शुद्ध कैश-फ्लो		**1080.64**		**837.86**
ख. निवेश गतिविधियों से कैश-फ्लो				
नियत आस्तियों के क्रय एवं निर्माण परियोजनाओं पर व्यय (निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय सहित)		-1428.35		-1670.94
नियत आस्तियों के निपटान पर बिक्री प्राप्तियां		49.98		11.64
सहायक कंपनियों एवं अन्यों के शेयरों में निवेश		-203.26		-488.45
प्राप्त लाभांश		0.10		0.14
निवेश गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह (ख)		**-1581.53**		**-2147.61**
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह				
अंश पूंजी निर्गम से प्राप्तियां		960.87		773.57
अंश पूंजी जमाराशि		427.55		121.37
प्रदत्त लाभांश एवं लाभांश कर		-88.20		-100.00
उधारों पर प्राप्तियां (निवल)		-660.63		1290.58
ब्याज एवं वित्तीय प्रभार		-566.69		-715.08
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह (ग)		**72.90**		**1370.44**
नकद एवं नकद समतुल्यों में निवल (वृद्धि)/कमी (क+ ख+ग)		**-427.99**		**60.69**
वर्ष के आरंभ में नकद एवं नकद समतुल्य		602.36		541.67
वर्ष के अंत में नकद एवं नकद समतुल्य		174.37		602.36

नकद प्रवाह विवरण की स्पष्टीकरण टिप्पणियां

1. नकद एवं नकद समतुल्यों में विद्यमान नकद तथा विद्यमान चैकों/ड्राफ्टों सहित बैंक शेष शामिल हैं।
2. ऋणों के निर्वहन एवं उन पर अर्जित ब्याज के लिए आवंटित बांड जो कोर उत्पादन गतिविधि से संबद्ध हैं, को प्रचालन गतिविधियों से नकद का भाग माना गया है।
3. नियत आस्तियों एवं चालू निर्माण कार्यों में निवेश में 284.96 करोड़ रूपए का पूंजीकृत ब्याज एवं वित्तीय प्रभार शामिल नहीं है।
4. विगत वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहबद्ध/पुनः व्यवस्थित/पुनः तैयार किया गया है।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते बत्रा सप्रा एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

संदीप मानकतला
भागीदार

विजय गुप्ता
सचिव

एस.के. गर्ग
निदेशक (वित्त)

योगेन्द्र प्रसाद
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

सदस्यता संख्या 91408

स्थान : फरीदाबाद
दिनांक : 10 जून,2004

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 के अनुसरण में सहायक कंपनी से संबंधित विवरण

1.	कंपनी का नाम एवं पता	नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचडीसी), एनएचडीसी, ब्लॉक, 2-5वां तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स कालोनी, भोपाल (मध्य प्रदेश)
2.	सहायक कंपनी के वित्तीय वर्ष का समापन	31.03.2004
3.	नैशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड और इसके नामितों द्वारा उपरोक्त तारीख को धारित सहायक कंपनी का अंश	
	(क) शेयरों की संख्या और अंकित मूल्य	1000/- रूपए प्रत्येक के पूर्णतः प्रदत्त 83,40,000 इक्विटी शेयर
	(ख) धारण का विस्तार	जारी किए गए 1,63,23,529 शेयरों में से 83,40,000 शेयर नैशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा धारित हैं।
4.	सहायक कंपनी की निवल सकल लाभ/(हानि) राशि, जहां तक इसका संबंध नैशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों से है तथा इसे एनएचपीसी लिमिटेड के लेखे में नहीं दर्शाया गया है।	
	(i) सहायक कंपनी के लिए मार्च, 2004 को समाप्त वित्तीय वर्ष	(क) तुलन-पत्र में अग्रेनीत 9.66 करोड़ रुपए का 51 प्रतिशत अर्थात 4.93 करोड़ रुपए लाभ के रूप में (ख) 1.22 करोड़ रुपए का लाभांश जो 2.40 करोड़ रुपए की अनुशंसित लाभांश राशि का 51 प्रतिशत है।
	(ii) सहायक कंपनी के पिछले वित्तीय वर्षों के लिए, जब से यह सहायक कंपनी बनी है।	शून्य
5.	सहायक कंपनी की निवल सकल लाभ/ (हानि) राशि, जहां तक इसका संबंध नैशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों से है तथा इसे एनएचपीसी लिमिटेड के लेखे में नहीं दर्शाया गया हो। (i) सहायक कंपनी के लिए मार्च, 2004 को समाप्त वित्तीय वर्ष (ii) सहायक कंपनी के पिछले वित्तीय वर्षों के लिए, जब से यह सहायक कंपनी बनी है।	शून्य
6.	सहायक कंपनी और नैशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय वर्षों की समाप्ति के बीच सहायक कंपनी में नैशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के हिस्से में परिवर्तन	शून्य
7.	अपनी देयताओं को पूरा करने के प्रयोजन को छोड़कर अन्य प्रयोजन के लिए सहायक कंपनी की नियत परिसंपत्तियों, निवेशों, ऋण देने और लेने के लिए सहायक कंपनी और नैशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बीच वास्तविक परिवर्तन	शून्य

निदेशक मंडल के लिए तथा की ओर से

विजय गुप्ता	**एस. के. गर्ग**	**योगेन्द्र प्रसाद**
कंपनी सचिव	निदेशक(वित्त)	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

अनुबंध-V

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. के दिनांक 31 मार्च, 2004 को समाप्त वर्ष के लेखों पर कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

	टिप्पणिया		प्रबंधन के उत्तर
क	**लाभ व हानि लेखा :** **कर पश्चात लाभ 621.38 करोड़ रूपए** उपरोक्त 5.25 करोड़ रूपए का निम्नलिखित लेखों में अति विवरण किया गया है ।	**(करोड़ रूपए)**	
(i)	चमेरा परियोजना (चरण-।।) में टनल पर 2.57 प्रतिशत के स्थान पर 1.8 प्रतिशत दर अपनाने से मूल्यह्रास के अल्प प्रावधान ।	2.59	नोट कर लिया गया है : आवश्यक कार्रवाई की जा चुकी है ।
(ii)	चमेरा परियोजना (चरण-।।) के निर्माण व संचालन एवं रख रखाव अवधि के दौरान शुल्क का अविभाजन न किये जाने के कारण सरकारी प्रतिपूर्ति शुल्क की राशि का पूंजीकरण	1.18	
(iii)	1990 में ट्रांजिट के दौरान गैस इन्सुलेटिड इकिवपमैंट की क्षति के लिए बीमा दावे के संबंध में प्रावधान न किया जाना	1.48	मैसर्स नैशनल इंशोरस कंपनी लि. द्वारा दावे की प्रक्रिया अभी विचारार्थ है । हमारे विचार से इस चरण में प्रावधान अपेक्षित नहीं है
ख	**लेखों पर टिप्पणियां (अनुसूची-20)**		
(i)	**टिप्पणी सं. 1 (क)** **आकस्मिक देयताएं** **कंपनी के नामे 992.88 करोड़ रूपए के दावे जो ऋण के रूप में अभिस्वीकृत नहीं किए गये।** उपरोक्त में 4.31 करोड़ रूपए शामिल नहीं है जो धौलीगंगा परियोजना में अतिरिक्त अभिवृद्धि के कारण दो ठेकेदारों द्वारा दावाकृत किए गये ।		नोट किया।
(ii)	**टिप्पणी सं. 9 (क)** ऋण और पेशगियों (अनुसूची-9) में वर्ष 1993-94 से 1995-96 के दौरान ब्याज के रूप में 10.44 करोड़ रूपए शामिल हैं जो पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (पीजीसीआईएल) द्वारा दावाकृत किए गये। उसे पीजीसीआईएल ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है। यह पाया गया है कि पीजीसीआईएल ने ट्रांसमिशन प्रभारों के कारण कंपनी से 6.32 करोड़ रूपए का भी दावा किया		दोनों कंपनियां वर्ष 2004-05 के दौरान मामले की समीक्षा करने पर सहमत हो गई हैं । तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जायेगी ।

है। कंपनी ने तो उन पर देयताएं प्रदान की हैं और ना ही उनका लेखों में तथ्यों का उल्लेख किया है।

यद्यपि दोनों कंपनी अगले वर्ष समाशोधन करने के लिए मामले की समीक्षा करने पर सहमत हो गई हैं

(iii) **टिप्पणी सं. 18**

दिनांक 10.6.2003 से अधिनियमन और विद्युत अधिनियम 2003 के लागू होने के परिणामस्वरूप तीन पुराने विद्युत कानून यानी विद्युत अधिनियम 1910 विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 और विद्युत नियामक आयोग अधिनियम 1998 रद्द हो गये हैं । विद्युत अधिनियम 2003 में उत्पादन करने वाली कंपनियों द्वारा अपने वार्षिक लेखों को तैयार करने के लिए मूल्यह्रास दरों का अनुपालन करने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है । केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा टैरिफ निर्धारण उद्देश्य के लिए मार्च, 2001 में अधिसूचित की गई दरों को कंपनी 31 मार्च,2004 को समाप्त वर्ष के लिए तैयार किए जाने वाले लेखों में मूल्यह्रास दरों का निरंतर अनुसरण कर रही है । लेखा बहियों में मूल्यह्रास की प्रभावित दरों को लागू किए जाने के संबंध में मामले को भारत सरकार के पास विचारार्थ भेज दिया गया है ।	नोट किया।

निदेशक मण्डल के लिए तथा की ओर से

ह/-	ह/-
(रेवती बेदी)	**(योगेन्द्र प्रसाद)**
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा व पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-III	**अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक**
Place : नई दिल्ली	**स्थान : फरीदाबाद**
तारीख : 23 अगस्त,2004	**तारीख : 25.08.2004**

अनुबंध-VI

31 मार्च, 2004 को समाप्त वर्ष के लिए नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. फरीदाबाद, के लेखों की भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक द्वारा समीक्षा

नोट : लेखों की इस समीक्षा को सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में दी गई अहर्यताओं और कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखे बिना तैयार किया गया है।

1. वित्तीय स्थिति

नीचे दी गई तालिका में पिछले तीन वर्षों की वित्तीय स्थिति का सार मुख्य शीर्षकों के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।

(करोड़ रूपए)

		2001-2002	2002-2003	2003-2004
	देयताएं			
क)	प्रदत्त पूंजी			
	i) सरकारी (इक्विटी में समंजन योग्य सरकारी निधि सहित)	6345.70	7240.61	8629.03
	ii) अन्य	–	–	–
ख)	आरक्षित व अधिशेष			
	i) स्वतंत्र आरक्षित व अधिशेष	2598.40	2852.40	3338.40
	ii) शेयर प्रीमियम खाता	–	–	–
	iii) आरक्षित पूंजी	0.10	0.06	0.06
	iv) आकस्मिकताओं के लिए स्वः बीमा	–	213.24	255.81
ग)	उधार			
	i) भारत सरकार से	28.70	–	–
	ii) चालू देयताएं और प्रावधान	2849.30	3373.58	3143.19
	iii) विदेशी मुद्रा ऋण	2113.60	2315.69	2606.43
	iv) नकद उधार/अल्प अवधि ऋण	656.30	634.12	42.16
	v) अन्य	569.30	1184.30	1056.00
	vi) उपचित और देय ब्याज	–	0.07	–
घ)	i)चालू देयताएं और प्रावधान	640.80	674.16	1130.54
	ii) ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	91.60	124.27	155.94
च)	आस्थगित कर देयताएं	1132.90	1293.42	1379.16
छ)	अग्रिम रूप में प्राप्त आय			
	i) मूल्यह्रास के बदले पेशगी	648.40	801.06	939.40
	कुल	**17675.10**	**20706.98**	**22676.12**
	परिसंपत्तियां			
ज)	सकल ब्लॉक	8113.50	8280.95	10342.71
झ)	घटाएं : संचयी मूल्यह्रास	1526.70	1672.19	1882.95
ट)	शुद्ध ब्लॉक	6586.80	6608.76	8459.76
ठ)	निर्माण भंडार व पेशगियों सहित चालू पूंजीगत कार्य व पेशगियां	5743.80	7699.74	7781.38
ड)	निवेश	1927.20	2415.66	3660.87
ढ)	चालू परिसंपत्तियां, ऋण व पेशगियां	2282.40	2688.20	1394.24
त)	आस्थगित कर परिसंपत्तियां	1132.90	1293.42	1379.16
थ)	बट्टे खाते न डाला गया विविध खर्च	2.00	1.20	0.71
	कुल	**17675.10**	**20706.98**	**22676.12**
ध)	कार्यकारी पूंजी {ट-घ(i)-ग(vi)}	1641.60	2013.97	263.70
न)	नियोजित पूंजी (ट+ध)	8228.40	8622.73	8723.46
प)	नियत मूल्य {क+ख(i)+ख(ii)-थ	8942.10	10091.81	11966.72
फ)	प्रदत्त पूंजी का प्रति रुपए निवल मूल्य (रुपए में)	1.41	1.39	1.39

2. निधियों के स्रोत और उपयोग

वर्ष के दौरान 4183.97 करोड़ रुपए की निधियां आंतरिक और बाह्य स्रोतों से एकत्र की गईं और उनका नीचे दिए अनुसार उपयोग किया गया :

निधियों के स्रोत **(करोड़ रुपए में)**

		2003-2004
	संचालन से प्राप्त निधियाँ	
क)	वर्ष के लिए लाभ	621.38
	जोड़ें : वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	210.76
	जोड़ें : बट्टे खाते डाला गया विविध खर्च	0.49
	जोड़ें : स्व बीमा रिजर्व में वृद्धि	42.57
	कुल (क)	875.20
ख)	प्रदत्त पूंजी में वृद्धि	1388.42
ग)	ग्रेच्यूटी के लिए प्रावधान में वृद्धि	31.67
घ)	मूल्यह्रास के बदले पेशगी में वृद्धि	138.34
च)	कार्यकारी पूंजी में कमी	1750.34
	कुल	**4183.97**

निधियों का उपयोग

क)	स्थिर परिसंपत्तियों में वृद्धि	2061.76
ख)	उधार ली गई निधि में कमी	659.98
ग)	निर्माण भंडार व पेशगियों सहित चालू पूंजीगत कार्य में वृद्धि	81.64
घ)	प्रदत्त लाभांश (प्रस्तावित लाभांश सहित)	135.38
छ)	निवेश में वृद्धि	1245.21
	कुल	**4183.97**

3. कार्यकारी परिणाम

31 मार्च, 2004 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के कंपनी के कार्यकारी, परिणाम नीचे दिए गए हैं :

(करोड़ रुपए में)

		2001-2002	2002-2003	2003-2004
i)	बिक्री	1221.00	1172.23	1276.09
iv)	अन्य या विविध आय	334.40	302.96	551.69
v)	कर पूर्व लाभ व पूर्व अवधि समायोजन	519.60	561.29	641.30
vi)	पूर्व अवधि समायेाजन	-6.50	-6.29	2.18
vii)	कर पूर्व लाभ	513.10	555.00	643.48
viii)	कर के लिए प्रावधान	42.20	44.50	22.10
ix)	कर के बाद लाभ	470.90	510.50	621.38
x)	प्रस्तावित लाभांश (लाभांश कर एवं आवधिक लाभांश सहित)	50.00	78.20	135.38

4. अनुपात विश्लेषण

31 मार्च, 2004 को समाप्त पिछले तीन वर्षों की समाप्ति पर कंपनी की वित्तीय स्थिति और कार्य प्रणाली के बारे में कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय अनुपात नीचे दिए गए हैं :

(प्रतिशत में)

		2001-2002	2002-2003	2003-2004
क)	लिक्विडिटी अनुपात			
	चालू अनुपात (चालू देयताओं व प्रावधान के लिए चालू परिसंपत्तियों और उपचित एवं देय ब्याज लेकिन ग्रेच्यूटी के लिए प्रावधान को छोड़कर) {ट/घ(i)+ग(vi)}	3.56	3.99	1.23
ख)	निवल मूल्य के लिए दीर्घ अवधि डेबिट {ग(i से v तक लेकिन अल्प अवधि ऋणों को छोड़कर) / प}	0.62	0.68	0.57
ग)	लाभ अनुपात निम्न के लिए लाभ (कर पूर्व)			
	(i) नियोजित पूंजी	6.24	6.44	7.38
	(ii) निवल मूल्य	5.74	5.50	5.38
	(iii) बिक्री	42.02	47.34	50.43
	(iv) इक्विटी	8.09	7.67	7.46
घ)	प्रति शेयर अर्जन (रुपए में)	80.86	76.65	74.57

5. वस्तुसूची स्तर

31 मार्च, 2004 को समाप्त पिछले तीन वर्षों की समाप्ति पर वस्तुसूची स्तर नीचे दिए अनुसार हैं :

(रुपए करोड़ में)

	2001-2002	2002-2003	2003-2004
भंडार, पुर्जे एवं लूज टूल्स	83.70	64.06	53.79

6. विविध देनदार

31 मार्च, 2004 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के विविध देनदार और बिक्री संबंधी ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं :

(रुपए करोड़ में)

विविध देनदार 31 मार्च को	कंसीडर्ड गुड	कंसीडर्ड संदेहजनक	बिक्री कुल	(उत्पाद शुल्क सहित)	प्रतिशत में बिक्री के विविध देनदार
2002	1271.50	77.50	1349.00	1221.00	110.48
2003	1493.82	75.98	1569.80	1172.23	133.91
2004	498.96	84.75	583.71	1276.09	45.74

वर्ष 2003–2004 की समाप्ति पर विविध देनदारों का अवधि के अनुसार विवरण नीचे दिए अनुसार है :

	राशि (रुपए करोड़ में) 2003-04
एक वर्ष से कम के लिए बकाया देनदार	327.50
1-2 वर्ष के लिए	96.54
2 वर्ष से 3 वर्ष के लिए	34.32
3 वर्ष और उससे अधिक के लिए	125.35
कुल	**583.71**

ह/-
(रेवती बेदी)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
व पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा
बोर्ड-III, नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 23 अगस्त, 2004

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों के लिए लेखापरीक्षक की समेकित रिपोर्ट

लेखापरीक्षक की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर

हमने 31.03.2004 की स्थिति के अनुसार नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड तथा उसकी सहायक कंपनी के संलग्न समेकित तुलन पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के संलग्न लाभ एवं हानि लेखों और कंपनी के नकद प्रवाह विवरण की लेखापरीक्षा की है, सम्मिलित किया गया है। ये वित्तीय विवरण कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय प्रकट करने की है।

हमने भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है, जिसमें यह आवश्यक होता है कि हम एक अभिज्ञान रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार वित्तीय विवरणों के सभी प्रकार से तथ्यात्मक रूप से सही होने तथा तथ्यात्मक रूप से गलत कथनों से मुक्त होने के बारे में समुचित आश्वासन लेने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में धनराशि और प्रकटनों की पुष्टि करने वाले प्रमाण की, परीक्षण आधार पर, जांच करना, प्रयुक्त लेखागत सिद्धांतों और प्रबंधकों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का मूल्यांकन करना तथा साथ ही समग्र वित्तीय विवरण के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करती है।

हमने सहायक कंपनी एनएचडीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है। उक्त सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई हैं जिनकी रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराई गई है तथा हमारी राय में, जहां तक वह, सहायक कंपनी के संबंध में शामिल राशियों से संबंधित है, पूर्णतया लेखापरीक्षा की रिपोर्टों पर आधारित है।

हम सूचित करते है कि कंपनी द्वारा समेकित वित्तीय विवरण आईसीएआई द्वारा जारी लेखाकरण मानक-21-समेकित वित्तीय विवरण की अपेक्षाओं के अनुसार तथा उक्त समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल एनएचपीसी लिमिटेड तथा इसकी सहायक कंपनी के पृथक लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर तैयार किए गए हैं जो निम्न के अध्यधीन हैं।

विषय से :

i) ***वर्ष 1980 से चल रहे पूंजीगत कार्य में शामिल कोयल कारो परियोजना के लिए 73.14 करोड़ रूपए को बट्टे खाते में नहीं डाला गया है और न ही इसके लिए प्रावधान किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, इस सीमा तक लाभ को बढ़ाकर दिखाया गया है।***

तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर तथा एनएचपीसी तथा इसकी सहायक कंपनी के व्यष्टि वित्तीय विवरणों पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्टो पर विचार करने के बाद हमारी राय में समेकित वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के समनुरूप निम्न के बारे में एक सही एवं उचित चित्र प्रस्तुत करते है।

(i) समेकित तुलन पत्र के मामले में एनएचपीसी लिमिटेड तथा इसकी सहायक कंपनी के 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार समेकित कार्यकलाप स्थिति के बारे में।

(ii) समेकित लाभ एवं हानि लेखा के मामले में उस समय समाप्त वर्ष के लिए एनएचपीसी लिमिटेड एवं इसकी सहायक कंपनी के प्रचालनों के समेकित परिणामों के बारे में।

तथा

(iii) समेकित नकद प्रवाह विवरण के मामले में उस समय समाप्त वर्ष के लिए एनएचपीसी लिमिटेड एवं इसकी सहायक कंपनी के समेकित नकद प्रवाह के बारे में।

कृते बत्रा सपरा एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंटस

संदीप मानकतला
भागीदार
सदस्यता संख्या: 91408

स्थान : कारपोरेट कार्यालय, फरीदाबाद
दिनांक : 10 जून, 2004

परियोजना पर किया गया खर्च इस समय बटटे खाते नहीं डाला जा सकता क्योंकि परियोजना के लिए अनुमोदन की प्रक्रिया अभी जारी है।

31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र

(करोड़ रुपए)

	अनुसूची	31 मार्च, 2004			31 मार्च, 2003		
निधियों के स्रोत							
क. अंशधारकों की निधि							
i) हिस्सा पूंजी	1		7,775.63			6,693.39	
ii) हिस्सा पूंजी जमाराशि			427.55			121.37	
iii) इक्विटी में समंजनीय भारत सरकार की निधि			425.85			425.85	
iv) आरक्षित एवं अतिशेष	2		3,629.10	12,258.13		3,061.56	10,302.17
ख. ऋण निधियां							
i) आरक्षित ऋण	3		4,921.35			4,677.07	
ii) अनारक्षित ऋण	4		3,356.43	8,277.78		3,285.59	7,962.66
ग. मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम के कारण अग्रिम प्राप्त आय				939.40			801.06
घ. आकस्मिकताओं के लिए स्वबीमा				257.62			213.24
ड. आस्थगित कर							
शुद्ध आस्थगित कर देयताएं			1,385.13			1,293.42	–
घटाएं: वसूलनीय आस्थगित कर			1,385.13	–		1,293.42	–
च. अल्पाशं ब्याज				1,100.01			869.03
जोड़				**22,832.94**			**20,148.16**
निधियों का अनुप्रयोग							
क. नियत पूंजी व्यय							
i) नियत परिसम्पत्तियां							
क) सकल ब्लॉक		12,058.21			8,305.70		
घटाएं : मूल्यह्रास		1,899.05			1,678.09		
ख. शुद्ध ब्लॉक			10,159.16			6627.61	
ii) चालू पूंजीगत कार्य	6		8,296.34			8,899.82	
iii) निर्माण भंडार एवं अग्रिम	7		989.74	19,445.24		852.64	16,380.07
ख. निवेश	8			2,771.61			1,725.66
ग. चालू आस्तियां, ऋण एवं अग्रिम	9						
i) निवेश पर उपार्जित ब्याज		335.08			122.22		
ii) मालसूची		53.79			64.06		
iii) चालू संविदा कार्य		26.58			10.48		
iv) विविध देनदार		504.02			1,493.82		
v) नकद एवं बैंक शेष		833.20			804.65		
vi) अन्य चालू परिसम्पत्तयां		82.99			83.31		
vii) एवं अग्रिम		247.21	2,082.87		319.66	2,898.20	
घटाएं : चालू देयताएं व प्रावधान	10						
i) देयताएं		1,041.51			428.88		
ii) प्रावधान		423.58			417.11		
iii) देयताएं विकास अधिभार (न्यास में धारित)		4.25	1,469.34		13.03	859.02	
शुद्ध चालू परिसम्पत्तियां				613.53			2,039.18
घ. विविध व्यय (बटटे खाते में डाला गया या समायोजित न किया गया)	11			2.56			3.25
जोड़				**22,832.94**			**20,148.16**
लेखों पर टिप्पणियां	19						

अनुसूची 1 से 19 तक लेखों का अभिन्न अंग हैं।

हमारी संलग्न की गई इसी तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते **बत्रा सप्रा एण्ड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

निदेशक मंडल के लिए तथा की ओर से

(संदीप मानकतला)
भागीदार
सदस्यता संख्या 91408

विजय गुप्ता
सचिव

एस.के. गर्ग
निदेशक (वित्त)

योगेन्द्र प्रसाद
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

स्थान : फरीदाबाद
दिनांक : 10, जून, 2004

31 मार्च, 2004 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ व हानि लेखा

(करोड़ रुपए)

	अनुसूची		31 मार्च, 2004			31 मार्च, 2003	
आय							
i) बिक्री			1,441.76			1,324.86	
घटाएं : मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम			138.34	1,303.42		152.63	1,172.23
ii) संविदाएं व परामर्श	12			36.43			50.02
iii) बांड पर आय				367.18			118.08
iii) अन्य आय	13			133.28			130.90
कुल आय				1,840.31			1,471.23
व्यय							
i) उत्पादन, प्रशासन व अन्य व्यय	14			176.18			124.44
ii) कर्मचारियों को पारिश्रमिक व लाभ	15			153.44			160.08
iii) मूल्यह्रास				212.59			140.36
घटाएं : पूंजीगत आरक्षित राशि से अंतरण				0.65			–
iv) ब्याज व वित्त प्रभार	16			353.65			377.91
v) संविदा एवं परामर्श व्यय	17			26.75			30.99
vi) लाभानुभोगी राज्यों को प्रोत्साहन				278.58			80.12
vii) पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध)	18			(2.14)			6.29
कुल व्यय				1,198.40			920.19
लाभ (कर-पूर्व)				**641.91**			**551.04**
कराधान के लिए प्रावधान							
i) चालू कर			23.28			43.74	
ii) पिछले वर्षों से संबंधित समायोजन			–			0.76	
iii) आस्थगित कर		91.70			160.57		
घटाएं : आस्थगित कर वसूली योग्य समायोजन		91.70	–	23.28	160.57	–	44.50
कर के पश्चात लाभ				**618.63**			**506.54**
अल्पांश हित				4.74			–
अल्पांश हित के पश्चात लाभ				**613.89**			
पिछले लेखों से आगे लाया गया शेष				1,257.40			829.23
निपटान योग्य लाभ				1,871.29			1,335.77
विनियोजन -							
i) अंतरिम लाभांश				60.00			50.00
ii) प्रस्तावित अंतिम लाभांश				61.18			25.00
iii) कारपोरेट लाभांश कर				15.69			3.20
तुलन-पत्र में आगे ले जाया गया शेष				1,734.42			1,257.40
				1,871.29			1,335.60
लेखों पर टिप्पणियां	19						

अनुसूची 1 से 19 लेखों का अभिन्न अंग हैं।

हमारी संलग्न की गई इसी तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते **बत्रा सप्रा एण्ड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

निदेशक मंडल के लिए तथा की ओर से

(संदीप मानकतला)	**विजय गुप्ता**	**एस.के. गर्ग**	**योगेन्द्र प्रसाद**
भागीदार	सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
सदस्यता संख्या 91408			

स्थान : फरीदाबाद
दिनांक : 10, जून, 2004

अनुसूची-1 शेयर पूंजी

(करोड़ रुपए)

	31 मार्च, 2004	31 मार्च, 2003
क. प्राधिकृत		
1000/-रूपए प्रत्येक के 150,000,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 100,000,000)	15,000.00	10,000.00
ख. निर्गमित, अभिदत्त व प्रदत्त		
1000/-रूपए प्रत्येक पूर्णतः प्रदत्त 77,756,297 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 66,933,897) (भारत सरकार के साथ हुए करार के अनुसरण में इनमें से 6,29,529 शेयर ठेकों के नकद से अन्यथा प्रतिफल के लिए आवंटित कर दिए गए हैं और एक शेयर का आवंटन आंशिक प्रतिफल के लिए किया गया है)	7,775.63	6,693.39
जोड़	7,775.63	6,693.39

अनुसूची-2 आरक्षित व अधिशेष

(करोड़ रुपए)

	31 मार्च, 2003	वर्धन	कटौती	31 मार्च, 2004
क. आरक्षित पूंजी (नियत परिसंपत्तियों की बिक्री)	218.70	91.23	0.65	309.28
ख. बांण्ड रिडम्पशन रिजर्व निधि	265.40	–	–	265.40
ग. सामान्य रिजर्व निधि	1,320.00	–	–	1,320.00
	1,804.10	91.23	0.65	1,894.68
घ. लाभ व हानि लेखा के अनुसार	1,257.40	613.89	136.87	1,734.42
जोड़	3,061.50	705.12	137.52	3,629.10

अनुसूची-3 ऋण निधियां आरक्षित

(करोड़ रुपए)

	31 मार्च, 2004		31 मार्च, 2003	
दीर्घकालीन ऋण				
(क) बांड (अपरिवर्तनीय एवं असंचयी)				
i) बांड- 'एल' सीरिज * 2 (टिप्पणी ग) (प्राइवेट प्लेसमेंट) 31.03.2004 को सममूल्य पर प्रतिदेय 1000/-रूपए प्रत्येक के 16% 7 वर्षीय बांड	–		63.30	
ii) 31.03.2004 को सममूल्य पर प्रतिदेय 1000/-रूपए प्रत्येक के 10.5% (कर-मुक्त) 7 वर्षीय बांड	–	–	51.00	114.30
iii) बांड - "एम" सीरीज *5 (प्राइवेट प्लेसमेंट) 07.01.2007 को सममूल्य पर प्रतिदेय 100000/- रूपए प्रत्येक के 9.55% 5 वर्षीय बांड (एक वर्ष में प्रतिदेय के लिए देय शून्य करोड़ रूपए)	430.00		430.00	
iv) बांड - "एन" सीरिज *8 1,00,00,000/-रूपए प्रत्येक के 6.50% 32 माह के बांड, जो 15.11.2003 से 6 महीनों में 5 समान किस्तों में सममूल्य पर प्रतिदेय हैं। (एक वर्ष के भीतर प्रतिदेय के लिए देय 28 करोड़ रूपए)	56.00		70.00	
v) बांड - "ओ" सीरिज *2 10 अलग-अलग हस्तांतरणीय प्रतिदेय मूल हिस्सों वाले प्रतिदेय 10,00,00,000/-रूपए प्रत्येक के 7.7% , पर 15 वर्षीय बांड तथा प्रत्येक अलग-अलग हस्तांतरणीय प्रतिदेय मूल हिस्सा जिसमें बांड के अंकित मूल्य का 1/10वां मूल्य शामिल है। शीघ्रतम प्रतिदेय 31.3.2009 को। (एक वर्ष में प्रतिदेय के लिए देय शून्य रूपए)	570.00		570.00	
vi) उपचित ब्याज एवं देय	–	1,056.00	0.07	1,070.07
(ख) सावधिक ऋण				
i) बैंक ऑफ इंडिया *1 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य करोड़ रूपए) (28.03.2007 से आगे 8 समान तिमाही किस्तों में प्रतिदेय)	50.00		50.00	
ii) बैंक ऑफ महाराष्ट्र *1 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य करोड़ रूपए) (02.11.2007 से आगे 5 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	50.00		50.00	
iii) केनरा बैंक *1 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 20 करोड़ रूपए) (27.03.2004 से आगे 5 समान वार्षिक किस्तों में अदायगी की जा रही है)	80.00		100.00	
iv) केनरा बैंक *1 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य करोड़ रूपए) (26.09.2006 से आगे 3 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	100.00		100.00	
v) इंडियन ओवरसीज़ बैंक *1 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य करोड़ रूपए) (06.12.2008 से आगे 4 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	50.00		50.00	
vi) इंडियन बैंक *1 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य करोड़ रूपए) (19.12.2005 को प्रतिदेय)	100.00		100.00	
vii) भारतीय जीवन बीमा निगम *1 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 100 करोड़ रूपए) (15.2.2005 को प्रतिदेय)	100.00		100.00	
viii) भारतीय जीवन बीमा निगम *1 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 150 करोड़ रूपए) (15.3.2005 को प्रतिदेय)	150.00		150.00	
ix) भारतीय जीवन बीमा निगम *1 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य करोड़ रूपए) (15.09.2005 को प्रतिदेय)	150.00		150.00	

अनुसूची-3 ऋण निधियां आरक्षित

(करोड़ रुपए)

	31 मार्च, 2004	31 मार्च, 2003
x) **पंजाब नेशनल बैंक *1** (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य करोड़ रूपए) (01.10.2008 को प्रतिदेय)	50.00	50.00
xi) **पंजाब नेशनल बैंक *1** (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य करोड़ रूपए) (31.12.2008 को प्रतिदेय)	50.00	50.00
xii) **स्टेट बैंक ऑफ पटियाला *1** (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य करोड़ रूपए) (09.01.2007 को प्रतिदेय)	40.00	40.00
xiii) **स्टेट बैंक ऑफ इंदौर *1** (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए प्रतिदेय 13.33 करोड़ रूपए) (22.12.2003 से आगे 3 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	26.67	40.00
xiv) **स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र *1** (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए प्रतिदेय शून्य करोड़ रूपए) (11.09.2006 से आगे 3 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	50.00	50.00
xv) **स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद *1** (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए प्रतिदेय 12 करोड़ रूपए) (20.07.2004 से आगे 5 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	60.00	60.00
xvi) **बैंक ऑफ महाराष्ट्र *2** (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 100 करोड़ रूपए) (02.02.2005 को प्रतिदेय)	100.00	100.00
xvii) **कारपोरेशन बैंक *2**	–	100.00
xviii) **केनरा बैंक *2** (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 21.43 करोड़ रूपए) (26.03.2000 से आगे 7 समान वार्षिक किस्तों में अदायगी की जा रही है)	42.86	64.29
xix) **केनरा बैंक *1(नोट ख)** (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए प्रतिदेय शून्य करोड़ रूपए) (31.01.2009 से आगे 5 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	85.00	–
xx) **सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया *2** (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 10 करोड़ रूपए) (30.07.2000 से आगे 5 समान वार्षिक किस्तों में अदायगी की जा रही है)	10.00	20.00
xxi) **हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड *2**	–	1.72
xxii) **आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड *2**	–	100.00
xxiii) **आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड *2** (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 50 करोड़ रूपए) (11.05.2002 से आगे 3 समान वार्षिक किस्तों में अदायगी की जा रही है)	50.00	100.00
xxiv) **आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड *2** (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 50 करोड़ रूपए) (28.07.2002 से आगे 3 समान वार्षिक किस्तों में अदायगी की जा रही है)	50.00	100.00
xxv) **इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया *2**	–	200.00
xxvi) **इंडियन ओवरसीज़ बैंक *2**	–	50.00
xxvii) **आरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स *2** (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 100 करोड़ रूपए) (27.09.2004 को प्रतिदेय)	100.00	100.00
xxviii) **स्टेट बैंक ऑफ इंडिया *2** (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य करोड़ रूपए) (28.06.2009 को प्रतिदेय)	400.00	400.00
xxix) **स्टेट बैंक ऑफ पटियाला *2** (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए प्रतिदेय 16.67 करोड़ रूपए) (03.02.2003 से आगे 3 समान वार्षिक किस्तों में अदायगी की जा रही है)	16.66	33.33
xxx) **बैंक ऑफ इंडिया *4** (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य करोड़ रूपए) (24.12.2006 से 10 वर्षों में 40 समान तिमाही किस्तों में प्रतिदेय)	100.00	81.00

अनुसूची-3 ऋण निधियां आरक्षित

(करोड़ रुपए)

		31 मार्च, 2004		31 मार्च, 2003	
xxxi)	**सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया *4** (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 10 करोड़ रूपए) (20 अर्धवार्षिक किस्तों में 5 करोड़ रूपए प्रतिदेय)	100.00		81.00	
xxxii)	**हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड *4** (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य करोड़ रूपए) (13.02.2007 से 14 समान अर्ध-वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	100.00		91.00	
xxxiii)	**पंजाब एण्ड सिंध बैंक *4** (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य करोड़ रूपए) (24.10.2006 से 10 वर्षों में 40 तिमाही किस्तों में प्रतिदेय)	100.00		70.00	
xxxiv)	**पंजाब नेशनल बैंक *4** (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 7.5 करोड़ रूपए) (24.10.2004 से 10 वर्षों में 20 अर्ध- वार्षिक किस्तों के रूप में पुनअर्दायगी की जानी है)	150.00		120.00	
xxxv)	**स्टेट बैंक ऑफ पटियाला *4** (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य करोड़ रूपए) (30.01.2007 से 14 अर्ध-वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	50.00		40.00	
xxxvi)	**स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद *4** (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य करोड़ रूपए) (07.01.2007 से 7 वर्षों में 14 अर्ध-वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	50.00		40.00	
xxxvii)	**स्टेट बैंक ऑफ इंडिया *4** ((एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य करोड़ रूपए) (18.09.2006 से 14 अर्ध-वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	150.00		120.00	
xxxviii)	**केनरा बैंक *6** (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य करोड़ रूपए) (28.06.2009 से आगे 4 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	50.00		50.00	
xxxix)	**भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड *7** (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य करोड़ रूपए) (15.04.2009 से 12 वर्षों में 24 अर्ध-वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	232.00		100.00	
xxxx)	**ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया *9** (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य करोड़ रूपए) (31.03.2008 से आगे 12 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	200.00		–	
xxxxi)	**जम्मू एंड कश्मीर बैंक *9** (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य करोड़ रूपए) (31.03.2008 से आगे 12 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	100.00		–	
xxxxii)	**बैंक ऑफ इंडिया *9** (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य करोड़ रूपए) (31.03.2008 से आगे 12 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	250.00		–	
xxxxiii)	**आन्ध्रा बैंक *9** (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य करोड़ रूपए) (31.03.2008 से आगे 12 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	100.00		–	
xxxxiv)	**केनरा बैंक *9** (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य करोड़ रूपए) (31.03.2008 से आगे 12 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	75.00		–	
xxxxv)	**देना बैंक *9** (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य करोड़ रूपए) (31.03.2008 से आगे 12 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	30.00		–	
xxxxvi)	**यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया *9** (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य करोड़ रूपए) (31.03.2008 से आगे 12 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	25.00		–	
xxxxvii)	**उपचित ब्याज और देय (सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया-चमेरा-II)**	–		0.09	
xxxxviii)	**बैंकों से कार्यकारी पूंजी मांग ऋण (अल्प अवधि) *3**	–		71.15	
xxxxix)	**बैंकों से नकद उधार (अल्प अवधि) *3**	42.16	3,865.35	119.12	3,492.70
	कुल आरक्षित ऋण		**4,921.35**		**4,677.07**

टिप्पणी (क) :-

*1) कारपोरेशन की हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित चमेरा पावर स्टेशन चरण-I के बही ऋण और भंडारों को छोड़कर अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले साम्यापूर्ण रेहन/बंधक रखकर समरूप प्रभार के माध्यम से आरक्षित।

*2) कारपोरेशन के जम्मू व कश्मीर राज्य में अवस्थित उड़ी पावर स्टेशन के बही ऋणों और भंडारों को छोड़कर अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले साम्यापूर्ण रेहन/बंधक रखकर समरूप प्रभार के माध्यम से आरक्षित।

*3) कंपनी के देनदारों तथा ओएण्डएम भंडारों के प्रति बंधक रखकर आरक्षित।

*4) कारपोरेशन की हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित चमेरा जल विद्युत परियोजना चरण-II की अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले साम्यापूर्ण रेहन/बंधक रखकर समरूप प्रभार के माध्यम से आरक्षित।

*5) कंपनी की सिक्किम राज्य में अवस्थित रंगित पावर स्टेशन की परिसंपत्तियों के बदले बैंककारों के पूर्व प्रभारों के अधीन बही ऋणों और भंडारों के बदले साम्यापूर्ण रेहन/बंधक रखकर समरूप प्रभार के माध्यम से आरक्षित।

*6) कंपनी के मणिपुर राज्य में अवस्थित लोकतक पावर स्टेशन की अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामायिक रेहन/बंधक रखकर अन्योन्य प्रभार के माध्यम से आरक्षित।

*7) कंपनी के हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित पार्बती जल विद्युत परियोजना चरण-II की अचल तथा चल परिसंपत्तियों के बदले साम्यापूर्ण रेहन/बंधक रखकर प्रथम प्रभार के माध्यम से आरक्षित।

*8) कंपनी के हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित बैरा स्यूल पावर स्टेशन की सभी अचल तथा चल परिसंपत्तियों पर प्रथम समरूप रेहन एवं प्रभार के माध्यम से आरक्षित।

*9) सभी यूनिटों के संचालन तक ऋणों पर ब्याज के सामयिक भुगतान के लिए इंदिरा सागर जल विद्युत परियोजना की सभी नियत परिसंपत्तियों पर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा तथा आगे धारक कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड की अवसूलनीय कारपोरेट गारंटी द्वारा आरक्षित।

टिप्पणी (ख) :-

85 करोड़ रूपए का ऋण केनरा बैंक से 26.03.2004 को लिया गया था। बंधक रखने के लिए प्रभार 21.04.2004 को सृजित किया गया। उसके लिए रेहन का सृजन प्रक्रियाधीन है।

टिप्पणी (ग) :-

114.3 करोड़ रूपए की राशि के 'एल' सीरीज़ (16% 7 वर्षीय) बांड 31.03.2004 को मोचित किए गए थे। 'एल' सीरीज़ के प्रभार प्रक्रियाधीन है।

अनुसूची-4 ऋण निधियां - अनारक्षित

(करोड़ रुपए)

	31 मार्च, 2004		31 मार्च, 2003	
क. दीर्घावधि ऋण				
i) इंडियन बैंक (एक वर्ष में पुनअर्दायगी के लिए देय शून्य रूपए) (28.2.2012 से 3 समान किस्तों में प्रतिदेय)	100.00	**100.00**	–	–
अन्यों से ऋण (भारत सरकार की गारंटी प्राप्त)				
i) वेस्ट एलबी (पहले वेस्ट मर्चेंट बैंक लिमिटेड) (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य करोड़ रूपए)				
ii) एबसेक (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 104.49 करोड़ रूपए)	208.97		326.69	
iii) नार्डिक निवेश बैंक (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 22.28 करोड़ रूपए)	155.95		192.17	
iv) क्रेडिट कमर्शियल डी फ्रांस (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 91.58 करोड़ रूपए)	595.26		655.14	
v) एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन (चमेरा-II) (एक वर्ष में पुनअर्दायगी के लिए देय 20.09 करोड़ रूपए)	471.48		380.88	
vi) जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोआपरेशन - (भूतपूर्व ओईसीएफ) ट्रांश-I (धौलीगंगा) (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य करोड़ रूपए)	210.32		198.38	
vii) जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोआपरेशन - (भूतपूर्व ओईसीएफ) ट्रांश-II (धौलीगंगा) (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य करोड़ रूपए)	671.54		499.86	
viii) ईसीबी-बारक्लेज़ एवं एससीबी (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य करोड़ रूपए)	226.18		–	
ix) ड्यूश बैंक एवं अन्य - तीस्ता-V	66.73		62.57	
x) मध्य प्रदेश सरकार (एनबीडीए) (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य करोड़ रूपए)	–	**2,606.43**	154.90	**2,470.59**
ख. अल्पावधि ऋण				
i) बैंक ऑफ महाराष्ट्र (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य करोड़ रूपए)	–		50.00	
ii) एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य करोड़ रूपए)	–		75.00	
iii) इंडियन बैंक (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य करोड़ रूपए)	–		50.00	
iv) आरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य करोड़ रूपए)	–		50.00	
v) स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य करोड़ रूपए)	–		40.00	
vi) स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य करोड़ रूपए)	–		50.00	
vii) यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य करोड़ रूपए)	–		100.00	
viii) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य करोड़ रूपए)	–		100.00	
ix) पंजाब नेशनल बैंक (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 50 करोड़ रूपए)	50.00		–	
x) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 600 करोड़ रूपए)	600.00	**650.00**	300.00	**815.00**
कुल आरक्षित ऋण		**3,356.43**		**3,285.59**

अनुसूची-5 स्थिर परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपए)

	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				शुद्ध ब्लॉक	
	1.4.2003	वर्धन/ समायोजन	कटौतियां/ समायोजन	31.3.04	1.4.2003 तक	वर्ष के लिए*	समायोजन**	31.3.04	31.3.2004	31.3.2003
i) फ्रीहोल्ड भूमि	165.83	27.94	21.47	172.30	–	–	–	–	172.30	165.83
ii) लीजहोल्ड भूमि	24.08	5.38	3.63	25.83	2.24	0.32	(0.63)	1.93	23.90	21.84
iii) अवर्गीकृत भूमि	33.77	42.08	–	75.85	–	6.12	0.63	6.75	69.10	33.77
iv) भवन	813.33	382.50	11.84	1,183.99	186.63	29.43	0.19	216.25	967.74	626.70
v) सड़कें व पुल	123.80	50.09	0.48	173.41	24.16	3.65	0.80	28.61	144.80	99.64
vi) अमूर्त परिसंम्पत्तियां (कम्प्यूटर साफ्टवेयर)	–	2.98	–	2.98	–	0.60	–	0.60	2.38	–
vii) निर्माण संयंत्र व मशीनरी	68.48	4.79	4.40	68.87	32.77	4.79	(3.27)	34.29	34.58	35.71
viii) उत्पादन संयंत्र व मशीनरी	2,003.51	928.71	–	2,932.22	482.34	62.80	(2.69)	542.45	2,389.77	1,521.17
ix) सब-स्टेशन उपस्कर	49.86	256.30	0.09	306.07	12.96	4.36	0.49	17.81	288.26	36.90
x) हाइड्रॉलिक कार्य (बांध, टनल आदि)	4,811.70	2,089.91	0.80	6,900.81	833.68	114.93	-	948.61	5,952.20	3,978.02
xi) वाहन	33.43	5.27	2.75	35.95	19.64	4.18	(2.26)	21.56	14.39	13.79
xii) फर्नीचर, फिक्सचर व उपस्कर	65.60	26.36	5.45	86.51	26.21	9.31	(1.52)	34.00	52.51	39.39
xiii) ट्रांसमिशन लाइनें	24.12	1.07	–	25.19	11.53	0.85	0.13	12.51	12.68	12.59
xiv) विविध परिसंपत्तियां/ उपस्कर	36.19	9.49	1.71	43.97	9.66	3.29	0.21	13.16	30.81	26.53
xv) अतिरिक्त घोषित निर्माण संयंत्र व मशीनरी	40.81	1.22	31.17	10.86	25.08	0.10	(18.05)	7.13	3.73	15.73
xvi) 5000/-रूपए तक की लघु कीमत वाली नियत परिसंपत्तियां	11.19	3.39	1.18	13.40	11.19	2.71	(0.51)	13.39	0.01	–
जोड़	**8,305.70**	**3,837.48**	**84.97**	**12,058.21**	**1,678.09**	**247.44**	**(26.48)**	**1,899.05**	**10,159.16**	**6,627.61**
पिछले वर्ष	8,117.79	213.28	25.37	8,305.70	1,527.77	165.66	(15.34)	1,678.09	6,627.61	6,590.02

*** वर्ष के लिए मूल्य ह्रास नीचे दिए अनुसार आवंटित किया गया है :-**

क) लाभ व हानि लेखा	212.59
ख) निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय	34.60
ग) संविदात्मक एवं परामर्शी व्यय	0.25
	247.44

**** 2.05 करोड़ रूपए के पूर्व अवधि समायोजन शामिल हैं।**

कारपोरेशन के स्वामित्वाधीन से भिन्न भूमि पर भूमिगत निर्माण कार्यो सहित परिसंम्पात्तियां 3350.97 करोड़ रूपए हैं (पिछले वर्ष 2549.02 करोड़ रूपए)

अनुसूची-6 चालू पूंजीगत कार्य

(करोड़ रुपए)

	1.4.2003	बढ़ोतरी	समायो-जन	पूंजीकृत	31.3.2004
i) सर्वेक्षण अन्वेषण तथा अन्य व्यय	64.68	104.05	6.69	1.20	160.84
ii) भवन व सिविल इंजीनियरिंग कार्य तथा संचार	512.95	161.85	3.29	221.17	450.34
iii) सड़कें और पुल	89.05	56.99	11.86	45.77	88.41
iv) हाइड्रोलिक कार्य, बैराज,बांध, टनल व पावर चैनल	3,263.84	800.89	420.63	1,199.16	2,444.94
v) रेलवे साइडिंग	0.15	2.41	–	–	2.56
vi) पेनस्टॉक	20.42	2.71	(8.92)	8.93	23.12
vii) उत्पादन केन्द्रों में संयंत्र व मशीन	1,256.05	584.60	(370.27)	884.45	1,326.47
viii) विद्युत संस्थापनाएं व सब-स्टेशन उपस्कर	9.76	1.53	0.03	10.17	1.09
ix) विविध परिसंपत्तियां	0.71	3.49	0.01	1.37	2.82
x) ट्रंक ट्रांसमिशन लाइनें	15.76	1.85	0.10	0.68	16.83
xi) पुनर्वास व्यय	410.30	684.17	–	567.25	527.22
xii) निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय (अनुसूची-6 का अनुबंध)	3,256.15	747.67	1.76	750.36	3,251.70
कुल	**8,899.82**	**3,152.21**	**65.18**	**3,690.51**	**8,296.34**
पिछले वर्ष	6,225.92	2,789.37	35.00	80.47	8,899.82

अनुसूची-6 का अनुबंध निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय

(करोड़ रुपए)

	31 मार्च, 2004		31 मार्च, 2003	
क. कर्मचारियों के पारिश्रमिक तथा लाभ				
i) वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ	211.63		197.20	
ii) उपदान तथा भविष्य निधि में योगदान (प्रशासन शुल्क सहित)	35.03		39.20	
iii) कर्मचारी कल्याण व्यय	28.24		25.13	
iv) अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान	3.52	278.42	1.60	263.13
ख. मरम्मत तथा अनुरक्षण				
i) भवन	4.35		3.92	
ii) मशीनरी तथा निर्माण उपस्कर	2.34		1.83	
iii) अन्य	18.02	24.71	11.05	16.80
ग. प्रशासन एवं अन्य व्यय				
i) किराया	13.27		10.36	
ii) दरें एवं कर	0.43		0.72	
iii) विद्युत प्रभार	12.48		8.73	
iv) बीमा	2.37		2.57	
v) यात्रा एवं वाहन	11.26		9.40	
vi) स्टाफ कारों तथा निरीक्षण वाहनों पर व्यय	12.77		10.09	
vii) टेलीफोन, टेलेक्स एवं डाक टिकटें	4.73		2.83	
viii) विज्ञापन एवं प्रचार	6.40		3.78	
ix) विदेशी परामर्शी प्रभार	3.22		0.62	
x) डिजाइन एवं परामर्शी प्रभार	2.74		4.90	
xi) प्रतिपूरक वानिकीकरण/जल ग्राहय क्षेत्र सुधार	8.41		4.25	
xii) मनोरंजन	0.87		0.27	
xiii) मुद्रण एवं लेखन सामग्री	3.49		3.27	
xiv) कारपोरेशन के स्वामित्वाधीन से भिन्न भूमि पर व्यय	22.56		11.86	
xv) भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास	0.69		0.69	
xvi) लेखापरीक्षकों को भुगतान	0.45		0.24	
xvii) सुरक्षा व्यय	17.51		12.87	
xviii) अन्य व्यय	11.58		10.93	
xix) सर्वेक्षण एवं जांच व्यय	0.05		–	
xx) बट्टे खाते डाली गई सामग्री/परिसंपत्तियों पर हानि	12.74	148.02	1.07	99.45
घ. ब्याज एवं वित्त प्रभार				
i) भारत सरकार ऋण पर ब्याज	–		1.04	
ii) बांडों पर ब्याज	36.37		10.89	
iii) विदेशी ऋण पर ब्याज	102.24		93.84	
iv) नकद ऋण सुविधाओं/सावधि ऋण पर ब्याज	142.28		120.79	
v) बांड निर्गम व्यय	4.64		1.79	
vi) वचनबद्धता शुल्क	1.89		2.35	
vii) विदेशी ऋण पर गारंटी शुल्क	21.57		15.62	
viii) अन्य वित्त प्रभार	16.13	325.12	76.53	322.85
ङ. विनिमय दर अंतर (शुद्ध)		6.11		32.27
च. मूल्यह्रास		34.60		25.08
छ. एनवीडीए अवधि के दौरान व्यय		16.22		242.68
ज. पूर्वावधि शुल्क (शुद्ध)				
i) **आय**	–		–	
घटाएं :-				
ii) **व्यय**				
(क) वेतन मजदूरी भत्ते तथा लाभ	0.44		0.53	
(ख) मरम्मत तथा अनुरक्षण	–		–	
(ग) अन्य	(0.48)		(1.39)	
(घ) मूल्यह्रास	3.71		(0.15)	
(ङ.) ब्याज	–	3.67	–	(1.01)
कुल व्यय		**836.87**		**1,001.25**
घटाएं :- प्राप्तियां तथा वसूलियां				
i) संयंत्र एवं मशीनरी के किराया प्रभार/उत्पादन	1.25		0.80	
ii) ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज	49.34		25.04	
iii) विविध प्राप्तियां तथा वसूलियां	7.98		8.37	
iv) परिसंम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ	0.23		1.92	
v) परीक्षण संचालन के दौरान विद्युत बिक्री	0.54		–	
vi) बीमा दावा	4.13		–	
vii) पुनरांकित किए गए अनापेक्षित प्रावधान/देयताएं	2.48		0.69	
कुल प्राप्तियां तथा वसूलियां		**65.95**		**36.82**
शुद्ध व्यय		**770.92**		**964.43**
घटाएं : निर्माण कार्य को सीधे आवंटित वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ		8.02		–
घटाएं : प्रचालनात्मक एवं अनुरक्षण परियोजनाओं तथा जमाराशि/टर्नकी संविदाओं को आवंटित कारपोरेट कार्यालय का अंश		15.23		14.15
चालू पूंजीगत कार्य को अंतरित राशि		**747.67**		**950.28**

अनुसूची-7 निर्माण भंडार एवं अग्रिम

(करोड़ रुपए)

	31 मार्च, 2004		31 मार्च, 2003	
क. निर्माण भंडार				
(प्रबंधन द्वारा यथा मूल्यांकित तथा प्रमाणित लागत पर)				
i) संवहन में निर्माण सामग्री	15.16		20.30	
ii) भंडार	162.75		78.69	98.99
घटाएं : प्रावधान	0.30	177.61		
ख. पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम				
i) आरक्षित (कंसीर्डड गुड)	75.05		231.73	
ii) अनारक्षित (कंसीर्डड गुड)				
- बैंक गारंटियों के अन्तर्गत शामिल	622.85		433.93	
- अन्य	114.23	812.13	87.99	753.65
जोड़		**989.74**		**852.64**

अनुसूची-8 निवेश

(करोड़ रुपए)

	31 मार्च, 2004	31 मार्च, 2003
दीर्घावधिक		
उद्धृत		
इंडियन ओवरसीज बैंक *$	0.36	0.36
(10/-रूपए प्रत्येक के पूर्णतः प्रदत्त 360,800 इक्विटी शेयर)		
(विगत वर्ष 10/-रूपए प्रत्येक के पूर्णतः प्रदत्त 360,388 इक्विटी शेयर)		
निवेश - अन्य (व्यापार भिन्न)		
पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	12.00	8.00
(10/-रूपए प्रत्येक के पूर्णतः प्रदत्त 12,000,000 इक्विटी शेयर)		
(विगत वर्ष 10/-रूपए प्रत्येक के पूर्णतः प्रदत्त 8,000,000 इक्विटी शेयर)		
एसईबी बांडों में निवेश$	2,531.04	1,717.30
अन्य		
दीर्घावधिक अग्रिम (दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड)	228.21	–
जोड़	**2,771.61**	**1,725.66**
टिप्पणी :-		
* उद्धृत निवेश		
बही मूल्य	0.36	0.36
बाजार मूल्य	2.03	0.60
$ डिमैट रूप में		

अनुसूची - 9 वर्तमान परिसंम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम

(करोड़ रुपए)

			31 मार्च, 2004				31 मार्च, 2003	
वर्तमान परिसंपत्तियां								
क. निवेश पर उपचित ब्याज				335.08				122.22
ख. वस्तुसूचियां								
(प्रबंधन द्वारा यथा ली गई,मूल्यांकित तथा प्रमाणित)								
i) भंडार तथा अतिरिक्त पुर्जे			53.42				64.24	
ii) खुले पुर्जे			0.41				0.13	
			53.83				64.37	
घटाए - प्रावधान				53.79			0.31	64.06
ग. चालू संविदागत कार्य			0.04	26.58				10.48
घ. विविध देनदार (अनारक्षित)								
i) छः माह से अधिक से लम्बित			338.68				1,165.55	
ii) अन्य ऋण			250.09				404.25	
			588.77				1,569.80	
घटाए - प्रावधान			84.75	504.02			75.98	1,493.82
विविध देनदारों (अनारक्षित) के ब्यौरे								
	2003-2004	**2002-2003**						
i) कंसीडर्ड गुड	504.02	1,493.82						
ii) संदिग्ध माने गए तथा प्रावधान किए गए	84.75	75.98						
ङ. नकद एवं बैंक अधिशेष								
i) विद्यमान नकद, अग्रदाय,चैक एवं ड्राफ्ट			110.46				22.91	
ii) अनुसूचित बैंकों में अधिशेष								
क. चालू खाता			59.94				299.28	
ख. नकद ऋण सुविधा			5.61				-	
ग. जमा खाता(अल्पावधि) *			657.11	833.20			482.15	
iii) अन्यों के पास अधिशेष (भूटान बैंक के पास) चालू खाता			0.08				0.31	804.65
च. अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां								
i) जमाराशियों पर उपचित ब्याज			4.34				0.34	
ii) अन्य			79.86				84.07	
घटाएं प्रावधान			1.21	82.99			1.10	83.31
छ. ऋण एवं अग्रिम								
i) कर्मचारियों को ऋण (अनारक्षित कंसीडर्ड गुड)			39.55				36.39	
ii) कर्मचारियों को ऋण (अनारक्षित कंसीडर्ड गुड)			76.84				37.89	
iii) नकद या जिंस के रूप में या प्राप्य मूल्य के लिए वसूलनीय अग्रिम								
क. अनारक्षित (कंसीडर्ड गुड)								
- बैंक गारंटियों द्वारा आव्याप्त	14.71							
- अन्य	8.56				30.20			
ख. अनारक्षित (संदिग्ध समझा गया)	0.54	23.81			0.54	30.74		
घटाए - संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान		0.54	23.27			0.54	30.20	
v) अंतः कंपनी ऋण-अनारक्षित (शोध्य समझा गया)			–				100.00	
vi) अग्रिम कर जमाराशि तथा स्रोत पर कर कटौती			75.73				83.32	
vii) अन्य वसूलनीय- पावरग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लि0 से देय			31.82	247.21			31.86	319.66
जोड़				**2,082.87**				**2,898.20**

* जमाराशि खाते (अल्पावधि) में 'ग' श्रृंखला बांडों की अदावित प्रतिदेय राशि के कारण, जिसका दावा नहीं किया गया, पीएनबी कैपिटल सर्विसेज लि0 के नाम 2.07 करोड़ रूपए की राशि शामिल है।

क. गैर-अनुसूचित बैंकों में वर्ष के दौरान अधिकतम अधिशेष के ब्यौरे

	2003-2004	2002-2003
बैंक आफ भूटान		
i) चालू खाता	0.79	0.48

ख. निदेशकों से देय ऋण एवं अग्रिम के ब्यौरे

	2003-2004	2002-2003
i) वर्षांत में देय राशि	0.07	0.06
ii) वर्ष के दौरान किसी भी समय अधिकतम अधिशेष	0.23	0.08

उन कंपनियों द्वारा देय अग्रिम जिनमें कारपोरेशन का कोई निदेशक उस कंपनी का निदेशक या सदस्य है, शून्य रूपए है (विगत वर्ष शून्य रूपए)

अनुसूची-10 वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान

(करोड़ रुपए)

		31 मार्च, 2004			31 मार्च, 2003	
क. देयताएं						
i) विविध ऋणदाता						
क. लघु उद्यमों उपक्रों की कुल बकाया देयताएं (30 दिन से अधिक शून्य)	–			–		
ख. अन्य 464.49	464.49		244.40	244.40		
ii) निक्षेप/अभिकरण की व्यय न की गई राशि		3.46			1.62*	
iii) जमाराशि/प्रतिधारण धनराशि		106.36			68.00	
iv) ऋणों पर प्रोद्भूत किन्तु अदेय ब्याज		77.55			38.71	
v) परियोजना की लागत के प्रति अग्रिम		5.36			5.36	
vi) संविदा देने वालों से अग्रिम		16.83			10.10	
vii) अन्य देयताएं		367.46	1,041.51		60.69	428.88
ख. प्रावधान						
i) कराधान		67.02			87.57	
ii) प्रस्तावित लाभांश		61.18			25.00	
iii) प्रस्तावित लाभांश पर कर		15.69			3.20	
iv) प्रोत्साहन के लिए प्रावधान (बांड)		–			80.12	
v) परियोजना व्ययों के लिए प्रावधान		1.68			–	
vi) वेतन संशोधन के लिए प्रावधान		–			0.04	
vii) अनुग्रह राशि के लिए प्रावधान		7.32			6.85	
viii) अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान		71.00			48.39	
ix) उपदान के लिए प्रावधान		156.06			124.33	
x) सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना के लिए प्रावधान		41.83			30.60	
xi) आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान		1.80	423.58		11.01	417.11
ग. विकास अधिभार (न्यास में धारित)						
विकास अधिभार - बिल में शामिल		175.51			110.47	
विकास अधिभार - ब्याज खाता		5.56			0.01	
घटाएं - प्राप्य		42.22			58.13	
घटाएं - कारपोरेट नकदी सावधि जमा खाते में निवेशित		127.93			39.31	
घटाएं - प्रोद्भूत किन्तु अदेय ब्याज		5.56			0.01	
घटाएं - विकास अधिभार पर वसूलनीय कर		1.11			–	
विकास अधिभार - निवेश्य			4.25			13.03
जोड़			**1,469.34**			**859.02**

अनुसूची-11 विविध व्यय
(बट्टे खाते न डाला गया या समायोजित न किया गया)

(करोड़ रुपए)

	31 मार्च, 2004		31 मार्च, 2003	
i) आरंभिक व्यय	2.06		2.05	
घटाएं - बट्टे खाते डाला गया	0.21	**1.85**	1.20	3.25
ii) आस्थगित राजस्व व्यय		0.71		
iii) बट्टे खाते डाले जाने की प्रतीक्षा वाली हानियां	3.75		4.58	
घटाएं - उपबंधित	3.75	–	4.58	–
जोड़		**2.56**		**3.25**

अनुसूची-12 संविदा एवं परामर्शी आय

(करोड़ रुपए)

	31 मार्च, 2004		31 मार्च, 2003	
i) संविदा आय	0.59		20.24	
जोड़ें : चालू संविदा कार्य - बंद	26.58		10.48	
घटाएं : चालू संविदा कार्य - आरंभिक	10.48	16.69	1.11	29.61
ii) परामर्शी आय		10.57		3.42
iii) आकस्मिकताओं का पुनः लेखन		9.17		16.09
जोड़		**36.43**		**50.02**

अनुसूची-13 अन्य आय

(करोड़ रुपए)

		31 मार्च, 2004	31 मार्च, 2003
i)	अल्पावधि जमा से आय	0.82	-
ii)	ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज	1.54	1.15
iii)	लाभांश आय (सकल)	0.10	0.14
iv)	अधिभार	104.60	122.09
v)	परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	1.53	1.67
vi)	पुरांकित किए गए अनापेक्षित प्रावधान/देयताए	12.69	1.56
vii)	स्क्रैप से आय	0.44	0.16
viii)	कंपनी ऋण पर ब्याज	2.44	-
ix)	सावधि ऋण तथा बचत बैंक पर ब्याज	4.91	0.09
x)	अन्य विविध आय	4.21	4.04
	जोड़	133.28	130.90

अनुसूची-14 उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय

(करोड़ रुपए)

		31 मार्च, 2004		31 मार्च, 2003	
i)	पुर्जों एवं भंडारों की खपत		2.68		2.65
ii)	मरम्मत तथा अनुरक्षण -				
	क) भवन	4.95		3.91	
	ख) मशीनरी	18.47		15.70	
	ग) अन्य	11.85	35.27	10.90	30.51
iii)	विविध प्रचालनात्मक व्यय		3.40		3.12
iv)	किराया		0.51		0.48
v)	महसूल और कर		0.66		0.32
vi)	बीमा	0.30		0.28	
vii)	आकस्मिकताओं के लिए स्वःबीमा		44.60		38.71
viii)	सुरक्षा व्यय		16.18		14.13
ix)	विद्युत प्रभार		5.58		0.50
x)	यात्रा एवं संवहन		2.51		2.56
xi)	स्टाफ कार पर व्यय		2.30		1.98
xii)	टेलीफोन, टैलेक्स एवं डाक टिकटें		1.24		1.19
xiii)	विज्ञापन एवं प्रचार		0.43		0.39
xiv)	दान		0.02		0.01
xv)	मुद्रण एवं लेखन सामग्री		0.52		0.55
xvi)	परामर्शी प्रभार		0.07		0.03
xvii)	कारपोरेट कार्यालय प्रबंधन व्यय		14.19		12.82
xviii)	भंडारों एवं अतिरिक्त पुर्जों के मूल्य में कमी		0.04		6.46
xix)	बट्टे खाते डाले गए परियोजना व्यय		2.75		–
xx)	बट्टे खाते डाले गए आरंभिक व्यय		0.21		–
xxi)	परिसम्पत्तियों की बिक्री पर हानि		8.21		0.51
xxii)	बट्टे खाते डाला गया राजस्व व्यय		0.76		0.81
xxiii)	मनोरंजन		0.02		0.02
xxiv)	मध्यस्थता प्रभारों पर ब्याज		0.30		3.79
xxv)	प्रावधान किए गए संदिग्ध ऋण		28.25		–
xxvi)	प्रावधान किए गए परियोजना व्यय		1.68		–
xxvii)	अन्य सामान्य व्यय		2.82		2.93
xxviii)	विनिमय दर अंतर		0.65		(0.31)
	जोड़		176.18		124.44

अनुसूची-15 कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ

(करोड़ रुपए)

		31 मार्च, 2004	31 मार्च, 2003
i)	वेतन, मजदूरी और भत्ते	112.07	114.88
ii)	उपदान तथा भविष्य निधि में अंशदान (प्रशासन शुल्क सहित)	22.61	24.46
iii)	कर्मचारी कल्याण व्यय	18.76	20.74
	जोड़	153.44	160.08

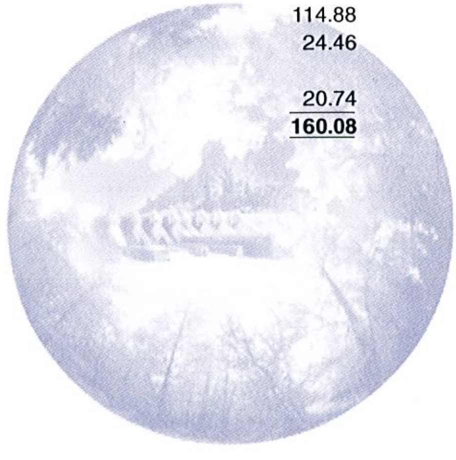

अनुसूची-16 ब्याज एवं वित्त प्रभार

(करोड़ रुपए)

	31 मार्च, 2004		31 मार्च, 2003	
i) ऋणों पर ब्याज				
क) भारत सरकार के ऋण	–		0.28	
ख) बांड	–		47.40	
ग) विदेशी ऋण	68.15		22.40	
घ) सावधि ऋण	13.95	82.10	256.90	326.98
ii) नकद ऋण सुविधाओं पर ब्याज		232.28		11.80
iii) बांड व्यय		2.61		1.31
iv) ग्राहकों को छूट		1.29		26.69
v) ऋणों पर गारंटी शुल्क		32.83		8.73
vi) वचनबद्धता शुल्क		0.38		–
vii) अन्य वित्त प्रभार		2.16		2.40
जोड़		**353.65**		**377.91**

अनुसूची-17 संविदा एवं परामर्शी व्यय

(करोड़ रुपए)

	31 मार्च, 2004		31 मार्च, 2003	
क. प्रत्यक्ष व्यय		18.68		19.80
(श्रम, सामग्री, आस्तियां तथा संविदाकर्ताओं/ आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान शामिल है)				
ख. कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ				
i) वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ	5.22		3.73	
ii) उपदान तथा भविष्य निधि में अंशदान	0.32		0.58	
iii) कर्मचारी कल्याण व्यय	0.19	5.73	0.21	4.52
ग. मरम्मत तथा अनुरक्षण				
i) भवन	0.08		0.25	
ii) मशीनरी तथा निर्माण उपस्कर	0.01		0.04	
iii) अन्य	0.33	0.42	0.48	0.77
ध. प्रशासन एवं अन्य व्यय				
i) किराया	0.14		0.14	
ii) यात्रा एवं संवाहन	0.72		0.58	
iii) स्टाफ कारों एवं निरीक्षण वाहनों पर व्यय	0.27		0.36	
iv) बीमा0.01			0.10	
v) टेलीफोन, टेलेक्स एवं डाक टिकटें	0.10		0.24	
vi) विज्ञापन एवं प्रचार	–		0.05	
vii) मुद्रण एवं लेखन सामग्री	0.23		0.05	
viii) कंपनी कार्यालय प्रबंधन व्यय	1.04		1.33	
ix) अन्य व्यय	0.12	2.63	4.12	6.97
ड. मूल्यह्रास		0.25		0.22
कुल व्यय		**27.71**		**32.28**
घटाइए - प्राप्तियां तथा वसूलियां				
i) विविध	0.60		0.96	
ii) पुनःलेखन किए गए अनावश्यक प्रावधान/देयताएं	0.36	0.96	0.25	1.21
वर्ष के दौरान शुद्ध व्यय		**26.75**		**31.07**
च. पूर्वावधि समायोजन		–		(0.08)
जोड़		**26.75**		**30.99**

अनुसूची-18 पूर्वावधि समायोजन (शुद्ध)

(करोड़ रुपए)

	31 मार्च, 2004		31 मार्च, 2003	
क. आय				
i) विद्युत की बिक्री		0.03		(0.29)
ii) अन्य		1.40		0.25
		1.43		**(0.04)**
ख. व्यय				
i) वेतन तथा मजदूरी	0.02		1.29	
ii) मरम्मत तथा अनुरक्षण	0.26		0.19	
iii) ब्याज	–		(0.01)	
iv) अन्य	0.67		3.17	
v) मूल्यह्रास	(1.66)	(0.71)	1.61	6.25
जोड़		**(2.14)**		**6.29**

अनुसूची-19 समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

1. क) समेकित वित्तीय विवरणों में नैशनल हाइड्रो-इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी) तथा नामतः नर्मदा हाइड्रो-इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचडीसी), नामक इसकी सहायक कम्पनी जो एनएचपीसी एवं मध्य प्रदेश सरकार का संयुक्त उद्यम है, के वित्तीय विवरण शामिल हैं।

   ख) इन्हें भारत के चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थान द्वारा जारी "समेकित वित्तीय विवरणों" संबंधी लेखाकरण मानक-21 के अनुसार परिसंपत्तियां/देयताएं तथा आय/व्यय की एक समान मदों को इकट्ठा जोड़कर पंक्ति-दर-पंक्ति आधार पर संयोजित करने के पश्चात तैयार किया गया है।

2. क्षतिपूर्ति एवं भूमि से जुड़े अन्य व्ययों को छोड़कर ये समेकित वित्तीय विवरण एकसमान लेखाकरण नीतियों का प्रयोग कर तैयार किए गए हैं। एनएचडीसी ऐसे व्ययों को चालू पूंजीगत कार्य के भाग के रूप में दर्शा रही है, जबकि एनएचपीसी इसे भूमि की लागत मानती है।

3. एनएचडीसी लिमिटेड के गठन से पूर्व,मध्य प्रदेश सरकार (एनवीडीए) ने इंदिरा सागर एवं ओंकारेश्वर परियोजनाओं का निर्माण शुरू किया था तथा उसने 31.3.2004 तक इन परियोजनाओं पर 1242.55 करोड़ रुपए (विगत वर्ष 1237.20 करोड़ रूपए) का कुल व्यय सूचित किया है। आवश्यक सत्यापन/मिलान के पश्चात्, कारपोरेशन ने 1234.25 करोड़ रुपए (विगत वर्ष 1202.46 करोड़ रुपए) का लेखाकरण किया है। शेष राशि के लिए सत्यापन तथा मिलान चालू है।

4. आईसीएआई द्वारा जारी संबंधित पार्टी प्रकटनों पर लेखाकरण मानक-18 के अनुपालन में अपेक्षित सूचना निम्नानुसार है :-

   क) पूर्णकालिक निदेशक :

श्री योगेन्द्र प्रसाद	**अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**
श्री आर. नटराजन	**निदेशक (वित्त) (06.05.2003 तक)**
श्री एस.के. गर्ग	**निदेशक (वित्त) (01.07.2003 से)**
श्री बिनय कुमार	**निदेशक (कार्मिक) (07.07.2003 से सेवाएं समाप्त)**
श्री ए.के. गंगोपाध्याय	**निदेशक (परियोजना)**
श्री आर.के.शर्मा	**निदेशक (तकनीकी)**
श्री एस.के. डोडेजा	**मुख्य कार्यपालक निदेशक, एनएचडीसी**

   ख. संबंधित पार्टी कारोबार : संबंधित लेखों के अनुसार निदेशकों को पारिश्रमिक

5. आकस्मिक देयताएं

   क) ऋण न माने गए दावे 1047.08 करोड़ रुपए (विगत वर्ष 1307.40 करोड़ रुपए)।

   ख) सीमाशुल्क प्राधिकारियों के पक्ष में निष्पादित 15.74 करोड़ रुपए (विगत वर्ष 17.44 करोड़ रुपए) के लिए बांड ।

   ग) विदेशी साख पत्र 619.52 करोड़ रुपए (विगत वर्ष 33.89 करोड़ रुपए)।

   घ) लोकतक डाउनस्ट्रीम परियोजना के मामले में, विद्युत विभाग मणिपुर सरकार द्वारा पहले से नियोजित 161 कर्मचारियों को कारपोरेशन की नामावली में शामिल किया जाना है। इस संबंध में वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, इस समय पर सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है ।

पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने के लिए शेष तथा प्रावधान न की गई संविदाओं की अनुमानित राशि 6448.95 करोड़ रुपए ((विगत वर्ष 3674.97 करोड़ रुपए) है।

7. नियत परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास, प्रशुल्क की वसूली के प्रयोजनार्थ, सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों पर लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित किया गया है क्योंकि मूल्यह्रास दरें विद्युत अधिनियम,2003 में विनिर्दिष्ट नहीं की गई हैं। जहां तक लाभ एवं हानि लेखा का संबंध है, वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-XIV में निर्धारित दरों की तुलना में 187.47 करोड़ रूपए कम है।

8. समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल सहायक कंपनी है :

सहायक कंपनी का नाम	शामिल करने वाला देश	स्वामित्व हिस्से का अनुपात
एनएचडीसी लिमिटेड	भारत	51 प्रतिशत

9. समूह की प्रधान व्यवसाय गतिविधि विद्युत उत्पादन है। अन्य प्रचालन अर्थात् संविदा कार्य, ब्याज आय तथा परामर्शी सेवाएं आईसीएआई द्वारा जारी खंड रिपोर्टिंग के लेखाकरण मानक-17 के अनुसार सूचना देने योग्य खंड नहीं हैं।

10. आईसीएआई द्वारा जारी "आय पर करों के लिए लेखाकरण" संबंधी लेखाकरण मानक-22 के अनुपालन में, 91.70 करोड़ रुपए (विगत वर्ष 160.57 करोड़ रुपए) की आस्थगित कर देयता के लिए चालू वर्ष के दौरान प्रावधान किया गया है। संचयी आस्थगित कर देयता के मद वार ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :-

(करोड़ रुपए)

	31.03.2004	31.03.2003
आस्थगित कर देयता		
i) मूल्यह्रास	1904.28	1786.38
घटाइए–आस्थगित कर परिसंम्पत्तियां		
ii) संचयी असमाहित मूल्यह्रास	215.55	178.43
iii) कर परिकलन में आय माने जाने वाले मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	138.50	141.88
iv) संदिग्ध ऋणों,बीमा, आकस्मिकताओं एवं प्रोत्साहन (बांडों) के लिए प्रावधान	123.50	139.78
v) कर्मचारी लाभ योजनाओं के लिए प्रावधान	41.60	32.87
आस्थगित कर देयता(शुद्ध)	**1385.13**	**1293.42**

11. कारपोरेशन तथा इसकी सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण की लेखाकरण नीतियां एवं लेखा टिप्पणियां उनके संबंधित वित्तीय विवरणों में दी गईं हैं।

विजय गुप्ता	**एस.के.गर्ग**	**योगेन्द्र प्रसाद**
सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष वं प्रबंध निदेशक

स्थान : फरीदाबाद
दिनांक : 10 जून, 2004

31 मार्च, 2004 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन-पत्र के साथ संलग्न समेकित कैश फ्लो स्टेटमेंट

(करोड़ रुपए)

	31 मार्च, 2004 समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2003 समाप्त वर्ष के लिए	
क. संचालित गतिविधियों से कैश फ्लो				
कर-पूर्व शुद्ध लाभ तथा असाधारण मदें		**641.90**		**551.04**
जोड़ें :				
मूल्यह्रास	210.53		142.20	
आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	(9.21)		(16.94)	
अदा किया गया ब्याज	339.83		377.91	
आकस्मिकताओं के लिए स्व बीमा	44.39		34.87	
प्रोत्साहन के लिए प्रावधान	–		80.12	
परिशोधित आस्थगित राजस्व व्यय	0.97		0.81	
मालसूचियों के मूल्य में कमी	0.04		6.46	
बट्टे खाते डाले गए परियोजना व्यय	4.44		–	
परिसंपत्तियों की बिक्री से हानि	8.21		0.51	
विनिमय दर अंतर	0.65		(0.31)	
मूल्यह्रास के लिए अग्रिम	138.34		152.63	778.26
घटाएं :	738.19			
परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ	1.53		1.67	
आस्थगित राजस्व व्यय	0.27		–	
ग्राहकों को दी गई छूट	26.60		26.69	
प्रदत्त विनिमय दर अंतर	–		(0.31)	
अति प्रावधानों व देनदारियों का पुनःलेखन	12.69		1.56	
लाभांश आय	0.10	697.00	0.14	29.75
कार्यकारी पूंजी समायोजनों से पूर्व संचालित गतिविधियों से कैश फ्लो		**1,338.90**		**1,299.55**
कार्यकारी पूंजी परिवर्तन				
मालसूचियों में (वृद्धि)/कमी	10.23		13.24	
चालू संविदा कार्य में (वृद्धि)/कमी	(16.11)		(9.37)	
वसूली योग्य में (वृद्धि)/कमी	(254.99)		(350.47)	
व्यापार एवं अन्य भुगतानों में (वृद्धि)/कमी	16.55	(244.32)	(74.53)	(421.13)
कर-पूर्व संचालित गतिविधियों से कैश फ्लो		1,094.58		878.42
घटाएं : कर		27.04		44.50
संचालित गतिविधियों से शुद्ध कैश फ्लो (क)		**1,067.54**		**833.92**
ख. निवेश गतिविधियों के कैश फ्लो				
नियत परिसंपत्तियों की खरीद और निर्माण परियोजनाओं पर व्यय (निर्माण के दौरान प्रसांगिक व्यय शामिल है)		(2,394.80)		(2,656.09)
नियत परिसंपत्तियों के निपटान की बिक्री प्राप्तियां		49.98		11.64
सहायक कंपनी एवं अन्य के शेयरों में निवेश		(4.00)		(8.00)
प्राप्त लाभांश		0.10		0.14
निवेश गतिविधियों से शुद्ध कैश फ्लो (ख)		**(2,348.72)**		**(2,652.31)**
ग. वित्त संबंधी गतिविधियों से कैश फ्लो				
अंश पूंजी जारी करने से प्राप्तियां		1,010.87		773.57
अंश पूंजी जमा		427.55		121.37
मध्य प्रदेश सरकार से व्यय के समायोजन के जरिए प्राप्त निधि		31.79		363.50
लाभांश तथा प्रदत्त लाभांश कर		(88.20)		(100.00)
उधार (शुद्ध) से प्राप्तियां		550.08		1,630.58
ब्याज व वित्तीय प्रभार		(622.35)		(715.08)
वित्त गतिविधियों से शुद्ध कैश फ्लो (ग)		**1,309.74**		**2,073.94**
नकद तथा नकद के समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (क+ ख+ ग)		**28.56**		**255.55**
वर्ष के आरंभ में नकद व नकद समतुल्य		804.64		549.12
वर्ष के अंत में नकद व नकद समतुल्य		833.20		804.64

कैश फ्लो स्टेटमेंट की विवरणात्मक टिप्पणियां

1. नकद व नकद समतुल्य में विद्यमान चैक/ड्राफ्ट सहित नकद राशि एवं बैंक बैलेंस शामिल हैं।
2. कारपोरेशन को ऋण चुकाने के एवज में प्रदत्त बांड तथा उन पर अर्जित ब्याज, जो केन्द्रीय जनरेटिंग गतिविधि में संचालन संबंधी गतिविधियों से नकद राशि का एक भाग माना गया है।
3. ब्याज तथा पूंजीगत वित्तीय प्रभारों के 325.12 करोड़ रूपए नियत परिसंपत्तियों व चालू निर्माण कार्य पर निवेश में शामिल नहीं किए गए हैं।
4. पिछले वर्षों के आंकड़ों को, जहां आवश्यक है, पुनः-समूहित/पुनःव्यवस्थित/पुनः तैयार किया गया है।

हमारी संलग्न की गई इसी तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते **बत्रा सप्रा एण्ड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस

संदीप मानकतला
भागीदार

सदस्यता संख्या 91408

स्थान : फरीदाबाद
दिनांक : 10 जून, 2004

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

विजय गुप्ता	**एस.के. गर्ग**	**योगेन्द्र प्रसाद**
सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

मेगावाट चमेरा पावर स्टेशन चरण -II (हिमाचल प्रदेश) -नगर

नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड निदेशकों की रिपोर्ट एवं वार्षिक लेखे

निदेशकों की रिपोर्ट

सदस्यगण,

नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवेलपमेंट कॉरपोरेशन लि.

आपके निदेशकों को कंपनी की चौथी वार्षिक रिपोर्ट, जो कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से संबंधित है, को प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इसके अतिरिक्त कंपनी के लेखापरीक्षित लेखे, लेखापरीक्षक रिपोर्ट एवं नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, भारत सरकार की टिप्पणी भी संलग्न है।

कार्य–निष्पादन की मुख्य विशेषताएं

एन.एच.पी.सी और मध्य प्रदेश शासन के संयुक्त उद्यम के रूप में कंपनी का निगमन 1 अगस्त, 2000 को हुआ था। कंपनी मध्य प्रदेश में 1000 मेगावाट की इंदिरा सागर परियोजना एवं 520 मेगावाट की ओंकारेश्वर परियोजना के कार्य का निष्पादन कर रही है। परियोजना के पूर्ण होने पर विद्युत उत्पादन के लाभ के अतिरिक्त यह उद्योगों, मतस्य पालन, पर्यटन, सिंचाई एवं स्थानीय निवासियों के सामाजिक उत्थान एवं उनके जीवन सुधार में भी सहायक होगी।

कारोबार तथा लाभ .

वर्ष 2003–2004 के दौरान कंपनी का कारोबार 27.34 करोड़ रूपए था तथा मूल्यह्रास के पशचात आपकी कंपनी ने कर भुगतान के पशचात 12.37 करोड़ रूपए का शुद्ध लाभ कमाया।

कार्यों की प्रगति

इंदिरा सागर परियोजना (आई.एस.पी)

बाँध

बॉध में 13.90 लाख घनमीटर कांक्रीट की कुल प्राक्कलित मात्रा में से 13.84 लाख घनमीटर का कांक्रीट कार्य हो गया है। मुख्य स्पिलवे (ब्लॉक 4 से 15 तक) को क्रेस्ट स्तर (ई. एल 245.13 मीटर) तक पूरा कर लिया गया है और सभी पियर ई.एल 264.50 मीटर, डेक ब्रिज स्तर तक उठा लिए गए हैं। वैकल्पिक स्पिलवे सेक्शन (ब्लॉक 16 से 24 तक) के ऊपर डेक ब्रिज पूर्ण कर दिया गया है और मुख्य स्पिलवे सेक्शन में 2 स्पैनों में स्लैब डाल दिया गया है और अन्य 4 स्पैनों पर कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त, डायवर्शन टनल प्लग कर दिया गया है और जलाशय में 238.00 मीटर स्तर जल संग्रह किया गया है।

1000 मेगावाट इंदिरा सागर परियोजना (मध्य प्रदेश)बांध के डाउनस्ट्रीम का दृश्य

पावर हाउस

पावर हाउस में सिविल कार्यो एवं इरेक्शन कार्यो की प्रगति निर्धारित कार्यक्रम से आगे चल रही है। कुल 3.55 लाख घनमीटर में से अभी तक 3.52 लाख घनमीटर कांक्रीट कार्य पावर हाउस में पूर्ण कर लिया गया है और पहली 7 इकाईयों का स्तर ईएल 201 मीटर (फ्लोर स्तर) तक पूरा कर लिया गया है। आपको यह जानकर हर्ष होगा कि इंदिरा सागर परियोजना की इकाई 1–2 से माह जनवरी 2004 एवं इकाई 3–4 से माह मार्च 2004 से विद्युत उत्पादन शुरू हो गया है। इकाई 5 की मैकेनिकल स्पिनिंग 10 जुलाई, 2004 को सफलतापूर्वक कर दी गई है एवं शेष इकाईयों में इरेक्शन कार्य की प्रगति संतोषप्रद है। प्रबंधन इंदिरा सागर परियोजना की आठों इकाईयों को माह मार्च, 2005 तक पूर्ण करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इसके अतिरिक्त स्वीचयार्ड का कार्य संतोषप्रद तरीके से जारी है। जिसमें बे संख्या 1 से 6 पूरे कर लिए गए हैं एवं चार्ज हैं और शेष बे में कार्य निष्पादन संतोषप्रद हो रहा है। स्वीचयार्ड का कार्य माह सितम्बर, 2004 तक पूर्ण होना संभावित है। एच.टी. लिंक लाइन चार यूनिट के लिए पूर्ण कर चार्ज कर ली गई है और 5 एवं 6 यूनिट के लिए इरेक्शन पूर्ण कर लिया गया है।

हाईड्रो–मेकेनिकल कार्य

8 इंटेक गेट एवं 21 ड्राफ्ट ट्यूब गेट पूर्ण होने के उपरांत कमीशन कर दिये गये हैं। गूजनेक टनल का एमरजेंसी गेट लोवर कर दिया गया हैं एवं गूजनेक सर्विस गेट को इरेक्ट एवं कमीशन कर दिया गया है। स्पिलवे रेडियल गेट के द्वितीय चरण के एंबेडिड पार्टस का इरेक्शन कार्य प्रगति पर है। वैकल्पिक स्पिलवे में 4 रेडियल गेटों का इरेक्शन पूर्ण हो चुका है और शेष 16 गेटों को अगले मानसून से पहले इरेक्ट करना प्रस्तावित है।

रेलवे लाइन का डाइवर्शन
मानसून शुरू होने के पहले रेलवे लाइन के डाइवर्शन का कार्य पूर्ण करना अतिआवश्यक था जिसके लिए एन.एच.डी.सी ने रेलवे विभाग के साथ संयुक्त प्रयास किया और सभी कार्यो को पूर्ण करने के पश्चात नई लाइन को 19 मई, 2004 को यातायात के लिए चालू कर दिया गया है।

राज्य हाइवे का डाईवर्शन 15 (एस.एच–15)
छनेरा और पोखरनी के बीच (लगभग 31 किमी) लम्बे परिवर्तित राजमार्ग एसएच–15 का कार्य प्रगति पर है। सड़क निर्माण का कार्य अवार्ड कर दिया गया हैं और जंगल की सफाई, खुदाई और सबग्रेड की तैयारी इत्यादि कार्य पूर्ण हो चुके हैं और एम्बेकमेंट निर्माण कार्य प्रगति पर है। 4 मुख्य पुलों का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है।

पुनर्वास व पुनर्स्थापना के कार्य
इंदिरा सागर परियोजना के निर्माण के कारण 249 गॉव डूब क्षेत्र में आ रहे है जिनमें 38 गाँवों में केवल सरकारी जमीन डूब में आ रही है। बॉध के चार गेट बंद करने की स्थिति में उत्पन्न एफ्लक्स के कारण, 123 गॉवों के 34893 परिवारों का वर्ष 2004–2005 के मानसून से प्रभावित होना संभावित हैं। जिनमें से 30529 (87.49 प्रतिशत) परिवार 15 जुलाई, 2004 तक पुनर्वासित हो चुके हैं। उल्लेखनीय है कि हरसूद शहर में 6166 प्रभावित परिवारों में से अभी तक 5484 परिवारों (88.94 प्रतिशत) का पुनर्वास का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। हालांकि लगभग 40,000 परियोजना प्रभावित परिवारों में से अभी तक 30681 (76.70 प्रतिशत) परिवार पुनर्वासित हो चुके हैं। धारा 4 एवं धारा 6 सभी 211 गाँवों में लागू कर दी गई है और 120 गॉवों के अवार्ड हो चुके हैं। अभी तक 99 गाँव पूर्ण रूप से और 21 गॉव आंशिक रूप से पुनर्वासित किए गए हैं।

पर्यावरण व वन
पर्यावरण के प्रति निगम की जिम्मेदारियों का समग्र रूपेण संज्ञान लेते हुए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी स्वीकृतियों में अधिरोपित शर्तों का पालन निगम द्वारा किया जा रहा है। कुल 86030 हेक्टेयर (4587 हेक्टेयर नवीन क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए) के लक्ष्य की तुलना में 83,372 हेक्टेयर क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसी प्रकार कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट का कार्य वन एवं गैर वन क्षेत्र मिलाकर कुल 62975 हेक्टेयर की तुलना में 53581 हेक्टेयर क्षेत्र में पूर्ण हो गया है।

डूब क्षेत्र के महत्वपूर्ण पुरातत्व स्मारकों की पुनः स्थापना से संबंधित कार्य भी प्रगति पर हैं। सभी स्मारकों के प्रतिस्थापना/ पुनरूद्धार का कार्य वैज्ञानिक तरीके से विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है। सिंगाजी समाधि के पुनरूद्धार का कार्य निर्माणाधीन है। पुनघाट के शिवमंदिर की रेप्लिका तैयार हो गई है। पुरातत्व से संबंधित महत्वपूर्ण स्मारक जैसे नवल खेरे, बीजलपुर खुर्द, गन्नौर में खुदाई का कार्य हो रहा है और राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा शिल्पकृतियों को प्राप्त करने की खोज कर ली गई है। जोगा फोर्ट की सुरक्षा दीवार के निर्माण के लिए प्रारंभिक सर्वे पूर्ण हो गया है। एक राष्ट्रीय पार्क और दो अभ्यारणों को भी वन्य जीवों की क्षतिपूर्ति हेतु अधिसूचित किया जा रहा है।

ओंकारेश्वर परियोजना (ओ.एस.पी)
मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ओंकारेश्वर मंदिर के पास, इंदिरा सागर परियोजना से 40 कि.मी. डाउन स्ट्रीम में नर्मदा नदी पर स्थित ओंकारेश्वर परियोजना निर्माण की प्रारंभिक अवस्था में है।

ओ.एस.पी एक बहुउद्देश्यीय परियोजना है, जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 520 मेगावाट है और यह प्रारंभिक चरण में 1166 मिलियन यूनिट का वार्षिक विद्युत उत्पादन करेगी और 1.47 लाख हेक्टेयर की खेती योग्य क्षेत्र (सीसीए) पर 2.83 लाख हेक्टेयर पर वार्षिक सिंचाई होगी। ओंकारेश्वर परियोजना से विद्युत उत्पादन इंदिरा सागर परियोजना से विनियमित जल निकासी पर निर्भर करेगा, इसलिए यह इंदिरा सागर परियोजना से लाभान्वित परियोजनाओं में से एक होगी। ओंकारेश्वर परियोजना निर्माण को सी.सी.ई.ए ने 29 मई, 2003 को अनुमोदित किया और तदानुसार फरवरी 2008 में परियोजना की कमीशनिंग होना निर्धारित है। टर्नकी आधार पर ओंकारेश्वर परियोजना के निर्माण की संविदा करार मैसर्स जयप्रकाश वॉइथ सीमेन्स कन्सोर्टियम, नई दिल्ली के साथ 18 जुलाई, 2003 को हस्ताक्षरित हुआ। जिसके अनुसार परियोजना पूर्ण करने की अवधि 48 माह और लागत 1476.4 करोड़ रू. है। ठेकेदार द्वारा कार्य स्थल पर कार्य शुरू कर दिया गया है और प्रारंभिक कार्य जैसे निर्माण के

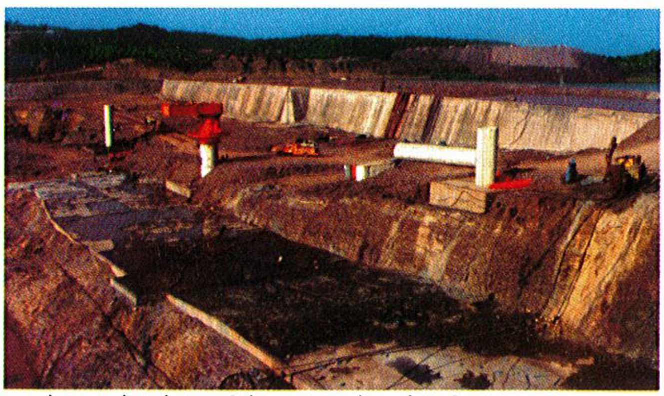
520 मेगावाट ओमकारेशवर परियोजना (मध्य प्रदेश)- डेम एरिया

उपकरणों का परिवहन, सर्वेक्षण कार्य, पहुँच मार्ग का निर्माण और अस्थायी निवास पूर्ण हो चुके हैं। बाये तट पर डाईक और कॉफर बांध का निर्माण पूरा कर लिया गया है और विद्युत गृह की कॉफर दीवार भी निर्मित कर ली गई है। बांध, विद्युत गृह एवं पेनस्टॉक, पावर बांध एवं इनटेक, हेड रेस चैनल, टेल रेस चैनल इत्यादि में खुदाई कार्य निर्धारित कार्यक्रमानुसार प्रगति पर है।

पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन का कार्य

ओ.एस.पी के निर्माण के कारण 30 गॉव डूब क्षेत्र में आ रहे हैं जिनमें 03 गॉव में केवल सरकारी जमीन डूब में आ रही है। वर्ष 2002 के एस्टीमेट के अनुसार कुल 4613 परियोजना प्रभावित परिवार हैं। जिसमें कि एक गॉव (193 पीएएफएस) परियोजना स्थल में पूर्ण रूप से विस्थापित हुआ है।

लाभांश

31 मार्च 2004 तक इंदिरा सागर परियोजना की चार इकाईया कमीशन हो गई हैं एवं वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिए 27.34 करोड़ रूपये का राजस्व भी कंपनी ने प्राप्त किया है। कंपनी के लाभ को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने समीक्षा वर्ष के दौरान 2.40 करोड़ रूपये के डिविडेन्ट की सिफारिश की है जो कि कंपनी की इक्विटी पूँजी के ऊपर देय होगी बशर्ते कि आगामी आम बैठक में शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त हो जाए।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन तथा विदेशी मुद्रा अर्जन व व्यय

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन और विदेशी मुद्रा अर्जन व व्यय से संबंधित सूचना को कंपनी नियमावली, 1988 (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों को प्रकट करना) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (1) (ई) के प्रावधानों के अनुसार इस रिपोर्ट के परिशिष्ट – 'ए' में दिया गया है।

औद्योगिक संबंध

औद्योगिक संबंध पूरे साल मैत्रीपूर्ण रहे।

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निगम ने राजभाषा नीति के कार्यान्यवन के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी प्रकार के प्रयास किए। निगम की समस्त कार्यविधि में राजभाषा के प्रयोग को विशेष महत्व दिया गया। हिन्दी दिवस एवं हिन्दी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को निरंतर अंतराल में आवश्यकतानुसार आयोजित किया गया, जिससे कि समस्त स्टाफ को राजभाषा कार्यान्वयन से भली–भॉति अवगत कराया जा सके।

आपको यह जानकर हर्ष होगा कि आपके निगम को वर्ष 2003 के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), भोपाल द्वारा नगर के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए राजभाषा वैजयन्ती (शील्ड) प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

लेखा–परीक्षक

मेसर्स एम. मेहता एण्ड कंपनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस, इंदौर को वर्ष 2003. 2004 के लिए लेखा–परीक्षा संचालित हेतु " सांविधिक लेखा–परीक्षक " नियुक्त किया है।

लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट

लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट (संलग्न परिशिष्ट ''बी'') में अनुसूची–16 में शामिल निगम की विभिन्न टिप्पणियों का उल्लेख है, जो स्वयं में स्पष्ट है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ तथा उनके जवाब परिशिष्ट ''सी'' पर हैं।

निदेशकों की जिम्मेदारियों का विवरण

निदेशकों के उत्तरदायित्व संबंधी विवरण के विषय में कंपनी संशोधन अधिनियम 2000 की धारा 217 (2एए) के अन्तर्गत अपेक्षा के अनुसार एतद् द्वारा यह पुष्टि की जाती है:

i) कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखे की तैयारी में, प्रयोज्य लेखा मानदंड का सामग्री प्रेषण संबंधी उचित स्पष्टीकरण सहित अनुसरण किया गया था।

ii) कि निदेशकों ने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया है तथा उन्हें निरंतर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय लिए हैं और अनुमान लगाए हैं जो इतने युक्तिसंगत और विवेकपूर्ण हैं कि वे वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की कार्यस्थिति तथा उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ की वास्तविक तथा उचित झलक प्रस्तुत करते हैं;

iii) कि निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा एवं धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं की रोकथाम और पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार समुचित लेखा रिकार्ड के रख–रखाव के लिए उचित उपाय किए हैं।

iv) कि निदेशक ने 31 मार्च, 2004 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 'अनवरत सम्बध' आधार पर लेखे तैयार किए थे।

लेखा–परीक्षा समिति

बोर्ड लेखा–परीक्षण समिति में श्री एस.के.डोडेजा, मुख्य कार्यपालक निदेशक, श्री प्रदीप भार्गव, निदेशक, श्री राजेश डोंगरे, निदेशक शामिल हैं। उक्त लेखा–परीक्षण समिति ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292 ए की आवश्यकतानुसार बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक ब्यौरों की समीक्षा कर ली है।

सतर्कता कार्यवाही

"प्रत्येक की आवश्यकतानुसार इस पृथ्वी पर पर्याप्त संसाधन हैं, लेकिन उनके लालच के लिए नहीं" मोहनदास करमचन्द गॉधी का उक्त कथन भ्रष्टाचार को कम करने के लिए दिशा–निर्देश निर्धारित करने की आवश्यकता को अपने आप में स्पष्ट करता है।

अच्छे प्रशासन में सतर्कता की सकारात्मक भूमिका है। इस उद्देश्य से निगम मुख्यालय एवं परियोजना में स्थापित सतर्कता विभाग कार्यो के निष्पादन में उच्च गुणवत्ता मापदण्ड बनाए रखने एवं किसी भी विसंगति से बचने के लिए, बिना किसी व्यवधान के विभिन्न कार्यो का व्यवस्थित परीक्षण करता है। उच्च प्रबंधन के मूल्यांकन हेतु सतर्कता विभाग, द्वारा किए गये कार्यो की मासिक एवं त्रैमासिक रिर्पोट (आइ.एस.ओ प्रारूप में) तैयार की जाती है। समस्याओं के कुशलतापूर्ण समाधान हेतु संबंधित अधिकारी द्वारा प्राथमिकता के आधार पर शिकायतों का नियमित रिकार्ड रखा जाता है। निगम के हर कर्मचारी को सेमीनारों, सतर्कता जागरूकता सप्ताह के माध्यम से सतर्कता निवारण उपायों से अवगत करवाया गया तथा परियोजनाओं के मुख्य स्थानों पर भ्रष्टाचार विरोधी बोर्ड / उद्धरण प्रदर्शित किये गये।

कर्मचारियों का विवरण

कंपनी नियमावली 1975 (कर्मचारियों के ब्योरे) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा–217 (2ए) के अन्तर्गत अपेक्षित सूचना शून्य मानी जाए।

निदेशकों का विवरण

बोर्ड के संयोजन में श्री योगेन्द्र प्रसाद, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (दिनांक 30 दिसम्बर, 2002 से) तथा पाँच अन्य निदेशक शामिल हैं।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नामांकित श्री शिवनरायण सिह दिनांक 31 दिसम्बर, 2003 से कंपनी के निदेशक नहीं रहे। मध्य प्रदेश सरकार ने श्री राजेश डोंगरे को दिनांक 13 जनवरी, 2004 से एन.एच.डी.सी बोर्ड में निदेशक मनोनीत किया है।

श्री के.पी.चौबे, सदस्य अभियांत्रिकी, एन.वी.डी.ए मध्य प्रदेश सरकार दिनांक 11 मार्च, 2004 से कंपनी के निदेशक नहीं रहे। एन.एच.पी.सी द्वारा नामांकित श्री एच.डी. खुन्टेटा दिनांक 4 मई, 2004 से कंपनी के निदेशक नहीं रहे तथा एन.एच.पी.सी द्वारा श्री टी.एन. गोपालाकृष्णा को अब एन.एच.डी.सी के निदेशक मंडल में मनोनीत किया गया है।

कंपनी के निदेशक के रूप में श्री के.पी.चौबे, श्री शिवनरायण सिह एवं श्री एच.डी. खुन्टेटा द्वारा दिए गए योगदान एवं मार्गदर्शन के लिए बोर्ड आभार प्रकट करता है।

आभार

विभिन्न मंत्रालयों एवं सरकारी एजेंसियों द्वारा विभिन्न स्तर पर दिए गए सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिए निदेशक मंडल कृतज्ञतापूर्वक आभार व्यक्त करता है।

बोर्ड सांविधिक लेखापरीक्षकों, बैंकों एवं अन्य संबंधित संस्थाओं की उनके बहुमूल्य सहयोग के लिए सराहना करता है।

इसके साथ ही बोर्ड, निगम के सभी समर्पित कर्मचारियों को भी धन्यवाद देता है, जिनके बहुमूल्य योगदान और पूर्ण सहयोग के बिना निगम को महत्वपूर्ण उपलब्धियॉ प्राप्त नहीं हो सकती थी।

निदेशक मंडल के लिए तथा की ओर से
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

दिनांक : 04 / 08 / 2004
स्थान : नई दिल्ली

ऊर्जा संरक्षण

क) ऊर्जा की बचत के लिए उपाय किए गए और किए जा रहे हैं ।
आईएसपी के विद्युत गृह के सहायक उपकरणों में ऊर्जा खपत की परिवीक्षा हेतु एलटीएसी प्रणाली में (न्यूमेरिकल रिलेज)लगाये गये है ताकि ऊर्जा की हानि कम से कम हो ।

ख) अतिरिक्त निवेश और प्रस्ताव, यदि कोई है, का उपयोग ऊर्जा खपत में कमी करने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है ।
इस क्षेत्र में एन एच डी सी द्वारा सीधे विनियोजन का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

ग) उपरोक्त (क) और (ख) के लिए किए गए उपाय ऊर्जा की खपत और सामान की उत्पादन लागत पर पड़ने वाले प्रभाव को न्यून करने के लिए किए गए ।
यह विभिन्न सहायक उपकरणों में हुई ऊर्जा खपत की समीक्षा करने तथा सहायक खपत को कम करने हेतु सुधारात्मक कार्यवाही करने में सहायक होगा ।

ध) प्रति यूनिट उत्पादन में ऊर्जा की खपत और कुल ऊर्जा खपत इस परिशिष्ट के फॉर्म-ए में संलगन है ।
एन.एच.डी.सी. इस अनुसूची में निर्धारित किए गए उद्योगों की श्रेणी में नहीं आती है ।

प्रपत्र - बी

1) कंपनी द्वारा वे विशेष क्षेत्र जिसमें अनुसंधान एवं विकास (आर.एण्ड डी.) के कार्य किए गए ।
विद्युत गृह के सहायक प्रणाली का स्काडा द्वारा पूर्ण स्वचालन हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

2) उपरोक्त आर.एण्ड डी. के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ ।
विद्युत गृह का सुचारू संचालन एवं रखरखाव ।

3) भावी कार्य योजना ।
अनुसंधान एवं विकास कार्य प्रतिष्ठान के उपलब्ध स्वज्ञान तथा विभिन्न प्रदायकर्ता की सलाह के अनुसार किये जायेगें ।

4) आर.एण्ड डी. पर व्यय ।
(क) पूंजी (ख) आवर्ती (ग) कुल (ध) कुल आर.एण्ड डी. खर्च जो कि कुल टर्नओवर का प्रतिशत है ।
वर्तमान में आर.एण्ड डी. पर कोई व्यय नहीं किया गया । यह आशा की जाती है कि आर.एण्ड डी. पर आने वाले वर्षों में व्यय किया जायेगा ।

प्रौद्योगिकीय समावेशन, ग्राह्यता और नवीकरण

1) प्रौद्योगिकीय समावेशन, ग्राह्यता और नवीकरण के लिए किए गए प्रयासों का संक्षिप्त विवरण ।
ओंकारेश्वर परियोजना (520 मेगावाट) में विशाल कंक्रीटिंग के त्वरित स्थानन हेतु रोटेक तंत्र का अमरीका से आयात, इरेक्शन एवं प्रचालन जिससे कि परियोजना को चार वर्ष के कीर्तिमान अवधि में पूर्ण किया जा सके ।

2) उपरोक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ, यथा उत्पादन में सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास, आयात प्रतिस्थापन आदि ।
रोटेक तंत्र परियोजना में बाढ़ की अवधि के दौरान भी कंक्रीटिंग को अबाधित रूप से समर्थ बनायेगी जिससे की परियोजना को चार वर्ष से कम अवधि में नियत समय से पूर्व पूर्ण किया जा सके ताकि परियोजना की लागत में कमी संभव हो सके एवं संबंधित संसाधनों का बाढ़ की अवधि में अनुपयोगी होना कम किया जा सके ।

पिछले पांच वर्षों के दौरान आयातित प्रौद्योगिकी

शून्य

विदेशी मुद्रा में आय व्यय

निर्यात के क्रियाकलाप, निर्यात को बढाने के लिए की गई पहल, वस्तु और सेवा के लिए विकसित नये निर्यात के बाजार और निर्यात योजना।
लागू नहीं है।

कुल विदेशी मुद्रा में आय
शून्य
कुल विदेशी मुद्रा में व्यय
रूपए 7460 लाख

अनुसूची-ख

नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल के सदस्यों के लिए लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

हमने **नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल** के 31 मार्च, 2004 के संलग्न तुलन-पत्र और साथ ही उसी तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए संलग्न कंपनी के लाभ एवं हानि लेखा तथा कैश फ्लो स्टेटमेंट के विवरण की लेखापरीक्षा कर ली है। ये वित्तीय विवरण कंपनी प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संबंध में अपनी राय व्यक्त करना है।

हमने भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा संचालित की है। उन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम लेखापरीक्षा की आयोजना तथा निष्पादन इस बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए करें कि क्या वित्तीय विवरण गलत विवरण से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों तथा प्रकटनों को समर्थित करने वाले साक्ष्य की परीक्षण आधार पर जांच शामिल है। लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों तथा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों के आंकलन के साथ-साथ समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमें विश्वास है हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए युक्तिसंगत आधार उपलब्ध कराती है।

जैसा कि भारत की केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनियां (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश 2003 के तहत अपेक्षित है, तथा हमारे द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उपधारा (4क) के अनुसार समुचित समझी जाने वाली जांच के आधार पर तथा हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर हम उक्त आदेश के पैराग्राफ 4 तथा 5 में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में कंपनी पर यथाप्रयोज्य सीमा तक एक विवरण अनुबंध के रूप में संलग्न कर रहे हैं।

उपर्युक्त अनुबंध में हमारी टिप्पणियों के अतिरिक्त, हम सूचित करते हैं कि :

i) हमने वे सभी सूचनाएं व स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे।

ii) हमारी राय में कंपनी द्वारा कानूनी तौर पर आवश्यक समुचित लेखा बहियां रखी गई हैं, जैसा कि इन बहियों के परीक्षण से स्पष्ट होता है।

iii) इस रिपोर्ट में दर्शाए गए तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि लेखा तथा कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपनी की लेखा बहियों से मेल खाते हैं।.

iv) हमारी राय में इस रिपोर्ट में दर्शाए गए तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि लेखा तथा कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप-धारा (3ग) में उल्लिखित लेखाकरण मानकों के समनुरूप हैं।

v) कंपनी कार्य विभाग द्वारा अपने सामान्य परिपत्र संख्या 829(ई) दिनांक 21.10.2003 के तहत जारी परिपत्र के अनुसार यह निदेश दिया गया है कि उक्त अधिनियम की धारा 274 की उप-धारा (1) का खंड (छ) किसी सरकारी कंपनी पर प्रयोज्य नहीं होगा। अतः हमारी राय में इस खंड की अपेक्षा इस कंपनी पर भी प्रयोज्य नहीं है।

vi) हमारी राय में तथा हमारी अधिकतम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त लेखे, उनपर दी गई तथा संलग्न टिप्पणियों सहित निम्न के अधीन कंपनी अधिनियम,1956 द्वारा यथाअपेक्षित जानकारी अपेक्षित तरीके से

   i. कंपनी की लेखा टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 9 (ii) के अनुसार कंपनी ने अब तक विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार मूल्यह्रास प्रभारित किया है जबकि वर्तमान वर्ष में उसे सीईआरसी के विनियमों द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार प्रभारित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप मूल्यह्रास में कमी तथा लाभ में 90,98,805/-रूपए की वृद्धि हुई है।

   ii. टिप्पणी संख्या 14 के अनुसार विद्युत उत्पादन प्रशुल्क दरें सीईआरसी द्वारा अनंतिम रूप से अनुमोदित की गई है। दरों के अंतिमनिर्धारण में किसी अंतर को वास्तविक दरें नियत करने के वर्ष में समायोजित किया जाएगा। वर्तमान में ऐसे अंतर की राशि को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

तथा भारत में सामन्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के समनुरूप निम्न के बारे में सही तथा उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं :-

क) 31 मार्च,2004 तक निगम के क्रियाकलापों की स्थिति के संदर्भ में तुलन-पत्र के मामले में तथा

(ख) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ एवं हानि लेखा के मामले में।

(ग) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कैश फ्लो के कैश स्टेटमेंट के मामले में।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27.05.2004

कृते **एम.मेहता एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

पी. आर. बंदी
भागीदार
सदस्यता संख्या 16402

नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के संबंध में हमारी समसंख्यक रिपोर्ट के पैराग्राफ-I में उल्लिखित अनुबंध

1. वर्ष के दौरान कंपनी की गतिविधियां इस प्रकार की रही हैं कि कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2003 के पैराग्राफ 4 के खंड (XII), (XIII) तथा (XIV) इस वर्ष के लिए कंपनी पर प्रयोज्य नहीं है।

2. क. कंपनी ने नियत परिसंपत्तियों के मात्रात्मक ब्यौरे एवं स्थिति सहित पूर्ण ब्यौरे दर्शाने वाले उचित अभिलेखों का अनुसंरक्षण किया है।

   ख. नियत परिसंपत्तियों का वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा वास्तविक सत्यापन किया गया है। हमें सूचित किया गया है कि ऐसे सत्यापन पर प्रबंधन की जानकारी में कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं आई।

   ग. कंपनी ने वर्ष के दौरान नियत परिसंपत्तियों के महत्वपूर्ण भाग का निपटान नहीं किया है।

3. क. भंडार वस्तुसूची का वास्तविक सत्यापन वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा उचित अंतरालों पर किया गया है।

   ख ऐसी वस्तुसूची के वास्तविक सत्यापन के संबंध में प्रबंधन द्वारा अनुसरण की गई प्रक्रियाएं कंपनी के आकार तथा इसके व्यवसाय के स्वरूप के संदर्भ में युक्तिसंगत तथा पर्याप्त हैं।

   ग. कंपनी भंडार वस्तुसूची के उचित रिकार्डों का अनुरक्षण कर रही है। वास्तविक सत्यापन पर जानकारी में आई विसंगतियों, यदि कोई हो, पर लेखाबहियों में उचित प्रकार कार्रवाई की गई है।

4. क कंपनी ने कंपनी के कर्मचारियों को छोड़कर कपंनी अधिनियम,1956 की धारा 301 के तहत अनुरक्षित रजिस्टर में शामिल कंपनियो, फर्मो या अन्य पक्षकारों को कोई ऋण नहीं दिए हैं। कंपनी ने धारक कंपनी (एनएचपीसी लिमिटेड) से 20000 लाख रूपए के अनारक्षित अस्थाया ऋणों के अलावा कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 301 के तहत अनुरक्षित रजिस्टर में शामिल पक्षकारों से कोई ऋण नहीं लिए हैं तथा साथ ही वर्ष के दौरान एनवीडीए से अधिगृहित तथा वर्ष के दौरान अनारक्षित ऋण के रूप में दर्शाए गए 16249 लाख रूपए की परिसंपत्तियों को समायोजित भी किया है जिसे अंततः दोनों परियोजनाओं की अंशपूंजी तथा आईएसपी एवं एसएसपी संघटकों के अंशदान के प्रति समायोजित किया गया है।.

   ख कंपनी द्वारा जिस ब्याज दर एवं अन्य शर्तों पर ऋण लिया गया है वह प्रथमदृष्टया कंपनी के हित के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण नहीं हैं। कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को दिए गए ऋणों के संबंध में ब्याज दर एवं अन्य शर्तें हमारी राय में प्रथमदृष्टया कंपनी के हित के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण नहीं है।

   ग. वर्ष के दौरान लिए गए ऋणों के संबंध में मूलधन की राशि तथा ब्याज का नियमित भुगतान किया जा रहा है।

   घ. लिए गए ऋणों के संबंध में कंपनी ने एक लाख रूपए प्रत्येक के ऋणों के संबंध में मूलधन एवं ब्याज के भुगतान के लिए युक्तिसंगत कदम उठाए हैं।

   ड. कंपनी द्वारा दिए गए ऋणों के संबंध में एक लाख रूपए से अधिक कोई अतिदेय राशियां नहीं हैं।

5. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वस्तुसूची तथा नियत परिसंपत्तियों की खरीद तथा ऊर्जा/वस्तुओं की बिक्री के लिए कंपनी के आकार एवं इसके व्यवसाय के स्वरूप के समनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं हैं।

6. क हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, चूंकि कंपनी अधिनियम की धारा 297 इस कंपनी पर प्रयोज्य नहीं है तथा साथ ही कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अनुसरण में रजिस्टर में प्रविष्ट किए जाने वाले आवश्यक लेन-देनों के प्रविष्ट कर लेने के कारण इस संबंध में उक्त धारा की उप-धारा (6) के मद्देनज़र धारा 299 के प्रावधान भी प्रयोज्य नहीं हैं।

   ख हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा ऊपर 6(क) के मद्देनज़र, 5 लाख रूपए तथा उससे अधिक के लेन-देन को समुचित मूल्यों पर किए जाने के कारण उनके संबंध में उक्त खंड भी कंपनी पर प्रयोज्य नहीं होगा।

7. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 58क तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के अर्थ में जनता से कोई जमाराशियां स्वीकार नहीं की हैं।

8. कंपनी का एक आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग है जो हमारी राय में व्यवसाय के स्वरूप और आकार के समनुरूप है, तथा दौरों की बारम्बारता के संबंध में इसकी पुनरीक्षा की जानी आवश्यक है।

9. कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 209(1)(घ) के तहत लागत अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा बनाई गई लेखा (वैद्युत उद्योग) नियमावली 2001 के अनुसरण में कंपनी द्वारा अनुरक्षित लेखा बहियों की मोटे तौर पर पुनरीक्षा की गई है तथा हमारी राय है कि प्रथमदृष्टया इंदिरा सागर परियोजना में प्रचालनात्मक यूनिटों के संबंध में निर्धारित लेखे तैयार किए गए हैं तथा उनका अनुरक्षण किया गया है।

10. क हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि, आयकर, बिक्री कर, सम्पत्ति कर, सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर तथा अन्य सांविधिक देयताओं सहित अविवादित सांविधिक देयताएं, जहां भी प्रयोज्य है, समुचित प्राधिकारणों के पास नियमित रूप से जमा करा रही है।

ख हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार बिक्री कर/आयकर/सीमाशुल्क कर/ सम्पत्ति कर/उत्पादन शुल्क/उपकर की विवादित देयताओं को समुचित प्राधिकरणों के पास जमा न कराने के कोई मामले नहीं हैं।

11. कंपनी की वित्तीय वर्ष के अंत में कोई संचित हानियां नहीं है तथा इसने रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष में तथा तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष में, नकद हानियां उपगत नहीं की हैं।

12. कंपनी के अभिलेखों के अनुसार इसने वर्ष के दौरान देयताओं की किस्तों के बैंकों को पुनर्भुगतान में चूक नहीं की है।

13. हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने किसी बैंक या वित्तीय संस्थाओं से अन्यों द्वारा लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।

14. समग्र आधार पर सावधि ऋण से संबंधित निधि उपयोग तथा संबंधित सूचना जो हमें उपलब्ध कराई गई है, की पुनरीक्षा के आधार पर कंपनी ने उसी प्रयोजन के लिए सावधि ऋणों को प्रयुक्त किया है जिसके लिए वे प्राप्त किए गए थे **सिवाए इंदिरा सागर परियोजना के लिए जुटाए गए 59200 लाख रूपए की राशि के जिसे सावधि जमाराशि के रूप में रखा गया तथा जिसे आगे ओंकरेश्वर परियोजना के संबंध में साखपत्र हेतु मार्जिन धन के लिए प्रयुक्त किया गया है।**

15. कंपनी के तुलन-पत्र की समग्र जांच तथा हमें उपलब्ध कराई गई संबंधित सूचना पर आधारित निधियों के उपयोग की पुनरीक्षा के आधार पर कंपनी ने अल्पावधि निवेश प्रयोजन के लिए कोई निधियां नहीं जुटाई हैं। कंपनी ने अपने दीर्घावधिक निवेशों के लिए अल्पावधि/दीर्घावधिक आधार पर निधियां जुटाई है तथा उस राशि को उसी प्रयोजनार्थ प्रयुक्त किया है।

16. कंपनी ने कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 301 के तहत अनुरक्षित रजिस्टर में शामिल पक्षकारों तथा कंपनियों को शेयरों का कोई वरीय आवंटन नहीं किया है।

17. कंपनी द्वारा कोई ऋण पत्र जारी नहीं किए गए हैं तथा इसलिए उनके संबंध में प्रतिभूतियां जारी करने का प्रश्न नहीं उठता।

18. इस अवधि के दौरान,कंपनी ने सार्वजनिक निर्गम द्वारा कोई धन नहीं जुटाया है।

19. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के साथ या उसके द्वारा कोई धोखाधड़ी वित्तीय वर्ष के दौरान जानकारी में नहीं आई है अथवा सूचित नहीं की गई है।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27.05.2004

कृते **एम.मेहता एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

पी. आर. बंदी
भागीदार
सदस्यता संख्या 16402

31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

(लाख रुपए)

	अनुसूची संख्या			31 मार्च, 2004 को			31 मार्च, 2003 को
निधियों के स्रोत							
क. शेयर धारकों की निधियां							
शेयर पूंजी	1		1,63,235			1,07,706	
शेयर पूंजी जमाराशि	1क		5,526			27,294	
आरक्षित तथा अधिशेष	2		61,562	2,30,323		42,756	1,77,756
ख. ऋण निधियां							
आरक्षित ऋण	3		78,000			–	
अनारक्षित ऋण	4		65,000	1,43,000		45,490	45,490
ग. आकस्मिकताओं के लिए स्व भीमा				182			–
घ. आस्थगित कर							
निवल आस्थगित कर देयताएं			597			–	
घटाएं : आस्थगित वसूलनीय कर			597	–		–	–
	जोड़			**3,73,505**			**2,23,246**
निधियों का प्रयोग							
क. नियत पूंजी व्यय							
नियत परिसंपत्तियां	5						
सकल ब्लॉक		1,71,549			2,475		
मूल्यह्रास		1608			589		
निवल ब्लॉक			1,69,941			1,886	
चालू पूंजीगत कार्य	6		1,34,507			1,83,124	
निर्माण भंडार तथ पेशगी	7		18,419	3,22,867		23,090	2,08,100
ख. चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं पेशगी	8						
माल सूची		–			–		
चालू संविदात्मक कार्य		–			–		
विविध देनदार		514			–		
नकद एवं बैंक शेष		65,883			2,02,28		
अन्य चालू परिसंपत्तियां		1,634			680		
ऋण एवं पेशगी		1,047	69,078		497	21,405	
घटाएंः चालू देयताएं एवं प्रावधान	9						
देयताएं		18,175			6,313		
प्रावधान		449	18,624		151	6,464	
निवल चालू परिसंपत्तियां				50,454			14,941
ग. विविध व्यय (बट्टे खाते न डाले गए या समायोजित किए जाने की सीमा तक)	10			184			205
	जोड़			**3,73,505**			**2,23,246**
लेखाकरण नीतियां	15						
लेखा टिप्पणियां तथा आकस्मिक देयताएं	16						

अनुसूची 1 से 16
लेखा का अभिन्न अंग है।

हमारी संलग्न की गई इसी तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एम. मेहता एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस

निदेशक मंडल के लिए तथा की ओर से

पी.आर. भंदी
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 16402

टी.एन. गोपालकृष्ण
निदेशक

एस.के.डोडेजा
मुख्य कार्यपालक निदेशक

योगेन्द्र प्रसाद
अध्यक्ष व प्रभंध निदेशक

वी.के. त्रिपाठी
सहायक सचिव

एन.के. चड्डा
महाप्रबंधक (वित व लेखा)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक :27.05.2004

31 मार्च, 2004 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखा

(लाख रुपए)

	अनुसूची संख्या			31 मार्च, 2004 समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च, 2003 समाप्त वर्ष के लिए
आय							
बिक्री			2,734			–	
घटाएं : मूल्यह्रास के प्रति पेशगी			–	2,734		–	–
संविदाएं एवं परामर्श				–			–
अन्य आय	11			76			–
कुल आय				**2,810**			–
व्यय							
उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय	12			339			–
कर्मचारी पारिश्रमिक एवं हित लाभ	13			45			–
मूल्यह्रास			445			–	
घटाए :आरक्षित पूंजी राशि से अंतरण (देखें टिप्पणी संख्या 11ख)			65	380		–	–
ब्याज एवं वित्त प्रभार	14			691			–
लाभानुभोगी राज्यों को प्रोत्साहन				–			–
पूर्वावधि समायोजन (निवल)				–			–
कुल व्यय				**1,455**			–
वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ				**1,355**			–
कराधान के लिए प्रावधान							
वर्तमान कर			118			–	–
आस्थगित कर		597			–		
घटाएं : आस्थगित कर वसूलनीय समायोजन		597	–	118	–	–	–
कर के बाद लाभ				**1,237**			–
विनियोजन							
(i) प्रस्तावित अंतिम लाभांश				240			–
(ii) कारपोरेट लाभांश कर				31			–
तुलन-पत्र में ले जाया गया लाभ				**966**			–
लेखाकरण नीतियां	15						
लेखा टिप्पणियां एवं आकस्मिक देयताएं	16						

अनुसूची 1 से 16
लेखा का अभिन्न अंग है।

हमारी संलग्न की गई इसी तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एम. मेहता एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस

निदेशक मंडल के लिए तथा की ओर से

पी.आर. भंदी
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 16402

टी.एन. गोपालकृष्ण
निदेशक

एस.के.डोडेजा
मुख्य कार्यपालक निदेशक

योगेन्द्र प्रसाद
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

वी.के. त्रिपाठी
सहायक सचिव

एन.के. चड्डा
महाप्रबंधक (वित व लेखा)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक :27.05.2004

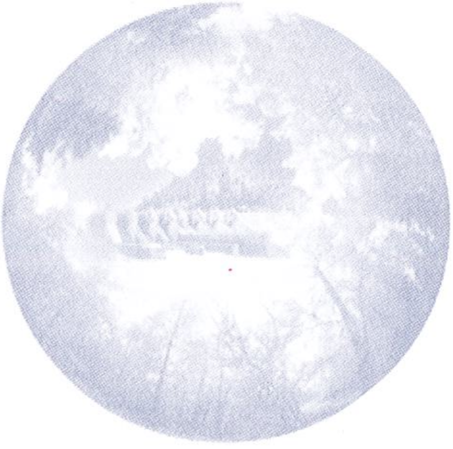

अनुसूची-1 शेयर पूंजी

(लाख रुपए)

विवरण		31 मार्च, 2004		31 मार्च, 2003
प्राधिकृत				
1000 रूपए प्रत्येक के 30000000 इक्विटी शेयर		3,00,000		3,00,000
निर्गमित,अभिदत्त एवं प्रदत्त	1,63,235	1,63,235	107706	1,07,706
1000 रूपए प्रत्येक के पूर्णतः प्रदत्त 163,23,529 (विगत वर्ष 10,77,612) इक्विटी शेयर। उपरोक्त में से 83,40,000 (विगत वर्ष 65,95,512) शेयर धारक कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद को तथा 79,83,529 (विगत वर्ष 41,75,100) शेयर मध्य प्रदेश सरकार को आवंटित किए गए हैं।				
टिप्पणी : उक्त में से 74,83,528 (विगत वर्ष 41,75,099) इक्विटी शेयर एक समझौता ज्ञापन के अनुसरण में नकद भुगतान प्राप्त किए बिना पूर्णतः प्रदत्त के रूप में आवंटित किए गए थे।				
जोड़		**1,63,235**		**1,07,706**

अनुसूची-1क शेयर पूंजी जमा खाता

(लाख रुपए)

विवरण		31 मार्च, 2004		31 मार्च, 2003
हिस्सा पूंजी जमा				
i) एनएचपीसी (धारक कंपनी) से	5,526		3,045	
ii) एनवीडीए लेखें से	–	5,526	24,249	27,294
जोड़		**5,526**		**27,294**

अनुसूची-2 आरक्षित एवं अधिशेष

(लाख रुपए)

	31 मार्च, 2004	वृदि	कटौती	31 मार्च, 2003
आरक्षित पूंजी				
i) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इंदिरा सागर बांध के सिंचाई संघटक के लिए आनुपातिक अंशदान के रूप में	18,771	6,720	29	25,462
ii) एनवीडीए लेखे में सरदार सरोवर परियोजना के लिए अंतरित आनुतिक सबवेंशन	23,985	8,587	36	32,536
iii) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ओंकरेश्वर के सिंचाई संघटक के लिए आनुपातिक अंशदान के रूप में	–	2,598	–	2,598
अधिशेष				
i) पी एवं एल लेखे के अनुसार अतिशेष	–	966	–	966
जोड़	**42,756**	**18,871**	**65**	**61,562**

अनुसूची-3 ऋण निधियां आरक्षित ऋण

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2004 को	31 मार्च, 2003 को
दीर्घावधिक ऋण		
बैंकों से		
1 **ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स** (एक वर्ष में पुनअर्दायगी के लिए देय शून्य रूपए) (31.03.2008 से आगे 12 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	20,000	–
2 **जम्मू एवं कश्मीर बैंक** (एक वर्ष में पुनअर्दायगी के लिए देय शून्य रूपए) (31.03.2008 से आगे 12 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	10,000	–
3 **बैंक ऑफ इंडिया** (एक वर्ष में पुनअर्दायगी के लिए देय शून्य रूपए) (31.03.2008 से आगे 12 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	25,000	–
4 **आन्ध्रा बैंक** (एक वर्ष में पुनअर्दायगी के लिए देय शून्य रूपए) (31.03.2008 से आगे 12 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	10,000	–
5 **केनरा बैंक** (एक वर्ष में पुनअर्दायगी के लिए देय शून्य रूपए) (31.03.2008 से आगे 12 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय) w.e.f. 31.03.2008 onwards)	7,500	–
6 **देना बैंक** (एक वर्ष में पुनअर्दायगी के लिए देय शून्य रूपए) (31.03.2008 से आगे 12 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	3000	–
7 **यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया** (एक वर्ष में पुनअर्दायगी के लिए देय शून्य रूपए) (31.03.2008 से आगे 12 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	2,500	–
टिप्पणी : उपर्युक्त सभी सावधि ऋण इंदिरा सागर जल विद्युत परियोजना की सभी नियत परिसंम्पत्तियों पर समरूप प्रभार से प्रतिभूत हैं तथा आगे सभी यूनिटों के आरम्भ तक ऋणों पर ब्याज के सामयिक भुगतान के लिए धारक कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड की अप्रतिसंहरणीय कारपोरेट गारंटी द्वारा प्रतिभूत हैं।		
जोड़	**78,000**	**शून्य**

अनुसूची-4 ऋण निधियां अनारक्षित

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2004 को		31 मार्च, 2003 को	
अल्पावधि ऋण				
(I) **पंजाब नेशनल बैंक** (एक वर्ष के भीतर देय 500000000 रूपए)		5,000		-
(ii) **भारतीय स्टेट बैंक** धारक कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा गांरटीयुक्त (एक वर्ष के भीतर देय 6000000000 रूपए)		60,000		30,000
(iii) **अन्यों से ऋण निधि** मध्य प्रदेश सरकार (एनवीडीए)				
आईएसपी खाते के लिए	–		10,341	
ओएसपी खाते के लिए	–	–	5,149	15,490
जोड़		**65,000**		**45,490**

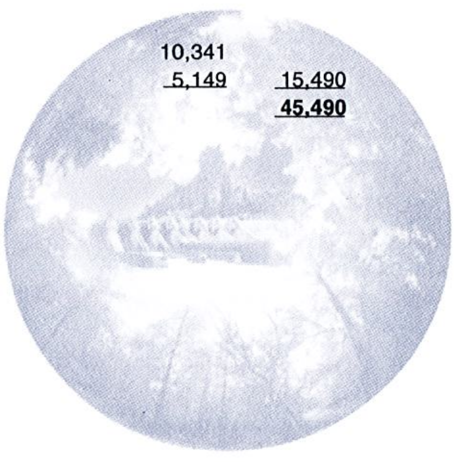

अनुसूची-5 स्थिर परिसम्पत्तियां

(लाख रुपए)

विवरण	सकल ब्लॉक 1.4.2003 को	वर्धन– समायोजन	कटैती/ समायोजन	31.3.2004 को	मूल्यह्रास 1.4.2003 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.3.2004 को	निवल ब्लॉक 31.3.2004 को	31.3.003 को
फ्री होल्ड भूमि	–	35	–	35	–	–	–	–	35	–
भवन	708	21465	–	22173	257	560	–	817	21356	451
सड़कें एवं पुल	821	63	–	884	127	12	–	139	745	694
निर्माण संयंत्र एवं मशीनरी	24	55	–	79	1	10	–	11	68	23
उत्पादन संयंत्र एवं मशीनरी	422	36,856	–	37278	3	120	–	123	37155	419
उपकेन्द्र उपस्कर	4	58	–	62	-	2	–	2	60	4
जल निर्माण कार्य	–	110336	–	110336	–	239	–	239	110097	–
वाहन	70	59	–	129	47	(4)	–	43	86	23
फर्नीचर,फिक्चर एवं उपस्कर	319	93	–	412	69	51	–	120	292	250
परेषण लाइने	6	–	–	6	1	–	–	1	5	5
विविध परिसंपत्तियां/ उपस्कर	21	26	–	47	4	1	–	5	42	17
5000/-रूपए तक की अल्प मूल्य का	80	28	–	108	80	28	–	108	–	–
जोड़	**2475**	**169074**	**–**	**171549**	**589**	**1019**	**–**	**1608**	**169941**	**1886**
पिछले वर्ष	430	2045	–	2475	116	473	–	589	1886	314

वर्ष के लिए मूल्यह्रास निम्न प्रकार आवंटित किया गया है।

(i) लाभ एवं हानि लेखा 445 लाख रूपए

(ii) निर्माण के दौरान आनुषंगिक व्यय 574 लाख रूपए

अनुसूची-6 चालू पूंजीगत कार्य

(लाख रुपए)

विवरण	1.4.2003 को	वर्ष के दौरान वर्धन	समायोजन	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	31.3.2004 को
1. सर्वेक्षण,अन्वेषण एवं अन्य खर्च	288	48	–	–	336
2. भवन व सिविल इंजीनियरिंग कार्य तथा संचार	25,096	5,627	–	(16,480)	14,243
3. सड़कें एवं पुल	66	840	(724)	(41)	141
4. हाइड्रोलिक कार्य, बैराज, बांध टनल एवं पावर चैनल	35,427	11,376	–	(28,965)	17,838
5. पैन स्टॉक	–	144	–	–	144
6. जनरेटिंग स्टेशन में संयंत्र एवं मशीनरी	29,204	20,676	–	(30,227)	19,653
7. विद्युत संस्थापना एवं उपकेन्द्र संयंत्र	–	–	–	–	–
8. टर्नकी संविदाओं पर आयोजना, अभिकल्पन तथा अवसंरचना व्यय	–	1,559		–	1,559
9. विविध परिसंपत्तियां	–	212	–	–	212
10. ट्रंक पारेषण लाईन्स	10	4	–	(6)	8
11. निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय					
क) अन्य	51,914	6,041	–	(14,086)	4,38,69
ख) निर्माण के दौरान ब्याज	89	4,452	–	(2,448)	2093
उप-जोड़	1,42,094	50,979	(724)	(92,253)	1,00,096
12. पुनर्वास पर व्यय	41,030	68,417	–	(75,036)	34,411
जोड़	**1,83,124**	**1,19,396**	**(724)**	**(1,67289)**	**1,34,507**
पिछले वर्ष	1,01,312	83,654	–	(1,842)	1,83,124

अनुसूची-6 का परिशिष्ट निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय

(लाख रुपए)

विवरण		1.4.2003 से 31.3.2004 की अवधि में			1.4.2002 से 31.3.2003 की अवधि में	
कर्मचारी परिश्रमिक एवं लाभ						
वेतन, मजदूरी भत्ते एवं लाभ एवं उपदान		1,651			1372	
भविष्य निधि में अंशदान		–			–	
(प्रशासन शुल्क सहित)		102			70	
स्टाफ कल्याण व्यय		2,29			102	
अवकाश वेतन एवं पेंशन अंशदान		101	2,083		60	1,604
मरम्मत एवं रखरखाव						
भवन		95			49	
मशीनरी एवं निर्माण उपकरण		5			–	
अन्य		393	493		142	191
प्रशासनिक एवं अन्य व्यय						
कार्यालय किराया		27			24	
रिहायशी किराया		92			73	
महसूल एवं कर		–			–	
विद्युत प्रभार		585			280	
बीमा	54			70		
यात्रा एवं वाहन		142			105	
स्टाफ कार एवं निरीक्षण वाहनों पर व्यय		217			156	
टेलीफोन, टेलेक्स एवं डाक व्यय		50			30	
विज्ञापन एवं प्रचार		38			51	
डिजाइन एवं परामर्शी प्रभार		308			787	
मनोरंजन		10			6	
मुद्रण एवं स्टेशनरी		43			30	
कारपोरेशन के स्वामित्व से भिन्न परिसंपत्तियों पर व्यय		734			–	
सुरक्षा व्यय		24			36	
अन्य व्यय		118			86	
लेखापरीक्षा व्यय		5			3	
सामग्री का नुकसान/बटटे खाते डाली गई परिसंपत्तियां		–	2,447		24	1761
ब्याज एवं वित्त प्रभार			5,348			89
मूल्यह्रास			574			473
सर्वेक्षण एवं जांच व्यय			5			–
वेतन, मजदूरी, प्रारंभिक व्यय, पौध रोपण, रखरखाव एवं पर्यावरण व्यय एनवीडीए द्वारा किया गया व्यय			1622			24,268
कुल व्यय			**12,572**			**28,386**
घटाएं - प्राप्तियां एवं वसूलियां						
मियादी जमा/बैंक लेखा पर ब्याज	1252			195		
घटाएं- बैंक ब्याज पर आयकर	–	1,252		-72	123	
ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज		44			11	
विविध प्राप्तियां एवं वसूलियां		61			63	
अस्थिर विद्युत की बिक्री		40			–	
बीमा दावा		413			–	
प्रावधान/देयताएं जिनका पश्च लेखन आवयक नहीं।		243			45	
कुल प्राप्तियां एवं वसूलियां			2053			242
शुद्ध व्यय			**10,519**			**28,144**
घटाएं-कारपोरेट कार्यालय व्यय का प्रचालनात्मक यूनिटों/परियोजनाओं को आवंटित अंश			**26**			–
चालू पूंजीगत कार्य को अंतरित राशि			**10,493**			**28,144**

अनुसूची-7 निर्माण भंडार एवं अग्रिम

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2004 को		31 मार्च, 2003 को	
निर्माण भंडार				
(प्रबंधन द्वारा प्रमाणित एवं मूल्यांकित लागत पर)				
निर्माण सामग्री पारगमन में	–		–	
भंडार	51	51	41	41
पूंजीगत व्यय हेतु अग्रिम				
आरक्षित (कंसीडर्ड गुड)	–		–	
अनारक्षित (कंसीडर्ड गुड)	18,368		–	
संदिग्ध माने जाने वाला	–	18,368	23,049	23,049
जोड़		18,419		23,090

अनुसूची-8 चालू परिसंपत्तियां,ऋण एवं अग्रिम

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2004 को		31 मार्च, 2003 को	
चालू परिसंपत्तियां				
माल सूची				
(लागत पर प्रबंधन द्वारा प्रमाणित एवं मूल्यांकित)				
भंडार एवं अतिरिक्त पुज		–		–
लूज टूल्स		–		–
निर्माण कार्य प्रगति पर (संविदाएं)		–		–
विविध देनदार (अनारक्षित)				
छह माह से अधिक अवधि के लिए				
बकाया ऋण	–		–	
अन्य ऋण	514		–	
कुल देनदार	–		–	
घटाएं- प्रावधान	–	514	–	–

विविध देनदारों के विवरण (अनारक्षित)

	2003-04	2002-03
(कंसीडर्ड गुड)	514	–
संदेहजनक माने गए व प्रावधानित	–	–

विवरण	31 मार्च, 2004 को		31 मार्च, 2003 को	
विद्यमान नकद एवं बैंक शेष				
नकद, अग्रदाय, चैक एवं ड्राफ्ट्स	5		4	
अनुसूचित बैंक में शेष				
चालू खाता	5,384		3,168	
जमा खाता(अल्पावधि)	60,494		17056	
अन्य (डाकघर)	–	65,883	–	20,228
अन्य चालू परिसंपत्तिया				
जमाराशि पर अर्जित ब्याज	434		27	
अन्य	1200	1,634	653	680
ऋण एवं अग्रिम				
कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम (आरक्षित कंसीडर्ड गुड)	354		228	
कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम (अनारक्षित कंसीडर्ड गुड)	75		47	
नकदी या अथवा प्राप्त होने वाले				
मूल्य के लिए वसूली योग्य अग्रिम	–		–	
आरक्षित (शोध्य माना गया)	–		–	
अप्रतिभूत (शोध्य माना गया)	124		97	
अनारक्षित(संदिग्ध माना गया)	–		–	
घटाएं : संदिग्ध के लिए प्रावधान	–		–	
जमा अग्रिम कर एवं स्रोत पर काटा गया करजमा अग्रिम कर एवं स्रोत पर काटा गया कर	494	1,047	125	497
जोड़		69,078		21,405

	2003-2004	2002-2003
क. गैर-अनुसूचित बैंकों में वर्ष के दौरान अधिकतम शेष का विवरण		–
स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	–	
ख. निदेशकों पर बकाया ऋण एवं अग्रिमों का विवरण		
वर्ष के अंत में बकाया राशि	2	–
वर्ष के दौरान किसी भी समय अधिकतम शेष	3	–

अनुसूची-9 चालू देयताएं एवं प्रावधान

(लाख रुपए)

विवरण		31 मार्च, 2004 को			31 मार्च, 2003 को	
देयताएं						
विविध लेनदार						
लघु औद्योगिक उपक्रम(उपक्रमों) की कुल बकाया राशि	–			–		
(30 दिन से अधिक शून्य रूपए देयता शामिल है)	~~17,246~~	17,246		~~5,664~~	5,664	
जमा/एजेंसी की खर्च न की गई राशि		–			–	
जमा/प्रतिधारण राशि		578			318	
उपार्जित ब्याज जो कि ऋण पर देय नहीं है		–			–	
जारी किए गए चेक के लिए देयताएं जो कि प्रस्तुत नहीं की गई		–			–	
निर्माण संविदाओं के लिए अग्रिम		–			–	
अन्य देयताएं		351	18,175		331	6,313
प्रावधान						
कराधान		118			126	
प्रस्तावित लाभांश		240			—	
प्रस्तावित लाभांश पर कर		31			—	
स्टाफ हित लाभ		60	449		25	151
जोड़			**18,624**			**6,464**

अनुसूची-10 विविध व्यय

(बट्टे खाते न डाले गए या समायोजित न किए गए)

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2004 को		31 मार्च, 2003 को	
आरंभिक व्यय				
पिछले वर्ष के तुलनपत्र के अनुसार शेष	205		205	
घटाएं - वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाला गया/10वां हिस्सा	21	184	–	205
बट्टे खाते डाले जाने की प्रतीक्षारत हानियां	–		1	
घटाएं : प्रावधानित	–	–	1	–
जोड़		**184**		**205**

अनुसूची-11 अन्य आय

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2004 समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2003 समाप्त वर्ष के लिए
अल्पावधि जमा से आय	72	–
बांडों पर ब्याज	–	–
स्टाफ को ऋणों एवं अग्रिम पर ब्याज	1	–
अन्यों से ब्याज	1	–
स्क्रैप से आय	–	–
किराए की प्राप्ति तथा वसूलियां	1	–
विधुत प्रभारों की वसूली –	–	–
अन्य विविध आय	1	–
जोड़	**76**	–

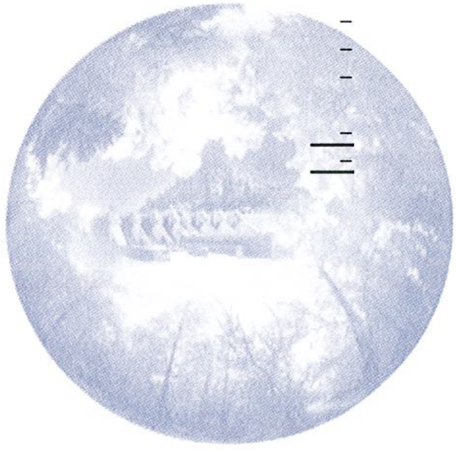

अनुसूची-12 उत्पादन, प्रशासन व अन्य व्यय

(लाख रुपए)

विवरण		31 मार्च, 2003 को		31 मार्च, 2003 को
सामग्री व पुर्जों की खपत		–		–
मरम्मत व रखरखाव				
भवन	5		–	
मशीनरी	–		–	
अन्य	17	22	–	–
विविध प्रचालनात्मक खर्च		–		–
किराया		1		–
दरें व कर		–		–
बीमा	3		–	
स्व बीमा		182		
सुरक्षा व्यय		1		–
बिजली प्रभार		58		–
यात्रा व संवहन		2		–
स्टाफ कार पर व्यय		4		–
टेलीफोन, टेलेक्स व डाक खर्च		1		–
विज्ञापन व प्रचार		–		–
दान		–		–
छपाई व लेखन सामग्री		1		–
परामर्शी प्रभार		13		–
बट्टे खाते डाले गए परियोजना खर्च		–		–
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि		–		–
बट्टे खाते डाला गया आरंभिक खर्च		21		–
अन्य सामान्य व्यय		4		–
कारपोरेट कार्यालय प्रबंधन व्यय		26		–
जोड़		339		–

अनुसूची-13 कर्मचारी पारिश्रमिक तथा लाभ

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2004 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2003 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन, मजदूरी तथा भत्ते	35	–
उपदान तथा भविष्य निधि में अंशदान(प्रशासन शुल्क सहित)	4	–
कर्मचारी कल्याण व्यय	6	–
जोड़	45	–

अनुसूची-14 ब्याज तथा वित्त प्रभार

(लाख रुपए)

विवरण		31 मार्च, 2004 को		31 मार्च, 2003 को
नियत ऋणों पर ब्याज				
भारत सरकार के ऋणों पर ब्याज	–		–	
बांडों पर ब्याज	–		–	
विदेशी ऋणों पर ब्याज	–		–	
सावधि ऋण पर ब्याज	475	475	–	–
अन्य ऋणों पर ब्याज				
नकद ऋण सुविधाओं पर ब्याज		–		–
बांड व्यय	–			
ग्राहकों को छूट		37		
वचनबद्धता शुल्क		–		–
ऋण पर गारंटी शुल्क		43		–
अन्य वित्त प्रभार		136		–
जोड़		691		–

अनुसूची-15 महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का विवरण

1. लेखांकन परम्पराएं

1.1 वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किए गए हैं।

1.2 कंपनी लेखांकन मरकेन्टाइल पद्धति का अनुसरण करती है।.

2. नियत परिसंपत्तियां

2.1 नियत परिसंपत्तियों का निर्धारण अर्जन/निर्माण के आधार पर किया गया है। फिर भी, जहां संविदाकर्ताओं/ आपूर्तिकर्ताओं इत्यादि द्वारा देय प्रस्तुत न करने/ समायोजन न किए जाने के कारण वास्तविक लागत सुनिश्चित नहीं की जा सकती, वहां उसे अनुमानित लागत के आधार पर दर्शाया गया है।

2.2 निगम के स्वामित्व रहित भूमि पर सृजित नियत परिसंपत्तियों को नियत परिसंपत्तियों के अन्तर्गत दर्शाया गया है, सिवाय उन परिसंपत्तियों के जिन्हें पुनर्वास/पुनःस्थापन के लिए सृजित किया गया है।

3. चालू पूंजीगत कार्य

3.1 स्थापना से संबंधित रख-रखाव,प्रशासन,ब्याज व स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास आदि पर हुए व्यय को निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय में प्रभारित किया गया है।

3.2 वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने पर भूमि तथा बुनियादी ढाचां निर्माण कार्यों को छोड़कर, ''निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय'' की पूर्ण राशि अचल मुख्य संघटकों को आवंटित कर दी जाएगी।

4. प्रारंभिक व्यय

वाणिज्यिक संचालन शुरू होने के बाद परियोजनाओं का प्रारंभिक व्यय 10 वर्ष की अवधि में बट्टे खाते डाला जाएगा।

5. पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन व्यय

आप्लावित हो जाने वाली भूमि से संबंधित मुआवजों एवं अन्य व्ययों के लिए अनंतिम रूप से किया गया भुगतान पुनर्वास तथा पुर्नर्स्थापन व्यय माना जाएगा।

6. मूल्यह्रास और परिशोधन

6.1 लीज पर ली गई भूमि का प्रीमियम, लीज की अवधि में, परिशोधित किया गया है।

6.2 बिजली विनियामक आयोग अधिनियम,1998 (एक केन्द्रीय अधिनियम) के अन्तर्गत गठित केन्द्रीय बिजली विनियामक आयोग (सीईआरसी द्वारा विनियमों में अधिसूचित दरों का अनुसरण कर सीधी रेखा विधि से मूल्यह्रास बिजली (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के अनुसार प्रभारित किया जाता है। जिन परिसंपत्तियों के बारे में दर सीईआरसी के विनियमों द्वारा अधिसूचित नहीं की गई हो, वहां मूल्यह्रास आयकर अधिनियम,1961 के अन्तर्गत निर्धारित दरों के सदृय दरों पर सीधी रेखा विधि से प्रदत्त किया जाना है, सिवाए कम्प्यूटरों तथा पेरीफिरलों के मामले में जहां कंपनी द्वारा यथा निर्धारित दरें अपनाई जाती है।

6.3 मूल्यह्रास परिसंपत्तियों के उपयोग हेतु उपलब्ध होने के वर्ष में यथानुपातिक आधार पर प्रदान किया जाता है।

6.4 5000/-रूपए या इससे कम मूल्य की परिसंपत्तियां तथा वर्ष के आरंभ में 5000/-रूपए या कम के अपलेखित मूल्य वाली ऐसी मदों (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) को पूर्णतया मूल्यह्रासित किया जाता है।

7. वस्तुसूचियों का मूल्यांकन

7.1 भंडारों तथा अतिरिक्त कल पुर्जों का मूल्यांकन भारित औसत लागत पर किया जाता है, किन्तु बेकार माल का मूल्य निर्धारण शुद्ध प्राप्य मूल्य के आधार पर किया जाता है।

7.2 वर्ष के दौरान निर्गमित लूज़ टूल्स की लागत को, जहां एकल मद की लागत 5000/-रूपए या इससे कम है, खपत में प्रभारित किया जाता है तथा अन्य मामलों में 5 बराबर वार्षिक किश्तों में बटटे खाते डाला किया जाता है।

8. विदेशी मुद्रा लेन-देन

विदेशी मुद्रा ऋणों/अधिशेषों को वर्ष के अंत में लागू विनिमय दरों के अनुसार परिवर्तन/ रूपांतरित किया जाता है। पूंजीगत परिसंपत्तियों के मामले में इस अंतर को चालू पूंजीगत कार्यों/नियत परिसंपत्तियों में और चालू परिसंपत्तियों के मामले में इसे निर्माण के दौरान आनुषंगिक खर्च (आईईडीसी) में डाला जाता है।

9. सेवानिवृत्ति लाभ

प्रत्येक वर्ष बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर ग्रेच्यूटी, अवकाश नकदीकरण तथा सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा स्वास्थ्य योजना का प्रावधान है।

10. विविध

10.1 मार्गस्थ माल/निष्पादित पूंजीगत कार्य के लिए देयताओं के लिए निगम द्वारा लंबित निरीक्षण तथा स्वीकृत न किए जाने के कारण प्रावधान नहीं किया गया है।

10.2 50,000/-रूपए और इससे कम की मदों के पूर्व प्रदत्त व्ययों तथा पूर्वावधि व्ययों/ आय को स्वाभाविक लेखाशीर्ष के अन्तर्गत प्रभारित किया जाता है।

11. निगम मुख्यालय के लिए खर्च का आवंटन

निगम कार्यालय के व्यय, निम्नानुसार आवंटित किए जाते हैं।

(क) विद्युत केन्द्र पर, करों और शुल्कों को छोड़कर वर्ष के लिए ऊर्जा की बिक्री के @ 1 प्रतिशत की दर से।

(ख) शेष व्यय को वर्ष के दौरान उपगत निवल पूंजी व्यय के अनुपात में निर्माणाधीन पारियोजनाओं को आवंटित किया जाता है।

12. उधार लागत

उधार लेने की लागत जो कि पात्र परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन को आरोप्य है, को उस परिसंपत्ति की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है।

13. आय पर कर

(क) चालू वर्ष के लिए आय पर करों का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत कर योग्य आय के आधार पर किया जाता है।

(ख) आस्थगित कर को वर्ष के लिए लेखाकरण आय तथा कर योग्य आय के बीच समयांतरों के आधार पर मान्य किया जाता है तथा तुलनपत्र की तिथि की स्थिति के अनुसार अधिनियमित या स्वायत्त अधिनियमित कानूनों तथा कर दरों का प्रयोग करते हुए उसका प्रमात्रात्मक निर्धारण किया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को उस सीमा तक मान्य तथा अग्रेनीत किया जाता है जहां तक युक्तिसंगत निश्चितता है कि ऐसी पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होंगी जिसके प्रति ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्तियों को वसूल किया जा सकता है। आस्थगित कर वसूली समायोजन लेखे को भावी वर्षों में वास्तविक भुगतान आधार पर लाभानुभोगियों से प्रभार्य वर्तमान कर व्यय की सीमा तक क्रेडिट/डेबिट किया जाता है।

14. स्व-बीमा

तुलन-पत्र की तिथि की स्थिति के अनुसार पावर स्टेशन के सकल ब्लॉक का 0.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष लाभ तथा हानि लेखे में प्रभार द्वारा वर्ष-दर-वर्ष आधार पर ''आकस्मिकताओं के लिए स्व-बीमा'' के तौर पर माना जाता है जिसका उपयोग विनिर्दिष्ट आकस्मिकताओं के लिए परिसंपत्तियों की हानियों के लिए किया जाता है।

15. राजस्व

(क) ऊर्जा की बिक्री का लेखा-जोखा केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार किया जाता है। पावर स्टेशनों के मामले में, जहां टैरिफ अधिसूचित नहीं होता,बिक्रियों का बिल निर्धारण समुचित प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए मानदंडों तथा विधि के आधार पर परिकलित अनंतिम दरों पर किया जाता है। विदेशी मुद्रा ऋणों के संबंध में विदेशी मुद्रा अंतर के लिए वसूली/प्रतिदाय तथा आयकर के लिए वसूली का लेखा-जोखा वर्ष-दर-वर्ष आधार पर किया जाता है।

(ख) प्रोत्साहनों/हतोत्साहनों को टैरिफ अधिसूचनाओं के अनुसार मान्य किया जाता है। पावर स्टेशन के मामले में जहां टैरिफ अधिसूचित नहीं किए गए हैं, प्रोत्साहन को उनकी स्वीकृति की संभावना के निर्धारण के आधार पर अनंतिम रूप से मान्य किया जाता है।

(ग) विश्वव्यापी लेखों को अंतिम रूप दिए जाने के प्रत्युत्पन्न समायोजन, चाहे व महत्वपूर्ण न हो, अंतिम रूप दिए जाने के संबंधित वर्ष से प्रभावी किए जाते हैं।

(घ) ऋणों की चुकौती को सुकर बनाने के लिए आरंभिक वर्षों में टैरिफ के घटक के रूप में, मूल्यह्रास के प्रति दिए गए अग्रिम को बिक्री में से घटा दिया जाता है तथा इसे अनुवर्ती वर्षों में शामिल की जाने वाली आस्थगित आय माना जाता है।

अनुसूची-16 लेखों पर टिप्पणियां

1. निम्न के संबंध में आकस्मिक देयताओं के लिए प्रावधान नहीं किया गया है -

(क) निगम के विरुद्ध 5420 लाख रूपए (विगत वर्ष 28953 लाख रूपए) के दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं किया गया है।

(ख) (i) मैसर्स टेक्नोप्रोमेक्सपोर्ट, मास्को, रूस के पक्ष में बैंककारों द्वारा खोले गए 2752 लाख रूपए (विगत वर्ष 3389 लाख रूपए) के विदेशी साखपत्र।

(ii) मैसर्स वायथ सीमन्स हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में बैंककारों द्वारा खोले गए 59200 लाख रूपए (विगत वर्ष शून्य) के विदेशी साख पत्र।

2. प्रावधान न किए गए पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने के लिए शेष संविदाओं की 142656 लाख रूपए (विगत वर्ष 54611 लाख रूपए) की अनुमानित राशि (यूरो एवं यूएसडी पूंजी वचनबद्धता को 31.03.2004 के प्रवृत्त विनिमय दर के आधार पर आईएनआर में रूपांतरित किया जाता है।)

3. (क) वर्ष के दौरान कारपोरेशन ने 1643 लाख रूपए (विगत वर्ष 24766 लाख रूपए) को और अभिज्ञात किया है तथा लेखाकरण किया है जिसमें निर्माणावधि के दौरान व्यय के रूप में लिए गए विभिन्न उपभोज्य भंडार मदों के लिए 236 लाख रूपए शामिल है तथा 31.3.2004 तक 110305 लाख रूपए की कुल राशि शामिल है जो 31.8.2000 तक आईएसपी परियोजना के लिए एनवीडीए द्वारा उपगत राशि है, यह 110578 लाख रूपए की सूचित राशि के एवज़ में हैं तथा अब कोई खाता लम्बित नहीं है।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार ने दिनांक 29.3.2004 के पत्र के तहत सूचित विभिन्न खातों पर अप्रैल, 2003 से मार्च, 2004 की अवधि के दौरान 1359 लाख रूपए (विगत वर्ष 6435 लाख रूपए) की राशि और उपगत की है।

(ग) ऊपर टिप्पणी 3(क) तथा (ख) में वर्णित समायोजन के परिणामस्वरूप आईएसपी के संबंध में एनवीडीए के खाते में 118099 लाख रूपए क्रेडिट किए गए हैं तथा वर्ष के दौरान प्राप्त 5271 लाख रूपए (विगत वर्ष 4000 लाख रूपए) निम्न प्रकार समायोजित किए गए हैं :

(i) 31.03.2004 तक मध्य प्रदेश सरकार को 65,99,999 इक्विटी शेयर के आवंटन के लिए 65999.99 लाख रूपए।

(ii) पूंजी प्रारक्षित राशि में से आईएस बांध के सिंचाई संघटक के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आनुपातिक अंशदान के रूप में 25491 लाख रूपए (विगत वर्ष के 18771 लाख रूपए सहित), जिन्हें 36352 लाख रूपए के कुल अनुदान के प्रति अनुदान का भाग माना गया है। यह दिनांक 28.03.2002 की सीसीईए स्वीकृति तथा साथ ही एनवीडीए के दिनांक 24.06.2003 के पत्र के अनुसार है।

(iii) पूंजी प्रारक्षित राशि में सरदार सरोवर परियोजना के लिए आनुपातिक सबवेंशन के रूप में 32572 लाख रूपए (विगत वर्ष में 23985 लाख रूपए सहित) जिन्हें 46451 लाख रूपए के किए जाने वाले कुल अंशदान के प्रति आंशिक अनुदान माना गया है। यह दिनांक 28.03.2002 की सीसीईए मंजूरी तथा साथ ही एनवीडीए के दिनांक 24.06.2003 के पत्र के अनुसार है।

(iv) शेष 3308 लाख रूपए ओंकारेश्वर परियोजना के इक्विटी तथा सिंचाई संघटकों के लिए समायोजित कर दिए गए हैं!

(घ) वर्ष के दौरान कारपोरेशन ने 177 लाख रूपए (विगत वर्ष 5149 लाख रूपए) का और पता लगाया हैं तथा लेखाकरण किया है तथा 5883 लाख रूपए की सूचित राशि की तुलना में मार्च, 2003 तक ओंकारेश्वर परियोजना के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उपगत कुल राशि 5326 लाख रूपए हैं एवं अब कोई लेखा लम्बित नहीं है।

(ङ.) ओंकारेश्वर परियोजना के संबंध में एनवीडीए के लेखे में जमा किए गए 5326 लाख रूपए तथा वर्ष के दौरान प्राप्त 7800 लाख रूपए (विगत वर्ष शून्य रूपए) एवं इंदिरा सागर परियोजना से समायोजित 3308 लाख रूपए की राशि निम्न प्रकार समायोजित की गई है :-

(i.) मध्य प्रदेश सरकार को 13,83,529 इक्विटी शेयरों के आवंटन के लिए 13835.29 लाख रूपए।

(ii.) प्रारक्षित पूंजी में ओंकरेश्वर परियोजना के सिंचाई संघटक के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2598 लाख रूपए (विगत वर्ष शून्य रूपए) का आनुपातिक अंशदान जिसे सीसीईए की दिनांक 29.05.2003 की संस्वीकृति के अनुसार 18280 लाख रूपए के कुल अनुदान में से आंशिक अनुदान माना गया है।

4. कारपोरेशन ने 31.03.2004 तक एनएचपीसी लिमिटेड (धारक कंपनी) को 83,40,000 इक्विटी शेयर (31.3.2003 तक आवंटित 65,95,512 इक्विटी शेयरों सहित) आवंटित किए हैं तथा मध्य प्रदेश सरकार को 79,83,529 इक्विटी शेयर (31.3.2003 तक आवंटित 4175100 इक्विटी शेयर सहित) आवंटित किए हैं।

5. (i) वित्तीय वर्ष के दौरान, इंदिरा सागर परियोजना की चार यूनिटों ने क्रमशः 14.01.2004, 18.01.2004, 06.03.2004 तथा 29.03.2004 को वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ कर दिया है तथा अन्य चार यूनिट 31.03.2004 की स्थिति के अनुसार निर्माणाधीन हैं।

(ii) कंपनी ने उन यूनिटों के लिए लाभ एवं हानि लेखा तैयार किया है जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2003-2004 के दौरान वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ कर दिया है।

(iii) वाणिज्यिक प्रचालन का प्रथम वर्ष होने के कारण लाभ एवं हानि लेखा में पिछले वर्ष के कोई आंकड़े नहीं दिए गए हैं।

6. (क) वर्ष के दौरान कारपोरेशन ने अपनी लागत का कुछ अंश उन यूनिटों के लिए पूंजीकृत कर दिया है जिन्होंने आरंभण की प्रत्येक तिथि को परियोजना द्वारा किए गए तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ किया तथा तदनुसार सीडब्ल्यूआईपी के तहत उपगत व्यय को 13.1.2004 की तिथि के अनुसार नदी डाइवर्शन सुरंग, नहर एवं जल निर्माण कार्य, टेल रेस निर्माणकार्यों के संबंध में 100 प्रतिशत पूंजीकृत कर दिया है तथा अन्य सीडब्ल्यूपी मदों तथा आरएवंआर व्ययों के संबंध में लागत को पूर्ण किए गए कार्य की प्रतिशतता के आधार पर बांटा गया है।

(ख) "निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय" को पूंजीकरण के दिन संगत परिसम्पत्तियों की लागत के आधार पर विभाजित किया गया है।

(ग) वित्तपोषण पैटर्न के मद्देनज़र, उपयोग में लाई गई परिसंपत्तियों की संपूर्ण लागत इक्विटी पूंजी, पूंजी अनुदान तथा उधारों में से की गई है, संचालन के बाद की अवधि में संबंधित ब्याज की राशि को निर्माण अवधि के दौरान प्रासंगिक व्यय में आनुपातिक रूप से डाल दिया गया है तथा शेष राशि को पूंजीकृत परिसम्पत्तियों की लागत में शामिल उधार ली गई निधियों के आधार पर लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित किया गया है।

(घ) संचालन के बाद की अवधि से संबंधित एमओडी/नियत जमाराशि पर अर्जित ब्याज को भी निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय लेखों तथा लाभ एवं हानि लेखा में जमा कर दिया गया है।

7. कारपोरेशन ने बैंकों से लिए गए ऋण तथा एनएचपीसी से लिए गए अंतःकंपनी ऋण के लिए उधार लागत के रूप में इंदिरा सागर एवं ओंकारेश्वर परियोजनाओं के संबंध में 5997 लाख रूपए की राशि उपगत की है तथा 5343 लाख रूपए की धनराशि पूर्ण/आरंभ की गई विद्युत यूनिटों के आधार पर पूर्व आरंभण अवधि के लिए आईईडीसी को प्रभारित की गई है। 654 लाख रूपए की उधार लागत, जो ऐसी यूनिटों पर संचालन के बाद की अवधि से संबंधित है, आईसीएआई द्वारा जारी लेखाकरण मानक एएस-16 द्वारा यथा परिकल्पित लाभ एवं हानि लेखा को प्रभारित की गई है।

8. (क) पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन पर उपगत व्यय में आप्लावित भूमि की लागत, सड़कों, स्कूल भवन, अस्पताल भवन, कार्यालय भवन, विद्युतीकरण एवं अन्य बुनियादी ढांचा निर्माण पर किया गया 81152 लाख रूपए (विगत वर्ष 41017 लाख रूपए) का व्यय चालू कार्य शीर्ष के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

(ख) रेल ट्रेकों के विपथन के लिए रेलवे को दिए गए अग्रिम के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2003-2004 के दौरान 28295 लाख रूपए की राशि पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन व्यय में समायोजित की गई है।

(ग) परामर्शी प्रभारों के लिए 186 लाख रूपए (विगत वर्ष 359 लाख रूपए), ब्याज के लिए 853 लाख रूपए (विगत वर्ष 37 लाख रूपए) तथा गारंटी शुल्क 522 लाख रूपए (विगत वर्ष शून्य) की अदायगी धारक कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड को की गई है।

9. (i) एनवीडीए से अधिगृहीत परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान वास्तविक संपूर्ति/ एनवीडीए द्वारा इनके संस्थापन की तिथि से लेकर वित्तीय वर्ष 2000-2001 तक 1948 के विद्युतापूर्ति अधिनियम के तहत निर्धारित दरों पर किया गया है। उसके पश्चात मूल्यह्रास का प्रावधान सीईआरसी द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार किया गया है।

(ii) कारपोरेशन ने वर्ष 2001-2002 से प्रभावी, मूल्यह्रास प्रभारित करने के संबंध में अपनी लेखाकरण नीति को वर्ष के दौरान संशोधित किया है। नीति में संशोधन के कारण वर्ष के दौरान मूल्यह्रास प्रभार (निवल) 210 लाख रूपए कम रहा है। इसमें से 91 लाख रूपए लाभ एवं हानि लेखे से तथा 119 लाख रूपए ''निर्माण के दौरान प्रसांगिक व्यय'' से संबंधित हैं। आईईडीसी में वर्ष 2001-2002 तथा 2002-2003 के लिए प्रभाव क्रमशः 27 लाख रूपए तथा 33 लाख रूपए कम रहा है।

(iii) नियत परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास को प्रशुल्क की वसूली के प्रयोजनार्थ प्रयोज्य सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों पर लाभ एवं हानि लेखा तथा आईईडीसी को प्रभारित किया गया है। कंपनी अधिनियम,1956 की अनुसूची-XIV में निर्धारित दरों की तुलना में वर्ष के लिए मूल्यह्रास 272 लाख रूपए कम रहा क्योंकि विद्युत अधिनियम,2003 द्वारा मूल्यह्रास दरें विनिर्दिष्ट नहीं की गई हैं।

10. नियत परिसंपत्तियों के सकल ब्लाक में वर्ष के दौरान बांध तथा विद्युत गृह पर पूंजीगत अन्य परिसंपत्तियों संबंधी मूल्यह्रास की अप्रत्यक्ष राशि भी शामिल है, इसे परियोजना की सभी 8 यूनिटों के अंतिम संचालन पर अगले वर्ष में समायोजित किया जाएगा।

11. (क) मध्य प्रदेश सरकार तथा गुजरात सरकार से आईएसपी एवं एसएसपी संघटकों के लिए प्राप्त अंशदान विगत वर्ष में पूंजी प्रारक्षित राशि में जमा कर दिया गया है। वर्ष के दौरान प्राप्त अंशदान को भी कारपोरेट कार्यालय में उक्त लेखों में समायोजित कर दिया गया है तथा परियोजना को अंतरित किया गया है और वर्ष के दौरान इंदिरा सागर एवं ओंकारेश्वर परियोजनाओं की बहियों में हिसाब में ले लिया गया है।

(ख) पूंजीगत राशि की सीमा तक अनुदान/सबवेंशन राशि समायोजित की गई,ऐसी राशि पर मूल्यह्रास प्रभार के समकक्ष राशि पूंजी प्रारक्षित राशि से अंतरित की गई है तथा लाभ एवं हानि लेखे में वर्ष के लिए कुल मूल्यह्रास में कटौती के रूप में मान्य की गई है।

12. एनएचपीसी लिमिटेड से प्राप्त सूचना के आधार पर एनएचपीसी से प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारियों के संबंध में ग्रेच्युटी एवं सेवानिवृत्ति लाभ का प्रावधान रखा गया है। तथापि, मध्य प्रदेश सरकार से प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारियों के लिए कोई प्रावधान बनाए जाने की आवश्यकता नहीं है और एनएचडीसी के कर्मचारियों के लिए यह सुविधा ''बीमांकित मूल्यांकन'' के आधार पर उपलब्ध करायी गई है।

13. (क) विविध लेनदान(अन्य) में 215 लाख रूपए (विगत वर्ष 379 लाख रूपए) सम्मिलित हैं जो कि धारक कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड को देय है।

(ख) अन्य चालू परिसंपत्तियों में 599 लाख रूपए (विगत वर्ष 572 लाख रूपए) सम्मिलित हैं जो कि विद्युत शुल्क एवं अन्य प्रभारों के रूप में एनवीडीए द्वारा देय हैं।

14. एमपीएसईबी को विद्युत की बिक्री अनंतिम दरों पर की गई, जो कि सीईआरसी के अनुमोदन के अध्यधीन है जिसके समक्ष कारपोरेशन का आवेदन 31.3.2004 की स्थिति के अनुसार निर्णय हेतु लम्बित है।

15. बोर्ड के अभिमत में,लेखांकन मानदंड-एएस 18 ''संबंधित पार्टी प्रकटन'' जो कि भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किया गया है, इस कंपनी पर लागू नहीं होता है क्योंकि उक्त कंपनी किसी अन्य राज्य नियंत्रित उद्यम द्वारा नियंत्रित है।

16. (i) विद्युत उत्पादन कारपोरेशन की मुख्य गतिविधि है, तदनुसार ''खंड रिपोर्टिंग'' के संबंध में आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मान एएस-17 के अनुसार सूचना देने योग्य कोई खंड नहीं हैं।

(ii) कारपोरेशन का विद्यमान विद्युत केन्द्र मध्य प्रदेश के राज्य में ही अवस्थित हैं, इसलिए भौगोलिक खंड अप्रयोज्य हैं।

17. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 441क के तहत कुल उत्पादन पर संदेय उपकर की अवधि तथा प्रयोज्य दर विनिर्दिष्ट करते हुए भारत सरकार द्वारा उपयुक्त अधिसूचना का निर्गम लम्बित होने के कारण कारपोरेशन ने उक्त उपकर राशि के लिए किसी देयता का प्रावधान नहीं किया है।

18. कंपनी ने विभिन्न आवासीय एवं कार्यालय परिसर प्रचालन पट्टे पर लिए हैं। इन्हें निरस्त नहीं किया जा सकता है एवं इनकी अवधि सामान्यतया एक वर्ष से तीन वर्ष अथवा इससे अधिक है एवं इन्हें प्रायः आपसी सहमति से दोनों पक्षों को स्वीकार्य निबंधन एवं शर्तों पर नवीनीकृत किया जाता है। पट्टे पर किए गए भुगतान को निर्माण के दौरान किए गए प्रासंगिक व्यय पत्रक में अनुसूची-6 में कार्यालय किराया एवं आवास किराया लेखा शीर्ष में दर्ज किया जाता है। भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट संस्थान द्वारा जारी एएस-19 ''लीज एकाउटिंग'' के अनुसार यथापेक्षित यह जानकारी दी गई।

(लाख रूपए)

19.

	विवरण	2003-04	2002-03
	निदेशकों को प्रदत्त पारिश्रमिक		
(i)	वेतन तथा भत्ते	5	4
(ii)	भविष्य निधि में अंशदान	1	–
(iii)	अन्य लाभ	–	–
(iv)	व्ययों की प्रतिपूर्ति	3	–

(लाख रूपए)

20.

	विवरण	2003-04	2002-03
	सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक		
(a)	लेखापरीक्षा शुल्क	2	2
(b)	कर लेखापरीक्षा शुल्क	–	–
(c)	प्रमाणन	–	–
(d)	सेवा कर	–	–
(e)	व्यय	1	1

21. (i) आयकर अधिनियम की धारा 115 जेबी के तहत यथापेक्षित, आय कर के लिए प्रावधान किया गया है।

(ii) आईसीएआई द्वारा "आय पर कर के लिए लेखांकन" संबंधी लेखांकन मानक-22 के अनुपालन में वर्ष के लिए 597 लाख रूपए की कर देयता के लिए निम्न प्रकार से प्रावधान किया गया है :-

(लाख रूपए)

	आस्थगित कर देयता/ परिसम्पत्तियां	31.3.2004	31.3.2003
(i)	**आस्थगित कर देयता:-** मूल्यह्रास अंतर	5071	–
(ii)	**आस्थगित कर परिसंपत्तियां :** अग्रेनीत किए जाने वाला असमाहित मूल्यह्रास	4473	–
(iii)	**निवल आस्थगित कर देयता**	597	–

(iii) कारपोरेशन की कोई कर योग्य संपत्ति नहीं है, अतः संपत्ति कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

22. लेखांकन नीति के अनुसार, कारपोरेशन को स्वबीमा प्रारक्षित राशि के रूप में आरंभ की गई विद्युत यूनिटों के सकल ब्लॉक का 0.5 प्रतिशत सृजित करना है। वर्ष के दौरान ऐसी प्रारक्षित राशि को परियोजना संचालन 14.01.2004 से मानते हुए 31.03.2004 की स्थिति के अनुसार सकल ब्लॉक के लिए 182 लाख रूपए के यथानुपातिक आधार पर सृजित किया गया है।

23. **मात्रात्मक ब्यौरे**:

		2003-04	2002-03
(i)	लाइसेंसशुदा क्षमता (मेगावाट)	1520	लागू नहीं
(ii)	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	500	लागू नहीं
(iii)	वास्तविक उत्पादन (मि.यू.)	196.511*	शून्य
(iv)	बिक्री (मि.यू.)	183.238	शून्य

*इसमें संचालन पूर्व अवधिक से संबंधित आईईडीसी को क्रेडिट की गई 9.731 मि.यू. अस्थिर विद्युत शामिल है।

24. विदेशी मुद्रा में व्यय :

		2003-04	2002-03
(i)	संविदाओं के लिए अग्रिम	6296 लाख	शून्य
(ii)	संविदा निर्माण कार्यों के लिए	414 लाख	शून्य
(iii)	पूंजीगत वस्तुओं के लिए	741लाख	374 lacs
(iv)	यात्रा	8 लाख	शून्य
(v)	अन्य	1 लाख	शून्य

25.	आयातों का सीआईएफ मूल्य	शून्य	शून्य
26.	विदेशी मुद्रा में अर्जन	शून्य	शून्य

27. विगत वर्षों के आंकड़ों को यथावश्यक पुनः व्यवस्थित/पुनः समूहबद्ध/पुनः तैयार किया गया है।

हमारी संलग्न की गई इसी तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते एम. मेहता एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंन्टेंट

निदेशक मंडल के लिए तथा की ओर से

पी.आर. बंदी
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 16402

टी.एन. गोपालकृष्ण
निदेशक

एस.के. डोडेजा
मुख्य कार्यपालक निदेशक

योगेन्द्र प्रसाद
अध्यक्ष एव प्रबंध निदेशक

वी.के. त्रिपाठी
सहायक सचिव

एन.के. चड्डा
महाप्रबंधक(वित्त व लेखा)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27.05.2004

तुलन-पत्र का सार एवं कम्पनी के सामान्य व्यवसाय की रूपरेखा

पंजीकरण विवरण

I पंजीकरण संख्या 10 143 37 राज्य कोड 10 तुलन-पत्र दिनांक 31 03 2004

II **वर्ष के दौरान जुटाई गई पूंजी (लाख रूपए में)**

सार्वजनिक निर्गम: शून्य

राईट निर्गम: शून्य

बांड निर्गम: शून्य

निजी नियोजन *: 33761

* एनएचपीसी से प्राप्त शेयर पूंजी जमा शामिल है

III **निधियों को जुटाने और अभिनियोजित करने की स्थिति (लाख रूपए में)**

कुल देयताएं: 392129

कुल परिसंपत्तियां: 392129

निधियों के स्रोत

प्रदत्त पूंजी #: 168761

आरक्षित एवं अधिशेष $: 61744

आरक्षित ऋण: 78000

अनारक्षित ऋण: 65000

धारक कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड से प्राप्त 5526 लाख रूपए की हिस्सा पूंजी जमाराशि शामिल है।
$ 182 लाख रूपए की राशि का आकस्मिकता हेतु स्व बीमा शामिल है ।

निधियों का प्रयोग

शुद्ध स्थिर परिसंपत्तियां: 322867

निवेश: शून्य

शुद्ध चालू परिसंपत्तियां: 50454

विविध व्यय: 184

संचित हानियां: शून्य

IV **कंपनी का कार्य निष्पादन (लाख रूपए में)**

कारोबार: 2734 @

कुल व्यय: 1455

कर-पूर्व लाभ: 1355

कर पश्चात लाभ: 1237

प्रति शेयर अर्जन रूपए

7	.	5	8

लाभांश राशि

2	4	0	-

@ इसमें 76 लाख रूपए की अन्य आय शामिल नहीं है

V ***कंपनी के सामान्य तीन मुख्य उत्पादों/सेवाओं के नाम***

i) उत्पादन विवरण

जल	**विद्युत**	**का**	**उत्पादन**

मद कोड संख्या

	-	

ii) उत्पाद विवरण

मद कोड संख्या

	-	

iii) उत्पाद विवरण

मद कोड संख्या

	-	

हमारी संलग्न की गई इसी तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते एम.मेहता एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट

पी.आर. बंदी
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 16402

निदेशक मंडल के लिए तथा की ओर से

टी.एन. गोपालकृष्ण
निदेशक

एस.के.डोडेजा
मुख्य कार्यपालक निदेशक

योगेन्द्र प्रसाद
अध्यक्ष एव प्रबंधक निदेशक

वी.के. त्रिपाठी
सहायक सचिव

एन.के. चड्डा
महाप्रबंधक (वित्त व लेखा)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक :27.05.2004

कैश फ्लो स्टेटमैंट

(Rupees in lacs)

	31.3.2004 को समाप्त वर्ष के लिए		31.3.2003 को समाप्त वर्ष के लिए	
क) प्रचालनात्मक गतिविधियों से कैश फ्लो				
कर पूर्व शुद्ध लाभ तथा असाधारण मदें	1,355		–	
जोड़ें : मूल्यह्रास	379		–	
बट्टे खाते डाला गया आरंभिक व्यय	21		–	
आकस्मिकताओं के लिए स्व बीमा	182		–	
	1937		–	
घटाएं : पृथक माने गए ब्याज तथा वित्तीय प्रभार	691		–	
कार्यकारी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालनात्मक लाभ		1,246		–
कार्यकारी पूंजीगत प्रभार				
विविध देनदारों में वृद्धि	(514)		–	
ऋणों एवं अग्रिमों में वृद्धि	(90)		(226)	
अन्य चालू आस्तियों में वृद्धि	(1,046)		(325)	
चालू देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि	13,260	11,610	(4,002)	(4,553)
		12,856		(4,553)
घटाएं कर		494		–
प्रचालनों से सृजित नकद राशि (क)		12,362		(4,553)
ख) निवेश गतिविधियों से कैश फ्लो				
नियत परिसंम्पत्तियां	(1,192)		(270)	
चालू पूंजीगत कार्य	(85,459)		83,654	
निर्माण भंडार एवं अग्रिम	(23,623)		10,975	
निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध कैश (ख)		(1,10,274)		(94,359)
ग) वित्तीय गतिविधियों से कैश फ्लो				
हिस्सा पूंजी के निर्गम से प्राप्तियां	19,400		45,000	
धारक कंपनी से हिस्सा पूंजी जमा प्राप्तियां	5526		3,045	
उधारों से प्राप्तियां	1,13,000		30,000	
(आईएसपी एवं ओएसपी) पर व्यय के समायोजन द्वारा	3179		36,350	
मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त निधियां	–		–	
मध्य प्रदेश सरकार से अनुदान के रूप में प्राप्त निधिया	8,071		4,000	
प्रदत्त ब्याज एवं वित्तीय प्रभार	(5,609)		–	
वित्तीय गतिविधियों से कैश फ्लो (ग)		1,43,567		118,395
नकदी एवं नकद समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/कमी (क+ ख+ग)		45,655		19,483
नकदी एवं नकद समतुल्य (आरंभिक शेष)		20,228		745
नकदी एवं नकद समतुल्य (बंद शेष)		65,883		20,228

हमारी संलग्न की गई इसी तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एम.मेहता एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट

निदेशक मंडल के लिए तथा की ओर से

पी.आर. बंदी
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 16402

टी.एन. गोपालकृष्ण
निदेशक

एस.के.डोडेजा
मुख्य कार्यपालक निदेशक

योगेन्द्र प्रसाद
अध्यक्ष एव प्रबंधक निदेशक

वी.के. त्रिपाठी
सहायक सचिव

एन.के. चड्डा
महाप्रबंधक (वित्त व लेखा)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक :27.05.2004

परिशिष्ट-ग

नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के लेखों पर 31 मार्च, 2004 के सामप्त हुए वर्ष के लेखों पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के तहत भारत के मुख्य नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की टिप्पणी

टिप्पणियाँ	**प्रबंध वर्ग का उत्तर**
लेखाकन नीति संख्या 6.2 **लेखों पर टीप : अनुसूची-16-नोट संख्या 9(iii)**	
दिनांक 10.06.2003 से विद्युत अधिनियम 2003 के अधिनियमित एवं प्रभावी होने के परिणामस्वरूप, तीन पुराने विद्युत कानून यथा विद्युत अधिनियम 1910, विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 2003 में मूल्यह्रास दर से संबंधित ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसे जनरेटिंग कंपनियों द्वारा अपने वार्षिक लेखों की तैयारी में अनुसरण किया जा सके । कंपनी द्वारा 31 मार्च, 2004 को समाप्त वर्ष के लेखों की तैयारी में उन मूल्यह्रास दरों का निरंतरता से अनुसरण किया गया है जो कि केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा टेरिफ निर्धारण हेतु मार्च, 2001 में अधिसूचित किया गया है । लेखा पुस्तिकाओं में भारित की जाने वाली मूल्यह्रास दरों की प्रभावशीलता के संबंध में स्पष्टीकरण के लिए इस विषय को भारत सरकार को निर्दिष्ट किया गया है ।	प्रबंध वर्ग द्वारा नोट किया गया ।

ह./-
(रेवती बेदी)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं
पदेनसदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-।।
नई दिल्ला

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 2 अगस्त, 2004

510 मेगावाट तीस्ता चरण-V परियोजना (सिक्किम)-निर्माणाधीन हैडरेस टनल

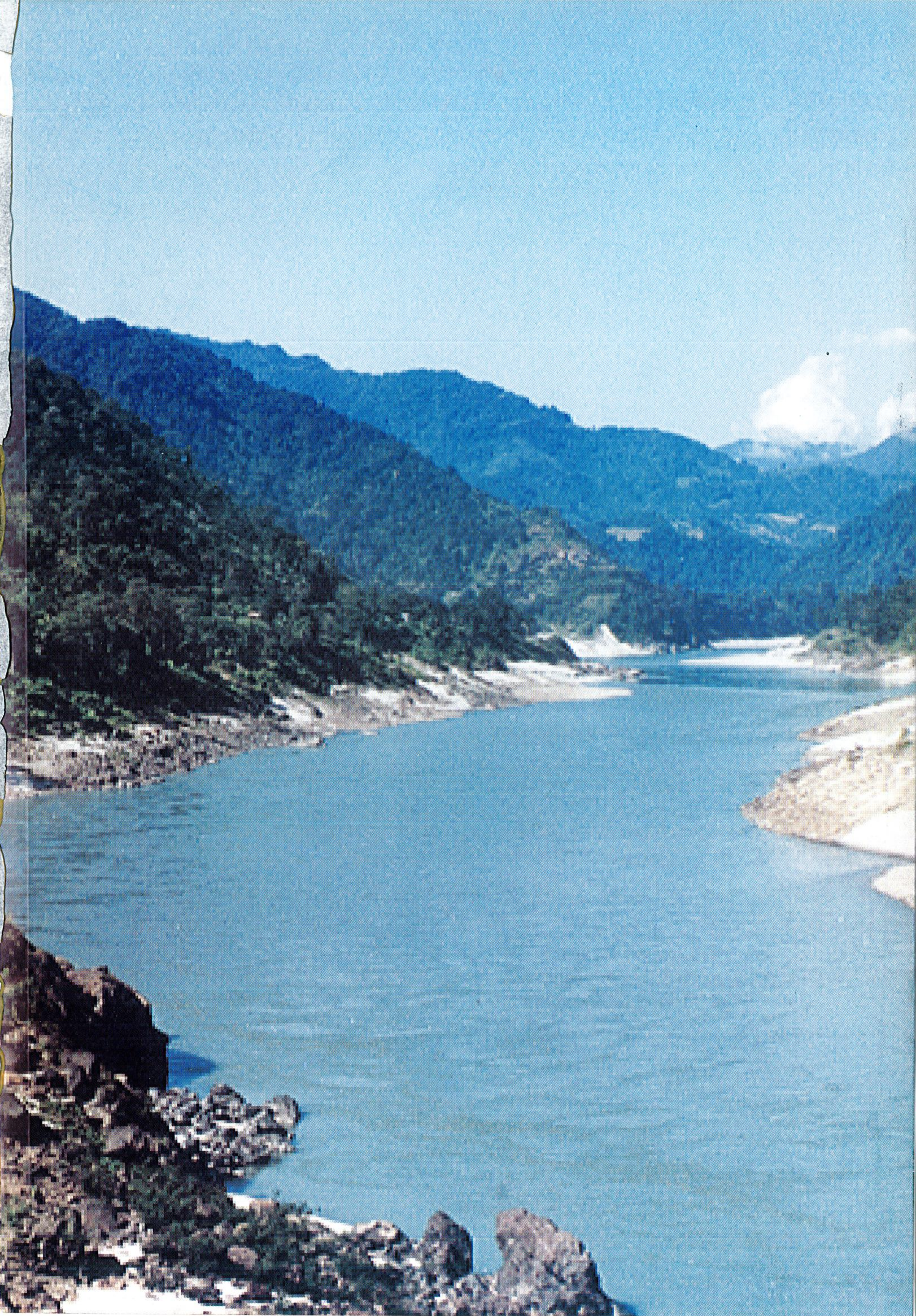

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि०

(भारत सरकार का उद्यम)

एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर–33, फरीदाबाद–121 003 (हरियाणा)
वेबसाइट : http://www.nhpcindia.com

न्यूफील्ड्स एडवरटाइजिंग प्रा. लि. द्वारा डिजाइन और मेहता ऑफसेट प्रा. लि. द्वारा मुद्रित